



## विषय सूची

## Contents

निदेशकगण एवं प्रबंधन	2	Directors and Management	2
निदेशक मण्डल	3	Board of Directors	3
सूचना	4	Notice	4
शीर्ष प्रबंधकीय दल	5	Top Management Team	5
उप महाप्रबंधकों का दल	6	Team of Deputy General Managers	6
क्षेत्रीय प्रभारी का दल	7	Team of Regional Incharges	7
अध्यक्ष का वक्तव्य	9	Chairman's Statement	9
निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन	14	Report of the Board of Directors	14
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	60	Auditors' Report	60
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	64	Comments of the Comptroller & Auditor General of India	64
अग्नि बीमा राजस्व लेखा	65	Fire Insurance Revenue Account	65
मरीन बीमा राजस्व लेखा	67	Marine Insurance Revenue Account	67
विविध बीमा राजस्व लेखा	69	Miscellaneous Insurance Revenue Account	69
लाभ एवं हानि खाता	71	Profit & Loss Account	71
तुलन पत्र	73	Balance Sheet	73
अनुसूचियां	75	Schedules	75
लेखा नीतियां तथा टिप्पणियां	109	Accounting Policies and Notes	109
वित्तीय विवरणियों का सारांश	132	Summary of Financial Statements	132
वित्तीय विवरण पर प्रबंधन की रिपोर्ट	138	Management Report on Financial Statements	138
रोकड़ प्रवाह का विवरण	142	Cash Flow Statement	142
तुलन पत्र का सार	145	Balance Sheet Abstract	145

## सहायक कम्पनी

## Subsidiary Company

निदेशकों का प्रतिवेदन	147	Report of the Directors	147
सदस्यों को लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन	149	Auditors' Report to the Members	149
भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	152	Comments of the Comptroller & Auditor General of India	152
तुलन पत्र	153	Balance Sheet	153
लाभ एवं हानि खाता	155	Profit & Loss Account	155
अनुसूची क - ऋण और अग्रिम	157	Schedule A - Loans & Advances	157
अनुसूची ख - लेखा नीतियां तथा टिप्पणियां	158	Schedule B - Accounting Policies & Notes	158
तुलन पत्र का सार	159	Balance Sheet Abstract	159



दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

## निदेशकगण एवं प्रबंधन Directors and Management

### अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

एम. रामदास

### निदेशकगण

जे.एस.एस. शास्त्री

डी.वी. शाह

एस.के. चानना

डी. सिंह

### महाप्रबंधक

एस.के.चानना

देवी सिंह

एस. सुरेन्थर

नीरज कुमार

डॉ. ए .के. सक्सेना

एन. के. सिंह

### वित्तीय सलाहकार

एस. सुरेन्थर

### मुख्य सतर्कता अधिकारी

अरूण गुप्ता

### उप महाप्रबंधक

एम. के. जिंदल

पी. महाजन

ए.के. भंडारी

पी.के. झा

ए.के. दास

डी.के. सोनी

विरेंद्र कुमार

बी.एन. प्रसाद

टी.के. चटोपाध्याय

मीता भट्टाचार्यजी

अनिल कुमार

### कम्पनी सचिव

रश्मि बाजपेयी

### लेखा परीक्षक

मैसर्स एस. मान एण्ड कं.

मैसर्स सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स

### पंजीकृत कार्यालय

ओरिएण्टल हाऊस

ए 25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110 002

[www.orientalinsurance.nic.in](http://www.orientalinsurance.nic.in)

### Chairman-cum-Managing Director

M. Ramadoss

### Directors

J.S.S. Sastry

D.V. Shah

S.K. Chanana

D. Singh

### General Managers

S.K. Chanana

D. Singh

S.Surenther

Niraj Kumar

Dr. A.K. Saxena

N.K. Singh

### Financial Advisor

S.Surenther

### Chief Vigilance Officer

Arun Gupta

### Deputy General Managers

M.K. Jindal

P. Mahajan

A.K. Bhandari

P.K. Jha

A.K. Das

D.K. Soni

Virander Kumar

B.N. Prasad

T.K. Chattopadhyay

Mita Bhattacharjee

Anil Kumar

### Company Secretary

Rashmi Bajpai

### Auditors

M/s S. Mann & Co.

M/s Suresh Chandra & Associates

### Registered Office:

'Oriental House'

A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002

[www.orientalinsurance.nic.in](http://www.orientalinsurance.nic.in)



निदेशक मंडल  
Board of Directors



**एम. रामदास**  
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक  
**M. Ramadoss**  
Chairman-cum-Managing Director



**जे.एस.एस.शास्त्री**  
निदेशक  
**J.S.S.Sastry**  
Director



**डी.वी.शाह**  
निदेशक  
**D.V.Shah**  
Director



**एस.के. चानना**  
निदेशक  
**S.K. Chanana**  
Director



**डी. सिंह**  
निदेशक  
**D. Singh**  
Director



## दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

### सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की 61वीं वार्षिक आम बैठक का आयोजन शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2009 को सायं 5.00 बजे कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय, "ओरिएण्टल हाऊस", ए-25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 में और निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करने के लिए किया जाएगा:

#### सामान्य कामकाज :

1. 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निदेशकों का प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा और तत्सम्बंधी लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन प्राप्त करना, उन पर विचार तथा उनका अनुमोदन करना।
2. वर्ष 2009-10 के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले लेखा परीक्षकों की परिलब्धियां निर्धारित करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करना।

( रश्मि बाजपेयी )

कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 14 सितम्बर, 2009

#### टिप्पणियां :

1. सभा में उपस्थित तथा मतदान करने के हकदार सदस्य को अपने स्थान पर किसी और व्यक्ति को उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए किसी प्रॉक्सी को नियुक्त करने का हक है। प्रॉक्सी के लिए कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है।
2. प्रॉक्सी पत्र कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक के प्रारम्भ होने के कम से कम 48 घंटे पहले जमा कर दिया जाना चाहिए।

### Notice

Notice is hereby given that the 61st Annual General Meeting of The Oriental Insurance Company Limited will be held at the Registered Office of the Company at 'Oriental House' A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi-110002 on Friday, the 25th September, 2009 at 5.00 p.m. to transact the following business :

#### Ordinary Business:

1. To receive, consider and adopt Directors' Report, Audited Annual Accounts for the year ended 31st March, 2009 and Auditors' Report thereon.
2. To authorise the Board of Directors to fix the remuneration of Auditors, to be appointed by the C & AG, for the year 2009-10.

(Rashmi Bajpai)

Company Secretary

Place : New Delhi

Date : 14th September, 2009

#### Notes:

1. A member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself. A proxy need not be a member of the Company.
2. The proxy should be deposited at the Registered Office of the Company not less than 48 hours before the commencement of the meeting.



शीर्ष प्रबन्धकीय दल  
Top Management Team



**एम. रामदास**  
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक  
**M. Ramadoss**  
Chairman-cum-Managing Director



**एस.के. चानना**  
महाप्रबंधक  
**S.K. Chanana**  
General Manager



**डी. सिंह**  
महाप्रबंधक  
**D. Singh**  
General Manager



**एस. सुरेन्धर**  
महाप्रबंधक व वित्तीय सलाहकार  
**S. Surender**  
General Manager & FA



**नीरज कुमार**  
महाप्रबंधक  
**Niraj Kumar**  
General Manager



**डॉ. ए. के. सक्सेना**  
महाप्रबंधक  
**Dr. A.K. Saxena**  
General Manager



**एन. के. सिंह**  
महाप्रबंधक  
**N.K. Singh**  
General Manager



**अरूण गुप्ता**  
मुख्य सतर्कता अधिकारी  
**Arun Gupta**  
Chief Vigilance Officer



मुख्यालय में उप महाप्रबन्धक दल

Team of Deputy General Managers at Head Office



एम.के.जिंदल  
M.K. Jindal



पी. महाजन  
P. Mahajan



ए.के.भण्डारी  
A.K. Bhandari



पी.के.झा  
P.K. Jha



एम.के.दास  
A.K. Das



डी.के. सोनी  
D.K. Soni



विरेंद्र कुमार  
Virander Kumar



बी.एन प्रसाद  
B.N. Prasad



टी.के. चट्टोपाध्याय  
T.K. Chattopadhyay



मीता भट्टाचार्यजी  
Mita Bhattacharjee



अनिल कुमार  
Anil Kumar



क्षेत्रीय प्रभारी दल  
Team of Regional Incharges



सी.एस. टंडन  
एनआरओ-1  
C.S. Tandon  
NRO-1



डॉ. एस. कौशिक  
एनआरओ-2  
Dr. S. Kaushik  
NRO-2



पी.आर.एम. सुंदरम  
बंगलौर  
P. R. M. Sundaram  
Bangalore



रीना भटनागर  
एमआरओ-11  
Reena Bhatnagar  
MRO-II



एम.के. नासीपुरी  
कोलकता  
S.K. Nasipuri  
Kolkata



एम. नागराजा  
हैदराबाद  
M. Nagaraja  
Hyderabad



पी.एस.के. राव  
एमआरओ-1  
P. S. K. Rao  
MRO-I



ओ.पी. पाण्डे  
लखनऊ  
O.P. Pandey  
Lucknow



जी. आनंदन  
चेन्नई  
G. Anandan  
Chennai



डॉ. इसराइल के. मनी  
कोच्चि  
Dr. Israel K. Mani  
Cochin



राहुल दुग्गल  
पुणे  
Rahul Duggal  
Pune



डी.के. मिश्रा  
भुवनेश्वर  
D.K. Misra  
Bhubaneswar



जे.पी. नाहर  
चंडीगढ़  
J.P. Nahar  
Chandigarh



क्षेत्रीय प्रभारी दल  
Regional Incharges



अश्वनी कुमार  
गाजियाबाद  
**Ashwani Kumar**  
Ghaziabad



पी.सी. होटा  
गुवाहाटी  
**P. C. Hota**  
Guwahati



के. वरदाराजन  
हुबली  
**K. Varadarajan**  
Hubli



पी. एस. हरानद  
विशाखापट्टनम  
**P. S. Haranadh**  
Vishakhapatnam



आर.सी.जायसवाल  
प्राचार्य ओएसटीसी  
**R.C. Jaiswal**  
Principal, OSTC



आर.के.पी. राजपाल  
अंबाला  
**R.K.P. Rajpal**  
Ambala



वी. साजन  
वडोदरा  
**V. Sajan**  
Vadodara



सुशील कुमार  
पटना  
**Sushil Kumar**  
Patna



डा. आर.के. श्रीवास्तव  
रायपुर  
**Dr. R.K. Srivastava**  
Raipur



आलोक एन.झा  
अहमदाबाद  
**Aloke N. Jha**  
Ahemdabad



अखिलेश मिश्रा  
इंदौर  
**Akhilesh Mishra**  
Indore



डॉ. जॉनसन  
कोयमबटूर  
**Dr. Johnson**  
Coimbatore



डॉ. जे.एस. कोहली  
जयपुर  
**Dr. J.S. Kohli**  
Jaipur





एम. रामदास M. Ramadoss  
अध्यक्ष व प्रबन्धक निदेशक Chairman-cum-Managing Director

प्रिय शेयरधारकों

आपकी कम्पनी की 61वीं वार्षिक महासभा में आप सबका स्वागत है।

वर्ष 2009 दो दशकों में भारतीय मतदाताओं के वोट के फलस्वरूप बेहतरीन आम चुनाव, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन-यूपीए का सबसे अधिक सीट जीतने के साथ कांग्रेस के प्रमुख विजेता के रूप में उभरने और स्थिर सरकार बनाने जैसी घटनाओं का गवाह रहा है। इस प्रकार विनिवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने, पेंशन इत्यादि के अतिरिक्त मुख्य रूप से विकास तथा देश के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए और सुधारों के अवसर बढ़ाने के बारे में बड़ी-बड़ी आशाओं ने जन्म लिया है, इसलिए देश में बड़े पैमाने पर विदेशी पूंजी आकर्षित करने पर जोर रहा।

हालांकि, मुख्य रूप से वैश्विक मंदी और घरेलू मांग में कमी के कारण निर्यात एवं फैक्ट्री उत्पादन प्रभावित होने के मद्देनजर मार्च, 2009 को समाप्त तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि की दर छह वर्ष की सबसे कम रहने का अनुमान है। वर्ष 2008-09 की तीसरी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष की समानवधि में 162.57 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना 171.24 बिलियन अमरीकी डालर रहने का अनुमान है। इस प्रकार इसमें विकास दर 5.30% रही। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर वित्त वर्ष 2009-10 में 6-7% रहने की संभावना है। क्षेत्रीय विकास दर के लिहाज से विकास दर कृषि के लिए 2.8%, उद्योग के लिए 5.5% और सेवा क्षेत्र के लिए 7.5 से 8% रही। इसके अलावा, भारतीय स्टॉक बाजार में विदेशी संस्थागत निवेशकों का प्रवाह 3 अरब अमरीकी डालर को भी पार कर गया, आम चुनावों के परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद कुछ कारोबारी सत्रों के दौरान ही 2 अरब अमरीकी डालर भारतीय स्टॉक बाजार में आए।

पिछले साल मैंने उल्लेख किया था कि हम फ्री प्राइस रिजिम के बावजूद नकारात्मक विकास से बाहर निकल आएंगे तथा अधिक

Dear Shareholders

Welcome you all to the 61<sup>st</sup> Annual General Meeting of your company.

The year 2009 witnessed the best delivered general election outcome by the Indian voter in over two decades, with UPA (United Progressive Alliance) winning the maximum number of seats with Congress emerging as the major winner and forming a stable government, thus raising the huge expectations on disinvestments, increasing FDI's, pensions etc in addition to boosting the chances for further reforms with focus on core growth and development of the country thereby attracting large foreign capital inflows in the country.

However, India's economic growth is expected to have slowed to a six-year low in the quarter ending March, 2009 mainly on account of global recession and reduced domestic demand depressing exports and factory output. Gross Domestic Product for 3<sup>rd</sup> quarter 2008-09 is estimated to be at USD 171.24 bn as against USD 162.57 bn in corresponding quarter of previous year, thus recording a growth rate of 5.30%. The Indian economy is expected to grow at 6-7% in FY 2009-10 showing sectoral growth rates of 2.8% for agriculture, 5.5% for Industry and 7.5-8% growth in Services sector. Also, the inflow into the Indian stock market by Foreign Institutional Investors has crossed USD 3 bn mark, with USD 2 bn coming in few trading sessions immediately after the declaration of results for General elections.


Last year I mentioned that we will overcome the negative growth despite further free price regime and by continuing



## दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

तार्किक एवं जिम्मेदारी के जरिए हमने उसे हासिल किया है तथा वित्त वर्ष 2008-09 के नतीजों से पता चलता है कि आपकी कम्पनी सकल आधार पर 4.55% की विकास दर दर्ज करके सकारात्मक पथ पर लौट आई है। वर्ष 2007-08 के 3900.20 करोड़ की तुलना में कम्पनी का प्रीमियम 4077.90 करोड़ रुपए रहा। वर्ष 2007-08 में 2878.67 करोड़ की तुलना में 2008-09 में हमारा शुद्ध प्रीमियम 3235.10 करोड़ रुपए था।

more prudent and ethical underwriting, indeed we have achieved the same and the financial results of 2008-09 reflect that your company has bounced back to positive registering a growth rate of 4.55 % on gross basis with a premium of Rs.4077.90 crores as against Rs. 3900.20 crores in the year 2007-08. Our Net premium was Rs. 3235.10 crores in the year 2008-09 in comparison to Rs. 2878.67 crores in the year 2007-08.




वर्ष 2008-09, 396.51 करोड़ रु. की प्रचालन हानि का भी गवाह रहा है जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2007-08 में 118.93 करोड़ रु. का लाभ हुआ था। शुद्ध उपगत दावों का अनुपात 13% तक बढ़ना प्रचालन हानि बढ़ाने का मुख्य कारण था। 500 करोड़ रु. से कम बीमा धन वाले छोटे जोखिमों में हानि बढ़ने और मुम्बई आतंकी हमले में 58 करोड़ रुपए की हानि के कारण अग्नि दावों के अनुपात में वृद्धि हुई। आतंकी हमलों में महाराष्ट्र पुलिस के व्यक्तियों की मृत्यु, नक्सली हमलों के कारण छत्तीसगढ़ पुलिस के व्यक्तियों की मृत्यु तथा महाराष्ट्र के किसानों के मामले में नुकसान जहां हमने समूह आधार पर बीमा किया था के कारण व्यक्तिगत दुर्घटना क्षेत्र में पुनः अधिक हानि हुई। इसी प्रकार समुद्री पोत पोर्टफोलियो में अप्रत्याशित हानि हुई। वर्तमान वर्ष में स्थगित कुछ समूह मेडिकलेम पालिसियों के कारण स्वास्थ्य क्षेत्र भी प्रभावित रहा। हालांकि, हमारे मोटर पोर्टफोलिया में अधिक हानि नहीं हुई। हम सभी पोर्टफोलिया में हानि के अनुपात को रोकने के लिए वर्तमान वर्ष में अंडरराइटिंग को दुरुस्त करने के साथ-साथ दावों पर नियंत्रण कर रहे हैं।

इस वर्ष का समापन वर्ष 2008-09 में 88.42 करोड़ रु. की कर पूर्व हानि तथा 52.66 करोड़ रु. की कर पश्चात हानि के साथ हुआ जबकि वर्ष 2007-08 में 442.35 करोड़ रु. का कर पूर्व लाभ और 9.30 करोड़ रु. का कर पश्चात लाभ हुआ था।


The year 2008-09 witnessed operating losses amounting to Rs. 396.51 crores as compared to operating profit of Rs. 118.93 crores in 2007-08. The main reason for increase in the operating losses was the substantial increase in the net incurred claims ratio by 13 %. There is an increase in Fire claims ratio due to increased losses in smaller risks having sum insured less than Rs. 500 crores and the Mumbai terrorism loss of Rs. 58 crores. Again in PA segment, there was more loss due to deaths of Maharashtra police personnel in terrorist attacks, Chhattisgarh police personnel due to naxalite attacks and Maharashtra farmers wherein we had insured them on group basis. Similarly there were unexpected losses in Marine Hull portfolio. Health portfolio was affected due to some group mediclaim policies, which were discontinued in the current year. However, our Motor portfolio did not generate large losses. We're taking corrective steps in underwriting as well as claims control in the current year to check the loss ratios in all these portfolios.

The year also ended up with loss before tax of Rs. 88.42 crores and loss after tax of Rs. 52.66 crores in the year 2008-09 as against Profit before tax of Rs. 442.35 crores and profit after tax of Rs. 9.30 crores in the year 2007-08.




इस वर्ष के दौरान प्रबंधन व्यय में 90.84 करोड़ रु. की वृद्धि दर्ज की गई इसलिए वर्ष 2008-09 में कुल प्रबंधन व्यय 914.44 करोड़ रु. हो गया जबकि वर्ष 2007-08 में यह 823.60 करोड़ रु. था। एएस-15 के अनुपालन में कर्मचारियों को देय देनदारियों, इन्सेंटिव के लिए प्रावधान और वेतन के बकाए का प्रबंधन व्यय पर असर पड़ा।

The management expenses during the year registered an increase of Rs. 90.84 crores thereby resulting in a total of Rs. 914.44 crores in the 2008-09 as compared to Rs. 823.60 crores in the year 2007-08. The provisions made in respect of liabilities due to employees in accordance with AS-15, provision for incentives and salary arrears impacted the management expenses.



वर्ष 2008-09 में शुद्ध प्रीमियम 3235.10 करोड़ रु. था जबकि पिछले वर्ष यह 2878.67 करोड़ रु. था, इस प्रकार इसमें 12.38% वृद्धि हुई। वर्ष 2008-09 में निवेश की बिक्री पर लाभ 387.39 करोड़ रु. रहा जबकि वर्ष 2007-08 में यह 571.45 करोड़ रु. था। ब्याज से आय, लाभांश और किराया इस वर्ष 608.23 करोड़ रु. रहा जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष नेपाल, दुबई और कुवैत के हमारे विदेशी प्रचालन का कार्य

The Net Premium was Rs. 3235.10 crores in the year 2008-09 as against Rs. 2878.67 crores last year, registering growth of 12.38 %. Profit on sale of investments was Rs. 387.39 crores in the year 2008-09 as compared to Rs. 571.45 crores in 2007-08 whereas income from Interest, Dividend & rent was recorded as Rs. 608.23 crores during the year in comparison to previous year's figure of Rs. 571.70 crores.





## दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

प्रदर्शन निरंतर अच्छा बना हुआ है। इस वर्ष सकल प्रीमियम 113.64 करोड़ रु. रहा और तीन विदेशी कार्यालयों के शुद्ध परिणामों में वर्ष 2008-09 में 15.27 करोड़ रु. का अधिशेष था जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2007-08 में शुद्ध घाटा 21.38 करोड़ रु. था।

इस वर्ष ऋण-शोध क्षमता का मार्जिन 1.66 था जबकि वर्ष 2007-08 में यह 1.91 था। कम्पनी को हुई शुद्ध हानि के मद्देनजर इस वर्ष बोर्ड ने भारत सरकार को देने के लिए किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

हमें CRISIL और ICRA ने निरंतर उच्च रेटिंग प्रदान की है। विश्व की जानी पहचानी एजेंसी M BEST ने भी हमारी रेटिंग को B++ (बहुत अच्छी) पर रखा है।

हमारा बीमा साफ्टवेयर INLIAS वित्त वर्ष 2008-09 के आखिर तक सभी 1018 कार्यालयों में कार्यान्वित हो गया है तथा इसके फलस्वरूप हमारे ग्राहकों को अधिक प्रतिस्पर्द्धी एवं विस्तारित सेवा तथा देश में हमारे कार्यालयों में कहीं भी प्रीमियम या लोज प्रीमियम भुगतान सुगम कराने के लिए सम्पूर्ण आनलाइन समाधान का 100 % कार्यान्वयन हो गया है। हमने पालिसी धारकों, संभावित ग्राहकों और एजेंट, ब्रोकर, सर्वेयर, मोटर डीलर, तृतीय पक्ष प्रशासकों, कानूनी कार्टिसिल इत्यादि जैसे बीमा मध्यस्थों की बीमा जरूरतों को लक्ष्य करके कोर बीमा अनुप्रयोग के साथ विधिवत रूप से एकीकृत अपने वेब पोर्टल के पहले चरण की शुरुआत भी की है। इसके अतिरिक्त आठ चुनिंदा उत्पादों को ऑनलाइन जारी किया गया है।

पिछले वर्ष मैंने हमारी कम्पनी में कार्यान्वित की जा रही "नई दिशा" नामक परियोजना के बिजनेस रूपांतर अभ्यास की शुरुआत का उल्लेख किया था। हमने इसके लिए प्रबंधन कन्सल्टेंट के रूप में बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप को नियुक्त किया है तथा रूपांतरण अभ्यास की ओर कदम बढ़ाने के लिए कुछ उपायों के तौर पर वित्त वर्ष 2008-09 में निम्नलिखित पहल शुरू की:

- 12 क्षेत्रीय कार्यालयों में मोटर ऑन डेमेज के निर्धारण के लिए विशिष्ट सेवा केंद्र शुरू किए गए जिनमें 17000 दावे निपटाए गए और निपटान का समय 30 दिन से भी कम किया गया।
- जयपुर क्षेत्रीय कार्यालय में प्रायोगिक आधार पर पालिसी डिलीवरेंस और नॉन मोटर दावों के निपटान शुरू किया गया।
- 20 क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रोजेक्ट अग्नि (एजेंट पोषण पहले शुरू की गई जहां 223 एजेंसी प्रबंधक 2892 प्रत्यक्ष एजेंटों की सेवा के लिए नियुक्त किए गए जिसके फलस्वरूप उनके जरिए अंडरराइटिंग किए गए बिजनेस में 35% वृद्धि हुई।
- औद्योगिक घरानों के बिजनेस को लक्ष्य बनाकर आठ स्थानों पर विशिष्ट कार्पोरेट बिजनेस इकाईयों ने कार्य शुरू किया तथा 37 करोड़ रु. का नया प्रीमियम दर्ज किया।

Our foreign operations of Nepal, Dubai and Kuwait continued to perform exceeding well by writing gross premium of 113.64 crores this year and the net result by three foreign offices was a surplus of Rs. 15.27 crores in 2008-09 as compared to net deficit of Rs. 21.38 crores in 2007-08.

The Solvency margin for the year stood at 1.66 as compared to 1.91 in 2007-08. This year Board has not recommended any dividend payout to Government of India, keeping in view the net loss suffered by the Company.

We have been consistently given the highest rating by CRISIL and ICRA. World renowned rating agency, A M BEST has also maintained our rating at "B++" (very good).

INLIAS, our core insurance software, has been implemented in all the 1018 offices by the end of FY 2008-09 and resulting in 100 % implementation of complete online solutions for more competitive and enhanced service to our customers and also facilitating them to pay the premium or lodge claims at any of our offices within the country. We have also launched the first phase of our Web-portal duly integrated with the core insurance application to target insurance needs of policy holders, potential clients, insurance intermediaries such as agents, brokers, surveyors, motor dealers, third party administrators, legal counsels, etc. in addition to online issuance of eight selected products.

Last year I referred to the introduction of Business Transformation exercise being implemented in our company, named as project "NAYEE DISHA". We had appointed 'Boston Consulting Group' as Management Consultants for the same and had introduced following initiatives in FY 2008-09 towards some of the steps taken to carry forward the transformation exercise.

- Specialized service centers for settlement of Motor Own damage claims were launched in 12 regional offices, wherein 17000 claims were settled and turnaround time was brought down to 30 days.
- Policy deliverance and settlement of non-motor claims were started in Jaipur regional office, on pilot basis.
- Project AGNI (Agent nurturing Initiative) was introduced in 20 regional offices whereby 223 Agency Managers were appointed to service 2892 direct agents, resulting in 35% growth in business underwritten through them.
- Specialized Corporate Business units started functioning in eight locations to target the business of industrial houses and recorded new premium worth Rs. 37 crores.



- ब्रोकरों की बिजनेस आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो स्थानों में फोकस कार्यालय शुरू किए गए
- केंद्रीकृत और मोटर तृतीय पक्ष दावों को तेजी से निपटाने के लिए 15 स्थानों पर थर्ड पार्टी क्लेम हब ने कार्य करना शुरू किया।
- जोखिम आधारित मूल्य प्रणाली विकसित करने के अतिरिक्त HMSI और जनरल मोटर के साथ आटो अनुबंध किया गया।
- स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में आई तेजी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट शाइन हेल्थ 1000 के तहत नूतन उत्पाद शुरू किए गए।
- मुख्यालय के साथ साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में मुख्य रूप से टीपीए की देखरेख के लिए केंद्रित और स्वास्थ्य क्षेत्र के तहत उपगत दावों के अनुपात की निगरानी।

उपगत अंडरराइटिंग हानि के मद्देनज़र आगामी वर्ष में, हम अंडरराइटिंग के साथ साथ दावा प्रबंधन में आवश्यक दुरुस्त कार्रवाई करेंगे ताकि हम दावा अनुपात एवं संयुक्त अनुपात पर नियंत्रण कर सकें। जुलाई 2009 तक आग, इंजीनियरिंग क्षेत्र में प्रीमियम वृद्धि 11% से अधिक है। हम इस वर्ष कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन आधारित कार्य निष्पादन भी शुरू कर रहे हैं। आशा है कि 2009-10 बेहतर वर्ष रहेगा।

*“हमारे बहुत से सपने पहले असंभव नज़र आते थे, फिर वे असम्भाव्य नज़र आते थे और फिर जब हमने इच्छा की तो वे शीघ्र ही अवश्यभावी हो गए। “*

हमारी कम्पनी की श्रमशक्ति बहुत सुसंगठित, प्रशिक्षित और नई बिजनेस प्रक्रियाओं को सीखने के लिए प्रतिबद्ध है तथा उसने उभरते प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में सभी चुनौतियां स्वीकार की हैं इसलिए कम्पनी के 62 वर्ष के स्मरणीय सफर को आगे बढ़ाने के लिए तथा इसे और भी मजबूती से तरक्की के लिए प्रतिबद्ध है।

*“हर दिन आप प्रगति कर सकते हैं। हर कदम फलदायी हो सकता है। पहले से अधिक लम्बे, पहले से अधिक आरोग्य, पहले से अधिक परिष्कृत पथ पर जाने से पहले कुछ और दूरी तय करनी होगी। आप जानते हैं कि आप सफर को कभी भी खत्म करना नहीं चाहते। परंतु इसके लिए, हतोत्साहित होने से परे रहते हुए, सिर्फ आनन्द और शान के साथ बुलन्दी पर चढ़ते जाओ। “*

हम अपने ग्राहकों को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने क़ादारी से हमारा समर्थन किया और कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच हमारे ऊपर विश्वास बनाए रखा। हम अपनी सेवा के स्टैंडर्ड को सुधारने में निरंतर समर्थन के लिए अपने मध्यस्थों को भी धन्यवाद देते हैं। हम सभी क्षेत्रों में समर्थन, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए IRDA और वित्त मंत्रालय के भी आभारी हैं।

वर्ष 2008-09 की वार्षिक रिपोर्ट आपके विचार के लिए पेश है।

- Focused offices introduced in two locations to cater to business requirements of Brokers
- Third Party claims hubs started functioning in fifteen locations for centralized and speedy disposal of Motor third party claims.
- Auto tie-ups with HMSI and General Motors were entered into in addition to developing risk based pricing mechanism.
- Innovative products under Project Shine-Health 1000 were launched to cater to requirements of booming health insurance sector.
- Focused verticals to handle TPA's and monitor incurred claims ratio under health segment created at Head office as well as Regional Offices.

In the year ahead, keeping the incurred underwriting losses in mind, we would be taking necessary corrective action both in underwriting as well as in claims management so that we control the claims ratios and combined ratios. The premium growth upto July 2009 is more than 11 % and the growth is in Fire, Engineering segments. We are also introducing performance based incentives to employees this year. Hopefully 2009-10 will be a better year.

*“So many of our dreams at first seem impossible, then they seem improbable, and then, when we summon the will, they soon become inevitable”*

Our company's workforce is well organized, trained and committed towards learning new business processes and has accepted all challenges in the emerging competitive scenario thus taking the Company further in its memorable journey of 62 years and advancing further from strength to strength.

*“Every day you may make progress. Every step may be fruitful. Yet there will stretch out before you an ever-lengthening, ever-ascending, ever-improving path. You know you will never get to the end of the journey. But this, so far from discouraging, only adds to the joy and glory of the climb”*

We are thankful to our customers who steadfastly support us and have continuous faith in us amidst severe competition. We are also thankful to our intermediaries for their continued support in improving our service standards. We are also indebted to IRDA and Ministry of Finance for their support, guidance and encouragement in all areas.

The Annual Report for 2008-09 is placed for your consideration.



## दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

### कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 के अंतर्गत दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल का प्रतिवेदन

सदस्यों,

- 31 मार्च, 2009 को समाप्त हुए वर्ष के लिए 61वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा खाता की लेखापरीक्षक आकलन पेश करते हुए प्रसन्नता हो रही है।
- वित्तीय स्थिति  
कोष्ठक में दिए गए आंकड़े शुद्ध प्रीमियम का प्रतिशत है

### REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED UNDER SECTION 217 OF THE COMPANIES ACT 1956

To the members:

- We have pleasure in presenting the sixty first Annual Report and Audited Statement of Accounts for the year ended 31<sup>st</sup> March 2009.

#### 2. Financial Snapshot

Figures in brackets are percentage to net premium

( रुपये लाखों में ) (Rs. in lakhs)

	अग्नि Fire		मरीन Marine		विविध Miscellaneous		कुल Total	
	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08	2008-09	2007-08
कुल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium:								
भारत में In India	44066	47820	33259	33906	319101	299087	396426	380813
भारत से बाहर Outside India	2296	1786	1588	1261	7480	6160	11364	9207
कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium Total	46362	49606	34847	35167	326581	305247	407790	390020
शुद्ध प्रीमियम Net Premium	31947	29712	17715	18629	273848	239526	323510	287867
शुद्ध का सकल से अनुपात Ratio of Net to Gross	68.90 %	59.90 %	50.84 %	52.97 %	83.85 %	78.47 %	79.33 %	73.81 %
निवेश की बिक्री पर लाभ (पॉलिसी धारक) Profit on Sale of Investments (Policy Holders')	2729 (8.54%)	3469 (11.7%)	1292 (7.29%)	1851 (9.9%)	23765 (8.68%)	34715 (14.5%)	27786 (8.59%)	40035 (13.9%)
ब्याज/लाभांश/किराया (पॉलिसी धारक) Int./Div./ Rent (Policy Holders')	4284 (13.41%)	3470 (11.7%)	2029 (11.45%)	1851 (9.9%)	37313 (13.63%)	34730 (14.5%)	43626 (13.48%)	40051 (13.9%)
कमीशन और अन्य शुल्क शुद्ध आय (+)/ शुद्ध खर्च (-) Commission and other income (Net Income(+)/ Net Outgo (-)	-379 (-1.19%)	679 (2.3%)	-1251 (-7.06%)	-1042 (-5.6%)	-18689 (-6.83%)	-12737 (-5.3%)	-20319 (-6.28%)	-13100 (-4.6%)
एनपीए प्रावधान (-)/ बट्टे खाते (+) NPA (Provision (-)/ Write back(+))	132 (0.41%)	71 (0.2%)	63 (0.36%)	38 (0.2%)	1152 (0.42%)	705 (0.3%)	1347 (0.42%)	814 (0.3%)
शेयरों के मूल्य में कमी प्रदत्त (-)/ बट्टे खाते (+) Diminution in value of shares (-)/ written back (+)	-16 (-0.05%)	-1 (-0.0%)	-7 (-0.04%)	0 (0.0%)	-143 (-0.05%)	-9 (0.0%)	-166 (-0.05%)	-10 (0.0%)
असमाप्त आरक्षित जोखिमों में वृद्धि (-)/घटा(+) Increase (-)/ Decrease (+) in unexpired risks reserve	-454 (-1.42%)	2730 (9.2%)	785 (4.43%)	-1689 (-9.1%)	-17161 (-6.27%)	-1284 (-0.5%)	-16830 (-5.20%)	-244 (-0.1%)
शुद्ध उपगत दावे Net Incurred claims	-36245 (-113.45%)	-31037 (-104.5%)	-17226 (-97.24%)	-11008 (-59.1%)	-252248 (-92.11%)	-218177 (-91.1%)	-305719 (-94.50%)	-260222 (-90.4%)



प्रबन्धकीय व्यय Expenses of Management	-10583 (-33.13%)	-10688 (-36.0%)	-5613 (-31.68%)	-5560 (-29.8%)	-75248 (-27.48%)	66112 (-27.6%)	-91444 (-28.27%)	-82360 (-28.6%)
परिशोधन व्यय Amortization expenses	-77 (-0.24%)	-74 (-0.2%)	-37 (-0.21%)	-39 (-0.2%)	-671 (-0.25%)	-738 (-0.3%)	-785 (-0.25%)	-851 (-0.3%)
निवेश बट्टे खाते Investment Written off	-65 (-0.20%)	-8 (0.0%)	-31 (-0.17%)	-4 (0.0%)	-561 (-0.20%)	-76 (0.0%)	-657 (-0.20%)	-88 (0.0%)
शुद्ध प्रचालन लाभ Net Operating Profit /(Loss)	-8727 (-27.32%)	-1677 (-5.6%)	-2281 (-12.87%)	3027 (16.2%)	-28643 (-10.46%)	10543 (4.4%)	-39651 (-12.26%)	11893 (4.1%)
ब्याज, लाभांश व किराया (शेयरहोल्डर) Interest, Dividends & Rent (Shareholders')							17197	17118
निवेश बिक्री से लाभ (शेयर होल्डर) Profit on sale of Investments (Shareholders')							10953	17110
अन्य आय/ व्यय Other Income/ Outgo							2659	-1886
लाभ (+)/ हानि (-) कर-पूर्व Profit (+) / Loss (-) before Tax							-8842	44235
पूर्व अवधि आय/व्यय Prior period Income / Expenses							-94	00
स्रोत पर आयकर की कटौती तथा टैक्स के लिए प्रावधान IT deducted at source and Provision for Tax							-1167	-4429
पूर्व वर्षों हेतु कर के लिए प्रावधान Provision for Tax for earlier years							4837	-38876
टैक्स के बाद शुद्ध लाभ/हानि Net Profit/ Loss after Tax							-5266	930
सामान्य रिजर्व में अन्तरण Transfer to General Reserve							-5266	53
लाभांश के लिए प्रावधान Provision for Dividend							00	750
कारपोरेट लाभांश टैक्स Corporate Dividend Tax							00	127

\* उपर प्रदर्शित प्रतिशत शुद्ध प्रीमियम पर है

\* Percentages mentioned above are to Net Premium.

( रुपये करोड़ में ) (Rs. in crores)

विभाग Department	कुल प्रीमियम Gross Premium			शुद्ध प्रीमियम Net Premium			अदत्त दावा अनुपात Incurred Claim Ratio			
	2008-09	2007-08	Growth %	2008-09	2007-08	Growth %	कुल GROSS		शुद्ध NET	
							2008-09 %	2007-08 %	2008-09 %	2007-08 %
फायर Fire	463.62	496.06	-6.54	319.47	297.12	7.52	84.69	76.48	113.45	104.46
मरीन कार्गो Marine Cargo	182.54	175.45	4.04	151.57	154.16	-1.68	76.22	82.19	83.37	59.57
मरीन हल Marine Hull	165.93	176.22	-5.84	25.58	32.13	-20.39	108.87	94.16	179.42	56.77
मरीन योग Marine Total	348.37	351.67	-0.91	177.15	186.29	-4.91	91.77	88.19	97.24	59.09
मोटर ओडी Motor OD	847.60	920.55	-7.92	767.92	787.60	-2.50	59.42	58.80	58.68	59.87



## दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

मोटर टीपी-नॉन पूल Motor TP-Non Pool	271.95	282.29	-3.66	244.28	243.19	0.45	287.94	322.63	239.69	294.38
मोटर टीपी-पूल Motor TP-Pool	427.42	449.82	-4.98	319.68	286.36	11.64	84.24	7.82	117.09	61.73
मोटर योग Motor Total	1546.97	1652.66	-6.40	1331.88	1317.15	1.12	106.45	89.99	105.90	103.57
इंजीनियरिंग Engineering	265.84	224.10	18.63	203.96	177.30	15.04	45.00	24.33	58.06	27.27
कामगार प्रतिकार Workmen Comp.	54.08	44.73	20.90	49.03	38.00	29.03	35.02	22.94	34.38	24.21
विमानन Aviation	94.59	82.42	14.77	16.85	9.28	81.57	50.54	53.17	99.27	104.96
वैयक्तिक दुर्घटना Pers. Accident	150.51	138.10	8.99	126.77	109.20	16.09	110.93	73.37	101.10	68.62
स्वास्थ्य Health	710.41	533.10	33.26	638.71	452.84	41.05	118.28	110.25	117.03	110.98
दायित्व Liability	32.43	32.40	0.09	21.84	18.48	18.18	15.69	26.33	32.87	37.34
अन्य विविध Other Misc.	410.98	344.96	19.14	349.44	273.01	28.00	46.60	59.13	22.10	60.75
कुल विविध Total Misc.	3265.81	3052.47	6.99	2738.48	2395.26	14.33	92.99	81.82	92.11	91.09
योग Total	4077.90	3900.20	4.55	3235.10	2878.67	12.38	91.94	81.71	94.50	90.40

### 3. कार्य परिणामों / परिचालनों की समीक्षा

#### 3.1. व्यापार में वृद्धि:-

वर्ष 2007-08 के दौरान सकल प्रीमियम में वृद्धि ने फिर से गति पकड़ी और यह पिछले वर्ष के 3,900.20 करोड़ रुपये के मुकाबले इस वर्ष बढ़कर 4,077.90 करोड़ रुपये हो गया। इससे 4.55 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि हुई। कंपनी शुद्ध प्रीमियम में 12.38 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। स्वास्थ्य व्यापार ने 33.26 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दिखाई जबकि इंजीनियरिंग, कर्मचारियों के मुआवजा, विमानन तथा अन्य विभिन्न क्षेत्रों ने 14 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज कराई। सकल आधार पर वैयक्तिक दुर्घटना व्यापार क्षेत्र में 9 प्रतिशत तथा मैरिन कार्गो में 4.04 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दरों में कटौती के कारण व्यापार के अन्य क्षेत्रों में नकारात्मक वृद्धि हुई।

#### 3.2. पुनः बीमा परिचालन:-

शुद्ध सकल अनुपात (प्रतिधारण प्रतिशत) पिछले वर्ष 73.81 प्रतिशत के मुकाबले इस वर्ष 79.33 प्रतिशत थी। इसका मुख्य कारण जीआईसी के लिए बाध्यकारी अंतरण में कमी था।

#### 3.3. व्यापार परिचालन परिणाम :-

कंपनी के कुल व्यापार कार्यों के प्रदर्शन के कारण वर्ष के दौरान 396.51 करोड़ रुपये की हानि हुई। इसकी समीक्षा की जा रही है क्योंकि वर्ष 2007-08 में 118.93 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। समकालीन दावों की संख्या अनुपात में वर्ष 2007-08 के 90.40 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2008-09 में

### 3. Review of operations / Working Results

#### 3.1. Growth of Business:-

The Gross Premium picked up momentum again by increasing to Rs. 4077.90 crores during 2008-09 as compared to Rs. 3900.20 crores during 2007-08 thereby recording a positive growth of 4.55 %. The Company also achieved growth of 12.38 % on Net premium. Health business showed impressive growth of 33.26 % whereas Engineering, Workmen's compensation, Aviation and Other Miscellaneous segments depicted growth of more than 14% , Personnel accident business segment achieved growth rate around 9% and Marine Cargo recorded 4.04 % growth on gross basis. There was negative growth in other lines of business mainly due to reduction in rates.

#### 3.2. Reinsurance Operations

The net to gross ratio (retention percentage) was higher at 79.33 % as compared to 73.81 % during last year, mainly on account of decrease in Obligatory cessions to GIC.

#### 3.3. Operating Results

The overall operating performance of the company has resulted in operating loss of Rs. 396.51 crores during the year under review as against profit of Rs. 118.93 crores during 2007-08. The gross incurred loss ratio increased to 91.94 % in 2008-09





94.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा समकालीन सकल हानि अनुपात में वर्ष 2007-08 के 81.71 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2008-09 में 91.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई। आतंकवाद से 58 करोड़ रुपये की हानि हुई जिसने फायर पोर्टफोलियो को प्रभावित किया, हुल पोर्टफोलियो हानि में बढ़ोत्तरी हुई। पीए क्षेत्र पर मुंबई में पुलिसकर्मियों की मौत से, छत्तीसगढ़ में आतंकवाद तथा नक्सलवाद से प्रभाव पड़ा। स्वास्थ्य पोर्टफोलियो में कुछ समूहों के मेडीक्लेम कर्मी आई। इन सभी क्षेत्रों में सुधारात्मक कार्यों पर वर्ष 2009-10 में ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यतः आने वाले मजदूरी संशोधन प्रावधानों तथा एएस-15 के प्रभावों के कारण प्रबंधन व्यय में 90.84 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई।

**3.4. पूंजी संरचना :-**

वर्ष के दौरान 100 करोड़ रुपये की प्राधिकृत या प्रदत्त पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह 100 करोड़ रुपये ही बनी हुई है।

**3.5. प्रबंधन व्यय :-**

चालू वर्ष के लिए प्रबंधन व्यय 914.44 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष यह 823.60 करोड़ रुपये था। यह बढ़ोत्तरी आने वाले मजदूरी संशोधन प्रावधानों तथा एएस-15 के अनुसार प्रावधानों के कारण हुई है।

**3.6. कुल कार्य निष्पादन :-**

पिछले साल के नुकसान को पूरा करने के लिए निवेश से आय तथा निवेश की बिक्री से हुए लाभ का उपयोग किया गया इससे शुद्ध लाभ बढ़ गया। लेकिन निवेश की बिक्री से जो लाभ हुआ उसमें इस वर्ष निचली स्टॉक मार्किट में हलचल के कारण 145 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसके साथ ही चालू वर्ष का कर पूर्व हानि में 88.42 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी हुई जबकि पिछले वर्ष कुल लाभ 442.35 करोड़ रुपये था। परिचालन लाभ तथा निवेश आय दोनों को ध्यान में रखकर इसकी समीक्षा की जा रही है।

**3.7. ऋण चुकाने योग्य बचत :-**

31 मार्च, 2009 को ऋण चुकाने योग्य बचत अनुपात 1.66 अंको पर थी जबकि पिछले वर्ष 31 मार्च, 2008 को यह 1.91 अंकों पर थी। यह बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 65VA के प्रावधानों में बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के द्वारा संशोधनों से संगत है।

**4. लाभांश**

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए निदेशकों ने लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

**5. सामान्य आरक्षित**

52.66 करोड़ रुपये के लाभ एवं हानि अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अनुसार कुल हानि तुलनपत्र में सामान्य आरक्षित खाते में हस्तान्तरित कर दिया है। इससे हमारी कुल संपत्ति 2026.32 करोड़ रुपये से घटकर 1973.66 करोड़ रुपये हो रही है।

from 81.71 % in 2007-08 and the net incurred claims ratio increased from 90.40% in 2007-08 to 94.50% during 2008-09. Whilst the terrorism loss of Rs. 58 crores impacted the Fire portfolio, increased retentions affected the loss ratios in Hull portfolio. The PA segment was affected due to police personnel deaths in Mumbai, terrorism act and naxalite activities in Chattisgarh. Health portfolio deteriorated due to few Group mediclaim policies. Corrective action on all these fronts are envisaged in 2009-10. There was an increase of Rs.90.84 crores in management expenses mainly due to impact of AS-15 and provision for forthcoming wage revision.

**3.4. Capital Structure**

There was no change in the Authorized or Paid Up Capital of Rs.100 crores during the year. The Paid-up Capital remains at Rs.100 crores.

**3.5. Management Expenses:**

Total Management Expenses for the current year were Rs. 914.44 crores as against Rs. 823.60 crores of previous year. The increase is on account of provisions made for forthcoming wage revision and provisions made as per AS-15.

**3.6. Overall Performance**

Income from Investment and profit arising out of sale of investments used to exceed the underwriting losses in previous years thereby resulting in Net profit. But this year, due to lower stock market movement, profits generated by sale of investments were reduced by Rs. 145 crores. This coupled with increased underwriting losses resulted in loss before tax of Rs 88.42 crores during the year under review compared to an overall profit of Rs. 442.35 crores during the previous year, after taking into account both operating profit and investment income.

**3.7. Solvency Margin:**

The solvency margin ratio stood at 1.66 as on 31.3.2009 against 1.91 as on 31.3.2008, thereby complying with the provisions of Sec 64VA of Insurance Act, 1938 as amended by the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.

**4 Dividend**

In view of the Net Loss suffered by the Company during the financial year 2008-09, no dividend was recommended by the Directors.

**5 General Reserve**

The net loss as per the Profit and Loss Appropriation Account of Rs.52.66 crores is transferred to General Reserve Account in the Balance Sheet thereby decreasing our net worth to Rs.1973.66 crores from Rs.2026.32 crores.



## 6. विदेशी परिचालन

वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी के विदेशों जैसे नेपाल, दुबई, कुवैत तथा लंदन में स्थित परिचालनों से कुल 113.64 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष प्रीमियम अर्जित किया जबकि पिछले वर्ष यह 92.07 करोड़ रुपये था। शुद्ध प्रीमियम 111.26 करोड़ रुपये था जबकि पिछले वर्ष यह 90.37 करोड़ रुपये था। चालू वर्ष में विदेशी परिचालनों के संदर्भ में 65.95 करोड़ रुपये के तत्कालीन दावों के साथ शुद्ध तत्कालीन दावा अनुपात 59.27 प्रतिशत था। पिछले वर्ष के लिए यह 90.16 प्रतिशत पर 81.47 करोड़ रुपये था। हमारे विदेशी परिचालनों ने अंततः 15.27 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दिया जबकि पिछले वर्ष के दौरान 21.38 करोड़ रुपये का घाटा था।

## 7. निदेशक मंडल तथा उसकी समितियां

श्री देवी सिंह, महाप्रबंधक, को 19 जून, 2009 से निदेशक नियुक्त किया गया था।

डॉ. के.सी. चक्रवर्ती को, भारतीय रिज़र्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के पद पर उनकी नियुक्ति के बाद, 2 जुलाई, 2009 को पत्र द्वारा सूचित कर दिया गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में उनके निदेशक पद पर रोक लगा दी है।

(i) निदेशक मंडल की लेखा समिति में सदस्य के रूप में निम्नलिखित निदेशक हैं :-

- 1 श्री जे.एस.एस.शास्त्री, अपर सचिव, आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय
- 2 श्री डी.वी. शाह, स्वतंत्र निदेशक और
- 3 श्री एस.के. चानना, महाप्रबंधक

वर्ष 2008-09 के दौरान वर्ष 2008-09 के लिए अर्धवार्षिक खातों तथा वर्ष 2007-08 के लिए वार्षिक खातों की समीक्षा करने के अलावा समिति की पांच बैठकें हुईं और बजट की मध्यावधिक समीक्षा, निवेश विभाग के समकालीन लेखा परीक्षण, कंपनी के आंतरिक लेखा कार्यक्रमों पर भी चर्चा हुई।

(ii) वर्ष 2008-09 के दौरान निवेश समिति का गठन हुआ था और इसमें फिलहाल निम्नलिखित निदेशक तथा सदस्य हैं :-

- 1 श्री एम. रामदास, सीएमडी
- 2 श्री जे.एस.एस.शास्त्री, अपर सचिव, आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय।
- 3 श्री डी.वी. शाह, निदेशक
- 4 श्री एस.के. चानना, महाप्रबंधक और
- 5 श्री एस.सुरेन्धर, वित्तीय सलाहकार एवं महाप्रबंधक।

समिति की चार बैठकें हुईं हैं और मंडल द्वारा अनुमोदित निवेश नीति को लागू करने के अलावा इसने समय-समय पर विभिन्न निवेश प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है।

(iii) कार्मिक उप-समिति का भी गठन वर्ष 2008-09 के दौरान किया गया और इसमें फिलहाल निम्न निदेशक हैं :-

- 1 श्री एम. रामदास, सीएमडी
- 2 श्री जे.एस.एस. शास्त्री, अपर सचिव, आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय।

## 6 Foreign Operations

The company's foreign operations in Nepal, Dubai, Kuwait and the Run-off account in London together yielded a Gross Direct Premium of Rs.113.64 crores during the year 2008-09 as against Rs.92.07 crores during the previous year. The net Premium was higher at Rs 111.26 crores as against Rs.90.37 crores last year and the net Incurred Claims during this year in respect of foreign operations were Rs. 65.95 crores with a net Incurred Claims Ratio of 59.27% (Rs. 81.47. crores at 90.16%.for the last year). Our foreign operations had finally resulted in a net surplus of Rs. 15.27 crores as against a deficit of Rs 21.38.crores during the previous year.

## 7 Board of Directors and its Committee(s)

Shri Devi Singh, General Manager of the Company, was appointed as a Director w.e.f. 19th June, 2009.

Dr. K. C. Chakrabarty ceased to be a Director on the Board of the Company, after his appointment as Deputy Governor, RBI, Mumbai, as informed to the Company vide letter dated 2nd July, 2009.

(i) The Audit Committee of the Board of Directors presently consists of the following Directors :

1. Shri J.S.S. Sastry, Under Secretary, Deptt of Economic Affairs, MoF,
2. Shri D. V. Shah, Independent Director, and
3. Shri S. K. Chanana, General Manager

During the year 2008-09, the Committee met on five occasions and besides reviewing the Annual Accounts for the year 2007-08 and the Half Yearly Accounts for the year 2008-09, also dwelt upon matters relating to Mid Term Review of Budget, Concurrent Audit of Investment Department, Internal Audit Programme of the Company etc.

(ii) During the year 2008-09, the Investment Committee was reconstituted and presently consists of the following Directors and Members:

1. Shri M. Ramadoss, CMD
2. Shri J.S.S. Sastry, Under Secretary, Deptt of Economic Affairs, MoF,
3. Shri D.V.Shah, Director
4. Shri S. K. Chanana, General Manager, and
5. Shri S. Surender, Financial Advisor & General Manager

The committee had four meetings and besides implementing the Investment Policy approved by the Board, cleared various investment proposals from time to time.

(iii) The Personnel sub-committee was also reconstituted during the year 2008-09 and presently consists of the following Directors:

1. Shri M. Ramadoss, CMD
2. Shri J.S.S. Sastry, Under Secretary, Deptt of



- 3 श्री डी.वी. शाह, निदेशक, और
- 4 श्री एस.के. चानना, महाप्रबंधक  
वर्ष 2008-09 के दौरान कर्मचारियों की स्थानांतरण तथा गतिशीलता नीति से विचलित होने के मुद्दे पर समिति की दो बार बैठक हुई।
- (iv) अपील तथा स्मरण समिति का गठन वर्ष 2008-09 में किया गया था और फिलहाल निम्नलिखित निदेशक सदस्य के रूप में हैं। समिति की बैठक वर्ष में केवल एक बार ही हुई :-
  - 1 श्री जे.एस.एस. शास्त्री, अपर सचिव, आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, और
  - 2 श्री डी.वी. शाह, निदेशक
- (v) वेतन समिति का गठन वर्ष 2008-09 के दौरान किया गया और फिलहाल निम्नलिखित निदेशक सदस्य के रूप में हैं। वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरा समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई :-
  - 1 श्री जे.एस.एस. शास्त्री, अपर सचिव, आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, और
  - 2 श्री डी.वी. शाह, निदेशक
8. **सहायक कंपनी**  
कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 212 से संगत, वर्ष 2008-09 के लिए द्वितीयक कंपनी इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड लेखा खाता तथा बैलेंसशीट का परिशिष्ट संलग्न है।
- 9 **कर्मचारियों का विवरण**  
कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के तहत आवश्यक सूचना, कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम के साथ पढ़ा जाए, को 31 मार्च, 2009 का समाप्त हुए वर्ष के लिए शून्य बढ़ा जा सकता है।
- 10 **कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 ( 2ए ) के अनुसार निदेशकों का उत्तरदायित्व वक्तव्य**

हम यह पुख्ता करते हैं कि :-

- (1) वार्षिक खाता तैयार करते समय सामग्री प्रेषण से संबंधित उचित व्याख्या के साथ लागू योग्य खाता मानकों, सिद्धांतों तथा नीतियों का अनुपालन किया गया है।
- (2) खाता नीतियों तथा नोट विषयों का नत्थी कर दिया गया है और निदेशकों द्वारा उन्हें लागू किया जा रहा है तथा निर्णय एवं आकलन कर रहे हैं जोकि इस तरह तार्किक एवं मितव्ययी है कि कंपनी मामलों की वित्तीय वर्ष के अंत में तथा अवधि के लिए लाभ की सत्य एवं साफ सुथरी जानकारी दे सकें।
- (3) कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने तथा निवारण के लिए बीमा अधिनियम, 1938/ कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त खाता रिकॉर्ड के अनुरक्षण के लिए प्रबंधन ने उचित एवं पर्याप्त देखभाल की है।

Economic Affairs, MoF,

3. Shri D.V.Shah, Director, and
4. Shri S. K. Chanana, General Manager  
The committee met twice during the year 2008-09 to consider cases of deviations from Transfer and Mobility Policy of the employees.
- (iv) The Appeal and Memorial committee was reconstituted during the year 2008-09 and presently consists of following Directors as members. The committee met only once during the year.
  1. Shri J.S.S. Sastry, Under Secretary, Deptt of Economic Affairs, MoF, and
  2. Shri D.V. Shah, Director
- (v) The Remuneration Committee was reconstituted in 2008-09 and presently consists of following directors as Members. No meeting of Remuneration Committee was held in the FY 2008-09.
  1. Shri J.S.S. Sastry, Under Secretary, Deptt of Economic Affairs, MoF, and
  2. Shri D.V.Shah, Director
- 8 **Subsidiary Company**  
Pursuant to Section 212 of the Companies Act 1956, the audited Accounts and Balance Sheet for the year 2008-09 of the subsidiary, Industrial Credit Company Limited are appended herewith.
- 9 **Particulars of Employees**  
Information as required under Section 217(2A) of the Companies Act, 1956 read with Companies (Particulars of Employees) Rules may be treated as 'Nil' for the year ended 31<sup>st</sup> March 2009.
- 10 **Directors' Responsibility Statement as per Sec 217(2AA) of the Companies Act, 1956**

We confirm

1. That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards, principles and policies has been followed along with proper explanation relating to material departures;
2. That subject to Accounting Policies and Notes attached, the directors have applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit of the company for that period;
3. That the management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Insurance Act, 1938 / Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;



- (4) वर्तमान मुद्दों के आधार पर प्रबंधन ने वार्षिक खाता एवं वित्तीय आकलन तैयार किया है, और
- (5) प्रबंधन ने यह सुनिश्चित किया है कि आंतरिक लेखा परीक्षक व्यवस्था मौजूदा व्यापार के आकार एवं प्रकृति तथा प्रभावी परिचालन के अनुसार हो।

हम यह भी पुष्टा करते हैं कि सैक्शन 77ए के प्रावधानों के अनुसार कंपनी ने कभी भी अपने शेयरों को वापस खरीदने का निर्णय नहीं किया है।

## 11 कंपनी की गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट

कंपनी के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी परिचालन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विस्तृत रिपोर्ट तथा अपनी रिपोर्ट एक-साथ कॉर्पोरेट गवर्नेन्स पर रिपोर्ट के साथ निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं

## 12 कंपनी (मंडल निदेशकों को भेजी गई रिपोर्ट में शामिल विवरणों का खुलासा) नियम, 1988 के तहत अतिरिक्त सूचना की जरूरत

कंपनी किसी विनिर्माण गतिविधि में शामिल नहीं है और ऊर्जा संरक्षण या तकनीकी अपनाने के संदर्भ में कंपनी (मंडल निदेशकों को भेजी गई रिपोर्ट में शामिल विवरणों का खुलासा) नियम, 1988 के तहत ऐसा कोई विवरण नहीं जिसका खुलासा किया जाए। वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान कंपनी का विदेशी मुद्रा भंडार अर्जन तथा व्यय इस प्रकार है

अर्जन :- 206.52 करोड़ रुपये

व्यय :- 299.70 करोड़ रुपये

## 13. भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा जारी लाइसेंस का नवीकरण

हमें 13 मार्च, 2009 को वर्ष 2009-10 के लिए पंजीकरण नवीकरण प्रमाण प्राप्त हुआ है।

## 14 वर्ष 2009-10 के लिए योजना

सकल आधार पर 4408 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया था। जून, 2009 तक 1172.66 करोड़ तक के ही लक्ष्य को पूरा किया गया (जून, 2008 में यह 1066.09 करोड़ रुपये था)। वर्ष 2009-10 (जून 2009 तक) में वृद्धि दर 10.00 प्रतिशत थी जबकि पिछले वर्ष 2008-09 में यह 2.16 प्रतिशत थी। कंपनी ने कॉर्पोरेट व्यापार इकाई, ब्रोकर कार्यालय, खोलकर कॉर्पोरेट के साथ-साथ रिटेल व्यापार पर फोकस करने के लिए रणनीतियां बनाई है। कंपनी नये उत्पाद तैयार कर रही है तथा बाजार की नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा उत्पादों को परिवर्तित कर रही है और बाकी वर्ष में प्रीमियम में बढ़ोत्तरी होने का विश्वास है। पिछले साल सभी कार्यरत कार्यालयों में आईएनएलआईएस के पूरी तरह से कार्यान्वित करने से भी उभरते प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए लाभ मिलेगा। आगे भी वर्ष में तत्कालिक क्षतिपूर्ति हानि को ध्यान में रखते हुए क्षतिपूर्ति के साथ-साथ प्रबंधन दावों दोनों के लिए सुधारात्मक कदम उठायेगा ताकि दावा अनुपात तथा संयुक्त अनुपात को नियंत्रित

4. That the management has prepared the annual accounts and financial statements on a going-concern basis; and

5. The management has ensured that an internal audit system commensurate with the size and nature of the business exists and is operating effectively.

We also confirm that the Company had not at any time resolved to buy back its own share as per the provisions of Sec 77A.

## 11 Detailed Report of Company's Activities

The senior executives of the Company are presenting their detailed report on critical areas of operation and their reports together with the report on Corporate Governance are attached as part of the report of the Directors.

## 12 Additional Information Required under the Companies (Disclosure of Particulars in the Report to the Board of Directors) Rules 1988.

The company is not engaged in any manufacturing activity and as such there are no particulars to disclose under the Companies (Disclosure of Particulars in the Report to the Board of Directors) Rules 1988 as regards conservation of energy or technology absorption. During the financial year 2008-09, the Company's Foreign Exchange earnings and outgo are as under:

Earnings Rs. 206.52 crores

Outgo Rs. 299.70 crores

## 13 Renewal of License issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India

We have received the Certificate of Renewal of Registration dated 13<sup>th</sup> March, 2009 for the year 2009-10.

## 14 Plans for 2009-10

We plan to grow by 10% in the year 2009-10. The completion upto June 2009 was Rs.1172.66 crores (comparative amount of Rs. 1066.09 crores upto June 2008). The growth rate in 2009-10 (upto June 2009) was 10.00 % as against comparative rate of 2.16% in 2008-09). The Company has devised strategies to focus on Corporate as well as Retail business by opening Corporate Business Units, Broker Offices, strengthening Bancassurance, Motor and other tie-ups, introducing new products and modifying existing products to cater to latest market requirements and is confident of growth in premium for the rest of the year. Full scale implementation of INLIAS in all the operating offices last year will also be an advantage in dealing effectively in emerging competitive scenario. In the year ahead, keeping the incurred underwriting losses in mind, we would be taking necessary corrective action both in underwriting as well as in



कर सकें। हम इस वर्ष कर्मचारियों को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन आरंभ कर रहे हैं। आशा है कि वर्ष 2009-10 एक बेहतर वर्ष होगा।

#### 15 लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के तहत वर्ष 2008-09 के लिए निम्नलिखित लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है :-

1. मैसर्स सुरेश चंद्र एंड एसोसिएट्स, नई दिल्ली।
2. मैसर्स एस.मान एंड कंपनी, नई दिल्ली।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2008-09 के लिए सभी मंडलीय कार्यालयों में लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है। हम सभी लेखा परीक्षकों को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन तथा सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं।

#### 16 आभार

देश-विदेश के हमारे सभी कार्यालयों द्वारा हमारी योजना तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले हमारे एजेंटों, विकास अधिकारियों, स्टाफ तथा कर्मचारियों के द्वारा किये गये बहुमूल्य योगदान के लिए हम ऑन रिकार्ड मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं।

निदेशक वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग (बीमा शाखा), बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) तथा वाणिज्यिक लेखा के प्रधान निदेशक और लेखा मंडल-2 के पदेन सदस्य द्वारा दिये गये मार्गदर्शन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।

निदेशक बाह्य फोरमों जिसमें विभिन्न वाणिज्यिक परिमंडल तथा व्यापार संस्थाएं, विभिन्न राज्यों के बीमा लेखापालों, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), बीमा परिषद की गवर्नेंस बॉडी (जीबीआईसी), भारतीय हानि निवारक एसोसिएशन (एलपीए), राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआईए) तथा जनरल बीमा सार्वजनिक क्षेत्र एसोसिएशन का बीमा व्यापार की अच्छी वृद्धि तथा संगठित करने के लिए प्रोत्साहन में उनकी संबंधित भूमिकाओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हम सभी उपभोक्ताओं तथा बीमित जनता का उनके निरंतर समर्थन के लिए हार्दिक धन्यवाद करते हैं।

**एम.रामदास**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक :-

जे.एस.एस. शास्त्री

एस.के.चानना

डी.सिंह

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 20 जुलाई, 2009

claims management so that we control the claims ratios and combined ratios. We are also introducing performance based incentives to employees this year. Hopefully 2009-10 will be a better year.

#### 15 Auditors

The following auditors were appointed for the year 2008-09 by the Comptroller and Auditor General of India under Sec 619 of the Companies Act 1956:

1. M/s Suresh Chandra & Associates, New Delhi
2. M/s S. Mann & Co., New Delhi

At all the Divisional Offices, auditors were appointed for the year 2008-09 by the Comptroller and Auditor General of India. We convey our thanks to all our auditors for their valuable cooperation and guidance.

#### 16 Acknowledgement

We place on record our appreciation for the invaluable contribution made by the agents, Development Officers, Staff and Officers at all our offices in India and abroad in achieving our plans and goals.

The Directors are very thankful for the guidance given by Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Insurance Division), the Insurance Regulatory and Development Authority and the Principal Director of Commercial Audit and Ex-officio Member, Audit Board – II.

The Directors recognize with gratitude the active role of external forums consisting of various Chambers of Commerce and Trade bodies, the Insurance Ombudsmen in various states, Insurance Regulatory & Development Authority (IRDA), Governing Body of Insurance Council (GBIC), Loss Prevention Association of India (LPA), National Insurance Academy (NIA) and General Insurers Public Sector Association (GIPSA) for their respective roles in promoting an organized and healthy growth of insurance business.

We wish to express our sincere thanks to all our customers and insuring public for their continued patronage.

**M. Ramadoss**

Chairman-cum-Managing Director

**J. S. S. Sastry**

**S. K. Chanana**

**D. Singh**

Directors

Place : New Delhi

Dated : the 20<sup>th</sup> July, 2009



एस. के. चानना S. K. CHANANA  
महाप्रबन्धक General Manager

### सूचना प्रौद्योगिकी

वर्ष 2008-09 सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक और बेहतरीन वर्ष था। इस वित्तीय वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि देशभर के सभी 1018 संचालित कार्यालयों तथा विस्तार पटलों में कोर सॉफ्टवेयर (आईएनएलआईएस) का कार्य पूरा कर लिया गया है। अब यह संभव हो गया है कि उपभोक्ता अपना प्रीमियम भुगतान तथा दावा किसी भी ओआईसीएल के कार्यालय में कर सकते हैं। यह सभी कार्यालयों में समकालीन उपयोगकर्ताओं को केंद्रीकृत व्यवस्था तक पहुंच बनाने में सक्षम बनायेगी और यह प्रतिवर्ष एक करोड़ से भी अधिक पोलिसी दस्तावेजों और 6 लाख से भी अधिक दावों को प्रक्रियागत करने वाला सबसे बड़ा केंद्रीकृत कोर इंश्योरेंस निष्पादक होगा। यह भारतीय बीमा उद्योग के लिए एक नई कसौटी होगी क्योंकि 'इंडियन जनरल इंश्योरेंस कंपनी' सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में पहली कंपनी होगी जो अपनी शाखाओं में कोर इंश्योरेंस सुविधा उपलब्ध करा रही है।

#### वर्ष के दौरान अन्य परियोजनाएं :-

आईएनएलआईएस उपभोक्ताओं के लिए चेन्नई में ऑनलाईन हैल्पडेस्क स्थापित किया गया है। यह हैल्पडेस्क ओरियंटल के सभी कार्य दिवसों में प्रातः 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक और शनिवार तथा रविवार के अतिरिक्त सभी सार्वजनिक अवकाश दिवसों में दिन में 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक कार्य करेगी। हैल्पडेस्क के परिणाम काफी उत्साहजनक रहे हैं और कॉलों की संख्या किसी भी समय 99 प्रतिशत को पार कर जाती है।

#### वेबपोर्टल :-

जब प्रौद्योगिकी विकास हो रहा है तो हमारी कंपनी ने भविष्य की

### INFORMATION TECHNOLOGY

The year 2008-09 was another eventful year for the Information Technology Department. **The biggest achievement during this Financial Year was the complete roll out of Core Software (INLIAS) across the Country in all 1018 Operating Offices and Extension Counters.** It is now possible for customers to make payment of their premium as also lodging of their claims at any of OICL's Office. This has enabled 8000 concurrent users across all offices, access to a centralized system making it one of the largest centralized installations of Core Insurance Application processing over 1 crore policy documents and over 6 lakhs claim per annum. This marks a new benchmark for the Indian insurance industry, as OICL is the first Indian General Insurance Company amongst PSU units to have rolled out Core Insurance Solution across all its branches.

#### Other projects during the year:

##### INLIAS Support - Functioning of Helpdesk

The "online" Helpdesk support for users of INLIAS has been set up at Chennai. It is functional from 3rd October 2008. The help desk provides support from 8.00 AM to 8.00 PM on all the working days of Oriental and from 10.00 AM to 6.00 PM on Saturday and Public Holidays (except Sundays). The results of the Helpdesk have been extremely encouraging and the call resolution rate works out to over 99% at any point of time.

##### Web Portal

While leveraging Technology, our Company has initiated



चुनौतियों से निपटने के लिए कोर निष्पादन के साथ अच्छी तरह एकीकृत वेबपोर्टल को लागू करने के लिए कदम उठाया है। यह पोर्टल विभिन्न लक्ष्यों जैसे मौजूदा पोलिसीधारकों, सक्षम उपभोक्ताओं, एजेंटों, ब्रोकर्स, सर्वेक्षणकर्ता, मोटर डीलर्स, टीपीए तथा एडवोकेट तक कोर बीमा निष्पादन तक पहुंच का विस्तार करेगा। पोर्टल आवश्यक कार्य के साथ शिकायतों को दूर करने के लिए मॉड्यूल मुहैया करायेगा। पोर्टल का प्रथम चरण फरवरी 2009 में आरंभ किया गया था। ऑनलाईन सौदों के साथ अंतिम लॉन्च का अगस्त 2009 में कार्यक्रम है जो जनता को क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर इंटरनेट पर सप्ताह भर दिन-रात विभिन्न पोलिसियों जैसे दुपहिया, चौपहिया, वैयक्तिक दुर्घटना, गृह स्वामी, दुकानदार तथा मेडिकलेम इत्यादि खरीदने या नवीकरण में सक्षम बनायेगी। मैसर्स प्राइज़ वॉटरहाउस कूपर एवं मैसर्स सन माइक्रोसिस्टम वेबपोर्टल विकसित करने के लिए हमारे प्रौद्योगिकी साझेदार हैं।

## आपदा अथवा संकट से निकलना

आईएनएलआईएस के पूरा होने के साथ ही आपदा से उभरने के लिए साईट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यह ओआईसीएल को अपनी व्यापार गतिविधियों में निरंतरता बनाये रखने में सहायता करेगी।

## निवेश तथा निवेश आय

वर्ष 2008 के दौरान वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में तेजी से गिरावट आई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने तीव्र बुरे दौर का सामना किया। खासतौर पर वर्ष की चौथी तिमाही में सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं का नुकसान पहुंचाया और वैश्विक मंदी को अधिक स्पष्ट किया। सितंबर 2008 के मध्य में वैश्विक वित्तीय परिस्थितियां संकट में आ गईं और उसके बाद बड़े अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निराशा घर कर गई तथा लेहमन ब्रॉदर्स बैंक दिवालिया हो गया। इन घटनाओं ने भारतीय अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत आर्थिक निष्पादन को प्रभावित किया खासकर वर्ष 2008-09 के उत्तरार्द्ध में।

भारतीय अर्थव्यवस्था जो वर्ष 2007-08 तक तीव्र विकास दर पर थी जो वर्ष 2003-04 से वर्ष 2007-08 के दौरान औसतन 8.9 प्रतिशत थी तथा वर्ष 2008-09 में यह सामान्य तथा तीसरी तिमाही में यह मंद रही। वर्ष 2008-09 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत रही। जबकि यह मंदी वैश्विक आर्थिक संकट का प्रभाव तो था ही साथ ही यह मंदी के चक्रिय कारक को भी प्रदर्शित करता है। औद्योगिक विकास पर मंदी का असर पड़ा और इनका असर आधारभूत पूंजी, मध्यवर्ती तथा उपभोक्ता वस्तुओं इत्यादि पर दिखाई दिया। अभी तक जिसमें कुछ वृद्धि हो रही थी वह सेवा क्षेत्र था। हालांकि कृषि में भी मंद गति दर्ज की गई परंतु पिछले साल के मुकाबले इस साल रबी की बुवाई अधिक थी जिसके कारण उसकी स्थिति संतोषजनक रही।

the step to implement Web Portal duly integrated with the Core Application to meet the future challenges. The Portal will extend the reach of core insurance application to various target segments like the existing Policy Holders, potential Customers, Agents, Brokers, Surveyors, Motor Dealers, TPAs and Advocates. The Portal also provides for a full fledged Grievance resolution module integrated with the required workflow. . Phase-I of Portal has been launched in February 2009. The final launch with on-line transaction is scheduled by August 2009, which will enable public at large to buy/renew various policies Viz; 2 wheeler, 4 wheeler, Personal Accident, House Holder, Shopkeeper, Mediclaim etc. through Internet on 24x7 basis using Credit Card. M/s PriceWaterhouse Cooper & M/s SUN Microsystems are our Technology partners for development of Web Portal.

## Disaster recovery

With the complete roll out of the INLIAS, Disaster Recovery Site is under finalization. This will help in Business Continuity of OICL.

## INVESTMENT AND INVESTMENT INCOME

The global economic conditions deteriorated sharply during the year 2008 with several advanced economies experiencing their sharpest declines in the post-World War II period. The associated adverse shocks spreading across emerging market economies particularly by the fourth quarter of the year, accentuated the synchronised global slowdown. The global financial environment entered a crisis phase in mid-September 2008, following the growing distress among large international financial institutions and the declaration of bankruptcy of Lehman Brothers. The knock-on effect of these unprecedented adverse global developments became evident in the macroeconomic performance of the Indian economy, particularly in the second half of 2008-09.

The Indian economy, which was on a robust growth path up to 2007-08, averaging at 8.9 per cent during the period 2003-04 to 2007-08, witnessed moderation in 2008-09, with the deceleration turning out to be somewhat sharper in the third quarter. The GDP grew by 6.7% during 2008-09. While the growth deceleration was primarily driven by the knock on effects of the global economic crisis, it also reflected to some extent the slowdown associated with cyclical factors. Industrial growth experienced a significant downturn and the loss of growth momentum was evident in all categories, viz., the basic, capital, intermediate and consumer goods. A hitherto key growth



## दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

समन्वित मौदिक नीतियों-सीआरआर एवं एलएएफ रेपो दर में वृद्धि, और वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में तीव्र वृद्धि को देखते हुए मुद्रास्फीति में वृद्धि की संभावनाओं के कारण अप्रैल 2008 से जुलाई 2008 के पहले पखवाड़े तक सरकारी प्रतिभूति बाज़ार में सख्ती कर दी गई। दस वर्षीय के बाद यह सितंबर 2008 के अंत में 8.63 प्रतिशत मुकाबले दिसंबर 2008 के अंत में 5.31 प्रतिशत थी और मार्च 2009 के अंत में यह 7.01 प्रतिशत थी।

जनवरी-फरवरी 2009 के दौरान कमजोर तथा अस्थिर रहने के बाद घरेलू शेयर बाज़ार ने मार्च 2009 के दौरान कुछ वृद्धि दिखाई। वर्ष 2009 के पहले दो महीनों में नुकसान मुख्यतः अमरीकी आर्थिक विकास के मंद पड़ने तथा ब्रिटेन, जापान एवं चीन द्वारा गंभीर मंदी के संकेत देने से अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाज़ार में गिरावट के रूख के कारण हुआ। अन्य कारण जिसके कारण शेयर बाज़ार कमजोर पड़ा, वह थे भारतीय शेयर बाज़ार से विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा अपना पैसा निकालना, औद्योगिक एवं निर्यात में कमी, डॉलर के मुकाबले रुपये का अवमूल्यन, एडीआर मूल्यों में गिरावट, वर्ष 2008-09 के तीसरी तिमाही में कॉरपोरेट की कमाई में उम्मीद से अधिक कमी, सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों तथा अन्य क्षेत्रों में वित्तीय अनियमितताओं के उजागर होना और स्टॉक आधारित न्यूज़। विश्वभर के शेयर बाज़ारों की तर्ज पर भारतीय शेयर बाज़ारों में मार्च 2009 से कुछ सुधार दिखाई पड़ रहा है।

मार्च, 2009 के अंत में बीएससी सूचकांक ने 9709 तथा सीएनएक्स निफ्टी 3021 पर बंद हुए और इन्होंने मार्च, 2009 के अंत में क्रमशः 37.9 प्रतिशत तथा 36.2 प्रतिशत का नुकसान दर्ज कराया।

आपकी कंपनी के लिए इसका अर्थ चुनिंदा निवेश कार्यों में ही संचालन करना था। पिछले वर्ष ब्याज तथा लाभांश से हुई 555.22 करोड़ रु. की आय के मुकाबले इस वर्ष के दौरान 589.81 करोड़ रुपये की आय हुई। परेशानियों के बावजूद जहां तक शेयरों की बात है तो आपकी कंपनी वर्ष के दौरान शेयरों की बिक्री से 376.81 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित करने में सक्षम थी (वित्तीय वर्ष 2007-08 में 553.91 करोड़ रुपये)। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी के शेयर पोर्टफोलियो की बुक वैल्यू स्थिर रहे आपकी कंपनी ने 133.43 करोड़ रुपये का इक्विटी स्टॉक खरीदा जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 352.16 करोड़ रुपये था। इसके परिणामस्वरूप इक्विटी पोर्टफोलियो की बुक वैल्यू, जो 31 मार्च, 2008 को 1464.12 करोड़ रुपये थी, से बढ़कर 31 मार्च, 2009 को 1504.61 करोड़ रुपये हो गई। हालांकि 31 मार्च, 2009 को मार्किट वैल्यू 5480.17 करोड़ रुपये थी जोकि 31 मार्च, 2008 को 9078.93 करोड़ रुपये थी।

driver, services sector, witnessed some moderation. Although agriculture also recorded a deceleration in growth, the agricultural outlook remained satisfactory, with the sowing in the Rabi season being higher than that in the previous year.

Yields in the government securities market hardened from April 2008 till the first fortnight of July 2008 on account of the heightened inflationary expectations in the face of sharp increase in global commodity prices and concomitant monetary policy responses – hikes in the CRR and the LAF repo rate. The 10-year yield stood at 5.31 per cent as at end-December 2008, as compared with 8.63 per cent as at end-September 2008 and stood at 7.01 per cent as at end-March 2009.

The domestic stock markets, after remaining weak and volatile during January-February 2009, witnessed gains during March 2009. The losses during the first two months of 2009 were mainly due to the downward trend in international equity markets on account of more than expected contraction of economic growth in the US, the UK, Japan and China pointing towards deepening of recession. Other factors that led to weak equity markets were heavy net sales by FIIs in the Indian equity market, slowdown in industrial and export growth, depreciation of the rupee against the US dollar, fall in ADR prices, lower than expected corporate earnings in the third quarter of 2008-09, revelations about financial irregularities in a particular information technology company and other sector and stock specific news. In line with the behaviour of equity markets across the world, the Indian stock markets have been showing improvement since March 2009.

The BSE Sensex and the S&P CNX Nifty closed at 9709 and 3021 at end-March 2009 registering losses of 37.9 per cent and 36.2 per cent, respectively, over end-March 2008.

For your Company, all this meant selective activity in the Investment Operations. Income from Interest & Dividend during the year was Rs 589.81 crores as against Rs. 555.22 crores in the previous year. In spite of a difficult year, as far as equity is concerned; your company was able to make a profit of Rs. 376.81 crores from sale of equity during the year (Rs. 553.91 crores in FY 2007-08). In order to ensure that the Book Value of the equity portfolio of the company was also kept intact, your company did value buying of Rs. 133.43 Crores (previous year Rs. 352.16 Crores) of undervalued equity stocks. As a result, the book value of the equity portfolio went up





वर्ष के दौरान म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियों में निवेश करने से 5.83 करोड़ रुपये का लाभ हुआ जो पिछले वर्ष 9.80 करोड़ रुपये था। इक्विटी तथा म्यूचुअल फंड में द्वितीय बाजार परिचालनों के संयुक्त प्रभाव के परिणामस्वरूप निवेश की बिक्री (शुद्ध से 387.18 करोड़ रुपये) का लाभ हुआ।

वर्ष के दौरान औसत फंडों पर उत्पाद 9.42 प्रतिशत था जबकि पिछले वर्ष यह 8.88 प्रतिशत था (निवेश की बिक्री/मुक्ति पर लाभ/ हानि पर विचार किये बिना)। प्राथमिक रूप से यह जीआईएस स्तर पर मोटर तृतीय पक्ष पूल को बनाये रखने के लिए हमारे योगदान पर ब्याज के रूप में 52.21 करोड़ रुपये की अन्य आय के कारण थी।

हालांकि यदि हम निवेश की बिक्री/मुक्ति पर लाभ/ हानि पर विचार करें तो उत्पाद में 15.60 प्रतिशत की गिरावट आई जोकि पिछले वर्ष 18.01 प्रतिशत थी। इसका मुख्य कारण चालू वित्तीय वर्ष बाजार में तीव्र सुधार होना था। इसने फेयर वैल्यू चैन्ज अकाउंट (एफवीसीए) को भी बुरी तरह प्रभावित किया। फेयर वैल्यू चैन्ज अकाउंट (एफवीसीए) बाजार के तीव्र उतार-चढ़ावों के विरुद्ध रक्षक की तरह कार्य करती है जैसाकि पिछले वर्ष हुआ था। जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था में दीर्घावधिक निवेश की परिस्थितियों सकारात्मक है तो हमें बाजार सुधारों का लाभ उठाने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है।

31 मार्च, 2009 को आपकी कंपनी के सकल निवेश की बाजार कीमत आवधिक ऋणों सहित 10,142.40 करोड़ रुपये है जोकि पिछले वर्ष के दौरान 13,971.79 करोड़ रुपये थी। आवधिक ऋणों सहित सकल निवेश पोर्टफोलियो की लागत आधारित बुक वैल्यू वर्ष 2007-08 के 6356.98 करोड़ रुपये से घटकर वर्ष 2008-09 में 6166.84 करोड़ रुपये पर आ गई।

इसके अलावा सीडीआर/बीआईएफआर अनुमोदित योजना के तहत आपकी कंपनी 7 (3) कंपनियों के ऋणों/ डिबेन्चर्स/ अधिमन्य पूंजी का भी पुनर्गठन किया है। इसके अतिरिक्त 13 (13) कंपनियों के लिए एक बार में निपटारा (ओटीएस) किया था। वर्ष 2008-09 के दौरान आपकी कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो के तार्किकीकरण को ध्यान में रखते हुए इक्विटी को और सुधार करने के लिए अपना कार्य जारी रखा तथा गैर लाभांश भुगतान पोर्टफोलियो को कम किया। इसके परिणाम कंपनी छह गैर लाभांश भुगतान कंपनियों सहित 11 कंपनियों में बाहर आ गई।

to Rs. 1504.61 Crores as on 31<sup>st</sup> March,2009 from Rs. 1464.12 crores as on 31<sup>st</sup> March'2008. However, the Market Value was Rs. 5480.17 crores as on 31<sup>st</sup> March'2009, as compared to Rs. 9078.93 Crores on 31<sup>st</sup> March'2008.

The investments in Mutual Fund portfolio, yielded a profit of Rs. 5.83 crores during the year (previous year Rs. 9.80 crores). The combined effect of the Secondary market operations in equity & Mutual Funds resulted in profit on sale of investments (net) of Rs. 387.18 crores.

The yield on mean funds was 9.42% during the year against 8.88% in the previous year (without considering the profit/loss on sale/redemption of investments). This was primarily due to Other Income of Rs. 52.21 crores (Previous Year Rs. 19.50 crores) in the form of Interest on our contribution to Motor Third Party Pool being maintained at GIC level.

However, if we take into account the profit/loss on sale/redemption of investments the yield decreased to 15.60% against 18.01% during the previous year. This was mainly due to sharp market correction witnessed during the financial year. This also adversely affected the Fair Value Change Account (FVCA). The Fair Value Change Account (FVCA) acts as a cushion to deal with intense market fluctuation as witnessed during the year. While, we remain positive on the long term investment climate in the Indian economy, we need to remain liquid to take advantage of market corrections.

The market value of total investments of your Company (including term loans) stood at Rs. 10,142.40 crores as on 31<sup>st</sup> March'2009 against Rs. 13,971.79 crores during the previous year. The cost based book value of total investment portfolio (including term loans) has come down from Rs. 6356.98 crores in 2007-08 to Rs. 6166.84 Crores in 2008-09.

This apart, your company also restructured term loans/debentures/Preference Capital of 7 (3) companies under CDR/BIFR approved schemes. Besides, One Time Settlement (OTS) was done for 13 (13) companies. During the year 2008-09, your company continued the exercise of pruning of equity portfolio with a view to rationalize its portfolio and reduce non-dividend paying portfolio. As a result of which, company exited from 11 companies including 6 non dividend paying companies.



डी. सिंह D. SINGH  
महाप्रबंधक General Manager

**व्यक्तिगत :**

काडर वार और अन्य ब्रेक अप के साथ 31 मार्च 2009 को कर्मचारियों की कुल संख्या का विवरण इस प्रकार है :

**PERSONNEL :**

The total strength of employees as at 31<sup>st</sup> March 2009 with cadre wise & other break-up details are as under

वर्ग Class	कुल कर्मचारी Total Employees	महिला कर्मचारी Female Employees	अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारी SC/ST Employees	शारीरिक विकलांग Physically Handicapped
I	4075	678	1086	23
II	1990	29	337	01
III	7204	1797	1947	137
IV	2284	552	1013	75
<b>कुल TOTAL</b>	<b>15553</b>	<b>3056</b>	<b>4383</b>	<b>236</b>

**भर्ती :**

वर्ष 2009 के दौरान, स्केल I काडर (प्रशा. अधिकारी) में 70 विशेषज्ञ और 80 सामान्य अधिकारियों (कुल संख्या 150) की भर्ती की प्रक्रिया जारी है जो मध्य जुलाई 2009 तक कार्य संभाल लेंगे।

**पदोन्नति/क्लास I अधिकारियों में पोस्टिंग:**

क्लास I पदों (स्केल I से स्केल V ) में पदोन्नति के लिए दो बार पदोन्नतियों की गई अर्थात "बिजनेस प्रक्रिया रि-इंजीनियरिंग" परियोजना की श्रम शक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए मुख्य पदोन्नति अगस्त 2008 में तथा नवम्बर 2008 में अनुपूरक पदोन्नति की गई।

**RECRUITMENTS :**

During the year 2009, 70 Specialist & 80 Generalist Officers in Scale I cadre (Admn. Officer) numbering 150 are in pipeline for recruitment who will be joining the Company by middle of July 2009.

**Promotion/Postings within Class I Officers :**

Two Promotional Exercises were conducted for promotions within Class I Posts (Scale I to Scale V) i.e. main exercise in August 2008 and supplementary exercise in November 2008 to meet out manpower required of "Business Process Re-engineering" project.

	मुख्य एक्सरसाईज Main Exercise (2008)	सप्लीमेंटरी एक्सरसाईज Supplementary Exercise (2008)
Scale I to II	99	219
Scale II to III	47	66
Scale III to IV	24	67
Scale IV to V	10	43



**पदोन्नति/क्लास III और क्लास III से I में पोस्टिंग :**

चार वर्ष के बाद क्लास III से क्लास I में प्रोन्नति की गई और 258 कर्मचारियों को स्केल I में पदोन्नत किए गए।

इसी प्रकार क्लास III और क्लास IV की प्रोन्नति में असिस्टेंट ग्रेड में 108 पदोन्नत कर्मचारी शामिल हुए।

वरिष्ठ सहायक काडर में पदोन्नति सहायक काडर से 219 के आधार पर किए जाते थे। सभी तीनों काडर में पदोन्नति-सह-पोस्टिंग ऑर्डर मार्च 2009 से पहले जारी किए गए थे और उन्होंने 31 मार्च 2009 तक कार्यग्रहण कर लिया है।

**मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण:**

स्थान Location	कार्यक्रम की प्रवृत्ति Nature of Programme	कार्यक्रमों की संख्या Number of Programmes	कुल सहभागिता Total participation
ओएसटीसी OSTC	In House Training	50	1087
ओएसटीसी OSTC	Workshops/Seminars	02	94
आरटीसी/आरओ RTCs/ROs	Workshops/Trainings	30	699
<b>कुल TOTAL</b>		<b>82</b>	<b>1880</b>

पदोन्नत काडर में प्रोन्नत सभी कर्मचारियों को अनिवार्य आधार प्रशिक्षण दिया गया और उच्च काडर में अधिक जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए नई दिशा पहल के बारे में उनको तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया।

**क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र :**

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र नियमित, तकनीकी एवं आईटी कार्यक्रमों के अलावा अजा/अजजा कर्मचारियों के लिए आधार प्रशिक्षण कार्यक्रम, पूर्व-पदोन्नति प्रशिक्षण देने के लिए अपनी अधिकतम क्षमता से कार्य कर रहे हैं। कामबंदी के बाद दिल्ली, चण्डीगढ़ और पटना में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों को फिर से शुरू किया गया है। प्रोन्नत कर्मचारियों के लिए अनिवार्य आधार प्रशिक्षण चुनिन्दा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित किया गया।

**प्रशिक्षण नीति :**

एचआर विभाग ने व्यापक प्रशिक्षण नीति पेश की है जिसमें नव नियुक्तों के साथ साथ मौजूदा डीएम/बीएम को अप्रेंटिंग इंचार्ज के रूप में उनकी भूमिका से अवगत कराने के लिए प्रशिक्षण देने का विशेष उल्लेख किया गया है। प्रशिक्षण नीति का मसौदा जीआईपीएस/शासीय निकाय के पास अनुमोदन के लिए भेजा जाना है।

**अजा/अजजा कर्मचारियों का कल्याण:**

भारत सरकार की शर्त के अनुसार, कम्पनी में आरक्षण नीति के समुचित कार्यान्वयन के लिए हमारे प्रधान कार्यालय में मुख्य संपर्क अधिकारी और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में संपर्क अधिकारी का अध्यक्षता में अजा/अजजा कक्ष है। यह कक्ष अजा/अजजा कर्मचारियों की शिकायतों के तेजी से निपटारे का कार्य देखता है। इसके अतिरिक्त, हम जीआईसी के अम्बेडकर कल्याण ट्रस्ट के जरिए अजा/अजजा कर्मचारियों और उनके बच्चों के कल्याण के लिए योजनाएं भी चलाते हैं।

**PROMOTIONS / POSTINGS – WITHIN CLASS III & CLASS III TO I :**

Promotional exercise from Class III to Class I was conducted after four years and 258 employees were promoted to Scale I.

Similarly 108 promotees joined in Assistant cadre in the Promotional Exercise of Class III & IV.

In the cadre Sr. Assistant, the promotions were to the tune of 219 from the Assistant cadre. Promotion-cum-Posting orders of all the 3 cadres were issued prior to March 2009 and they have joined by 31<sup>st</sup> March 2009.

**HUMAN RESOURCE & TRAINING :**

All the promotees were imparted **mandatory foundation training** in the promoted cadre and all of them have undergone technical training on “Nayee Disha initiatives” to shoulder more responsibilities in the higher cadre.

**REGIONAL TRAINING CENTRES :**

Regional training Centres are working to their maximum capacity while imparting foundation training programmes, pre-promotion training for SC/ST employees apart from routine, technical & IT programmes. Regional Training Centres at Delhi, Chandigarh & Patna have been revived after a lay off. Mandatory Foundation Training course to promotee employees were conducted at selected RTCs.

**TRAINING POLICY :**

HR Department has submitted a comprehensive Training Policy with a special mention about training to newly appointed as well as existing DMs/BMs to apprise them about their role as an Operating Incharge. The draft Training Policy is to be approved by GIPSA/Governing Board.

**WELFARE OF SC/ST EMPLOYEES :**

As stipulated by the Government of India, we have SC/ST Cell at Head Office headed by Chief Liaison Officer and Liaison Officer at all Regional Offices to ensure proper implementation of Reservation Policy in our Company. The Cell looks after the grievances of SC/ST employees for speedy redressal. In addition to this, we have various Welfare Schemes for SC/ST employees and their children through Dr. Ambedkar Welfare Trust of GIC.



## दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

वर्गवार अ.जा./अ.ज.जा. प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है :

The SC/ST representation class-wise is given below :

वर्ग Class	कुल कर्मचारी Total Employees	अ.जा. कर्मचारी SC Employees	अ.ज.जा. कर्मचारी ST Employees
I	4075	874	212
II	1990	270	67
III	7204	1423	524
IV	2284	863	150
<b>वर्ग TOTAL</b>	<b>15553</b>	<b>3430</b>	<b>953</b>

अ.जा./अ.ज.जा. कक्ष अ.जा./अ.ज.जा. मामलों पर नीतिगत निर्णयों के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और अ.जा./अ.ज.जा. के कल्याण के लिए संसदीय समिति के संपर्क में रहता है।

### पेंशन विभाग :

**पेंशन भोगियों के पति/पत्नी के संयुक्त खाते में पेंशन जारी करना:**

अब तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के व्यक्तिगत बैंक खातों में पेंशन का भुगतान किया जाता था। पति/पत्नी के संयुक्त खातों में पेंशन के भुगतान संबंधी पेंशन भोगियों के विभिन्न प्रतिवेदन प्राप्त हुए। तब कम्पनी के बोर्ड ने यह अधिकृत कर दिया कि पेंशन भोगियों के पति/पत्नी के संयुक्त खातों में पेंशन क्रेडिट कर दी जाए।

### पेंशन के कम किए गए भाग की वापसी :

पेंशन स्कीम, 1995 के प्रावधान के अनुसार पेंशन का कम किया गया भाग रूपांतरण की तिथि से 15 वर्ष के बाद वापस हो जाता है। पेंशन स्कीम शुरू होने से, पहली बार रूपांतरण की वापसी शुरू होने अर्थात् 01.11.2008 से 103 पूर्व कर्मचारियों को भारतीय जीवन बीमा निगम से अतिरिक्त वार्षिकी खरीदने के बाद इस तिथि से कम किए गए भाग की वापसी की गई।

### सीडीए मामले :

अनुशासनात्मक कार्रवाई किसी भी निगम के लिए महत्वपूर्ण और प्रभावी प्रबंधन साधन है। हालांकि, अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रभावशीलता उसे सही समय पर करने पर निर्भर करती है। हमारी कम्पनी में, सीडीए मामले अनिर्णय के चुनौतीपूर्ण स्तर पर माने जाते थे। 31.03.2007 तक, 1 वर्ष से अधिक समय से लम्बित पड़ी पूछताछ की कुल संख्या 176 थी। इतनी अधिक संख्या में अनिर्णय के मामले कार्रवाई को अप्रभावी कर देते हैं।

मामलों के इकट्ठा होने के कारणों का विश्लेषण करने पर यह अवलोकन किया गया कि एक मुख्य कारण पूछताछ करने वाले अधिकारी और मौजूद अधिकारियों की तरफ से पूछताछ की प्रक्रिया की जागरूकता का अभाव था। इसका परिणाम पूछताछ करने वाले अधिकारी के स्तर पर कार्रवाई करने में हिचकिचाहट रहा, जिसका फायदा अपचारी कर्मचारियों ने जुमाने से बच निकलने के लिए कार्यवाही में देरी के लिए उठाया। मौजूदा के साथ साथ संभावित ईओ/पीओ के गहन प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय केंद्रों पर ईओ/पीओ के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का इंतजाम करके इस मसले से निपटा गया। इस उद्देश्य के लिए, अधिक संख्या में लंबित अनिर्णय मामलों वाले क्षेत्रीय कार्यालयों की पहचान की गई और ऐसे सात क्षेत्रीय कार्यालयों

The SC/ST Cell keeps in touch with the National Commission for Scheduled Castes, National Commission for Scheduled Tribes and the Parliamentary Committee on the Welfare of SC/ST for policy decision on SC/ST matters.

### PENSION DEPTT. :

**Release of Pension to the Pensioners joint account with their spouse :**

Hitherto Pension was being paid in the individual bank accounts of the retired employee. Various representations were received from our pensioners for payment of pension to their joint accounts with spouse. Company's Board has since authorized Pension to be credited in the joint accounts of Pensioners with their spouse.

### Restoration of commuted portion of pension :

As per provisions of Pension Scheme, 1995, commuted portion of pension is to be restored after expiry of 15 years from the date of commutation. Since, the introduction of the Pension Scheme, restoration of commutation commenced for the first time w.e.f. 01.11.2008. Pension of 103 ex-employees was restored from this date after purchasing additional annuities from the LIC.

### CDA CASES :

Disciplinary Action is an important and effective Management tool for any Corporation. However, the effectivity of Disciplinary Action depends on timely delivery. In our company, the CDA cases had assumed a challenging level of pendency. As on 31.03.2007, the total number of enquiries pending for a period of more than one year was 176. Pendency of such large number of cases rendered the actions ineffective.

On analysis of causes of accumulation of cases it was observed that one of the chief reasons was the lack of awareness of the procedure of conducting the enquiry on the part of Enquiry Officers and Presenting Officers. This resulted in hesitant action on the part of Enquiry Officer which was taken advantage of by the delinquent employees to delay the proceedings to evade the penalty. This issue was addressed by arranging Training Workshop for the EO/POs at Regional Centres for intensive training of existing as well as prospective EO/POs. For this



में कार्यशाला आयोजित की गई।

सीडीए मामलों का प्रबंधन निर्णायक रूप से अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में सीडीए मामलों की देखरेख करने वाले कार्यालयों पर निर्भर है क्योंकि वही हैं जिनको पूरी जानकारी उपलब्ध करानी है और प्रगति की निगरानी करनी है। इस प्रकार, क्षेत्रीय कार्यालयों को संवेदनशील बनाने के लिए पूर्व, पश्चिम और उत्तरी मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए मण्डल स्तर पर कार्यशाला आयोजित की गई। देरी के महत्वपूर्ण चरण की पहचान की गई और उपचारी उपाय तलाशे गए। इसके अतिरिक्त, तात्कालिकता की भावना के मद्देनजर सीडीए मामलों की प्रगति की उच्च स्तर पर निगरानी की गई। इन कार्रवाइयों के फलस्वरूप, कम्पनी लंबित पड़े मामलों की संख्या घटाने में समर्थ हो गई है और एक वर्ष से अधिक समय में सिर्फ 4 मामलों तक ले आई।

लंबित मामलों को शून्य पर लाना ही कम्पनी की कोशिश है, ताकि सभी सीडीए मामले 9 महीने के समय सीमा में निपटाए जा सकें। यह हासिल करने के लिए, प्रगति की उच्च स्तर पर निगरानी जारी रखी जाएगी, शेष क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएंगी तथा दक्षिणी मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालयों के वास्ते क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारियों के लिए कार्यशाला आयोजित की जाएंगी।

#### एस्टेट एवं स्थापना :

सभी प्रेमिसिज की लीज के दिनांकन, एस्टेट राजस्व सृजित करने और कम्पनी के कार्यालयों को नया रूप देने के लिए आधुनिकीकरण सहित सभी कार्यालयों को पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में पिछले वर्षों के दौरान रखी गई आधारशिला को मजबूत करने के क्रम में एस्टेट विभाग ने उच्च बेंचमार्क स्थापित किए। हमने इन दिशाओं में विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे-

- 1. सभी कार्यालयों के प्रेमिसिज की लीज को अद्यतन करना**  
हमने इस वर्ष के दौरान लगभग 80 कार्यालयों के लिए नई लीज में प्रवेश किया है और नियमित आधार पर उनको अद्यतन करने की प्रक्रिया में हैं। इसके फलस्वरूप जमीन के मालिक के साथ मुकदमेबाजी कम हुई है। हमारी सभी कार्यालयों के सारे कब्जे का कम्प्यूटरीकरण करने की योजना है।
- 2. रीयल एस्टेट राजस्व सृजन**  
पिछले कुछ वर्षों के दौरान एस्टेट राजस्व का सृजन एस्टेट विभाग के अधिकारियों की कुशलता और योगदान के लिए बेंचमार्क था। इस दिशा में काम करके, हम अपने प्रेमिसिज से छह अनाधिकृत दखलकारों को खाली करा सके तथा उन अनाधिकृत दखलकारों से लगभग 16000 वर्ग फुट क्षेत्र वापस लिया है। हमने लगभग 6 करोड़ रुपए के किराए के क्षेत्रों को भी रिकवर किया है। फलस्वरूप हमने मुम्बई में नौ किराएदारों के साथ किराया बढ़ाकर नए अनुबंध किए हैं जिससे आने वाले वर्षों में महत्वपूर्ण राशि सृजित होगी।
- 3. बैचलर के लिए आवास खोलना**  
बिना पदोन्नति के या टीएमपी के तहत स्थानांतरित अधिकारियों के समक्ष आ रही मुसीबतों को कम करने के लिए, हमने विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों में अतिरिक्त बैचलर आवासों की अनुमति दी है।
- 4. अतिथि गृह खोलना**  
होटलों के शुल्क कई गुणा बढ़ रहे हैं और आधिकारिक दौरे पर

purpose, ROs with larger pendency were identified and workshop were conducted in Seven such Regional Offices.

The Management of CDA cases crucially depends on the officers looking after CDA matters in their Regional Offices because it is they who have to provide the know how as well as to monitor the progress. Thus, in order to sensitize the RO Officers, Zonal level workshop were conducted for ROs of East, West and North Zone. Wherein the critical stages of delay were identified and remedial measures were found out. Further, in order to impart a sense of urgency, the progress of CDA cases were monitored at the highest level. As a result of these actions, the Company has been able to reduce the number of cases pending for more than one year to only 4 cases.

It is the endeavour of the company to bring down the pendency to ZERO, so that all CDA cases are disposed within the time frame of outer limit of 9 months. In order to achieve this, the progress will continue to be monitored at the highest level, training workshop will be conducted for the remaining ROs and Workshop for RO Officials will be conducted for South Zone ROs.

#### ESTATE AND ESTABLISHMENT

The Estate Deptt. had established higher benchmarks in order to consolidate the foundations laid down during the previous years regarding up dating the lease of all premises, generation of estate revenue and providing adequate facilities to all offices which included modernization for giving a new look to Company's offices. We have taken various steps in these directions viz.

#### 1. Updating the lease of all office premises

We have entered into fresh lease for approx. 80 offices during the year and are in the process of updating it on regular basis. This has resulted in less litigation with landlords. We are planning to computerize all tenancy details of all offices.

#### 2. Generation of Real Estate Revenue

During the last few years generation of Estate Revenue was the bench mark for efficiency and contribution of officials of Estate Deptt. Working in this direction, we could get vacated six unauthorized occupants from our premises and have taken back approx. 16000 sq.ft. of area from those unauthorized occupants. We have even recovered arrears of rent amounting to Rs. 6 crores approx. As a result we have entered into fresh agreements with upward revised rent with nine tenants in Mumbai which would generate substantial revenue in years to come.

#### 3. Opening of Bachelor's accommodation

To mitigate the hardships being faced by the officers who are transferred either on promotion or under TMP, we have allowed additional bachelors' accommodation at various Regional Centers.

#### 4. Opening of Guest Houses

Hotel tariffs are being increased many folds and our



यात्रा करने वाले हमारे अधिकारियों को अपनी हकदारी के सीमा में आवास प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तदनुसार, और अधिक अतिथि गृह खोलने के बारे में सोचा गया और हमने नागपुर में नया अतिथि गृह खोला है तथा पुणे, बंगलौर, रायपुर एवं हुबली, विजग और देहरादून इत्यादि अन्य विविध केंद्रों में अतिथि गृह खोलने के लिए प्रेमिसिज अर्जित करने की प्रक्रिया में हैं। हम इन अतिथि गृहों को बहुत जल्द शुरू करेंगे।

### 5. सेवा केंद्र खोलना

हमारी कम्पनी सेवा केंद्रों को खोलने की नई परिकल्पना की है जो बीसीजी की अनुशांसा के अनुसार नई दिशा का अंग है। हमने हैदराबाद, दिल्ली, मुंबई, चेन्नै, जयपुर, कोलकाता, बंगलौर, पटना, अहमदाबाद, चण्डीगढ़ गाजियाबाद, पुणे इत्यादि जैसे विभिन्न स्थानों पर सेवा केंद्र शुरू किए हैं। बीआरपी विभाग ने प्रेमिसिज की जरूरत में काट छांट की है इसलिए भविष्य में नए प्रेमिसिज अर्जित नहीं किए जाएंगे और क्षेत्रीय प्रमुखों को कुछ कोनों में बिना इस्तेमाल पड़े अतिरिक्त स्थान का पता लगाना होगा तथा वैकल्पिक इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराना होगा।

### 6. कार्यालय प्रेमिसिज का नवीकरण

वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में प्रतिस्पर्धा के लिए, कम्पनी अपने कार्यालयों को नया रूप देने की नीति जारी रखे हुए है। बीसीजी ने भी हमारे कार्यालयों को आधुनिक रूप देने का सुझाव दिया है। कम्पनी ने निम्नलिखित त्रिस्तरीय रणनीति अपनाई है :

- 1- ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपने कार्यालयों का नवीकरण करना
- 2- प्रेमिसिज का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल करना
- 3- अपनी श्रम शक्ति की कुशलता बढ़ाना

वर्ष 2008-09 के दौरान हमने हंसालय के 10<sup>वें</sup> मंजिल पर मुख्य कार्यालय के प्रेमिसिज का नवीकरण शुरू किया और क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, क्षे. का. नागपुर और क्षे. का. रायपुर जैसे क्षेत्रीय कार्यालयों का नवीकरण भी शुरू किया गया। इसके अलावा, कम्पनी ने 45 डीओ/बीओ के नवीकरण का काम भी किया। कन्सल्टेंट की सिफारिश के अनुसार, हमने हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, कोलकाता, बंगलौर और इंदौर में सेवा केंद्र खोलने की भी पहल की है। हमने इन सेवा केंद्रों को खोलने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा भी उपलब्ध कराया है। हमने प्रशिक्षण के लिए बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर भी बहुत जोर दिया है। हमने भोपाल, चेन्नै और जयपुर में आरटीसी के लिए प्रेमिसिज के नवीकरण भी किया है। इन सभी प्रेमिसिज का नवीकरण करते समय हमने आवश्यक कदम उठाए हैं ताकि नवीकरण के दौरान हमारा व्यवसाय प्रभावित न हो। इसलिए, नवीकरण क्षेत्रीय कार्यालयों/डीओ/बीओ की सुविधा के अनुसार किया गया है।

हम भविष्य में वाणिज्यिक के साथ साथ रिहायसी प्रेमिसिज के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए कम्पनी की जरूरतों के वास्ते काम करते रहेंगे।

officers traveling on official tour are facing difficulties in getting accommodation within their entitlement. Accordingly, it was thought to open more Guest Houses and we have opened new Guest House at Nagpur and we are in the process of acquiring premises for opening Guest Houses at various other Centers e.g. Pune, Bangalore, Raipur, Hubli, Vizag and Dehradun. We shall be starting these Guest Houses very soon.

### 5. Opening of Service Centers

Our Company has come out with a new concept of opening of Service Centers which is a part of "Nayee Disha" as per the recommendation of BCG. We have started Service Centers at various places viz. Hyderabad, Delhi, Mumbai, Chennai, Jaipur, Kolkata, Bangalore, Patna, Ahmedabad, Chandigarh, Ghaziabad, Pune, etc. BPR Deptt. has since pruned space requirements, therefore in future no new premises will be acquired and Regional Heads will be required to scout extra space lying unused in some corners to make it available for alternative use.

### 6. Renovation of Office premises

With a view to compete in the present economic scenario, the Company continued its policy of giving a new look to the company's offices. The BCG also suggested to modernize our offices. The Company has adopted the following three fold strategy:

1. To renovate our offices for attracting customers.
2. To optimize use of premises.
3. To increase the efficiency of our man power.

During the year 2008-09 we started renovation of the premises of HO at 10<sup>th</sup> floor of Hansalaya and also renovation of the Regional Offices such as RO Delhi, RO Coimbatore, RO Nagpur and RO Raipur was initiated. Beside this, the Company took up renovation of 45 DOs/BOs. As per the recommendation of consultants, we also initiated opening of Service Centers at Hyderabad, Mumbai, Chennai, Jaipur, Kolkata, Bangalore and Indore. We also provided necessary infrastructure for opening of these Service Centers. Much emphasis was laid by us on upgrading the infrastructure for training. We have taken up massive repairs and renovation at our Staff Training College at Faridabad. We intend to fully air-condition the hostel block as well as training hall besides giving new look to the college. We have also taken up the renovation of the premises for RTC at Bhopal, Chennai and Jaipur. While renovating all these premises we have taken necessary steps so that our business does not suffer during the renovation. Therefore, the renovation is being taken up as per convenience of Regional Offices/DOs/BOs.

We shall keep on working to the needs of Company for providing necessary infrastructure for commercial as well as residential premises in the future.



**एस. सुरेन्थर S. SURENTHER**  
 वित्तीय सलाहकार एवं महाप्रबंधक Financial Advisor and General Manager

### वित्त एवं लेखा

वर्ष 2008-09 के लिए, हमने 88.62 करोड़ रु. की हानि उठाई और हमारी शुद्ध हानि 52.66 करोड़ रु. थी। इक्विटी शेयरों के सक्रिय रूप से कारोबार के पोर्टफोलियो में प्रस्तुत समालोचना में शेयर मूल्य परिवर्तन लेखा 3975.56 करोड़ रु. रहा (पिछले वर्ष 7614.84 करोड़ रु.)। अशांत बाजार दशाओं के मद्देनजर इसमें गिरावट दर्ज की गई।

हमने इस वर्ष के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है और यद्यपि आईसीआर को प्रबंधित नहीं किया जा सका फिर भी 33 % से अधिक विकास हुआ।

### Finance and Accounts

For the financial year 2008-09, we have suffered a gross loss of Rs.88.62 crores and our net loss was Rs.52.66 crores. The Fair Value Change Account representing appreciation in the portfolio of actively traded equity shares stood at Rs. 3975.56 crores (Previous Year: Rs.7614.84 crores) registering decrease on account of turbulent market conditions.

The Operating Results of the Company (as per IRDA Regulations) under the 'Fire', 'Marine' and 'Miscellaneous' segments are detailed below:

( रु. करोड़ में ) Rs. in crores

वर्ष Year	अग्नि Fire	मरीन Marine	विविध Miscellaneous	कुल Total
2001-02	125.29	94.30	-476.32	-256.73
2002-03	175.68	27.94	-96.90	106.72
2003-04	161.63	59.64	76.29	297.56
2004-05	125.84	25.69	61.85	213.38
2005-06	51.61	17.53	75.24	144.38
2006-07	144.98	-15.58	168.93	298.33
2007-08	-16.77	30.27	105.43	118.93
2008-09	-87.27	-22.81	-286.43	-396.51

हमने मोटर टीपी क्षेत्र में 699.37 करोड़ रु. की अंडरराइटिंग की जिसमें से 427.43 करोड़ रुपए मोटर टीपी पूल में प्रस्तुत, वाणिज्यिक वाहन टीपी प्रीमियम के लिए छोड़ दिए गए। इसके पश्चात हमे जीआईसी टीपी पूल से 319.69 करोड़ रु. प्राप्त हुए और शुद्ध हानि 184.80 करोड़ रु. रही।

हम ऋण-शोध क्षमता मार्जिन पर आईआरडीए के विनियमों के

We have made good progress under Health segment during the year and could show a impressive growth of more than 33 % though the ICR could not be managed.

We have underwritten Rs. 699.37 crores under Motor TP segment out of which Rs. 427.43 crores was ceded to Motor TP Pool representing, commercial vehicle TP Premium. In retro we got Rs. 319.69 crores from the GIC



## दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

अनुपालन से बंध हैं और 31.03.2009 को यह 1.66 है।

### बजट और कार्पोरेट रणनीति

कम्पनी का प्रबंधन व्यय अनुपात (सकल प्रीमियम आय के % के रूप में प्रबंधन के व्यय) वर्ष 2007-08 में 21.12% से मामूली बढ़कर 2008-09 में 22.42% हो गया। इस वर्ष के दौरान प्रबंधन व्यय अनुपात में वृद्धि मुख्य रूप से LTS बीमारी अवकाश (AS15), प्रोत्साहन और आगामी वेतन संशोधन के लिए प्रावधान के कारण हुई।

### आंतरिक लेखा परीक्षा

मुख्यालय में आंतरिक लेखा विभाग क्षेत्रीय केंद्रों में कार्यरत अपनी 20 ऑडिट सेल की ओर उपलब्ध कराए गए फीडबैक की मदद से विभिन्न स्थानों पर स्थित प्रचालन कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर प्रबंधन को सूचना उपलब्ध कराने में समर्थ रहा है।

वर्ष 2008-09 में, आंतरिक लेखा विभाग ने 9 क्षेत्रीय कार्यालयों, 70 मण्डलीय कार्यालयों और 145 शाखा कार्यालयों की नियमित लेखा परीक्षा की। आंतरिक लेखा विभाग ने 218 मण्डल कार्यालयों में विकास अधिकारियों को दिए गए प्रोत्साहन यानी इन्सेंटिव का प्री-ऑडिट भी किया। इसके अलावा, सर्वेयर, वकीलों और निरीक्षण कर्ताओं के कार्य निष्पादन के मूल्यांकन के बारे में 19 विशेष ऑडिट किए गए। आंतरिक लेखा विभाग मुख्यालय ने सभी सेवानिवृत्त होने वाले/दिवंगत कर्मचारियों के लिए देय पेंशन/फैमिली पेंशन का समवर्ती ऑडिट भी किया है। इस वर्ष के दौरान, कार्मिक, एकाउंट्स, विविध, पुनर्बीमा खातों और मुख्यालय में प्रचार विभागों का ऑडिट भी किया गया।

फाइल और उपयोग के बारे में आईआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी क्षेत्रों डी-टैरिफ अंडरराइटिंग ऑडिट तिमाही आधार पर किया गया है तथा नतीजे बोर्ड के समक्ष रखे गए हैं।

इस वर्ष के दौरान, सभी कार्यालयों में लाइव 3i की मदद से INLIAS में ऑडिट मॉड्यूल विकसित किया गया है तथा अब ऑडिटर्स ने इस माड्यूल की तर्ज पर ऑडिट करना शुरू कर दिया है।

इस वर्ष के दौरान, 9 क्षेत्रीय कार्यालयों में बकाया ऑडिट बिन्दुओं की सफाई का विशेष अभियान भी चलाया गया। बोर्ड की ऑडिट समिति के निर्देशों के अनुसार ऑडिट समिति के उप समूह का गठन किया गया है तथा उक्त उप समूह ने आरओ वडोदरा और आरओ-1 नामक दो क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा किया। विशेष अभियान के परिणाम स्वरूप, 14.29 करोड़ रु. की राशि के 29024 ऑडिट बिन्दु निपटाए गए। दक्षिण के क्षेत्रीय कार्यालयों में CAG परास के निपटान के लिए विशेष बैठक भी हुई। इस वर्ष के दौरान 428 CAG परास का निपटान किया गया है।

TP Pool and a Net loss of Rs. 184.80 crores.

We are complying with the IRDA regulations on Solvency Margin and it is 1.66 as on 31.03.2009.

### Budget & Corporate Strategy

The Management Expenses Ratio (Expenses of Management as a % of Gross Premium income) of the Company marginally increased from 21.12% in 2007-08 to 22.42% in 2008-09. Increase in Management Expenses during the year was mainly on account of increase in Provision made for LTS, Sick leave (AS15), Incentive and provision for forthcoming wage revision.

### Internal Audit

The Internal Audit Department (IAD) at Head Office with the help of the feedback made available by its 20 Audit Cells functioning at Regional Centers has been able to provide information to the Management on the functioning of its operational Offices situated at various places.

In the year 2008-09, IAD conducted regular audit of 9 Regional Offices, 70 Divisional Offices and 145 Branch Offices. IAD also conducted Pre-audit of Incentives payable to Development Officers in 218 Divisional Offices. Besides 19 special audits on performance appraisal of Surveyors, Advocates and Investigators was also conducted. In addition, IAD Head Office has conducted con-current audit of Pension / family pension payments for all retiring / deceased employees. During the year, audits of Personnel, Accounts, Miscellaneous, Reinsurance Accounts and Publicity Departments at Head Office were also conducted.

As per IRDA guidelines on File and Use, de-tariff underwriting audit of all the Regions has been conducted on quarterly basis and the findings were placed before the Board.

During the year, audit module developed in INLIAS with the help of 3i is put on live in all the offices and auditors have now commenced to conduct audit online through the module.

During the year, a special drive for clearing the outstanding audit points was also undertaken in 9 Regional Offices. As per directives of the Audit committee of the Board a sub group of audit committee has been constituted and the said Sub Group visited 2 Regional Offices namely RO Vadodara and RO-1 Delhi. As a result of the special drive, 29024 audit points involving an amount of Rs.14.29 crores were settled. An exclusive meeting was also held for settlement of CAG paras pending in southern Regional Offices. During the year a total of 428 CAG paras have been settled.





नीरज कुमार Niraj Kumar  
महाप्रबंधक General Manager

वर्ष 2008-09 बेहद चुनौतीपूर्ण रहा है। डिटैरिफिंग का प्रभाव सभी विभागों में हावी रहा। बाज़ार की अनुक्रिया सिर्फ मूल्य निर्धारण करने के लिए थी। जिसके फलस्वरूप अंडरराइटिंग पर विचार पीछे छूट गया और ध्यान अपने ग्राहकों को बनाए रखने पर केंद्रित हो गया। हमने बाज़ार पर दबाव और अंडरराइटिंग दूरदर्शिता के छोर को संतुलित रखने का भरसक प्रयास किया। इसके साथ मार्केटिंग में हमारे जोरदार प्रयासों के कारण समग्र रूप से कुछ विकास हुआ। तथापि, डिटैरिफिंग के परिणामस्वरूप और मुम्बई आतंकी हमले एवं देश के पूर्वी भाग में नक्सली हमलों जैसे कुछ अन्य विषयेतर कारकों के फलस्वरूप हमें अंडरराइटिंग में हानि हुई।

### 1- टैचो मार्केटिंग विभाग

जोखिमों को स्वीकार करने में अपनी संतुलित सोच को जारी रखते हुए, बाज़ार में अन्य बीमा कम्पनियों के दरों में भारी छूट देने के बावजूद हमने अग्नि और इंजीनियरिंग विभागों में बेस प्रीमियम को बनाए रखने के प्रयास किए।

कड़े प्रयासों के साथ हम अपने ज्यादातर रिनीवल एकाउंट्स को बनाए रखने में समर्थ रहे।

नियमों एवं शर्तों में छूट के दूसरे चरण का फायदा उठाते हुए, हमने अपने कार्यालयों को ग्राहकों को शिक्षित करने की सलाह दी तथा इस प्रकार जोखिमों के बेहतर कवरेज के लिए आईएआर पालिसियों एवं बिजनेस हस्तक्षेप पालिसियों की बिक्री को प्रोत्साहित करें।

इसके अतिरिक्त, मानक अग्नि एवं विशेष जोखिम पालिसी में निम्नलिखित अतिरिक्त कवर शुरू किए गए हैं:

1. सेंधमार
2. विद्युत उपकरण खण्ड (डाइनेमो खण्ड)
3. नैसर्गिक दहन (नॉन-अग्नि हानि सहित)
4. जैटीज, डॉक्स एवं पानी में खड़ी अन्य सम्पत्तियों

The year 2008-09 has been very challenging. The effect of detariffing continued to dominate in all the departments. Market reaction was to make pricing the only determinant. As a result underwriting considerations had to take a back seat with the focus being on our ability to retain clients. We tried our best to balance the extremes of 'market push' and 'underwriting prudence'. This coupled with our vigorous efforts in marketing led to some overall growth. However, the aftermath of detariffing and some other extraneous factors like the terrorist attack in Mumbai and naxalite incidents in the eastern part of the country resulted in underwriting losses for us.

### I. TECO MARKETING DEPTT

Continuing with our balanced approach in acceptance of risks, we have striven to maintain the base premium in Fire & Engineering departments in spite of heavy discounts in rates allowed in the market by the other insurance companies.

With strenuous efforts we have been able to retain most of our renewal accounts.

Taking advantage of second phase of relaxation in terms and conditions, we have advised our offices to educate customers and thereby encourage sale of IAR policies and Business Interruption policies for better coverage of the risks.

In addition, the following Add on Covers in the Standard Fire & Special Peril Policy have been introduced.

1. Housebreaking.
2. Electrical Apparatus Clause (Dynamo Clause).
3. Spontaneous Combustion (including Non – Fire Damage).
4. Insurance of Jetties, Docks and other properties



## दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

और पानी संबंधी निकायों से हुई हानि से संबंधित खण्ड

5. बॉइलर विस्फोट क्षति खण्ड
6. स्टार्ट अप/शट डाउन व्यय खण्ड
7. दुर्घटना क्षति खण्ड

हमें उम्मीद है कि इन नूतन प्रयासों से अगामी वित्तीय वर्ष में व्यवसाय निश्चित रूप से बढ़ेगा।

हमने इंजीनियरिंग पालिसियों को ग्राहकों के अधिक अनुकूल बनाने के लिए भी प्रयास किए हैं तथा तदनुसार मोबाइल/पोर्टेबल उपकरणों के साथ-साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर को कवर करने के लिए इलैक्ट्रॉनिक उपकरण बीमा में बदलाव किए हैं।

हम इंजीनियरिंग पालिसियों पर नया एड ऑन कवर्स देने वाले हैं और शीघ्र ही यह पालिसी शुरू करेंगे। ये उत्पाद बाजार की उन ज़रूरतों को पूरा करेंगे, जो वर्तमान पालिसी के तहत कवर नहीं हैं।

इस वर्ष भारत में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। मुम्बई आतंकी हमले के फलस्वरूप जान माल की भारी तबाही हुई। हालांकि हमने सीधे तौर पर किसी भी पक्ष का बीमा नहीं किया था लेकिन आतंकवाद पूल में 11% भागीदारी के कारण हमें इस नुकसान का एक हिस्सा सहन करना था। इसके कारण भी हमारी शुद्ध खाते पर लगभग 58 करोड़ रु. का दायित्व पड़ा। अग्नि बीमा में हानि का यह प्रमुख कारण है।

इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ और ओडिशा में अनेक नक्सली घटनाएं हुईं जहां बीमित संपत्ति को नुकसान के कारण हमें हानि हुई।

हमारा इंजीनियरिंग विभाग डिटेरिफिंग के बावजूद उचित शुद्ध हानि अनुपात और संयुक्त अनुपात बनाए रखने में समर्थ रहा।

हमने खासतौर पर प्रमुख बाजार क्षेत्र में क्षमता निर्देशित प्रतिस्पर्धा देखी। हमारे पास पहले ही अंडरराइटर्स की प्रतिभाशाली टीम है और कार्यशालाओं एवं सेमिनारों के माध्यम से उनकी क्षमता नियमित रूप से अद्यतन की गई है। इसके मद्देनजर परमाणु जोखिम बीमा के विशेष कार्य में अपने अंडरराइटर्स को शिक्षित करने के लिए कार्यशाला आयोजित की। हम परमाणु उद्योग की सुरक्षा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नए उत्पाद तैयार करने की भी योजना बनाई है।

जब यह रिपोर्ट लिखी जा रही है, तो हमें छूट के युक्तीकरण के जरिए बाजार में सुधार के कुछ लक्षण नज़र आ रहे हैं। यह सुधार छोटा और छिटपुट है मगर फिर भी नज़र आ रहा है।

### II. समुद्रीय एवं वैमानिकी विभाग :

भारत में साधारण बीमा उद्योग में डिटेरिफ्ड और बेहद प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में, समुद्रीय पोत खोल और वैमानिकी विभागों की दरों में गिरावट का रुख रहा और पिछले वर्ष की तुलना में करीब 20% नीचे आ गई। हालांकि अग्नि एवं इंजीनियरिंग पोर्टफोलियो की डिटेरिफिंग के बाद मैरिन कार्गो विभाग में दर स्थिर हो गई हैं क्योंकि क्रास सब्सिडाइजेशन का अब कोई वजूद नहीं है। कड़ी प्रतिस्पर्धा के

erected in water & damage by water borne bodies clause.

5. Boiler Explosion Damage Clause.
6. Start Up/Shut Down Expenses clause.
7. Accidental Damage Clause.

With these innovative efforts, we expect the volume of the business will certainly increase in the coming financial year 2009-10.

We have also taken initiative to make Engineering policies more customer friendly and accordingly changes were made in Electronic Equipment Insurance to cover mobile/portable equipments as well as system software.

New Add On Covers on Engineering Policies are in the pipeline and we shall shortly be introducing the same. These products shall be fulfilling the market needs, which the current policies coverage does not address.

The year saw a major terrorism incident in India. The Mumbai terrorist attack resulted in huge loss of life and property. Though we had not directly insured any of the affected properties, we had to share a part of the loss, being 11% participants in the Terrorism Pool. This resulted in a liability of about Rs.58 Crores on our net account. This is the main reason for loss in the Fire Department.

Apart from this there were many naxalite incidents in Chhatisgarh & Orissa where we incurred losses as a result of damage to insured property.

Our Engineering Department was able to sustain a decent net loss ratio and combined ratio in spite of the detariffing. Our effort in securing the business of some big project accounts was helpful.

We foresee a capability driven competition, particularly in niche market segments. We already have a talented team of underwriters and their capability is regularly updated by way of workshops and seminars. With this approach we held a workshop to educate our underwriters in the specialized task of nuclear risk insurance. We are also gearing up to devise new products to meet the protection needs of the nuclear industry.

As this report is being written, we see some signs of market improvement by way of rationalization of discounts. This improvement is small and scattered but nevertheless visible.

### II. MARINE & AVIATION DEPARTMENTS:

In the detariffed and highly competitive scenario in the General Insurance Industry in India, the rates in Marine Hull and Aviation Departments continued downward trend and have gone down by about 20% from those prevailing in the last year. However after detariffing of Fire & Engineering portfolios the rates in Marine Cargo



बावजूद, हम अपने सभी प्रमुख ग्राहकों को बनाए रखने में समर्थ रहे। अंतर्राष्ट्रीय अंडर राइटिंग संघ, लन्दन ने 1 जनवरी 2009 से इन्स्टीट्यूट कार्गो खण्ड में संशोधन किया है। हमने भी उसे 1 अप्रैल 2009 से अपना लिया है। पोत खोल पोर्टफोलियो में अप्रत्याशित हानि से मैरीन पोर्टफोलियो में हमारा लाभ प्रभावित हुआ।

### III. स्वास्थ्य विभाग :

वर्ष 2008-09 को कम्पनी के स्वास्थ्य विभाग के लिए जल-संभरण यानी वाटरशेड कहा जा सकता है। स्वास्थ्य बीमा को उच्च दावा व्यय के साथ उच्च विकास वाले पोर्टफोलियो के रूप में चिह्नित किया जाता है, इसलिए इस वित्त वर्ष में बाज़ार के औसत की तुलना में उच्च विकास दर हासिल करने तथा उपगत हानि कम करने के लिए इस क्षेत्र पर जोर दिया गया।

उर्पयुक्त लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभाग में बिजनेस रिइंजीनियरिंग रणनीति के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। विकास और लाभप्रदता के लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वास्थ्य अनुलम्ब का सृजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में समर्पित स्वास्थ्य प्रबंधकों की पहचान की गई और उनको बिजनेस विशेष के आधार पर लक्ष्य दिए गए। स्वास्थ्य प्रबंधकों के साथ मासिक अंतःक्रिया सत्र आयोजित किए गए और प्रशासनिक मामलों में मौके पर ही निर्णय लेने के लिए उनके फीडबैक का इस्तेमाल किया गया। इस वर्ष के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधकों के लिए समुचित प्रोत्साहन स्कीम भी शुरू की गई।

प्रचालन कार्यालयों और स्वास्थ्य प्रबंधकों से विस्तृत फीडबैक के बाद मध्य दिसम्बर 2008 को ग्राहक अनुकूल “हैप्पी फैमिली फ्लोटर पालिसी” शुरू की गई। बाज़ार में इस पालिसी के प्रति आशातीत अनुक्रिया के फलस्वरूप इस वर्ष के दौरान स्वास्थ्य पोर्टफोलियो में 33 % से भी अधिक वृद्धि हुई। संशोधित व्यक्तिगत मेडिकलेम पालिसी और परिष्कृत ओवरसीज ट्रैवल पालिसी “ट्रैवल ब्लिस” यानी यात्रा आशीर्वाद पहले ही नियामक की अनुमति का इंतज़ार कर रही हैं।

एक प्रायोजिक परियोजना के रूप में टीपीए के जरिए दावे निपटाने के लिए केंद्रीकृत भुगतान विधि मई 2008 में शुरू की गई और फरवरी 2009 तक कम्पनी के सभी कार्यालयों में इसका विस्तार कर दिया गया। इससे फ्लोट फंडिंग से मुक्ति पाने में तथा दावे निपटाने में लगने वाले समय को 10 दिन से कम करने में मदद मिली। केंद्रीय स्तर पर दावों की एकाउंटिंग से प्रचालन कार्यालयों को राहत मिली। और मुख्यालय में केंद्रीय डाटाबेस बनाने में भी मदद मिली। रोगी को देखने और फाइल का ऑडिट करने की प्रणाली कार्यान्वित की गई।

समूह मेडिकलेम पालिसी निरंतर चिंता का कारण बनी रही। इसमें हानि का अनुपात बहुत अधिक है जिससे स्वास्थ्य विभाग में हानि और बढ़ गई। आगामी वर्ष में इस क्षेत्र में सुधार को बहुत अधिक प्राथमिकता दी जाएगी।

Department have stabilized since the phenomenon of cross subsidization is no more in existence now. Despite stiff competition, we have been able to retain all of our major clients. The Institute Cargo Clauses have been revised by the International Underwriting Association (I.U.A.S.) of London w.e.f 1<sup>st</sup> January 2009. We have also adopted the same with effect from 1<sup>st</sup> April 2009. Unexpected losses in the Hull portfolio affected our profitability in Marine portfolio.

### III. HEALTH DEPARTMENT:

2008-09 can be described as a watershed year for the Health Dept of the Company. Health Insurance being identified as a high growth portfolio with a high claim outgo, emphasis was given in the fiscal to achieve a higher growth rate than the market average and reduction of incurred losses.

To realize the above goals focused attention was given to the implementation of the Business Reengineering strategies in the dept. A Health Vertical was created to achieve the goal of growth and profitability. Under this programme dedicated Health Managers were identified in each Regional Office and specific business targets were set for them. Monthly interactive sessions were conducted with the Health Managers and their feedback was utilized for spot decisions on administrative matters. An appropriate incentive scheme for the health managers was also launched during the year.

After elaborate feedbacks from the operating offices and the Health Managers, a customer friendly product “Happy Family Floater Policy” was launched in mid December 2008. The market response for this policy exceeded the expectations resulting in the health portfolio growing by more than 33% during the year. A modified individual Mediclaim policy and the improved Overseas Travel policy “Travel Bliss” are already awaiting clearance from the regulator.

A centralized payment gateway for settlement of claims by TPAs was introduced as a pilot project in May 2008 and by February 2009 it was extended to all the offices of the Company. This has helped in doing away with the float funding system and brings down the Turn around Time for settlement of the claims to less than 10 days. Accounting the claims centrally has given relief to the operating offices and also helped in creating a central data base at HO. A system of patient visit and file audits was implemented.

Group Mediclaim Policies continued to be a matter of concern. The loss ratio was high leading to increased losses in the Health Department. Improvement in this area will be a very high priority in the coming year.



## दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

पिछले 5 वर्ष के दौरान मेडिक्लेम और जन आरोग्य पोर्टफोलियो का कार्य निष्पादन

Performance of of Mediclaim and Jan Arogya Portfolios during the last 5 years

वर्ष Year	संख्या Number of		प्रीमियम Premium	प्रीमियम के दावे No. of claims			अदत्त दावे Incurred Claims		
	पॉलिसियां Policies	बीमित Insureds	(लाख में) (in lacs)	बकाया ओ.बी. O/s OB	सूचित Reported	निपटाये गये Settled	बकाया सी.बी. O/s CB	(लाख में) (in lacs)	प्रतिशत %
<b>मेडिक्लेम Mediclaim</b>									
2004-05	600682	2864532	24962.09	31061	99340	85547	44854	29405.07	117.80
2005-06	624176	3204167	33400.37	44854	121460	98692	67622	40096.22	120.05
2006-07	580934	3098121	42761.05	67622	243978	293432	18168	52614.54	123.04
2007-08	638834	3277218	50837.47	18168	115704	120102	13770	55730.94	109.63
2008-09	700527	3419172	70326.02	13770	336026	328018	21778	77103.27	109.64
<b>जन आरोग्य Jan Arogya</b>									
2004-05	33853	101556	98.36	94	15535	13882	1747	69.54	70.70
2005-06	12356	38459	31.46	1747	9867	8694	2920	49.55	157.50
2006-07	17943	53829	37.68	2920	1040	3852	108	16.64	44.16
2007-08	17635	52871	37.22	108	3382	3403	87	22.25	59.78
2008-09	10220	30640	21.57	87	636	681	42	33.04	153.17

#### 4- विविध विभाग

विविध विभाग निरंतर विकास कर रहा है और वित्तीय से उत्पाद से पेशेवर और रोजगार अपराधों तक व्यापक रेंज के दायित्वों से इस क्षेत्र का विस्तार पा रहा है। हम निर्माण से लेकर वितरण तक फिल्म बीमा कवर भी दे रहे हैं। विविध बीमे का करीब एक तिहाई भाग ग्रामीण बीमे का है और इससे ग्रामीण भारत में कल्याण, चिंता और बीमे की पहुंच बढ़ाने की ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी की प्रतिबद्धता की संतोषपूर्ण झलक मिलती है।

ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी ने वित्तीय जोखिम कवर में चोटी का स्थान बना रखा है और सभी प्रमुख एयरलाइन क्रेडिट जोखिम, और डी एंड ओ पालिसियों में दखल रखते हैं। हमने खेल बीमे में अपना दबदबा बनाए रखा और आईपीएल के दोनों संस्करण, टी20 विश्व कप दोनों वर्ष और अन्य लीग मैच को कवर उपलब्ध कराया। हम आगामी राष्ट्रमण्डल खेलों के लिए भी बोली लगा रहे हैं।

त्रुटि एवं चूक, डी एंड ओ, और रिकाल एवं गारंटी, क्रेडिट जोखिम इत्यादि सहित प्रोडक्ट जैसे दायित्वों के विविध बीमे के बाजार में मांग बढ़ रही है। ऐसा व्यापक रूप से वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण है जहां निर्यातक अब प्राप्तियोग्य एवं अनुबंधीय दायित्व के कार्य निष्पादन के लिए पर्याप्त सुरक्षा के बिना कारोबार के बारे में अब कहीं अधिक चिंतित हैं।

नवीनतम चैनल अभी हाल ही में जुड़े हैं यानी बिजनेस के प्लेसमेंट और ग्राहकों को ऑफर की जाने वाली दर एवं शर्तों-दोनों के लिए ब्रोकर अब केंद्रीय भूमिका में हैं। इस क्षेत्र में तथा कम्पनी की प्रीमियम प्राप्तियों को बुरी तरह प्रभावित करने वाली अंदरूनी प्रतिस्पर्धा के कारण प्रतिस्पर्धा कड़ी हो गई है। बड़े कार्पोरेट घरानों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के संयोग के दौर की वापसी के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनियों के बीच प्रतिस्पर्धा फिर से तेज हो गई है।

दरों में गिरावट के बावजूद कम्पनी के कुल प्रीमियम में विविध बीमा पोर्टफोलियो का सापेक्ष हिस्सा करीब 15% रखा गया है। 50% के उपगत दावा अनुपात के साथ पोर्टफोलियो लाभप्रद बना रहा जो बेहद उत्साहजनक है। यह और भी अच्छा हो जाता मगर महाराष्ट्र में

#### IV. MISCELLANEOUS DEPTT:

Miscellaneous Deptt is consistently growing and shaping up with myriad range of Liability covers, from Financial to Product to Professional and Employment Crimes. We are also covering Film Insurance from production to Distribution. Rural Insurance comprises almost one third of Misc. Portfolio and is a satisfying reflection of OIC commitment to welfare, concern, and penetration of Insurance in rural India.

OIC has maintained its top slot in Financial Risk Covers and has exposure in all major Airline Credit risk and D&O policies. We continue to hold the baton in Sports Insurance having covered the IPL series both years, T20 World Cup both years and other League matches. We are also bidding for the forthcoming Commonwealth Games.

The market for Misc. Insurances in the Liability Lines such as Errors & Omissions, D&O and Product including Recall and Guarantee, Credit Risk etc. is showing an upward demand. This is largely due to the global meltdown wherein Exporters are now more wary of trade without adequate protection for receivables and performance of contractual liability.

The newest channel added recently, viz. Brokers are centre stage for both placement of business and rates and terms offered to clients. The intense competition brewing due to this segment and intra competition is adversely affecting premium receipts of the Company. Also once again the competition between the PSUs is intensifying due to the return of comfort level of large corporate with PSU Insurers.

The relative share of Misc. Portfolio in the total Premium of the company has been maintained at approx. 15% inspite of fall in rates. The Portfolio remains profitable with incurred claim ratio of 50% which is very



किसानों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी के तहत हानि के कारण ऐसा नहीं हो सका। इस पालिसी के तहत हानि अनुपात 200% के करीब है।

मुम्बई में आतंकवादी हमले में महाराष्ट्र पुलिस के कई कर्मचारी शहीद हुए। हमले के तीन दिन के भीतर ही दावों का भुगतान करके हमने ये मामले बड़ी तेजी से निपटाए। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा के कारण पुलिस के कई जवान और अधिकारी शहीद हुए। हमने छत्तीसगढ़ पुलिस को जारी समूह व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसी के तहत भुगतान किया।

##### 5- पुनर्बीमा :

पुनर्बीमा कम्पनी को बड़े और जटिल जोखिमों को अंडर राइट करने सहित बहुत से लाभ उपलब्ध कराता है। यह महासंकट की हालत में अत्यधिक नुकसान से भी संरक्षण उपलब्ध कराता है। हम डिटैरिफिंग (प्रशुल्क मुक्त) के तीसरे वर्ष में हैं और कीमत के लिहाज से तथा नियमों एवं शर्तों के मामले में सीमित हद तक, भारतीय बाजार अब प्रशुल्क मुक्त है। प्रतिस्पर्धी माहौल में चुनौती का सामना करने के लिए कम्पनी को सशक्त बनने के लिए पर्याप्त आटोमेटिक क्षमता की आवश्यकता होती है।

इसके अलावा आईआरडीए के विनियमों के तहत यह नियत किया गया है कि हर बीमा कम्पनी को आरआई कार्यक्रम डिजाइन करना चाहिए ताकि हर संभव ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम कम्पनी में ही रखा जा सके।

उपर्युक्त उद्देश्यों के मद्देनजर वर्ष 2008-09 के लिए आरआई कार्यक्रम तैयार किया गया और हमने वर्ष 2008-09 में 79.33 % की प्रतिशतता हासिल की है जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2007-08 में 73.10% थी। हमने अपने शुद्ध एकाउंट को पर्याप्त रूप से सुरक्षित किया है।

कम्पनी की जोखिम प्रबंधन रणनीति ने यह सुनिश्चित किया है कि पर्याप्त क्षमता सृजित की जाती है और प्लेसमेंट अच्छी सुरक्षा के साथ की जाती है इस प्रकार कम्पनी की वित्तीय स्थिति सुरक्षित होती है। हमने बिजनेस की विभिन्न श्रेणियों में अवरोधन के साथ साथ ट्रीटी सेशन सीमा बढ़ाकर क्षमता में वृद्धि की है।

हम प्रशुल्क रहित बाजार की स्थिति और प्रतिस्पर्धी माहौल के बावजूद रेटिड सिक्यूरिटीज़ से समानुपातिक समर्थन हासिल करने में सफल रहे।

हम पुनर्बीमाकर्ता को सूचना देने की गुणवत्ता में सुधार करके अपने XL कार्यक्रम के लिए प्रतिस्पर्धी कीमत सुरक्षित कर सके। हमने गुणवत्तापरक डाटा सृजित करने के लिए एकीकृत प्रणाली इस्तेमाल की और पुनर्बीमाकर्ता को वास्तविक डाटा उपलब्ध कराया जिसने रेटिड सिक्यूरिटीज़ के साथ प्रभावी कवर के प्लेसमेंट में हमारी मदद की।

कम्पनी को वित्तीय मजबूती में AM बेस्ट ने B++ रेटिंग दी है। इस रेटिंग से बीमा और पुनर्बीमा संपर्कों के अपने दायित्वों को पूरा करने की कम्पनी की क्षमता का पता चलता है। रेटिंग की मजबूती पर हमारी आंतरिक वैकल्पिक स्वीकृति गति मिल रही है। हम आंतरिक बिजनेस को बढ़ाने की दिशा में अपनी सहायता और मार्गदर्शन के लिए AXCO नामक सॉफ्टवेयर टूल का उपयोग कर रहे हैं। हमने अपने आंतरिक वैकल्पिक बिजनेस को सुरक्षित करने तथा दुबई एवं कुवैत में अपने कार्यालयों के बिजनेस को भी बनाए रखने के लिए XL संधि की है।

##### विदेशी कार्यालय

कम्पनी के नेपाल, दुबई और कुवैत में तीन विदेशी कार्यालयों ने

encouraging. This could have been better but for the losses that we sustained under the Group P.A. Policy for farmers in Maharashtra. The loss ratio under this policy is close to 200%.

Many police personnel of Maharashtra Police lost their life in the terrorist attack in Mumbai. All these claims were promptly paid by us within three days of the incident. Apart from this there were many police personnel casualties as a result of naxalite incidents in Chhatisgarh. We paid claim under the Group Personnel Accident Policy issued to Chhatisgarh Police.

##### V. REINSURANCE:

Reinsurance provides a company with many benefits including capacity to underwrite large and complicated risks and also financial protection from multiple losses leading to catastrophe situation. We are into the 3<sup>rd</sup> year of detariffing and Indian market is now tariff free on account of pricing and in a limited way on account of terms & conditions. A company needs adequate automatic capacity to empower itself to meet the challenges of a competitive environment.

Further IRDA regulations stipulate that every insurance company should design its RI programme so as to retain the maximum possible premium within the country.

The RI programme for the year 2008-09 was designed keeping in view the above objectives and we have achieved a retention %age of 79.33 % in the year 2008/09 as compared to 73.10% for the year 2007/08. We are adequately protected for our Net Account.

The company's Risk Management strategy has ensured that adequate capacity is created and placements are done with good securities thereby protecting the financial health of the company. We achieved enhancement in capacity by increasing treaty cession limits as well as retention in various classes of business.

We were successful in getting proportional support from rated securities despite detariffed market situation and competitive environment.

We could secure competitive pricing for our XL programme by improving the quality of information submitted to the Reinsurers. We utilized the integrated system to generate qualitative data and could provide real time data to the reinsurers which helped us in placement of the cover effectively with rated securities.

The company is assigned financial strength rating B++ by AM Best. The rating reflects the capacity of the company to meet its obligations of Insurance and Reinsurance contracts. Our Inward Facultative acceptance is gaining momentum on the strength of the Rating. We are utilizing a Software Tool called AXCO to assist and guide us in the direction of enhancing the inward business. We have an XL treaty in place to protect our inward facultative business and also the business retained from our offices in Dubai & Kuwait.

##### VI. FOREIGN OFFICES

The three foreign offices of the company in Nepal, Dubai



## दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

उल्लेखनीय सकल व्यवसाय कार्य निष्पादन प्रदर्शित किया है। सभी तीनों कार्यालयों के लिए सकल प्रीमियम की वृद्धि दर 23.43% पर प्रभावशाली रही है। पिछले वर्ष के 92.07 करोड़ रु. के प्रीमियम की तुलना में 113.64 करोड़ रु. के प्रीमियम की उपलब्धि हुई। कुवैत को छोड़कर अन्य कोई भी कार्यालय अपने लक्ष्य पूरे करने में समर्थ नहीं रहा, इस तथ्य के मद्देनजर प्रीमियम में यह वृद्धि प्रभावशाली है। किसी महत्वपूर्ण हानि के अभाव में तथा प्रभावशाली एक्सचेंज लाभ के मद्देनजर विदेशी कार्यालय 15.27 करोड़ रु. का सकल अधिशेष डिलीवर करने में सफल रहे जबकि वर्ष 2007-08 में सकल घाटा 21.38 करोड़ रु. का था। दुबई और कुवैत के कार्यनिष्पादन में सुधार देखा गया, लेकिन नेपाल में कार्यालय का लाभ पिछले साल की तुलना में कम हो गया। अपेक्षाकृत रूप से प्रीमियम की दर में निम्न वृद्धि और उपगत दावा अनुपात में वृद्धि के मद्देनजर ही मुख्य रूप से नेपाल में लाभ कमी हुई।

क़तर में चौथे कार्यालय की स्थापना के साथ, विदेशी कार्यालयों के सकल योगदान से कम्पनी का लाभ बढ़ने की संभावना है। क़तर में कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है और उम्मीद है कि वर्ष 2009-10 में कार्यालय काम करना शुरू कर देगा।

and Kuwait have shown a remarkable overall business performance. The growth rate of Gross Premium for all the three offices put together has been an impressive 23.43% with an achievement of Rs.113.64crs in premium (Rs.92.07crs premium for the previous year). This growth is impressive keeping in mind the fact that barring Kuwait no other office was able to meet its targets. In the absence of any substantial loss and on account of an impressive exchange gain, the foreign offices were able to deliver an overall surplus of Rs.15.27crs as against an overall deficit of Rs.21.38crs in 2007-08. While the performance of Dubai and Kuwait has definitely shown an improvement, the profits of the Nepal office have come down in comparison to the previous year. The reduction in profit of Nepal is mainly on account of a relatively low growth rate of premium and increase in incurred claims ratio.

With the setting up of the fourth office at Qatar, the overall contribution of the foreign offices to the profitability of the company is expected to increase. The process of setting up of the office at Qatar is underway and in the year 2009-10 it is expected that the office will become functional.

हमारे विदेशी प्रचालनों का देश-वार कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है :

The country wise performance of our foreign operations is given below:

( रु. लाखों में )  
(Rs. In Lakhs)

विवरण Particulars	नेपाल Nepal		दुबई Dubai		कुवैत Kuwait		अन्य ( रन ऑफ Others (Run off)	कुल Total	
	राशि Amount	प्रतिशत %	राशि Amount	प्रतिशत %	राशि Amount	प्रतिशत %	राशि Amount	राशि Amount	प्रतिशत %
कुल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	3363.98		3969.99		5475.43		0	11364.41	
प्रीमियम (कुल) Premium (Net)	3310.24	98.40%	4129.75	104.02%	5353.45	97.77%	0	11125.85	97.90%
कमीशन (कुल) Commission (Net)	992.54	29.98%	1275.38	30.88%	1612.24	30.12%	0	3011.54	27.07%
प्रदत्त दावे (कुल) Incurred Claims (Net)	1208.82	36.52%	2140.15	51.82%	3327.15	62.15%	-13.19	6594.73	59.27%
आरक्षित विकृति Reserve Strain	173.09	5.23%	344.63	8.35%	571.16	10.67%	0	1044.46	9.39%
प्रबन्धन व्यय M.E.	186.83	5.64%	148.67	3.60%	241.17	4.50%	-8.03	816.42	7.34%
जोखिम अंकन अधिशेष/घाटा U/w Surplus/ Deficit	748.96	22.63%	220.92	5.35%	-398.27	-7.44%	21.22	-341.30	-3.07%
विनियम लाभ(+)/घाटा(-) Exchange Gain+/Loss -	-98.33	-2.97%	603.90	14.62%	772.44	14.43%	0	1413.51	12.70%
ब्याज एवं अन्य आय Interest & Other Inc.	74.28	2.24%	117.79	2.85%	69.94	1.31%	6.11	454.64	4.09%
कुल अधिशेष (+)/ घाटा(-) Net Surplus(+)/ Deficit(-)	724.91	21.90%	942.61	22.82%	444.11	8.30%	27.33	1526.85	13.72%



डॉ. ए. के. सक्सेना DR. A.K. Saxena  
महाप्रबन्धक General Manager

#### व्यवसाय विकास- भारतीय आप्रेशन

एक बार फिर वर्ष 2008-09 घटनाप्रधान रहा। वर्ष 2007-08 में 3808.14 करोड़ रु. की तुलना में इस वर्ष 3964.25 करोड़ रु. का अंडरराइटिंग प्रीमियम आय के जरिए भारतीय आप्रेशन में 4.10% सकारात्मक वृद्धि दर्ज करके कम्पनी ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया।

समूची मार्केटिंग कोर्स के अतिरिक्त प्रयासों के कारण और समीक्षा वर्ष के दौरान खासतौर पर हमारे वितरण माध्यमों के कार्य प्रदर्शन को मजबूत बनाने की विभिन्न नूतन मार्केटिंग परिकल्पनाओं की शुरुआत से भी यह सब हासिल किया जा सका।

#### BUSINESS DEVELOPMENT- INDIAN OPERATIONS

Once again, the year 2008-09 was an eventful year with Company bouncing back to glory by registering positive growth of 4.10 % in Indian operations by underwriting premium income of Rs. 3964.25 crores as against Rs. 3808.14 crores in the year 2007-08.

This could be achieved due to extra efforts of entire marketing force and also introduction of various innovative marketing concepts to strengthen our performance, especially of our distribution channels during the year under review.

(Rs. in crores)

चैनल CHANNELS	2007-08 प्रीमियम PREMIUM	2007-08 % का कुल % to total	2008-09 प्रीमियम PREMIUM	जीआर (%) GR (%)	2008-09 % का कुल % to total
प्रचालन इंचार्ज OPERATING INCHARGES	683.30	17.94	730.00	6.84	18.41
एओ(डी)/एएम (डी) AO(D)/AM(D)	523.09	13.74	547.00	4.57	13.80
विका. अधिकारी DEV.OFFICER(M)	1171.23	30.76	1179.00	0.66	29.74
डायरेक्ट एजेंट DIRECT AGENT	709.54	18.63	779.80	9.90	19.67
माइक्रो एजेंट MICRO AGENT	0.78	0.02	1.87	138.57	0.05
दलाल BROKER	403.66	10.60	434.35	7.60	10.96
मुख्य समझौते MAJOR TIE-UPS	211.34	5.55	180.99	-14.36	4.57
आर ओ स्तर पर अन्य समझौते OTHER TIE-UPS AT RO LEVEL	105.19	2.76	111.24	5.72	2.81
कुल TOTAL	3808.14	100.00	3964.25	4.10	100.00



## दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

कम्पनी ने देश में सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस अनुबंध किया जिसके जरिए पंजाब नेशनल बैंक अपने 4600 कार्यालयों के नेटवर्क का उपयोग करके ओरिएण्टल इश्योरेंस के उत्पाद बेचने में समर्थ हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने डाक विभाग के साथ समझौते को सुदृढ़ करने के अलावा विभिन्न स्थानीय बैंकों के साथ भी अनुबंध किए हैं।

एजेंट के विकास और प्रोत्साहन की परिकल्पना के और सकारात्मक परिणाम हासिल हुए। अपने मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने के साथ साथ अपने साथ नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। हमने केंद्रित और प्रतिबद्ध सेवा सुनिश्चित करने के लिए अपने क्षेत्रीय इन्चार्ज और प्रमुख ग्राहकों के साथ नियमित रूप से संवाद किया है। बैंक एश्योरेंस अनुबंधों, ब्रोकरों और कार्पोरेट्स को सेवा उपलब्ध कराने के लिए समर्पित कार्यालय खोले गए।

हमारे नए उत्पादों को तैयार करने में स्वास्थ्य विभाग की पहल से स्वास्थ्य बीमा में 33% से अधिक वृद्धि हासिल करने में मदद मिली है।

उच्च कार्य निष्पादन वाली अपनी मार्केटिंग फोर्स के लिए, हमने एजेंट के लिए जीएम क्लब और विकास अधिकारियों के लिए सीएमडी क्लब की परिकल्पनाएं प्रारंभ की हैं तथा उनकी सराहना और पुरस्कृत करने के लिए कान्कलेव आयोजित करने की भी योजना है।

### संगठन संरचना

बोर्ड के अनुमोदन के परिणामस्वरूप, कम्पनी ने आगामी वित्तीय वर्ष में त्रि-स्तरीय संगठन संरचना की योजना बनाई है। वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान रायपुर, हुबली और विजग में तीन नए क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए। इस प्रकार अब संगठन में 26 क्षेत्रीय कार्यालय, 332 मण्डल कार्यालय, 532 शाखा कार्यालय और 105 विस्तार काउंटर हो गए हैं जो हमारे कोर बीमा सफ्टवेयर INLIAS के जरिए परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं। इन ढांचागत सुविधाओं के साथ 16000+ श्रमशक्ति और लगभग 35000 प्रत्यक्ष एजेंट कम्पनी की वास्तविक ताकत हैं।

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, कम्पनी की वास्तविक ताकत इसकी मार्केटिंग फोर्स में है और उनको प्रेरित करने के लिए वित्त वर्ष 2008-09 में वेतन संशोधन, प्रोत्साहन, नॉन कोर बेनिफिट में संशोधन, प्रोत्साहन और पेंशन सुधार किए गए।

### ग्रामीण क्षेत्र-सामाजिक क्षेत्र बीमा

ग्रामीण क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र बीमा कवरेज हमेशा हमारे ध्यान का केंद्र रहा है। हमने पिछले वित्त वर्ष की तुलना में वर्ष 2008-09 में ग्रामीण क्षेत्र के तहत अधिक लोगों को बीमा सुरक्षा दी है। जहां तक सामाजिक क्षेत्र की बात है हमने अपनी कुछ समूह पालिसियों की ब्रिकी के कारण वर्ष 2008-09 में 6,66,65,613 लोगों को बीमा सुरक्षा प्रदान की है जबकि वित्त वर्ष 2007-08 में 1,35,94,382 लोगों को बीमा सुरक्षा दी गई थी।

हमने ग्रामीण क्षेत्र से 350 करोड़ रु. की प्रीमियम आय हासिल करने का प्रस्ताव किया है जिसमें पारंपरिक बीमा उत्पाद और खासतौर पर ग्रामीण लोगों की आवश्यकता एवं बीमा ज़रूरतों के लिए उपयुक्त

The Company has entered into a Bancassurance tie-up with Country's 2<sup>nd</sup> largest Public Sector bank, Punjab National Bank, through which PNB will be able to sell products of Oriental Insurance by utilizing its network of 4600 offices. Apart from this, Company entered into tie-ups with various local banks besides strengthening the tie-up with Department of Posts.

The concept of development and promotion of agents further reaped positive results. Special efforts were being made to retain our existing major clients as well as add new clients to our kitty. We communicated regularly with our Regional Incharges and Major clients to ensure focused and committed service. Dedicated offices were opened for providing services for Bancassurance tie-ups, Brokers and Corporates

Health Deptt. initiatives in rolling out new products helped to achieve more than 33% growth in Health Insurance.

For our High Performing marketing force, we had introduced the concepts of GM Club for Agents and CMD Club for Development Officers and also plan to hold conclave to appreciate and reward them.

### ORGANIZATION STRUCTURE.

Consequent to Board's approval, the Company plans to move to three-tier organization structure in the coming financial year. Three new regional Offices were opened during FY 2008-09 in Raipur, Hubli and Vizag taking the total organization strength to 26 Regional Offices, 332 Divisional Offices, 532 Branch Offices and 105 Extension counters, interconnected with each other through INLIAS, our Core insurance software. These infrastructure facilities coupled with 16000+ Workforce and about 35000 Direct Agents are the real strength of the Company.

As already mentioned the real strength of the Company lies in its marketing force and to motivate them, wage revision, incentives, revision of non-core benefits, promotion and pension amendments were introduced in FY 2008-09.

### RURAL SECTOR-SOCIAL SECTOR INSURANCE

The coverage of Rural Sector and Social Sector insurance has always been our focused area. We have covered more insured under rural sector in the year 2008-09 as compared to previous financial year. As far as social sector is concerned we have covered 6,66,65,613 lives in 2008-09 as against 1,35,94,382 lives in 2007-08, thanks to selling some Group policies.

We propose to achieve a premium income of Rs. 350 crores from rural sector which will be inclusive of traditional insurance products and insurance products specially designed to suit the insurance needs and





विशेष रूप से बनाए गए उत्पादों के साथ साथ सूक्ष्म बीमा उत्पाद भी शामिल होंगे।

requirements of rural people as well as the micro insurance products.

	2008-09	2007-08
1. सकल योग जोखिम अंकन प्रीमियम (रु. लाखों में) Total Gross Premium Underwritten (Rs. in lacs)	396456	380814
2. ग्रामीण क्षेत्रों में पॉलिसियों का जोखिम अंकन (संख्या में) Policies u/w in rural areas (in Nos.)	1626327	1265363
3. ग्रामीण क्षेत्रों में कुल प्रीमियम जोखिम अंकन (रु. लाखों में) Gross Premium u/w in rural areas (Rs. in Lacs)	29128	23275
4. ग्रामीण सौदों का % $\{(3)*100/ (1)\}$ % of Rural Business $\{(3)*100/ (1)\}$	7.35	6.11
5. क्या ग्रामीण क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुए (हां/नहीं) Whether Rural Sector Stipulation met (Yes/No)	Yes	Yes
6. सामाजिक क्षेत्र में बीमा किये गये जीवन No. of lives covered in Social Sector	66665613	13594382
7. क्या सामाजिक क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हुए (हां/नहीं) Whether Social Sector stipulation met (Yes/No)	Yes	Yes

## ग्राहक सेवा

बिजनेस वृद्धि में सकारात्मक परिणाम हासिल करने के लिए, हमने ग्राहक संतुष्टि के मंत्र का जाप जारी रखा। सुशासन (सेवोत्तम)के अंग के रूप में, वित्त मंत्रालय की ओर से जारी निर्देश के तहत ग्राहक संतुष्टि बढ़ाने के लिए ग्राहकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ग्राहकों की शिकायतें दूर करने और अग्रिम पंक्ति के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न मण्डल कार्यालयों/शाखा कार्यालयों के 671 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

आईआरडीए के निर्देशों के अनुसार, कम्पनी के सभी कार्यालयों में ग्राहकों की शिकायतों के निवारण की एक जैसी विधि सुगम बनाने के लिए शिकायत निवारण नीति बनाई गई जो बोर्ड से विधिवत रूप से अनुमोदित थी तथा बोर्ड ने इसे अपनाया जिसने ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही विविध सेवाओं के सेवा स्तर मानदंडों को बढ़ाने के लिए पालिसी धारकों के प्रति कटिबद्धता की संहिता भी स्वीकार की।

इस वर्ष के दौरान देश भर में हमारे आप्रेंटिंग कार्यालयों में 96,55,839 दस्तावेज सृजित किए गए और 5,39,526 दावे निपटाए गए। वर्ष 2008-09 के दौरान कम्पनी का नॉन-सूट दावा निपटान अनुपात 86.30 % तथा शिकायत निपटान अनुपात 96.74% रहा। कम्पनी की ओर से शुरू वेब पोर्टल से भी ग्राहक अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने में समर्थ हो सकेंगे। इसके अलावा वे पालिसी भी ऑनलाइन खरीद सकेंगे और दावे दर्ज करा सकेंगे। इससे एजेंट को कम्पनी के कार्यालय आए बिना ही अपना बिजनेस बुक करने में भी मदद मिलेगी। कम्पनी ने इस नेटवर्क के जरिए अर्द्ध-ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी एजेंसी फोर्स को मजबूत बनाने की भी योजना बनाई है।

## CUSTOMER SERVICES

To achieve positive results in business growth, we continued to observe the **mantra of 'Customer Satisfaction'**. As a part of Good Governance (SEVOTTAM), a directive issued by the Ministry of Finance, 671 officials of various Divisional Offices / Branch Offices were imparted training to handle customer grievances and sensitization of frontline officials to meet customer needs for enhancing greater customer satisfaction.

As per IRDA directives, a Grievance redressal policy to facilitate uniform method of handling customer grievances by all the offices of the Company was framed which was duly approved and adopted by the Board, which also adopted the code of commitment to Policy holders to enhance the service level parameter of various services provided to customers.

During the year 96,55,839 documents were generated and 5,39,526 claims were settled by our Operating Offices through out the country. Company's Non-suit claims clearance ratio was 86.30 % and the grievance disposal ratio was 96.74 % during 2008-09. The web-portal launched by the Company will also enable the customers to register their grievances online in addition to buying policies and lodging claims. It would also help Agents to book their business even without visiting Company's office. The Company plans to strengthen its agency force in semi-urban and rural areas through this network.



## दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

वर्ष 2008-09 के दौरान हमारी दावा निपटान स्थिति इस प्रकार थी :

Our Claim Settlement position during 2008-09 was as under:

	अदालती Suit	गैर अदालती Non-Suit	कुल Total
01.4.2008 तक बकाया दावों की संख्या No. of claims outstanding at 01.04.2008	237251	70115	307366
2008-09 के दौरान सूचित दावों की संख्या No. of claims intimated during 2008-09	90800	439921	530721
वर्ष 2008-09 के दौरान निपटायें गए दावों की संख्या No. of claims settled during 2008-09	99371	440155	539526
31.03.2009 तक बकाया दावों की संख्या No. of claims outstanding as at 31.03.2009	228680	69881	298561
दावों के निपटान का अनुपात Claims Settlement Ratio	30.29 %	86.30 %	64.38 %

31.03.2009 तक बकाया दावों का उम्र-वार विश्लेषण का विवरण

Statement of Age-wise Analysis of pending claims as on 31.03.2009

लम्बित दावे Pending for	वादी दावे Suit claims	गैरवादी दावे Non-suit claims	कुल Total
3 माह से कम Less than 3 Months	9753	17449	27202
3 से 6 माह 3 to 6 months	18855	23781	42636
6 से 12 माह 6 to 12 months	34287	16514	50801
1 से 3 वर्ष 1 to 3 years	115068	10816	125884
3 वर्ष से अधिक More than 3 years	50717	1321	52038
कुल Total	228680	69881	298561

### राजभाषा कार्यान्वयन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुरूप रोजाना के कार्यालयी कार्य में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहन देना निरंतर कम्पनी की पहल रही है। हिंदी में मूल पत्र व्यवहार के क्षेत्र में और भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अनुपालन में, हमने इस वर्ष के दौरान उल्लेखनीय प्रगति की है। कम्पनी में, हम अपने सभी कार्पोरेट एवं व्यक्तिगत ग्राहकों की बीमा जरूरतों को उनकी भाषा के माध्यम से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण, स्टेनोग्राफी और टंकण प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हिंदी कार्यान्वयन को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे लखनऊ, चण्डीगढ़ और हैदराबाद कार्यालयों को वर्ष 2007-08 के लिए क्रमशः A, B और C क्षेत्रों में सीएमडी राजभाषा शील्ड प्रदान की गई। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विज्ञान एवं तकनीकी शब्दावली विभाग के साथ समन्वय में कम्पनी ने बीमा शब्दावली तैयार करने और उसके अद्यतन का कार्य पूरा किया है। इसे शीघ्र ही प्रकाशित किया जाएगा।

वर्ष 2008-09 के दौरान, राजभाषा पर संसद की तीसरी उप-समिति ने श्रीनगर, पुणे, सिलिगुड़ी, वास्को और पानीपत स्थित हमारे कार्यालयों तथा हमारे मुख्यालय का भी निरीक्षण किया। समिति ने कम्पनी के हिंदी में किए गए कार्य की सराहना की।

कम्पनी के सभी कार्यालयों में 15 से 29 सितम्बर, 2008 के दौरान "हिंदी पखवाड़ा और 15 सितम्बर, 2008 को "हिंदी दिवस" आयोजित किया गया। पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में अनेक कर्मचारियों ने भाग लिया और पुरस्कार जीते।

### OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION

It has been Company's continuous endeavor to encourage the use of Hindi in day-to-day office work in accordance with the Official Language policy of the Government of India. In the field of original correspondence in Hindi and compliance of section 3 (3) of the Official Language Act of Government of India, we have made a notable progress during the year. We, in the Company, are committed to meet the insurance requirements of all our corporate and individual clients through their own language. Hindi Teaching, Stenography and Typing training are being imparted to the employees. CMD Official Language Shields were awarded in A, B and C Regions for the year 2007-08 to our Lucknow, Chandigarh and Hyderabad Regional Offices respectively for encouragement of Hindi Implementation. In coordination with Department of Science and Technical terminology, Ministry of Human Resource Development, Government of India, Company has completed the compilation and updation work of Insurance Glossary. It will be published very soon.

During the year 2008-09, IIIrd Sub-Committee of Parliament on Official Language inspected our offices situated at Srinagar, Pune, Siliguri, Vasco and Panipat and also our Head office. The Committee praised the work done in Hindi by the Company.

During 15-29 September, 2008 "Hindi Fortnight" and on 15<sup>th</sup> September, 2008 "Hindi Day" was organized in all the Offices of the Company. Large number of employees participated and won prizes in various Hindi Competitions organized during the Fortnight.



एन.के. सिंह  
महाप्रबंधक  
N.K. Singh  
General Manager

### मोटर बीमा प्रीमियम

मोटर इंश्योरेंस भारतीय गैर-बीमा बाज़ार में सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। पिछले वर्षों के दौरान भारतीय उपभोक्ताओं की आय क्षमता में वृद्धि होने के साथ ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप मोटर पोर्टफोलियो में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इस वर्ष मजबूत तृतीय पक्ष दावा प्रबंधन के साथ मोटर प्रीमियम में निरंतर वृद्धि को बनाये रखने के लिए प्रयास किये गये। वर्ष 2008-09 में कंपनी के 4,077.90 करोड़ रुपये के प्रीमियम में से मोटर ने 1546.97 करोड़ रुपये का योगदान दिया है और यह कुल प्रीमियम का 37.94 प्रतिशत है। हालांकि वर्ष 2008-09 के कुल पोर्टफोलियो में इसने 6.40 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दिखाई है। प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों ने इसको प्रभावित किया है। जनवरी 2007 में जब से पोर्टफोलियो को शुल्क मुक्त किया है तब से बीमा बाज़ार में काफी परिवर्तनशीलता रही है। मोटर पूल ने बाज़ार में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि की है क्योंकि सभी बीमाकर्ता अब केवल तृतीय पक्ष नीति पर जोर देकर अपने आधार का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले वित्त वर्षों के दौरान बीमा बाज़ार भी वैश्विक मंदी से प्रभावित हुआ है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय ऑटोमोबाइल बाज़ार ने धीमी वृद्धि हुई जिसके कारण उत्पादन में कमी आई और जो कंपनी के लिए न्यूनतम प्रीमियम वृद्धि में परिवर्तित हो गई। प्रीमियम में कमी का कारण बाज़ार में प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए मोटर प्रीमियम दरों पर छूट देना भी था।

मोटर विभाग जनरल मोटर्स, हीरो होंडा तथा रिलायंस फ्रेश जैसे विनिर्माताओं के साथ समझौतों को लागू करने में सफल रहा है। इन विनिर्माताओं द्वारा हमें सर्वाधिक प्राथमिकता संपन्न उपभोक्ता का दर्जा दिया हुआ है और इन समझौतों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने

### MOTOR INSURANCE PREMIUM

Motor Insurance is the largest Portfolio in the Indian Non-Life Insurance Market. The growth of Automobile Sector along with the increase in the earning capacity of the Indian Consumer has resulted in tremendous growth in the Motor Portfolio in the past. This year, the efforts were to maintain a steady growth in the Motor premium along with strong management of Third Party claims. Out of the total premium of the Company of Rs. 4077.90 crores for 2008-09 Motor has contributed Rs. 1546.97 crores constituting 37.94% of the total premium. However, there was only negative growth of (-) 6.40% in the total portfolio in 2008-09. Competitive pricing has effected the growth. The insurance market is extremely volatile ever since the portfolio was set free from tariff in January 2007. The introduction of Motor Pool has also increased competition in the market because all insurers are now trying to expand base by increasing the volume of Motor Policies with emphasis on Stand Alone Third Party Policies. During the last Financial Year, the Indian Insurance Market also suffered from the effects of the world wide recession. As a result the Indian Automobile sector showed poor growth resulting in decrease in production which in turn translated into minimal premium growth for the Company. The decrease in premium was also because of the discounts offered on Motor Premium Rates in order to meet the competition in the market.

The Motor Department has been successful in implementing tie-ups with manufacturers such as General Motors, Hero Honda and Reliance Fresh. We have been given the status of preferred customer by these



## दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

के लिए कार्य कर रहे हैं। इससे आशा है कि वर्ष 2009-10 में इसके परिणाम सामने आयेंगे।

### दावे

मोटर पोर्टफोलियो के तहत दावों के प्रबंधन में सुधार करने के लिए हमने अनेक कदम उठाये हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण परियोजना स्वयं नुकसान दावों के लिए सर्विस सेंटर की अवधारणा को जारी करना था। इसमें स्वयं नुकसान दावों को सात दिन के भीतर निपटाने के लिए प्रभावी तथा अचलित सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यालय खोलना शामिल है। इस प्रकार के सेवा केंद्र 15 स्थानों पर स्थापित किये गये हैं और इनमें आज 200 कार्यालय कार्य कर रहे हैं। इन पहलों के कारण हम प्रीमियम दरों में गिरावट के बावजूद मोटर ओडी हानि अनुपात को अर्जित प्रीमियम जोकि 58 प्रतिशत है, पर बनाये रखना चाहते हैं जो लगभग पिछले वर्ष के बराबर है।

इसी प्रकार की अवधारणा टीपी मोटर दावों की प्रक्रिया के लिए केंद्रीयकृत हब का आरंभ करना है। इस समय हमारे पास 15 केंद्रों पर तृतीय पक्ष हब है चालू वित्त वर्ष के अंत तक इनका विस्तार कर इनकी संख्या 47 कर दी जाएगी। साथ ही साथ निपटारा सुविधा के लिए डिविज़नल इनहाउस कॉन्साइलेशन कमेटी तथा पीशनल इनहाउस कॉन्साइलेशन कमेटी पुनरूत्थान अवधारणा को जारी किया गया है। तृतीय पक्ष हब मामलों में रज़ामंदी निपटारों पर ज़ोर दिया जा रहा है और कोर्ट निपटारों की बजाय टीपी हबों की ओर रूख करने की वकालत की जा रही है।

कुल हानि में मामूली सी वृद्धि हुई है यानि वर्ष 2007-08 में 103.57 प्रतिशत से बढ़कर यह वर्ष 2008-09 में 105.90 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2008-09 में मोटर ओडी पोर्टफोलियो हानि 58.68 प्रतिशत थी पिछले वर्ष 59.87 प्रतिशत थी और वर्ष 2008-09 में मोटर टीपी पोर्टफोलियो 170.19 प्रतिशत था जो पिछले वर्ष 2007-08 में 168.58 प्रतिशत था।

तृतीय पक्ष दावा फाइलों की प्रक्रिया का व्यवस्थीकरण और विभिन्न तरीकों से उनका निपटारा अन्य लक्ष्य है। मुख्य जोर समझौतों तथा लोक अदालतों में पड़े मामलों की समीक्षा पर है। बंद पड़े मामलों की पहचान करने के लिए कोर्ट सर्च के अच्छे परिणाम आये हैं कि पिछले वित्त वर्ष में हमारे निपटारों का अनुपात 23 प्रतिशत से बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया है। अनेक राज्यों में उच्च न्यायालयों में बड़ी लोक अदालतें आयोजित की गई हैं और इनमें रिकॉर्ड संख्या में मामलों को निपटारा किया गया है। उच्चतम न्यायालय स्तर पर चार लोक अदालतें बेहद सफल रही हैं और हम लोक अदालतों के दौरान दावाकर्ताओं को चैक देने में सक्षम है।

### नई पहलें

वर्ष के दौरान उपभोक्ताओं की सेवा के लिए कुछ महत्वपूर्ण पहलें “माई टीवीएस” हैल्पलाइन सर्विसज़ के साथ समझौता करना था जहां पर पैसेन्जर कार क्षेत्र में सभी “ओरिएण्टल” उपभोक्ताओं को मुफ्त कार हैल्पलाइन सेवा मुहैया कराई जाएगी। ये सेवाएं “ओरिएण्टल” उपभोक्ताओं के लिए निशुल्क है। हमने उपभोक्ताओं के लिए

manufacturers and are working towards extracting the maximum advantage from these tie-ups. These are expected to yield results in 2009-10.

### CLAIMS

We have taken many measures to improve the management of claims under the Motor Portfolio. One of the important projects was introduction of concept of Service Centre for Own Damage claims. This involved setting up offices dedicated to prompt and efficient service, with a turn around time of seven days for settlement of Own Damage claims. Such service Centers have been introduced at 15 locations and cover 200 offices today. With these initiatives we were able to maintain the Motor OD loss ratio on earned premium at 58%, almost at same level as last year, despite fall in premium rates.

A similar concept was the introduction of centralized Hubs for processing of TP Motor Claims. At present, we have Third Party Hubs at 15 centers and will extend the number to 47 by the end of the Financial Year. Simultaneously, revival of Divisional Inhouse Conciliation Committee and Regional Inhouse Conciliation Committee concept has been initiated to facilitate settlements. There is an emphasis on compromise settlement of cases at Third Party Hubs and claimants Advocates are flocking to TP Hubs for out of court settlements.

The overall net loss increased very marginally i.e. from 103.57% in 2007-08 to 105.90% in 2008-09. The loss ratio in Motor OD portfolio in the year 2008-09 was 58.68 % as against 59.87 % in the previous year and in Motor TP portfolio it was 170.19 % in 2008-09 as against 168.58 % in the year 2007-08.

Systemizing the processing of Third Party Claim Files and increasing the disposal of the same by various means was another target. The strong emphasis on conciliation and Lok Adalats review of all outstanding claims, Court search for identifying closed cases have yielded good results in that our settlement ratio has increased to 30% from 23% in the last Financial Year. Mega Lok Adalats have been organized at High Courts in many States and a record number of claim settlements were concluded. Four Lok Adalats at Supreme Court level have been extremely successful and we were able to hand over the cheques to claimants during the Lok Adalats itself.

### NEW INITIATIVES

Some of the important initiatives for customer service during the year were tie-up with “My TVS” helpline services whereby free car helpline service would be provided to all “Oriental” customers in the Passenger Car segment. These services are free of charge for Oriental’s customers.



अतिरिक्त सेवा के रूप में कंपनी के वेबसाइट के होमपेज पर दुपहिया, निजी कार तथा वाणिज्यिक वाहनों के लिए मोटर नीति को भी लोड कर दिया है ताकि यह नीति हर समय उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध रहे।

मोटर नीतियों की छपाई तथा उन्हें भेजने के लिए जयपुर में एक केंद्रीकृत परीक्षण योजना को सफलतापूर्वक आरंभ किया गया है और इसे चालू वित्त वर्ष में अन्य केंद्रों में भी विस्तार करने का प्रस्ताव है। हमने “मैटल एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन” के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं जहां मोटर मरम्मत को ई-ऑक्शन के द्वारा निपटाया जाएगा न कि उपभोक्ता को बुलाकर जैसा कि अब तक हो रहा है।

### नई नीतियां

“ओरिएण्टल” भी पहली गैर-जीवन बीमा कंपनी है जो बाजार में ‘निल डेप्रिसिएशन कवर’ तथा ‘कवर फॉर पर्सनल इफेक्ट’ नामक दो नये कवर उतार रही है। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के समक्ष अन्य दो ‘एड ऑन कवर’ पंजीकृत कराये हैं और प्रक्रिया में हैं। मोटर विभाग में अनुसंधान तथा विकास एक सतत प्रक्रिया है अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्तियों के साथ-साथ भारत में मोटर बाजार कर शोध किया गया है ताकि उन कवरों की पहचान की जा सके जो हमारे उपभोक्ताओं को तो स्वीकार्य हों ही तथा संगठन के लिए भी सस्ती हों।

### ग्रामीण बीमा

ग्रामीण तथा सामाजिक क्षेत्र उत्पादों की बिक्री करना हमारे उन क्षेत्रों में से एक है जिन पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमने ग्रामीण बीमा उत्पादों की बिक्री से आधार प्रीमियम 123.94 करोड़ रुपये के बराबर प्रीमियम के मुकाबले 149.87 करोड़ रुपये का प्रीमियम अर्जित किया है यह 20.93 प्रतिशत की वृद्धि है और अर्जन 49.76 प्रतिशत दावों से हुआ है जो हमारे लिए लाभता का सकारात्मक लक्षण है।

पिछले वित्त वर्ष में हमारी उपलब्धि संबंधित राज्य सरकारों के साथ गठबंधन से केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना नामक पोलिसी को आरंभ करना था। यह पोलिसी गरीबी रेखा से जीवनयापन करने वाले परिवारों की स्वास्थ्य बीमा जरूरतों को पूरा करने के लिए है। यह योजना पूरी तरह से लागत तथा कागज़ रहित है। हमने दिल्ली तथा बिहार दो राज्यों के लिए टेन्डर आबंटित किये हैं और 5,99,369 परिवारों को इसमें शामिल कर 7.50 करोड़ रुपये का प्रीमियम अर्जित किया।

हमने पिछले वर्ष के 1,54,200 लोगों के मुकाबले इस वर्ष 1,79,433 लोगों को ‘यूनिवर्सल हेल्थ इश्योरंस स्कीम’ के तहत शामिल किया।

चालू वित्त वर्ष के दौरान 40 सूक्ष्म बीमा एजेंटों को जोड़ा है अतः इससे वित्त वर्ष 2008-09 के अंत तक सूक्ष्म एजेंटों की संख्या 1967 हो गई जिन्होंने 15 माइक्रो ग्रामीण उत्पादों की बिक्री कर 1.82 करोड़ रुपये का प्रीमियम अर्जित किया है।

We have also uploaded the Motor Policy wordings for two wheelers, Private Car and Commercial Vehicles on the home page of Company's website as an additional service for customers so that the policy wordings shall be available at all times.

A pilot project on centralization of printing and dispatch of motor policies was successfully launched at Jaipur and it is proposed to extend the same to other centers in current financial year.

We have signed a Memorandum of Understanding with Metal and Scrap Trading Corporation whereby all Motor salvage will be disposed off by **e-auction** and not by calling tenders as is the practice till date.

### NEW POLICIES

“Oriental” has also been first Non-Life Insurance Company to introduce new covers in the market namely “Nil Depreciation Cover” and the “Cover for Personal Effects”. Other Add-on covers have been filed with Insurance Regulatory & Development Authority and are under process. Research & Development in the Motor department is a continuous process whereby worldwide International trends as well as the Motor Market in India are researched to identify the covers which are acceptable to our customers and at the same time result in lowering of costs for the Organization.

### RURAL INSURANCE

Selling of Rural and Social Sector products is one of our focus area. We have procured Rs.149.87 crores premium by selling Rural Insurance products against the base premium of Rs.123.94 crores with a growth rate of 20.93% and this premium was procured with favorable Incurred Claim Ratio of 49.76 % which shows a positive sign of profitability.

Our achievement in the previous financial year was a newly introduced policy namely Rashtriya Swasthya Bima Yojna of Central Govt. with the collaboration of respective State Governments. This policy is for covering their health insurance needs of families falling below the poverty line. The scheme is totally cashless and paperless. We have been awarded tender for 2 states i.e. Delhi and Bihar and we have procured premium of Rs.7.50 crores by covering 599369 families.

We have covered 179433 persons under Universal Health Insurance Scheme as against 154200 persons last year.

During current financial year, we have added 40 Micro Insurance Agents thus increasing the total number to 1967 micro insurance agents by the end of financial year 2008-09, who have procured Rs.1.82 crores premium by selling 15 micro insurance products.

We have entered into a tie-up with Central Wool



## दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

देशभर में भेड़ तथा बकरी बीमा के लिए हमने केंद्रीय वूल विकास बोर्ड के साथ समझौता किया है और इसमें 3,93,000 भेड़ों को शामिल किया गया जिससे 97.31 लाख रुपये का प्रीमियम अर्जित किया और 105 लाख रुपये के दावों का भुगतान किया।

हमने पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य निदेशालय के साथ भी एक समझौता किया है जिसके तहत हमने इसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिज़ोरम, सिक्किम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों के पशुओं को शामिल किया गया है।

ग्रामीण बीमा उत्पादों की बिक्री पर और अधिक ध्यान देने के लिए हमने उत्तर, पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम आंचलों के लिए चार आंचलिक ग्रामीण बीमा विकास कार्याशाला का आयोजन किया है।

वित्त वर्ष 2008-09

Development Board for covering sheep and goat insurance throughout India and procured Rs.97.31 lacs by covering 393000 sheep and paid claims amounting to Rs.105 lacs.

We have also entered into an tie-up with Directorate of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries under which we have covered Cattle under various districts of Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Haryana, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Manipur, Mizoram, Sikkim, Tamil Nadu and West Bengal.

To focus more on selling of Rural Insurance products, we have organized four Zonal Rural Insurance Development Workshops for North, East, South and West Zones.

Financial Year 2008-09

### लोकप्रिय ग्रामीण बीमा योजनाओं का कार्य प्रदर्शन PERFORMANCE OF POPULAR RURAL INSURANCE SCHEMES

पॉलिसी का नाम	पॉलिसियों की संख्या	रक्षित संख्या	प्रीमियम (रु. लाखों में)	प्रारंभ में बकाया दावों की संख्या	सूचित किये दावों की संख्या	निराकृत दावों की संख्या	अंत में बकाया दावों की संख्या	अदत्त दावे (रु. लाखों में)	दावों का अनुपात %
Name of Policy	No. of Policies	Number Covered	Premium (Rs. in Lacs)	No. of claims O/s at the Beg.	No. of claims reported	No. of claims settled	No. of claims O/s at the end	Incurred claims (in lacs)	Claims Ratio %
जनता व्यक्तिगत दुर्घटना Janta Personal Accident	409416	6733885	3649.29	1913	1419	2663	669	3068	84.06
ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना Gramin Personal Accident	17027	235641	27.69	20	979	989	10	23.28	84.06
राज राजेश्वरी Raj Rajeshwari	50663	167384	70.88	168	28	96	100	28.85	40.70
भाग्यश्री Bhagyashree	7415	19424	8.00	1	28	7	22	1.36	17.01
पशुधन Cattle	170555	1064160	4800.36	3540	36995	30038	10497	2528.57	52.67
कृषि पम्पसेट Agri-Pumpset	4792	31660	85.22	410	-36	341	33	12.12	14.23
किसान पैकेज पॉलिसी Kisan Package Policy	123319	3270126	4176.61	881	1725	1807	799	1116.95	26.74
यूएचआईएस UHS	116283	272388	681.31	636	10069	9571	1134	302.10	44.34
अन्य (ग्रामीण बीमा) OTHERS(Rural Insurance)	47575	437273	1487.62	3251	14150	15764	1637	375.94	25.30



वित्त वर्ष 2007-08  
Financial Year 2007-08

पॉलिसी का नाम Name of Policy	पॉलिसियों की संख्या No. of Policies	रक्षित संख्या Number Covered	प्रीमियम (रु. लाखों में) Premium (Rs. in Lacs)	प्रारंभ में बकाया दावों की संख्या No. of claims O/s at the Beg.	सूचित किये दावों की संख्या No. of claims reported	निराकृत दावों की संख्या No. of claims settled	अंत में बकाया दावों की संख्या No. of claims O/s at the end	अदत्त दावे (रु. लाखों में) Incurred claims (in lacs)	दावों का अनुपात % Claims Ratio %
जनता व्यक्तिगत दुर्घटना Janta Personal Accident	306163	5035622	2728.95	5769	4656	8512	1913	2658	97.39
ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना Gramin Personal Accident	12733	176213	20.71	0	126	106	20	8.57	41.38
राज राजेश्वरी Raj Rajeshwari	19742	65225	27.62	11	342	185	168	44.66	161.69
भाग्यश्री Bhagyashree	3889	10187	4.20	2	9	10	1	2.00	47.67
पशुधन Cattle	129226	806293	3637.14	4800	30829	32089	3540	3336.54	91.74
कृषि पम्पसेट Agri-Pumpset	6354	41977	112.99	342	549	481	410	-142.88	-126.45
किसान पैकेज पॉलिसी Kisan Package Policy	51137	1356027	1731.92	238	1325	682	881	303.45	17.52
यूएचआईएस UHS	116876	273775	684.78	141	3485	2990	636	271.03	39.58
अन्य (ग्रामीण बीमा) OTHERS(Rural Insurance)	110166	1012555	3444.75	7255	13970	17974	3251	685.18	19.89
<b>वित्त वर्ष 2006-07 Financial Year 2006-07</b>									
जनता व्यक्तिगत दुर्घटना Janta Personal Accident	535828	4083558	2637.88	5616	3201	3048	5769	1818	69.00
ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना Gramin Personal Accident	21323	366319	54.94	3	21	24	0	-1.18	-2.00
राज राजेश्वरी Raj Rajeshwari	32406	462813	70.35	11	75	75	11	-3.96	-6.00
भाग्यश्री Bhagyashree	13768	24564	16.37	20	24	42	2	2.04	12.00
पशुधन Cattle	161401	865251	3690.82	4906	19352	19458	4800	2689.98	73.00
कृषि पम्पसेट Agri-Pumpset	21963	41625	168.18	1192	632	1482	342	-221.55	-132.00
किसान पैकेज पॉलिसी Kisan Package Policy	18958	1427236	259.24	195	508	465	238	196.44	76.00
यूएचआईएस UHS	75186	147096	686.94	0	2356	2215	141	106.63	15.52
अन्य (ग्रामीण बीमा) OTHERS(Rural Insurance)	366119	1318936	6412.38	27078	13290	33113	7255	1513.28	23.60



## दि ओरिण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

### वित्त वर्ष 2005-06 Financial Year 2005-06

पॉलिसी का नाम Name of Policy	पॉलिसियों की संख्या No. of Policies	रक्षित संख्या Number Covered	प्रीमियम (रु. लाखों में) Premium (Rs. in Lacs)	प्रारंभ में बकाया दावों की संख्या No. of claims O/s at the Beg.	सूचित किये दावों की संख्या No. of claims reported	निराकृत दावों की संख्या No. of claims settled	अंत में बकाया दावों की संख्या No. of claims O/s at the end	अदत्त दावे (रु. लाखों में) Incurred claims (in lacs)	दावों का अनुपात % Claims Ratio %
जनता व्यक्तिगत दुर्घटना Janta Personal Accident	295967	4194974	1259.74	3366	5639	3389	5616	886	70.31
ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना Gramin Personal Accident	31474	255311	21.44	3	148	148	3	7.43	34.65
राज राजेश्वरी Raj Rajeshwari	10979	205791	77.74	11	94	94	11	14.19	18.25
भाग्यश्री Bhagyashree	7012	31430	17.86	19	8	7	20	1.77	9.91
पशुधन Cattle	126647	397508	3258.88	6079	19899	21072	4906	2400.47	73.66
कृषि पम्पसेट Agri-Pumpset	6779	26020	241.35	997	913	718	1192	30.80	12.76
किसान पैकेज पॉलिसी Kisan Package Policy	26310	1253026	367.18	47	393	245	195	257.68	70.18
यूएचआईएस UHS	36484	142586	298.93	394	1570	1964	0	135.37	45.28
अन्य (ग्रामीण बीमा) OTHERS(Rural Insurance)	117268	777498	5061.87	26733	5713	5368	27078	1122.47	22.18
<b>वित्त वर्ष 2004-05 Financial Year 2004-05</b>									
जनता व्यक्तिगत दुर्घटना Janta Personal Accident	818924	2825249	1092.51	1650	5369	3653	3366	1127	103.00
ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना Gramin Personal Accident	71800	214943	43.22	3	99	99	3	70.95	164.00
राज राजेश्वरी Raj Rajeshwari	9726	283052	76.63	11	349	349	11	70.95	92.59
भाग्यश्री Bhagyashree	69259	79331	14.52	25	2	8	19	-0.26	-1.79
पशुधन Cattle	224503	630876	2971.75	6920	17525	18366	6079	2523.54	84.92
कृषि पम्पसेट Agri-Pumpset	24944	39935	243.58	983	7713	7699	997	5.62	2.31
किसान पैकेज पॉलिसी Kisan Package Policy	9896	1874253	338.63	29	1319	1301	47	187.37	55.33
यूएचआईएस UHS	40865	107858	265.52	234	2493	2333	394	109.85	41.37
अन्य (ग्रामीण बीमा) OTHERS(Rural Insurance)	175882	893462	5219.09	27378	3149	3794	26733	942.03	18.05





अरूण गुप्ता Arun Gupta  
मुख्य सतर्कता अधिकारी Chief Vigilance Officer

ईमानदारी बहुत अधिक लाभकर है, लेकिन लोगों में इसे आजमाने की सहनशक्ति नहीं है।

स्वामी विवेकानन्द

आज के प्रतिस्पर्धी दौर में, कॉर्पोरेट शासन सार्वजनिक और निजी क्षेत्र-दोनों तरह की सभी कम्पनियों के लिए मुख्य केंद्र बनकर उभरा है। अच्छा कॉर्पोरेट शासन संगठन की प्रणालियों और सेवाओं में निरंतर सुधार सुनिश्चित करता है।

हमारे संगठन में, हम सतर्कता को सुशासन का महत्वपूर्ण घटक मानते हैं। यह आवश्यक है कि शासन को मूल्यों, जवाबदेही और पारदर्शिता की आवश्यकता होती है। हालांकि उच्च स्तर की पारदर्शिता तो नजर आती है, लेकिन, यदि हमें अपने संगठन के सेवा स्तर सुधारना है तो स्पष्ट रूप से सभी स्तरों पर जवाबदेही का स्तर बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।

बिजनेस की प्रकृति, खराब आंतरिक नियंत्रण, विक्रेता एवं कर्मचारियों एवं प्रबंधन के बीच नियंत्रण की अवहेलना के लिए सांठगांठ के कारण बीमा कंपनियां कपटपूर्ण जोखिम के प्रति संवेदनशील हैं। कमजोरियों के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर पर्याप्त रूप से ध्यान देने और उन्हें दूर करने की आवश्यकता है।

आज के बिजनेस माहौल में प्रतिभा सबसे बड़ी चुनौती है। वर्तमान परिदृश्य में संगठन की सफलता के लिए, यह आवश्यक है कि ईमानदार और कार्यकुशल कर्मचारियों के जरिए गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।

भ्रष्टाचार के जोखिम से लड़ाई में बचाव बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावी साधन है। प्रणालियां, प्रक्रियाएं और आंतरिक नियंत्रण महत्वपूर्ण

“HONESTY IS MORE PAYING,  
ONLY PEOPLE HAVE NOT THE  
PATIENCE TO PRACTICE IT”.

SWAMI VIVEKANAND

In today's competitive environment, corporate governance has emerged as a major focus for all companies, both in the public and private sectors. Good corporate governance ensures continuous improvement of systems and services of an organization.

In our organization, we envision vigilance as a critical component of good governance. It is essential that governance needs to be done with ethics, accountability and transparency. Whilst there appears to be a high level of transparency, **there is apparently an urgent need to enhance the level of accountability at all levels**, if we are to improve the service levels of our Organization.

Insurance companies are vulnerable to fraud risk due to nature of business, poor internal controls, collusion between vendors and employees and management override of controls. These are the areas of weaknesses which need to be looked into and addressed to adequately.

Talent is the greatest challenge in today's business environment. For an Organization to succeed in the present scenario, it is necessary that quality services are provided by honest and efficient employees.

Prevention is the most important and effective tool in fighting the menace of corruption. Systems, procedures



## दि ओरिण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

निरोधक सतर्कता नियंत्रण हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि अधिकारियों को अपने निजी लाभ के लिए संलग्न न होने की अनुमति न दी जाए।

पिछले वर्ष के दौरान हमारे संगठन ने प्रबंधन में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की। मोटर पोर्टफोलियो में अंडरराइटिंग और दावे निपटाने संबंधी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। बिजनेस के अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है।

अंडरराइटिंग को सुधारने, और सर्वेयर, निरीक्षण कर्ताओं, एवं वकीलों जैसे गुणवत्तापूर्ण पेशेवरों का पैनल बनाने के महत्व पर जोर देने से संगठन की समग्र कार्यप्रणाली पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हालांकि कार्य दक्षता और जवाबदेही को सुधारने के लिए तृतीय पक्ष प्रशासकों की कार्यप्रणाली पर निगरानी तंत्र आवश्यक है।

आमतौर पर कहा जाता है कि सेवाओं में चहुंमुखी सुधार किया गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। वास्तविक सेवा देने के लिए आपको ग्राहक को कुछ ऐसा अतिरिक्त देना चाहिए जिसे धन के साथ नहीं तोला जा सकता और वह है प्रतिबद्धता एवं सत्यनिष्ठा।

वर्ष 2008-09 और 2007-08 के लिए सतर्कता के मामलों का तुलनात्मक लेखा-जोखा नीचे दिया गया है। ध्यान दें कि वर्ष 2007-08 की तुलना में वर्ष 2008-09 में दर्ज सतर्कता मामलों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है और लम्बित मामलों में भी गिरावट का रुख देखा गया है।

and internal controls are significant preventive vigilance controls. It is therefore important that officials are not allowed to dilute them for personal gains.

Our Organization during the last year has initiated process of change management. Significant improvements in areas relating to underwriting and claims settlement have been made in the motor portfolio. Similar improvements in other segments of business are also required to be made.

The emphasis on improved underwriting, the importance of empanelling quality professionals as surveyors, investigators and lawyers have had a positive impact on the overall working of the Organization. The monitoring system on the working of Third Party Administrators however needs to be in place for improved efficiency and accountability.

Generally speaking, there has been all around improvement in services, but a lot more needs to be done. To give real service you must give the customer some add ons that cannot be measured with money and that is commitment and integrity.

A comparative statistics of vigilance cases for the years 2008-09 and 2007-08 is given below. It is noted that the number of vigilance cases registered in the year 2008-09 have reduced substantially as compared to the year 2007-08 and the number of pending cases has also shown downward trend.

विवरण PARTICULARS	2008-09	2007-08
अधिशेष OPENING BALANCE	94	190
वर्ष के दौरान पंजीकृत मामले CASES REGISTERED DURING THE YEAR	57	93
वर्ष के दौरान जिन मामलों में कार्य करना था वो निपटाये गए मामले CASES DISPOSED DURING THE YEAR WHERE NO ACTION WAS REQUIRED TO BE TAKEN	61	103
वर्ष के दौरान जहां पर आरडीए अनुशंसित किया गया था निपटाये गए मामले CASES DISPOSED DURING THE YEAR WHERE R.D.A. WAS RECOMMENDED	55	86
इतिशेष CLOSING BALANCE	35	94



## नई दिशा परियोजना की उपलब्धियां

गत वर्ष शुरू किए गए व्यापारिक रूपांतरण के कार्य ने इस वर्ष गति पकड़ी और वर्तमान प्रयासों अर्थात मोटर दावों के सर्विस सेन्टर तथा अग्नि (एजेन्सी फलीभूत प्रयास) के एकीकरण के अतिरिक्त बहुत से अन्य प्रयास भी आरंभ किए जा चुके हैं। वर्तमान बाजारी दशाओं को ध्यान में रखते हुए आगामी तीन वर्षों के लिए व्यापार की योजना तैयार की जा चुकी है। भारतीय बाजार में सकल लिखित प्रीमियम के आकार के प्रतिरूपण हेतु व्यापार के चार वर्गों की पहचान कर ली गई है। इनके नाम हैं - मोटर, स्वास्थ्य, अन्य फुटकर कार्य, ग्रामीण एवं औद्योगिकी कार्य (अग्नि, समुद्री रास्ते से माल भेजना, जहाजी बेड़ा, इंजीनियरिंग, विमानन और देनदारियां)। इन व्यापारिक वर्गों के साथ-साथ विकास और लाभदेयता जैसे पहलुओं पर भी कंपनी की व्यापार नीति अपना ध्यान केंद्रित करेगी।

कंपनी की रणनीति का उद्देश्य वर्तमान वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण और नई प्रणालियों जैसे कॉल सेन्टर, वेब पोर्टल आदि के सृजन के साथ-साथ प्रतिस्पर्धात्मक उत्पाद विकसित करना है। ग्राहक सेवा भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके अंतर्गत दावों और पॉलिसी डिलीवरी का शीघ्र निपटान व्यापार नीति का एक महत्वपूर्ण भाग होगा।

31-03-2009 तक 'नई दिशा' के विभिन्न महत्वपूर्ण प्रयासों पर ताज़ा जानकारी निम्नलिखित है:-

- सर्विस सेन्टर:** वर्ष के दौरान 10 नए क्षेत्रीय केंद्रों को शामिल किया गया है जिसमें 17000 दावों का निपटान किया गया है। एक सेन्टर पर प्राथमिकता आधार पर पॉलिसी डिलीवरी और गैर-मोटर दावों के निपटान का कार्य शुरू किया जा चुका है। औसत टीएटी को 30 दिन तक लाया जा चुका है जिसमें मोटर संबंधित नुकसान के दावों के लिए 90 प्रतिशत से अधिक का निपटान अनुपात प्राप्त किया गया है।
- अग्नि:** विभिन्न प्रचालन कार्यालयों में नियुक्त किए गए 223 एजेन्सी प्रबंधकों सहित 20 क्षेत्रीय कार्यालयों को शामिल किया गया है जो 2892 प्रत्यक्ष रूप से कार्य रहे एजेन्टों को सेवा मुहैया करा रहे हैं। वर्ष 2008-09 में प्रत्यक्ष एजेन्ट व्यापार में 35 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है जिसमें 15 करोड़ रु से अधिक राशि एकत्रित की गई है।
- कोरपोरेट व्यावसायिक यूनिटें:** औद्योगिक गृहों के व्यवसाय को अपना लक्ष्य बनाने के लिए प्रमुख शहरों में विशिष्ट कार्यालयों की योजना बनाई गई है। 8 सीबीयू पहले से ही कार्यरत है और 37 करोड़ रु के नए प्रीमियम सहित बहुत से नए ग्राहकों को इसमें जोड़ा गया है।
- ब्रोकर्स डीओ:** मध्यस्थों की व्यापारिक जरूरतों को पूरा करने के लिए स्पेशल चैनल वाले प्रचालन कार्यालय खोले गए हैं। वित्तीय वर्ष 2008-09 में दो पायलट ब्रोकर्स ऑफिस खोले गए थे और वर्तमान वर्ष में 5 नए कार्यालय खोलने की योजना बनाई गई है। केवल तीन महीनों में ही इन दानों कार्यालयों में 5.20 करोड़ रु. की राशि का प्रीमियम बुक कराया जा चुका है।

## ACHIEVEMENTS OF NAYEE DISHA PROJECT

The Business transformation exercise, which started last year gained momentum this year and besides consolidating the existing initiatives i.e service centers for motor claims and AGNI (agency nurturing initiative), many new initiatives have been started. The business plan for the next three years has been developed keeping in view the present market conditions. Four lines of business have been identified for projecting the size of the gross written premium in the Indian market. These are: Motor, Health, Other Retail, Rural and Industrial Lines (Fire, Marine cargo, Marine Hull, Engineering Aviation and Liability). The Business Strategy of the company will focus on growth & profitability along these business lines.

The strategy envisages developing competitive products alongwith strengthening existing distribution channels & creating new channels e.g call center, web portal. Customer service is also a key area with quicker claims settlement & policy delivery an important part of the overall business strategy.

A brief update on various important 'Nayee Disha' initiatives as on 31-03-2009 is given below:

- Service Centers:** 10 more regional cities covered during the year with 17000 claims settled. A policy delivery and non-motor claim settlement on pilot basis has been started in one service center. Average TAT has been brought down to 30 days with settlement ratios above 90% for motor own damage claims.
- AGNI:** 20 Regional Offices covered with 223 Agency Managers appointed in various operating offices, servicing 2892 direct agents. 35% growth registered in direct agents business in 08-09 with an accretion of over Rs15 crores.
- Corporate Business Units:** Specialized offices have been planned in major cities to target the business of industrial houses. 8 CBUs are already functional and many new clients have been added with Rs 37 crores new premium brought in.
- Brokers DO:** Operating offices with special channel focus on catering to broker's business requirements. 2 pilot broker offices were opened in FY 2008-09 and 5 more are planned in the current year. Rs 5.20 crore premium has been booked in these two offices in just over three months



## दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

5. **टीपी हब्स:** केंद्रीयकरण के माध्यम से टीपी दावों के कुशल निपटान हेतु थर्ड पार्टी क्लेम हब बनाए गए हैं। देशभर में 15 टीपी हब खोले गए हैं जो कंपनी का 17 प्रतिशत थर्ड पार्टी क्लेम को निपटाने का कार्य कर रहे हैं। 40 प्रतिशत से अधिक निपटान अनुपात के साथ टीपी दावों का शीघ्रतापूर्वक निपटान, भुगतानों में उल्लेखनीय बचत प्रदान करेगा।
6. **मोटर टाई-अप और मूल्यांकन:** आंकड़ा विश्लेषण और प्रबंधन की आंतरिक क्षमताओं के विस्तार द्वारा जोखिम आधारित मूल्यांकन तंत्र विकसित किया जाना है। दीर्घकालीन आधार पर ऑटो क्षेत्र ओईएम और डीलरों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए कंपनी एक योजना बनाना चाहती है। हमने एचएमएसई और जनरल मोटर्स के साथ पहले से ही संबंध बना चुके हैं।
7. **प्रोजेक्ट शाइन - हेल्थ 1000:** प्रोजेक्ट शाइन का उद्देश्य बाजार की मांग के अनुसार नए उत्पाद लाना और मौजूदा उत्पादों को नया बनाना है। “सीनियर सिटीजन्स - होप” और “फेमिलीज - हेप्पी फेमिली “लोट” जैसे नए उत्पाद बाजार में आ चुके हैं और प्रतियोगी कीमतों पर बेचे जा रहे हैं। मौजूदा उत्पादों को नया बनाया जा चुका है। इन प्रयासों के चलते पिछले वर्ष की तुलना में सकल आधार पर हेल्थ पोर्टफोलियो 177 करोड़ ₹0 (33 प्रतिशत) तक बढ़ गया है।
8. **स्वास्थ्य प्रयास: टीपीए और आईसीआर में कमी की मॉनीटरिंग:** स्वास्थ्य प्रबंधकों को नेटवर्क सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में फैला दिया गया है। एसएलए की व्याख्या कर 14 बड़े टीपीए के साथ हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। “लोट सिस्टम को पूरे देश में कोर बैंकिंग प्रणाली से बदल दिया गया है।
9. **कॉल सेन्टर और पोर्टल:** कंपनी इन दो अतिरिक्त वितरण चैनलों पर कार्य कर रही है। जब यह कार्य आरंभ हो जाएगा तब इससे कंपनी को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा।
5. **TP Hubs:** Third Party Claims Hubs for efficient disposal of TP claims through centralization. 15 TP Hubs have been opened across the country covering 17% of Third Party claims of the company. With a settlement ratio of more than 40%, speedy disposal of TP claims would result in substantial savings in payouts.
6. **Motor Tie-ups and Pricing:** Risk based pricing mechanism is to be developed, by enhancing internal capabilities of data analysis and management. The company plans to establish vital tie-ups with Auto sector OEMs and dealers on a lasting basis through its dedicated tie-up divisions. We have already tied up with HMSI and General Motors.
7. **Project Shine- Health 1000:** Project Shine aims at launching new innovative products and updating the existing ones as per demands of the market. New products for “Senior Citizens- HOPE” and “Families-Happy Family Floater” are in the market and selling competitively. Existing products have been updated. As a result of the initiatives taken, health portfolio has grown by 177 Crores (33%) on the gross basis over the previous year.
8. **Health Initiative: Monitoring of TPA and ICR reduction:** Health Managers network created across Regional offices. SLAs defined and signed with 14 major TPAs. Float system replaced with core banking solution throughout the country.
9. **CALL CENTRE AND PORTAL:** Company is working on these two additional distribution channels. Once it starts it will give the company a competitive edge.

हम एक 3-टॉयर संगठन को इस वर्ज स्थानांतरण करने की योजना बना रहे हैं। प्रचालन कार्यालयों में भी परिवर्तन किया जाएगा जिसमें बड़े शहरों में सर्विस सेन्टरों पर बैंक ऑफिस प्रक्रियाएं शामिल की जाएंगी। इससे व्यवसायिक विकास पर ध्यान केंद्रण करने में सहयोग मिलेगा।

कर्मचारियों को प्रेरित करने तथा नकदी रूप में प्रोत्साहित करने के लिए एचआर विभाग से संबंधित अधिकाधिक प्रयास शुरू किए जा चुके हैं। विभिन्न प्रयासों के लिए श्रमशक्ति उपलब्ध कराने के लिए पदोन्नति अभ्यास के कार्य को हाथ में लें लिया गया है। कर्मचारियों की प्रोन्नति के लिए कार्यक्षमता प्रबंधन प्रणाली को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।

We plan to shift to a 3-tier organization beginning this year. Operating offices will also undergo a change with back office processes moving to service centers in major cities. This will enable them to concentrate on business development.

Major initiatives have also been started on HR to motivate and incentivize employees. Promotional exercises have been undertaken to make manpower available for the various initiatives. A performance management system for employee incentivisation has also been finalized.



रश्मि बाजपेयी Rashmi Bajpai  
कम्पनी सचिव Company Secretary

#### कॉर्पोरेट गवर्नेन्स

##### 1. गवर्नेन्स कोड पर कंपनी का विचार

हम “ओरिएण्टल” में विश्वास करते हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेन्स व्यवहार कंपनी के चहुंमुखी विकास के लिए घटक हैं जो न केवल शेयरधारकों की संख्या को अधिकतम करेगी बल्कि उसे बनाये भी रखेगी और संगठन का दीर्घावधिक विकास करेगी। निदेशक मंडल कॉर्पोरेट गवर्नेन्स के उच्चतम मानदंडों को प्राप्त करने के लिए नैतिक मूल्यों तथा उच्च नैतिक मानदंडों में विश्वास करता है।

कंपनी न केवल कॉर्पोरेट गवर्नेन्स की सांविधिक आवश्यकताओं का पालन करेगी बल्कि बड़ी संख्या में शेयरधारकों, उपभोक्ताओं, सरकार तथा आम जनता इत्यादि के हितों की बेहतर ढंग से देखभाल करने के क्रम में कंपनी सर्वोत्तम व्यवहारों का स्वेच्छा से गंभीरतापूर्वक पालन करने का प्रयास भी करेगी।

##### 2. निदेशक मंडल

कंपनी की शत-प्रतिशत भुगतान पूंजी केंद्र सरकार के पास है और कंपनी के निदेशक मंडल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। फिलहाल कंपनी के मंडल में एक अध्यक्ष है जो प्रबंध निदेशक भी है तथा चार निदेशक हैं।

##### 2.1. निदेशकों का विवरण

निदेशकों का विवरण संग्लन कर दिया गया है-

##### 3. मंडल तथा समिति की बैठकें

वर्ष के दौरान समीक्षा तहत निदेशक मंडल की छह बैठकें निम्नलिखित तिथियों पर आयोजित हुई :-

31.05.2008	24.06.2008	30.08.2008
02.12.2008	31.01.2009	19.02.2009
लेखा समिति की निम्नलिखित तिथियों को पांच बैठक आयोजित हुई :-		
24.06.2008	30.08.2008	02.12.2008
31.01.2009	19.02.2009	

#### Corporate Governance

##### 1. Company's Philosophy on Code of Governance

We at “Oriental” believe that good Corporate Governance practices are ingredients for the all round development of the Company which would not only maximize the shareholders value but would also have sustained and long lasting development of the organisation. The Board of Directors believe in ethical values and high moral standards in achieving the highest standards of Corporate governance.

The Company shall not only comply with statutory requirements of Corporate Governance but shall also earnestly attempt to follow voluntarily the best practices of Corporate Governance in the Company in order to best serve the interests of its stakeholders i.e. Shareholders, customers, Government and Public at large.

##### 2. Board of Directors

The 100% paid-up share capital of the Company is held by the Central Government and the Directors on the Board of the Company are appointed by the Central Government. Presently, the Board comprises of the Chairman-cum-Managing Director and four Directors.

##### 2.1 Particulars of Directors

The particulars of Directors are annexed:

##### 3. Board and Committee Meetings

During the year under review, six Meetings of the Board of Directors were held on the following dates:

Five Meetings of the Audit Committee were held on the following Dates:



## दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

निवेश समिति की चार बैठकें निम्नलिखित तिथि को आयोजित हुईं

Four Meetings of the Investment Committee were held on the following Dates:

<b>24.06.2008</b>	<b>30.08.2008</b>	<b>02.12.2008</b>
<b>31.01.2009</b>		

कार्मिक उप-समिति के दो बैठकें निम्नलिखित तिथि को आयोजित हुईं

Two Meetings of the Personnel Sub-Committee were held on the following Dates:

<b>31.05.2008</b>	<b>02.12.2008</b>
-------------------	-------------------

अपील तथा स्मरण समिति की केवल एक ही बैठक 31.05.2008 को हुई।

Only one Meeting of the Appeal & Memorial Committee was held on 31.05.2008.

वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान वेतन समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई।

No meeting of Remuneration Committee was held in the financial year 2008-09.

#### 4. निदेशकों की समिति :-

#### 4. Committees of Directors

##### 4.1 मंडल की लेखा समिति

##### 4.1 Audit Committee of the Board

मंडल की लेखा समिति में सदस्य के रूप में निम्नलिखित निदेशक हैं :-

The Audit Committee of the Board presently consists of the following Directors as Members:

- 1 श्री जे.एस.एस.शास्त्री, अपर सचिव, वित्त मंत्रालय
- 2 श्री डी.वी. शाह, निदेशक
- 3 श्री एस.के. चानना, कार्यकारी निदेशक

1. Shri J. S. S. Sastry, Under Secretary, Ministry of Finance
2. Shri D. V. Shah, Independent Director, and
3. Shri S. K. Chanana, Executive Director

लेखा समिति के कार्यों में अर्द्धवार्षिक समीक्षा तथा वार्षिक वित्तीय मूल्यांकन करना, आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था का अनुपालन, कंपनी द्वारा पालन की जा रही प्रक्रिया तथा व्यवस्था की समीक्षा और वे अतिरिक्त कार्य जो समय-समय पर कंपनी अधिनियम के तहत सौंपे जा सकते हैं

The functions of Audit Committee includes review of half yearly and annual financial statements, compliance of internal control systems, review of systems and procedures followed by the Company and such additional functions as may be assigned under the Company's Act from time to time.

##### 4.2 मंडल की निवेश समिति

##### 4.2 Investment Committee of the Board

निवेश समिति का पुनर्गठन 30 अगस्त, 2008 को 377वीं बैठक में किया गया और 2 दिसंबर, 2009 को पुनः 378वीं बैठक आयोजित हुई जिसमें इसके निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :-

The Investment Committee of the Board was reconstituted in the 377th meeting held on 30th August, 2008 and again in the 378th meeting held on 2nd December, 2008. The following are its members at present:

- 1 श्री एम. रामदास, सीएमडी
- 2 श्री जे.एस.एस. शास्त्री, अपर सचिव, वित्त मंत्रालय
- 3 श्री डी.वी. शाह, निदेशक
- 4 श्री एस.के. चानना, कार्यकारी निदेशक
- 5 श्री सुरेश्वर, वित्तीय सलाहकार एवं महाप्रबंधक

1. Shri M. Ramadoss, CMD
2. Shri J. S. S. Sastry, Under Secretary, Ministry of Finance,
3. Shri D. V. Shah, Director,
4. Shri S. K. Chanana, Executive Director, and
5. Shri S. Surenter, Financial Advisor & General Manager

मंडल की निवेश समिति का मुख्य कार्य मंडल द्वारा मंजूरीप्रद निवेश नीतियों का कार्यान्वयन करना और समय-समय पर निवेश के प्रस्तावों को पारित करना है

The main functions of the Investment Committee are to implement the Investment Policy as approved by the Board and clear the Investment proposal from time to time.

##### 4.3 मंडल की कार्मिक उप-समिति

##### 4.3 Personnel Sub-committee of the Board

मंडल की कार्मिक उप-समिति में फिलहाल सदस्य के रूप में निम्नलिखित निदेशक हैं :-

The Personnel sub-committee of the Board presently consists of the following Directors as Members:

- 1 श्री एम. रामदास, सीएमडी
- 2 श्री जे.एस.एस. शास्त्री, अपर सचिव, वित्त मंत्रालय
- 3 श्री डी.वी. शाह, स्वतंत्र निदेशक

1. Shri M. Ramadoss, CMD
2. Shri J.S.S. Sastry, Under Secretary, Ministry of Finance, and
3. Shri D. V. Shah, Independent Director

कार्मिक उप-समिति का मुख्य कार्य किसी भी वर्ग के स्थानांतरण एवं गतियता से विचलन के मामलों पर विचार करना और उन

The main functions of the Personnel Sub-committee are to consider cases of deviations from Transfer and



कार्यों को करना जो उसे समय-समय पर मंडल द्वारा सौंपे जायें

#### 4.4 मंडल की अपील एवं स्मरण समिति

अपील एवं स्मरण समिति का पुनर्गठन 30 अगस्त, 2008 को 377वीं बैठक में किया गया और फिलहाल निम्नलिखित निदेशक सदस्य के रूप में हैं :-

- 1 श्री जे.एस.एस. शास्त्री, अपर सचिव, वित्त मंत्रालय
- 2 श्री डी.वी. शाह, निदेशक

मंडल की उप-समिति को अपीलीय प्राधिकरण तथा मामलों/कर्मचारियों के निश्चित वर्गों के लिए स्मरण के लिए प्राधिकरण के तौर पर निर्धारित किया है। उप-समिति का गठन जनरल बीमा (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियम, 1975 में संशोधन के बाद किया गया है जिसे 23.12.2004 को मंडल की 351वीं बैठक में अनुमोदित किया गया था

#### 4.5 मंडल की वेतन समिति

वेतन समिति का पुनर्गठन 30 अगस्त, 2008 को 377वीं बैठक में किया गया और फिलहाल निम्नलिखित निदेशक सदस्य के रूप में हैं :-

- 1 श्री जे.एस.एस. शास्त्री, अपर सचिव, वित्त मंत्रालय
- 2 श्री डी.वी. शाह, निदेशक

वेतन समिति का गठन वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा 20 जुलाई, 2007 को जारी पत्र संदर्भ संख्या. एफ. सं. एस-11012/01/2007-इंस.-3 में निर्देश के अनुसार, चेयरमैन जो प्रबंध निदेशक भी है, के कार्य निष्पादन लिंक पहलों (पीएलआई) का मूल्यांकन वेतन भुगतान करने के लिए किया गया था

#### 5 निदेशकों का वेतन

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान किया गया और कार्यकारी निदेशक को वेतन/ पारिश्रमिक वेतनमान के अनुसार दिया गया। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों तथा भारत सरकार एवं बैंकों के मनोनीत प्रतिनिधियों को बैठक करने का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। श्री डी.वी.शाह, जिन्हें 27.08.2007 को स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था, उन्हें मंडल बैठक तथा उप-समिति की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए भुगतान किया गया था।

#### 6. आमसभा की बैठक

कंपनी की पिछली तीन वार्षिक आमसभाओं की बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय ए-25/27, आसिफ अली मार्ग, नई दिल्ली में निम्नलिखित तिथियों को हुई :-

- 30 अगस्त, 2008
- 21 अगस्त, 2007
- 26 जुलाई, 2006

Mobility Policy of any class of employees and to perform any other function that might be allotted by the Board from time to time.

#### 4.4 Appeal and Memorial Committee of the Board

The Appeal and Memorial Committee of the Board was reconstituted in the 377th meeting held on 30th August, 2008. It presently consists of the following Directors as Members:

1. Shri J.S.S. Sastry, Under Secretary, Ministry of Finance, and
2. Shri D. V. Shah, Director

The sub-committee of the Board has been prescribed as the Appellate Authority and the Authority for Memorial for certain categories of employees / cases. The Sub-committee was constituted consequent upon the amendment of General Insurance (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975 which was duly approved in the 351st Board Meeting held on 23.12.2004.

#### 4.5 Remuneration Committee of the Board

The Remuneration Committee of the Board was reconstituted in the 377th meeting held on 30th August, 2008. It presently consists of the following Directors as Members:

1. Shri J. S. S. Sastry, Under Secretary, Ministry of Finance, and
2. Shri D. V. Shah, Director

The Remuneration Committee was constituted to evaluate performance of the Chairman-cum-Managing Director, for payment of Performance Linked Incentive (PLI) as directed by The Department of Financial Services, Ministry of Finance, vide letter Ref. No. F.No.S-11012/01/2007-Ins.III dated 20th July, 2007.

#### 5. Remuneration of Directors

The Chairman & Managing Director is paid salary / remuneration as fixed by the Government of India and the Executive Directors are paid salary / remuneration as per their scale of pay. No sitting fees is payable to CMD, Whole-time Directors and nominees representing Government of India and Banks. Shri D. V. Shah, who was appointed as Independent Director on 27.8.2007, was paid sitting fees for the Board meetings and sub-committee meetings attended by him.

#### 6. General Body Meeting

The last three Annual General Body Meetings of the Company were held at the Registered Office of the Company, at A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi, on the following dates:

- 30th August, 2008
- 21st August, 2007
- 26th July, 2006



# दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

## निदेशको के विवरण Particulars of Directors

क्र. सं.	निदेशक का नाम एवं अवधि	आयु	योग्यता	ओरिएण्टल में समितियों की सदस्यता	अन्य कम्पनियों में निवेशक पद	अन्य कम्पनियों में समितियों की सदस्यता	आयोजित मण्डल बैठकों की सं.	मण्डल बैठक में उपस्थित सं.	आयोजित समिति बैठकों की सं.	समिति बैठकों की उपस्थिति सं.
Sl. No.	Name of Directors and Tenure	Age in Years	Qualification	Membership of Committees in Oriental	Directorship in other Companies	Memberships of Committees in other companies	No. of Board Meetings held	No. of Board Meetings attended	No. of Committee Meetings held	No. of Committee Meetings attended
1	श्री एम. रामदास, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक (पहले 3 वर्ष हेतु 01.03.2005 को और पुनः 1.3.2008 को 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए)		एसीए, एफआईआईआई एसीआईआई (लंदन)	1. निवेश समिति 2. कार्मिक उप-समिति	1. इण्डिया इन्टरनेशनल पीटीई. लि. 2. जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. 3. जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 4. डिपॉजिट इंश्योरेंस एण्ड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन	कोई नहीं कोई नहीं 01. निवेश समिति 02. लेखा समिति	6	6	4	4
	Shri M. Ramadoss, CMD, (Appointed on 01.03.2005 for a period of 3 years and reappointed on 01.03.2008 for 2 more years)	55	ACA, FII, ACII (London)	1. Investment Committee 2. Personnel Sub Committee	1. India International Pte. Ltd. 2. GIC Housing Finance Ltd. 3. General Insurance Corporation of India Limited 4. Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation	NIL NIL 01. Investment Committee 02. Audit Committee	6	6	4	2
1	श्री जे.एस.एस. शास्त्री (3 वर्ष की अवधि हेतु दिनांक 17.05.2007 को नियुक्त किए गये)		बीएससी	1. लेखा समिति 2. निवेश समिति 3. कार्मिक उप-समिति 4. अपील एवं स्मारक समिति 5. पारिश्रमिक समिति	कोई नहीं					
	Shri J.S.S. Sastry (Appointed on 17.05.2007 for a period of 3 years)	59	B.Sc	1. Audit Committee 2. Investment Committee 3. Personnel Sub-Committee 4. Appeal & Memorial Committee 5. Remuneration	NIL	NIL	6	6	5	5
									4	4
									2	2
									1	1
									-	-





3	श्री डी.वी. शाह (3 वर्ष के लिए 28.08.2007 को नियुक्त किए गए)		54	एसीए  ACA.	1. लेखा समिति 2. निवेश समिति 3. कार्मिक उप-समिति 4. अपील एवं स्मारक समिति 5. पारिश्रमिक समिति 1. Audit Committee 2. Investment Committee 3. Personnel Sub-Committee 4. Appeal & Memorial Committee 5. Remuneration Committee	कोई नहीं  NIL	कोई नहीं  6	कोई नहीं  6	कोई नहीं  5 4 2 1 -	
4	श्री एम. के. चानना (3 वर्ष के लिए 15.12.2006 को नियुक्त किए गए) Shri S.K. Chanana (Appointed on 15.12.2006 for a period of 3 years)	एम.ए. (अर्थशास्त्र), एआईआईआई, एसीएस,एलएलबी	55	M.A/ (Eco.), AIII, ACS, LLB	1. लेखा समिति 2. निवेश समिति 1. Audit Committee 2. Investment Committee	कोई नहीं  1 Audit Committee NIL	कोई नहीं  6	कोई नहीं  5 4	5 4 2 1 -	
5	श्री डी. सिंह (19.06.2009 को 30.09.2011 तक नियुक्त किये गए) Shri D. Singh (Appointed on 19.06.2009 till 30.09.2011)	बी.ए. डी.बी.एम एफआईआईआई	57	B.A. D.B.M., FIII	कोई नहीं  NIL	कोई नहीं  NA	कोई नहीं  NA	कोई नहीं  NA	5 4  NA	
पूर्व ( पिछली वार्षिक रिपोर्ट से ) : Past ( since the last Annual Report):										
1	डॉ. के. सी. चक्रवर्ती  Dr. K. C. Chakrabarty (Appointed on 12.06.2007 and ceased to be a, Director w.e.f. 2.7.2009 after his appointment as Deputy Governor, RBI)	एम.एस.सी (सांख्यिकी) पी.एच.डी. (सांख्यिकी)	57	M.Sc. (Stats) Ph.D (Stats)	1. लेखा समिति 2. निवेश समिति 3. कार्मिक उप-समिति 4. अपील एवं स्मारक समिति 5. पारिश्रमिक समिति 1. Audit Committee 2. Investment Committee 3. Personnel Sub-Committee 4. Appeal & Memorial Committee 5. Remuneration Committee	कोई नहीं  NIL	कोई नहीं  6	कोई नहीं  5	कोई नहीं  5 4 2 1 1 --	



दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

## Glimpses from Board Meeting

मंडल बैठक की एक झलक



मण्डल बैठक में हमारे लेखा पर हस्ताक्षर करते हुए निदेशक  
Directors seen signing our accounts at the board meeting



मंडल बैठक में निदेशकगण  
Board of Directors at board meeting



## संकल्प वक्तव्य

"ग्राहक सेवा के उच्चतम प्रतिमानों, ठोस व्यवसायिक नैतिकताओं और सुदृढ़ वित्तीय पद्धतियों को अपनाकर गतिशील गैर-जीवन बीमाकर्ता बनना और अन्ततः बीमा उद्योग में उच्चतम ब्रान्ड इक्विटी के साथ एक सर्वोत्तम निगमित इकाई के रूप में अपनी पहचान कायम करना"।

## Vision Statement

**"To be a dynamic non-life insurer with high standards of customer service, strong business ethics and sound financial practices, and to eventually emerge as a corporate entity with the highest brand equity in the insurance industry".**



## दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

### ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

- हमने ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की 31 मार्च, 2009 तक के संलग्न तुलन पत्र, अनुबद्ध अग्नि, मैरीन और विविध बीमा राजस्व खातों और लाभ एवं हानि खातों, प्राप्तियों तथा उस तिथि तक वर्षात के लिए भुगतान खातों की लेखा परीक्षा की है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं (1) तेईस क्षेत्रीय कार्यालय, तीन सौ बीस मण्डल कार्यालय और कार्मिक प्रशिक्षण महाविद्यालय की अन्य चार्टरित लेखा परीक्षकों की लेखित विवरणी (2) एक विदेशी शाखा और विदेशी लेखा परीक्षकों द्वारा लेखित दो विदेशी एजेंसियों की विवरणी (3) प्रबंधन द्वारा प्रमाणित एक विदेशी रन-ऑफ एजेंसी की अलेखित विवरणी (4) जैसा कि लेखा परीक्षा पॉलिसी सं. 4.2, 5.1. a.ii और नोट सं. 36 में इंगित है, प्राप्त पुनर्बीमा संधि की विवरणी। ये वित्तीय विवरण कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में राय प्रकट करने की है।
- तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और राजस्व लेखा बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11(1) के साथ पठित कम्पनी कानून, 1956 की धारा 211 की उप-धाराओं (10), (2) और (5) तथा धारा 227 की उप-धारा (5) के प्रावधानों के अनुसार तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के भी अनुसार तैयार किए गए हैं।
- हमने आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुरूप अपने लेखा तैयार किए हैं। उन मानकों के लिए आवश्यक था कि हम यह युक्ति संगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाते और उसे निष्पादित करते कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त हैं। लेखा में जांच के आधार पर परीक्षण, राशि और वित्तीय विवरण में प्रकटनों के समर्थन में प्रमाण शामिल हैं। इस्तेमाल किए गए लेखा परीक्षा के सिद्धांतों का आकलन और प्रबंधन की ओर से लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुति का मूल्यांकन भी लेखा में शामिल है। हमे विश्वास है कि हमारा लेखा हमारी राय के लिए तार्किक आधार उपलब्ध कराता है।
- हम रिपोर्ट करते हैं कि:
  - बीमा व्यवसाय करने वाले अन्य व्यक्तियों या निकायों को/से देय बेलेंस, सीडिंग कम्पनियों के पास जमा आरक्षित और एजेंट्स का बेलेंस का समाधान/पुष्टि लंबित है (देखिए टिप्पणी 18)। समाधान/पुष्टि के समायोजन

### Auditors' Report to the Members of The Oriental Insurance Company Limited

- We have audited the attached Balance Sheet of The Oriental Insurance Company Limited as at 31st March, 2009, the annexed Fire, Marine and Miscellaneous Insurance Revenue Accounts for the year ended on that date, in which are incorporated (i) returns of twenty three Regional Offices, three hundred twenty eight Divisional Offices and the Staff Training College audited by the other firms of Chartered Accountants (ii) one Foreign Branch and returns of two Foreign Agencies audited by the overseas auditors (iii) un-audited return of one Foreign Run-off agency as certified by the Management (iv) reinsurance treaty returns to the extent received as indicated in Accounting Policy No. 4.2, 5.1.a.ii & Note No. 36. These financial statements are the responsibility of the company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
- The Balance Sheet, the Profit & Loss Account and the Revenue Accounts have been drawn in accordance with the provisions of Section 11 (I) of the Insurance Act, 1938 read with the provisions of sub-sections (I), (2) & (5) of Section 211 and sub-section (5) of Section 227 of the Companies Act, 1956 and also as per the provisions of Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) Act, 1999.
- We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards required that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- We report that :
  - Balance due to / from other persons or bodies carrying on Insurance business, Reserve Deposit with ceding companies and agents balances are pending reconciliation / confirmation. (Refer Note



- के परिणाम स्वरूप प्रभाव, यदि कोई हो, तो वे निश्चित नहीं हैं।
- ii) सेवा कर समाधान का विषय है। राजस्व पर प्रभाव, यदि कोई हो, निश्चित नहीं है।
- iii) प्रीमियम की कमी की गणना करते समय रु. 58 करोड़ के आर्तकवाद दावे और उसके फलस्वरूप राजस्व/लाभ और हानि खाते उसके प्रभाव पर विचार नहीं किया गया है। वर्तमान वर्ष के लिए रु. 21.49 करोड़ की हानि कम आंकी गई है। (देखिए टिप्पणी सं. 24)
5. ध्यान आकर्षित किया जाता (वित्तीय विवरणियों के अनुलग्नक 1 की तरफ) है-
- क) निवेश में अलेखित बेलेंस संबंधी टिप्पणी सं. 16.21
- ख) 01.04.2000 को या उसके बाद उपलब्ध कराई गई रु. 428.07 लाख की अपसामान्य हानि को उलट दिया गया है और राजस्व/ लाभ और हानि खाते में स्वीकार किया गया है, उसके संबंध में टिप्पणी सं. 16.6
- ग) संपत्ति सृजन के कुछ दस्तावेजों की अनुपलब्धता संबंधी टिप्पणी सं. 17
- घ) जीआईसी मोटर टीपी पूल के अर्पण/वापसी के लेखा संबंधी टिप्पणी सं. 23
- ङ) वेतन संशोधन के लिए तदर्थ प्रावधान संबंधी टिप्पणी सं. 25
- च) लेखा अनुमान में परिवर्तन संबंधी टिप्पणी सं. 27
- छ) पुनर्बीमा स्वीकृति के संबंध में बकाया दावा प्रावधानों संबंधी टिप्पणी सं. 36
6. उक्त पैराग्राफ 1 में इंगित लेखा परीक्षा के आधार पर, हम आगे यह रिपोर्ट करते हैं कि:
- क) हमने अपनी लेखा परीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक पूरे ज्ञान और विश्वास से सूचनाएं प्राप्त की और उनकी व्याख्या की तथा संतोषजनक पाई।
- ख) हमारी राय में, जहां तक हमारी परीक्षा के लिए लेखा बहियों के प्रकट होने की बात है कम्पनी ने कानून के अनुसार जरूरी समुचित लेखा बही रखी हैं और हमारे लेखा उद्देश्यों के लिए शाखाओं/एजेंसियों/मंडल कार्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों से पर्याप्त समुचित विवरणी प्राप्त की गई हैं।
- ग) अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखित क्षेत्रीय कार्यालयों, मंडल कार्यालयों, विदेशी कार्यालयों, विदेशी एजेंसियों
- 18). Consequential effect, if any, of adjustments upon confirmation/reconciliation, is not ascertainable.
- ii) Service Tax is subject to reconciliation. Impact on the revenue if any is not ascertained.
- iii) Terrorism claim of Rs. 58 crores has not been considered for calculating the premium deficiency and its consequential impact on revenue/Profit & Loss Account. The losses for the current year are understated by Rs. 21.49 crores. (Refer Note No. 24)
5. Attention is drawn to (Annexure I to the Financial Statements)-
- a) Note No. 16.2 regarding un-reconciled balances in investments.
- b) Note No. 16.6 regarding impairment loss of Rs. 428.07 lacs provided on or after 01.04.2000 has been reversed and recognised in Revenue/ Profit & Loss Account.
- c) Note No. 17 regarding non-availability of title documents of certain properties.
- d) Note No. 23 regarding accounting of cession /retrocession of GIC Motor TP Pool.
- e) Note No. 25 regarding ad-hoc provision for wage revision.
- f) Note No. 27 (b) regarding changes in Accounting Estimates.
- g) Note No. 36 regarding outstanding claim provisions relating to reinsurance acceptance.
6. On the basis of audit indicated in paragraph 1 above, we further report that:
- a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and found to be satisfactory.
- b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the company so far as appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from the Branches/ Agencies/Divisional Offices/Regional Offices.
- c) The report of the auditors on the accounts of Regional Offices, Divisional Offices,



## दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

- और अन्य कार्यालयों के खातों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा मुख्य कार्यालय में उपलब्ध ऐसा अन्य विवरण और उसके बारे में सूचना पर भी विचार किया गया है।
- घ) इस रिपोर्ट के अनुरूप कम्पनी का तुलन पत्र, राजस्व खाते और लाभ एवं हानि लेखा ब्यौरे लेखा बहियों और विवरणियों के साथ अनुबंध में हैं।
- ङ) लेखा नीतियां कम्पनी कानून 1956 की धारा 211 की उपधारा (3ग) के संदर्भ के लेखा परीक्षा मानकों, लागू हद के अनुरूप, तथा आईआरडीए (बीमा कम्पनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) विनियम, 2002 के प्रावधानों के भी अनुपालन में हैं।
- च) हमें उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, कम्पनी कानून, 1956 की धारा 274(1) (जी) के प्रावधान सीएलबी सामान्य परिपत्र सं. 8/2002 दिनांकित 22.03.2002 के मद्देनजर कम्पनी के निदेशको पर लागू नहीं हैं।
- छ) आईआरडीए (बीमा कम्पनियों के वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुपालन में निवेश का मूल्य लगाया गया है।
- ज) देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन विधिवत रूप से नियुक्त बीमांकिक से प्रमाणित है।
- झ) हमारी राय में और हमारी पूरी सूचना एवं हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, उक्त लेखा, महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण नीतियों और टिप्पणियों के साथ पठित तदनुसार बीमा कानून, 1938, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण कानून, 1999 और कम्पनी कानून, 1956 की आवश्यकतानुसार हैं तथा उक्त के पैरा 4 (i) (ii) और (iii) के विषयाधीन है तथा 31.03.2009 को राजस्व खाते, लाभ एवं हानि खाते और आरक्षित और अधिशेष पर इसके परिणामी प्रभाव आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा सिद्धांतों की सहमति में सत्य और स्पष्ट नजर आते हैं :
- i) 31 मार्च 2009 को कम्पनी की परिस्थिति की, तुलन पत्र के मामले में,
- ii) 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए अग्नि, मैरीन और विविध व्यवसाय में घाटे, के राजस्व खातों के मामले में।
- Foreign Branches, Foreign Agencies and other offices audited by other auditors and such other particulars and information thereon available at Head Office, have been taken into consideration;
- d) The company's Balance Sheet, Revenue Accounts and Profit & Loss Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts and returns;
- e) The accounting policies are in accordance with the Accounting Standards referred to in sub-section(3c) of section 211 of the Companies Act, 1956 to the extent applicable and also in conform it with the provisions of the IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002.
- f) As per information provided to us, the provisions of section 274 (1) (g) of the Companies Act, 1956 are not applicable to the Directors of the Company in view of CLB General Circular No. 8/2002 dated 22.03.2002.
- g) Investments have been valued in accordance with the provisions of the IRDA (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulations, 2002.
- h) The actuarial valuation of liabilities is duly certified by the Appointed Actuary.
- i) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts read with Significant Accounting Policies and Notes thereon give the information as required by the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 and the Companies Act, 1956 to the extent applicable in the manner so required and subject to Para 4(i), (ii) and (iii) above and its consequential impact on Revenue Account, Profit & Loss Account and Reserves and Surplus as on 31.03.2009 gives a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:
- i) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the company as at 31<sup>st</sup> March, 2009
- ii) In the case of the Revenue Accounts, of the



iii) 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए हानि के लाभ एवं हानि खाते के मामले में।

iv) 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतान के प्राप्त एवं भुगतान खाते के मामले में।

**हम यह भी स्पष्ट करते हैं:**

- i) हमने प्रबंधन की रिपोर्ट की समीक्षा की है और वित्तीय विवरण में कोई स्पष्ट गलती या महत्वपूर्ण असंगति नहीं है,
- ii) प्रबंधन की ओर से दी गई सूचना और व्याख्याओं के अनुसार, पंजीकरण संबंधी बीमा कानून, 1938 की धारा 3 (4) में स्थापित नियम एवं शर्तों के अनुरूप तैयार की गई है,
- iii) हमें दी गई पूरी सूचना और व्याख्याओं के अनुसार तथा कम्पनी की प्रस्तुतियों के अनुसार, कम्पनी किसी ट्रस्ट की ट्रस्टी नहीं है।
- iv) हमने नकद एवं बैंक बेलेंस, निवेश और ऋण संबंधी प्रतिभूतियों की वास्तविक परीक्षण अथवा प्रमाणपत्रों की प्रस्तुति के जरिए और/या अन्य दस्तावेज़ी साक्ष्य, टिप्पणी 16.2 में परिमाणित हद तक निवेश के मामले के सिवाय, के जरिए जांच की है।
- v) हमारी पूरी जानकारी और हमें दी गई व्याख्याओं तथा कम्पनी की प्रस्तुतियों के आधार पर पालिसीधारकों के कोष की परिसंपत्तियों का कोई भी अंश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पालिसी धारकों के कोष के आवेदन और निवेश संबंधी बीमा कानून, 1938 (1938 का 4) के प्रावधानों के उल्लंघन में आवेदित नहीं की गई हैं।

deficits in Fire, Marine and Miscellaneous business for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2009.

- iii) In the case of the Profit & Loss Account of the loss for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2009.
- iv) In the case of the Receipts and Payments Account, of the receipts and payments for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2009.

**Further, we certify that:**

- i) We have reviewed the Management Report and there is no apparent mistake or material inconsistency with the Financial Statements:
- ii) As per information and explanations given by the Management, the terms and conditions as laid down in Section 3 (4) of the Insurance Act, 1938 regarding registration have been complied with.
- iii) To the best of our information and explanations given to us and representations made by the company, the company is not a trustee of any trust.
- iv) We have verified cash and bank balances, investments and securities relating to loans by actual inspection or by production of certificates and/or other documentary evidences except in the case investment to the extent quantified in Note 16.2.
- v) To the best of our information and explanation given to us and on the basis of representations made by the company, no part of the assets of the policyholders' funds has been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) relating to the application and investments of the policyholders' funds.

सुरेश चंद्र एंड एसोसिएट्स  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एस. मान एंड कम्पनी  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

**For Suresh Chandra &  
Associates**  
Chartered Accountants

**For S.Mann & Co.**  
Chartered Accountants

सी.ए.एस.सी. गुप्ता  
पार्टनर  
(एम. सं. 016534)

सी.ए. सुभाष मान  
पार्टनर  
(एम. सं. 080500)

**C.A. S.C Gupta**  
Partner  
(M.No. 016534)

**C.A. Subhash Mann**  
Partner  
(M.No. 080500)

दिनांक: 20 जुलाई, 2009  
स्थान: नई दिल्ली

**Date : 20<sup>th</sup> July, 2009**  
**Place : New Delhi**



## दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

### 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के लेखा के बारे में कम्पनी कानून, 1956 की धारा 619(4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के लेखा के बारे में कम्पनी कानून, 1956 की धारा 619(4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां बीमा अधिनियम, 1938 और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमा कम्पनियों के वित्तीय विवरणों और ऑडिटर की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 और कम्पनी कानून, 1956 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुरूप 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से नियुक्त वैधानिक ऑडिटर अपने पेशेवर निकाय, भारतीय चार्टरित लेखापाल संस्थान की ओर से निर्धारित लेखा परीक्षा और आश्वासन मानकों के अनुरूप स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कम्पनी कानून, 1956 की धारा 227 के तहत वित्तीय विवरण पर राय प्रकट करने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने ये टिप्पणियां दिनांक 20 जुलाई 2009 की अपनी ऑडिट रिपोर्ट में दी हैं।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कम्पनी कानून, 1956 की धारा 619(3) के तहत 31 मार्च 2009 को समाप्त वर्ष के लिए ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखाकारों के कार्यकारी प्रपत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्राथमिक रूप से वैधानिक लेखाकारों और कम्पनी के कर्मचारियों से पूछताछ तथा कुछ लेखा रिकार्ड के चुनिंदा परीक्षण तक सीमित है। अपने लेखा परीक्षण के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ सामने नहीं आया जिससे कम्पनी कानून, 1956 की धारा 619(4) के तहत वैधानिक लेखा रिपोर्ट पर कुछ टिप्पणी की जा सकती या कुछ अनुपूरक किया जा सकता।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए और उनकी ओर से

(नैना ए. कुमार)  
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा और  
ऑडिट बोर्ड-II के पदेन सदस्य,  
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 8.9.09

### COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619 (4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED, FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2009

The preparation of financial statements of Oriental Insurance Company Limited, for the year ended 31 March 2009 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of financial statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956 are responsible for expressing opinion on these financial statements under section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body, the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 20 July, 2009.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 619 (3) (b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of Oriental Insurance Company Ltd, for the year ended 31 March 2009. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to the inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors' report under section 619 (4) of the Companies Act, 1956.

For and on behalf of the  
Comptroller and Auditor General of India

(Naina A. Kumar)  
Principal Director of Commercial Audit  
& Ex-officio Member Audit Board - II,  
New Delhi

Place : New Delhi  
Date: 8.9.09





बीमाकर्ता का नाम:  
बी.वि.वि.प्रा. के साथ पंजीकरण की संख्या व तिथि  
Name of Insurer:  
Registration No. and Date of Registration With IRDA

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड  
556 दिनांक 13.03.2009

The Oriental Insurance Company Limited  
556 Dated 13.03.2009

अग्नि बीमा राजस्व लेखा 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए  
Fire Insurance Revenue Account For The Year Ended 31st March, 2009

(रु. '000)  
(Rs. '000)

क्र. सं. S.N.	विवरण PARTICULARS	अनुसूची Schedule	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
1.	अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Premium earned (Net)	1	3149258	3244211
2.	निवेशों की बिक्री/ उन्मोचन से हुआ लाभ/हानि Profit/Loss on sale/redemption of Investment		272868	346882
3.	अन्य-विनियम से लाभ/(हानि) Others - Profit/(Loss) on exchange		(7854)	2824
4.	ब्याज, लाभांश व किराया - सकल Interest, Dividend & Rent - Gross		428422	347033
	<b>कुल (अ)</b> <b>Total (A)</b>		<b>3842694</b>	<b>3940950</b>
1.	उपगत दावे (शुद्ध) Claims Incurred (Net)	2	3624531	3103755
2.	कमीशन Commission	3	30058	(65108)
3.	बीमा व्यवसाय से सम्बंधित प्रचालन व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	1058240	1068832
4.	अन्य Others			
	क) एनपीए हेतु प्रावधान a) Provision for NPA		(13223)	(7041)
	ख) शेयरों के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान b) Provision for Diminution in Value of Shares		1638	91
	ग) संविभाजन व्यय c) Amortization Expenses		7703	7373
	घ) बट्टे खाते में डाला गया निवेश (शुद्ध) d) Investment Written Off (Net)		6441	758
	<b>कुल (ब)</b> <b>Total (B)</b>		<b>4715388</b>	<b>4108660</b>



## दि ओरिण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

प्रचालन लाभ/ (हानि) अग्नि व्यवसाय सी = (क-ख) Operating Profit/(Loss) from fire business C = (A - B)		(872694)	(167710)
विनियोजन Appropriation			
शेयरहोल्डरों के खाते में अन्तरण Transfer to shareholders' Account		(872694)	(167710)
आपदा आरक्षित में अन्तरण Transfer to Catastrophe Reserve		NIL	NIL
सामान्य आरक्षित में अन्तरण Transfer to General Reserve		NIL	NIL
<b>कुल ( ग ) Total (C)</b>		<b>(872694)</b>	<b>(167710)</b>

जैसा कि बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40 सी (2) द्वारा अपेक्षित है, हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी बेहतर जानकारी और विश्वास में कम्पनी की लेखा बहियों की जांच के अनुसार अग्नि बीमा कारोबार के बारे में लेखा नीति 7 के अधीन प्रबन्ध व्यवस्था के लिए कहीं भी किए गए सभी प्रत्यक्ष खर्चों को अग्नि राजस्व खातों में खर्चों के रूप में पूर्णतः डेबिट किया गया है।

As required by section 40 C (2) of the Insurance Act, 1938, we certify that to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and so far as appears from our examination of the books of account of the company, all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Fire Insurance Business have been fully debited in the Fire Insurance Revenue Account as expenses in accordance with Accounting Policy No. 7.

**कृते सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स**  
सनदी लेखाकार  
**For Suresh Chandra & Associates**  
Chartered Accountants

**कृते एस. मान एण्ड कं.**  
सनदी लेखाकार  
**For S. MANN & CO.**  
Chartered Accountants

**एम. रामदास**  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
**M. RAMADOSS**  
Chairman-cum-Managing Director

**सीए एस. सी. गुप्ता**  
भागीदार  
सदस्यता नं. 016534  
**CA S. C. GUPTA**  
Partner  
Membership No. 016534

**सीए सुभाष मान**  
भागीदार  
सदस्यता नं. 80500  
**CA SUBHASH MANN**  
Partner  
Membership No. 80500

**जे.एस.एस. शास्त्री**  
निदेशक  
**J. S. S. SASTRY**  
Director

**एस.के. चानना**  
निदेशक  
**S. K. CHANANA**  
Director

**डी. सिंह**  
निदेशक  
**D. SINGH**  
Director

**Place : New Delhi**  
**स्थान : नई दिल्ली**  
**Dated : 20th July, 2009**  
**दिनांक: 20 जुलाई, 2009**

**रश्मी बाजपेयी**  
कंपनी सचिव  
**RASHMI BAJPAI**  
Company Secretary

**एस. सुरेन्थर**  
वित्त सलाहकार  
**S. SURENTHAR**  
Financial Advisor



बीमाकर्ता का नाम:  
बी.वि.वि.प्रा. के साथ पंजीकरण की संख्या व तिथि  
Name of Insurer:  
Registration No. and Date of Registration With IRDA

दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड  
556 दिनांक 13.03.2009

The Oriental Insurance Company Limited  
556 Dated 13.03.2009

मरीन बीमा राजस्व लेखा 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए  
Marine Insurance Revenue Account For The Year Ended 31st March, 2009

(रु. '000)  
(Rs. '000)

क्र. सं. S.N.	विवरण PARTICULARS	अनुसूची Schedule	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
1.	अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Premium earned (Net)	1	1849984	1693923
2.	निवेशों की बिक्री/उन्मोचन से हुआ लाभ/(हानि) Profit/Loss on sale/redemption of Investment		129210	185108
3.	अन्य-विनियम से लाभ/(हानि) Others - Profit/(Loss) on exchange		(8340)	(2146)
4.	ब्याज, लाभांश व किराया - सकल Interest, Dividend & Rent - Gross		202870	185189
	<b>कुल (अ) Total (A)</b>		<b>2173724</b>	<b>2062074</b>
1.	उपगत दावे (शुद्ध) Claims Incurred (Net)	2	1722576	1100721
2.	कमीशन Commission	3	116724	102016
3.	बीमा व्यवसाय से सम्बंधित प्रचालन व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	561318	556010
4.	अन्य Others			
	क) एनपीए हेतु प्रावधान a) Provision for NPA		(6262)	(3757)
	ख) शेयरों के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान b) Provision for Diminution in Value of Shares		775	49
	ग) संविभाजन व्यय c) Amortization Expenses		3648	3934
	घ) बट्टे खाते में डाला गया निवेश (शुद्ध) d) Investment Written Off (Net)		3050	405
	<b>कुल (ब) Total (B)</b>		<b>2401829</b>	<b>1759378</b>



## दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

प्रचालन लाभ/हानि मरीन व्यवसाय सी = (क-ख) Operating Profit/(Loss) from marine business C = (A - B)	(228105)	302696
विनियोजन Appropriation		
शेयरहोल्डरों के खाते में अन्तरण Transfer to shareholders' Account	(228105)	302696
आपदा आरक्षित में अन्तरण Transfer to Catastrophe Reserve	NIL	NIL
सामान्य आरक्षित में अन्तरण Transfer to General Reserve	NIL	NIL
<b>कुल ( ग ) Total (C)</b>	<b>(228105)</b>	<b>302696</b>

जैसा कि बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40 सी (2) द्वारा अपेक्षित है, हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी बेहतर जानकारी और विश्वास में कम्पनी की लेखा बहियों की जांच के अनुसार मरीन बीमा कारोबार के बारे में लेखा नीति 7 के अधीन प्रबन्ध व्यवस्था के लिए कहीं भी किए गए सभी प्रत्यक्ष खर्चों को मरीन राजस्व खातों में खर्च के रूप में पूर्णतः डेबिट किया गया है।

As required by section 40 C (2) of the Insurance Act, 1938, we certify that to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and so far as appears from our examination of the books of account of the company, all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of Marine Insurance Business have been fully debited in the Marine Insurance Revenue Account as expenses in accordance with Accounting Policy No. 7.

**कृते सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स**  
सनदी लेखाकार  
**For Suresh Chandra & Associates**  
Chartered Accountants

**कृते एस. मान एण्ड कं.**  
सनदी लेखाकार  
**For S. MANN & CO.**  
Chartered Accountants

**एम. रामदास**  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
**M. RAMADOSS**  
Chairman-cum-Managing Director

**सीए एस. सी. गुप्ता**  
भागीदार  
सदस्यता नं. 016534  
**CA S. C. GUPTA**  
Partner  
Membership No. 016534

**सीए सुभाष मान**  
भागीदार  
सदस्यता नं. 80500  
**CA SUBHASH MANN**  
Partner  
Membership No. 80500

**जे.एस.एस. शास्त्री**  
निदेशक  
**J. S. S. SASTRY**  
Director

**एस.के. चानना**  
निदेशक  
**S. K. CHANANA**  
Director

**डी. सिंह**  
निदेशक  
**D. SINGH**  
Director

**Place : New Delhi**  
**स्थान : नई दिल्ली**  
**Dated : 20th July, 2009**  
**दिनांक: 20 जुलाई, 2009**

**रश्मी बाजपेयी**  
कंपनी सचिव  
**RASHMI BAJPAI**  
Company Secretary

**एस. सुरेन्थर**  
वित्त सलाहकार  
**S. SURENTHAR**  
Financial Advisor



बीमाकर्ता का नाम:

बी.वि.वि.प्रा. के साथ पंजीकरण की संख्या व तिथि

Name of Insurer:

Registration No. and Date of Registration With IRDA

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

556 दिनांक 13.03.2009

The Oriental Insurance Company Limited

556 Dated 13.03.2009

विविध बीमा राजस्व लेखा 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए

Miscellaneous Insurance Revenue Account for the year ended 31st March, 2009

(रु. '000)  
(Rs. '000)

क्र. सं. S.N.	विवरण PARTICULARS	अनुसूची Schedule	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
1.	अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) Premium earned (Net)	1	25668732	23824210
2.	निवेशों की बिक्री/उन्मोचन से हुआ लाभ/(हानि) Profit/Loss on sale/redemption of Investment		2376513	3471477
3.	अन्य-विनियम से लाभ/(हानि) Others - Profit/(Loss) on exchange		(5450)	3031
4.	ब्याज, लाभांश व किराया - सकल Interest, Dividend & Rent - Gross		3731294	3472992
	<b>कुल (अ) Total (A)</b>		<b>31771089</b>	<b>30771710</b>
1.	उपगत दावे (शुद्ध) Claims Incurred (Net)	2	25224822	21817723
2.	कमीशन Commission	3	1863427	1276637
3.	बीमा व्यवसाय से सम्बंधित प्रचालन व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	7524864	6611231
4.	अन्य Others			
	क) एनपीए हेतु प्रावधान a) Provision for NPA		(115169)	(70460)
	ख) शेयरों के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान b) Provision for Diminution in Value of Shares		14264	912
	ग) संविभाजन व्यय c) Amortization Expenses		67089	73783
	घ) बट्टे खाते में डाला गया निवेश (शुद्ध) d) Investment Written Off (Net)		56095	7588
	<b>कुल (ब) Total (B)</b>		<b>34635392</b>	<b>29717414</b>



## दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

प्रचालन लाभ/(हानि) विविध व्यवसाय सी = (क-ख) Operating Profit/(Loss) from miscellaneous business C = (A - B)	(2864303)	<b>1054296</b>
विनियोजन Appropriation		
शेयरहोल्डरों के खाते में अन्तरण Transfer to shareholders' Account	(2864303)	1054296
आपदा आरक्षित में अन्तरण Transfer to Catastrophe Reserve	NIL	NIL
सामान्य आरक्षित में अन्तरण Transfer to General Reserve	NIL	NIL
<b>कुल ( ग ) Total (C)</b>	<b>(2864303)</b>	<b>1054296</b>

जैसा कि बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40 सी (2) द्वारा अपेक्षित है, हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी बेहतर जानकारी और विश्वास में कम्पनी की लेखा बहियों की जांच के अनुसार विविध बीमा कारोबार के बारे में लेखा नीति 7 के अधीन प्रबन्ध व्यवस्था के लिए कहीं भी किए गए सभी प्रत्यक्ष खर्चों को विविध राजस्व खातों में खर्चों के रूप में पूर्णतः डेबिट किया गया है।

As required by section 40 C (2) of the Insurance Act, 1938, we certify that to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us and so far as appears from our examination of the books of account of the company, all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly, in respect of miscellaneous Insurance Business have been fully debited in the miscellaneous Insurance Revenue Account as expenses in accordance with Accounting Policy No. 7.

**कृते सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स**

सनदी लेखाकार

**For Suresh Chandra & Associates**

Chartered Accountants

**सीए एस. सी. गुप्ता**

भागीदार

सदस्यता नं. 016534

**CA S. C. GUPTA**

Partner

Membership No. 016534

**कृते एस. मान एण्ड कं.**

सनदी लेखाकार

**For S. MANN & CO.**

Chartered Accountants

**सीए सुभाष मान**

भागीदार

सदस्यता नं. 80500

**CA SUBHASH MANN**

Partner

Membership No. 80500

**एम. रामदास**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

**M. RAMADOSS**

Chairman-cum-Managing Director

**जे.एस.एस. शास्त्री**

निदेशक

**J. S. S. SASTRY**

Director

**एस.के. चानना**

निदेशक

**S. K. CHANANA**

Director

**रश्मी बाजपेयी**

कंपनी सचिव

**RASHMI BAJPAI**

Company Secretary

**डी. सिंह**

निदेशक

**D. SINGH**

Director

**एस. सुरेन्थर**

वित्त सलाहकार

**S. SURENTHAR**

Financial Advisor

Place : New Delhi

स्थान : नई दिल्ली

Dated : 20th July, 2009

दिनांक: 20 जुलाई, 2009



बीमाकर्ता का नाम:  
बी.वि.वि.प्रा. के साथ पंजीकरण की संख्या व तिथि

दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड  
556 दिनांक 13.03.2009

Name of Insurer:  
Registration No. and Date of Registration With IRDA

The Oriental Insurance Company Limited  
556 Dated 13.03.2009

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता  
Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2009

(रु. '000)  
(Rs. '000)

क्र. सं. S.N.	विवरण PARTICULARS	अनुसूची Schedule	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
1	प्रचालन लाभ/(हानि) OPERATING PROFIT /(LOSS) (क) अग्नि बीमा (a) Fire Insurance (ख) मरीन बीमा (b) Marine Insurance (ग) विविध बीमा (c) Miscellaneous Insurance			
			(872694)	(167710)
			(228105)	302696
			(2864303)	1054296
2	निवेश से आय INCOME FROM INVESTMENTS (क) ब्याज, लाभांश व किराया - सकल (a) Interest, Dividend & Rent - Gross (ख) निवेशों की बिक्री/उन्मोचन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investment कमी : बिक्री में हानि/निवेशों की बिक्री Less : Loss on sale/redemption of investment			
			1719717	1711786
			1095312	1711039
			0	0
3	अन्य आय OTHER INCOME (फिक्सड एसेट्स बेचने से लाभ)/(हानि) Profit/(Loss) on sale of fixed assets विविध आय Miscellaneous Income विविध आय बट्टे खाते में डाले गए पुराने/अशोध्य शेष Old/Unclaimed Balance Written Back विनिमय लाभ/हानि Exchange Gain/(Loss)			
			4529	3979
			36085	48675
			102967	33639
			149347	(106610)
	<b>कुल (अ) TOTAL (A)</b>		<b>(857145)</b>	<b>4591790</b>
4	प्रावधान (टैक्स के अतिरिक्त) PROVISIONS (Other than taxation) (अ) निवेशों के मूल्य में अवमूल्यन हेतु (a) For diminution in the value of investments (ब) खराब और संदिग्ध ऋणों हेतु (b) For bad and doubtful debts\Investment (स) व्यय का परिशोधन (c) Amortisation Expenses (द) प्रीमियम कमी हेतु (d) For Premium Deficiency			
			6573	450
			16756	96140
			30921	36366
			0	66300
5	अन्य व्यय OTHER EXPENSES अ) निवेश से सम्बन्धित प्रबन्धकीय व्यय a) Expenses other than those relating to Insurance Business ब) बट्टे खाते में डाले गए पुराने अशोध्य शेष b) Old/irrecoverable balances written off स) एनपीए के प्रावधान c) NPA द) बट्टे खाते में डाला गया निवेश (शुद्ध) d) Investments written off (Net)			
			0	0
			58	50
			(53080)	(34729)
			25853	3740
	<b>कुल (ब) TOTAL (B)</b>		<b>27081</b>	<b>168317</b>



## दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

कर से पूर्व लाभ Profit Before Tax		(884226)	4423473
जोड़े (घटाएं) : पूर्व अवधि आय Add/(Less) : Prior Period Income		7237	0
जोड़े (घटाएं) : पूर्व अवधि व्यय Add/(Less) : Prior Period Expenses		(16626)	0
जोड़े (घटाएं) : अनुषंगी लाभ कर के लिए प्रावधान Add/(Less) : Provision for Fringe Benefit Tax		(110141)	(41182)
जोड़े (घटाएं) : टैक्स के लिए प्रावधान - चालू वर्ष Add/(Less): Provision for taxation - Current Year		(6528)	(401667)
जोड़े (घटाएं) : विलम्बित करों हेतु प्रावधान Add/(Less): Provision for Deferred Taxation			0
जोड़े (घटाएं) : पूर्व वर्षों हेतु कर का प्रावधान Add/(Less): Provision for tax in respect of earlier years		483650	(3887605)
कर पश्चात लाभ Profit after Tax		(526634)	93019
विनियोजन APPROPRIATIONS			
(अ) इस वर्ष में भुगतान किये गए अन्तरिम लाभांश (a) Interim dividends paid during the year		0	0
(ख) प्रस्तावित अन्तिम लाभांश (b) Proposed final dividend		0	(75000)
(ग) लाभांश पर निगमित कर (c) Dividend distribution tax		0	(12746)
(घ) किसी भी रिजर्व या अन्य खाते को स्थानांतरित (d) Transfer to any Reserves or other Accounts		0	0
गत वर्ष से आगे लाये गये लाभ/हानि शेष Balance of profit/loss brought forward from last year		0	0
तुलन पत्र में अग्रणीत शेष Balance carried forward to Balance Sheet		(526634)	5273
प्रति शेयर (ईपीएस) मूल / अवमूल्यांकित आय रु. में Basic/Diluted Earning Per Share (EPS) in Rs.		(5.27)	0.93

लेखा नीतियां तथा टिप्पणियां - अनुलग्नक - 1

ACCOUNTING POLICIES AND NOTES-ANNEXURE 1

हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

As per our separate Report of even date attached

**कृते सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स**

सनदी लेखाकार

**For Suresh Chandra & Associates**

Chartered Accountants

**सीए एस. सी. गुप्ता**

भागीदार

सदस्यता नं. 016534

**CA S. C. GUPTA**

Partner

Membership No. 016534

**कृते एस. मान एण्ड कं.**

सनदी लेखाकार

**For S. MANN & CO.**

Chartered Accountants

**सीए सुभाष मान**

भागीदार

सदस्यता नं. 80500

**CA SUBHASH MANN**

Partner

Membership No. 80500

**एम. रामदास**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

**M. RAMADOSS**

Chairman-cum-Managing Director

**जे.एस.एस. शास्त्री**

निदेशक

**J. S. S. SASTRY**

Director

**एस.के. चानना**

निदेशक

**S. K. CHANANA**

Director

**रश्मी बाजपेयी**

कंपनी सचिव

**RASHMI BAJPAI**

Company Secretary

**डी. सिंह**

निदेशक

**D. SINGH**

Director

**एस. सुरेन्थर**

वित्त सलाहकार

**S. SURENTHAR**

Financial Advisor

Place : New Delhi

स्थान : नई दिल्ली

Dated : 20th July, 2009

दिनांक: 20 जुलाई, 2009





बीमाकर्ता का नाम:  
बी.वि.वि.प्रा. के साथ पंजीकरण की संख्या व तिथि  
Name of Insurer:  
Registration No. and Date of Registration With IRDA

दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड  
556 दिनांक 13.03.2009  
The Oriental Insurance Company Limited  
556 Dated 13.03.2009

31 मार्च, 2009 का तुलन पत्र  
Balance Sheet as at 31st March, 2009

(₹. '000)  
(Rs. '000)

विवरण PARTICULARS	अनुसूची Schedule	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
<b>निधियों का स्रोत SOURCES OF FUNDS</b>			
शेयर पूंजी SHARE CAPITAL	5	1000000	1000000
आरक्षितियां व अधिशेष RESERVES AND SURPLUS	6	18736547	19263181
आस्थगित कर देयता Deferred Tax Liability		0	0
सही मूल्य परिवर्तन लेखा FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		39755573	76148445
उधार BORROWINGS	7	0	0
<b>कुल TOTAL</b>		<b>59492120</b>	<b>96411626</b>
<b>निधियों का उपयोग APPLICATION OF FUNDS</b>			
निवेश INVESTMENTS	8	94443440	131675131
ऋण LOANS	9	3363627	3741653
अचल परिसंपत्तियां FIXED ASSETS	10	819900	938328
चालू पूंजीगत कार्य Capital Work In Progress		34847	3979
आस्थगित कर परिसंपत्तियां Deferred Tax Assets		0	0
<b>चालू परिसंपत्तियां CURRENT ASSETS:</b>			
नकद व बैंक शेष Cash and Bank Balances	11	11501277	12061251
अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियां Advances and Other Assets	12	24463176	13766444
कुल-जोड़ (अ) <b>Sub-Total (A)</b>		<b>35964453</b>	<b>25827695</b>



## दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

चालू देयता <b>CURRENT LIABILITIES</b>	13	53814921	46530532
प्रावधान PROVISIONS	14	21319226	19244628
कुल- जोड़ ( ब ) <b>Sub-Total (B)</b>		<b>75134147</b>	<b>65775160</b>
शुद्ध चालू परिसंपत्तियां = (अ-ब) <b>NET CURRENT ASSETS = (A-B)</b>		<b>(39169694)</b>	<b>(39947465)</b>
विविध व्यय (जिनको बट्टे खाते में नहीं डाला गया या समायोजित नहीं किया गया) MISCELLANEOUS EXPENDITURE (to the extent not written off or adjusted)	15	0	0
लाभ व हानि खाते का ऋण शेष DEBIT BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT		0	0
<b>कुल</b> <b>TOTAL</b>		<b>59492120</b>	<b>96411626</b>

लेखा नीतियां तथा टिप्पणियां -अनुलग्नक - 1  
ACCOUNTING POLICIES AND NOTES-ANNEXURE 1  
हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार  
As per our separate Report of even date attached

**कृते सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स**  
सनदी लेखाकार  
**For Suresh Chandra & Associates**  
Chartered Accountants

**कृते एस. मान एण्ड कं.**  
सनदी लेखाकार  
**For S. MANN & CO.**  
Chartered Accountants

**एम. रामदास**  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
**M. RAMADOSS**  
Chairman-cum-Managing Director

**सीए एस. सी. गुप्ता**  
भागीदार  
सदस्यता नं. 016534  
**CA S. C. GUPTA**  
Partner  
Membership No. 016534

**सीए सुभाष मान**  
भागीदार  
सदस्यता नं. 80500  
**CA SUBHASH MANN**  
Partner  
Membership No. 80500

**जे.एस.एस. शास्त्री**  
निदेशक  
**J. S. S. SASTRY**  
Director

Place : New Delhi  
स्थान : नई दिल्ली  
Dated : 20th July, 2009  
दिनांक: 20 जुलाई, 2009

**एस.के. चानना**  
निदेशक  
**S. K. CHANANA**  
Director  
**रश्मी बाजपेयी**  
कंपनी सचिव  
**RASHMI BAJPAI**  
Company Secretary

**डी. सिंह**  
निदेशक  
**D. SINGH**  
Director  
**एस. सुरेन्थर**  
वित्त सलाहकार  
**S. SURENTHAR**  
Financial Advisor



अनुसूची -1  
Schedule-1  
अर्जित प्रीमियम ( शुद्ध )  
Premium Earned (Net)

( रु. '000' )  
(Rs. '000')

विवरण Particulars	अग्नि FIRE		मरीन MARINE				विविध MISCELLANEOUS		कुल GRAND TOTAL			
	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year		गत वर्ष Previous Year		चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year		
			म. कार्गो Marine Cargo	म. हल Marine Hull	म. कार्गो Marine Cargo	म. हल Marine Hull					कुल TOTAL	कुल TOTAL
प्रत्यक्ष कारोबार से प्रीमियम Premium from direct business	4636127	4960644	1825350	1659345	3484695	1754493	1762276	3516769	32658130	30524742	40778952	39002155
जोड़े : पुनर्बीमा स्वीकृति पर प्रीमियम Add: Premium on reinsurance accepted	520692	524043	87611	75632	163243	197280	91502	288782	3862857	3244447	4546792	4057272
घटाएं : पुनर्बीमा अध्यापित पर प्रीमियम Less: Premium on reinsurance ceded	1962149	2513440	397236	1479214	1876450	410191	1532447	1942638	9136147	9816566	12974746	14272644
शुद्ध प्रीमियम Net Premium	3194670	2971247	1515725	255763	1771488	1541582	321331	1862913	27384840	23952623	32350998	28786783



# दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

(रु. '000')  
(Rs. '000')

विवरण Particulars	अग्नि FIRE		मरीन MARINE				विविध MISCELLANEOUS		कुल GRAND TOTAL		
	गत वर्ष Previous Year		गत वर्ष Previous Year		गत वर्ष Previous Year		गत वर्ष Previous Year		गत वर्ष Previous Year		
	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	म. कार्गो Marine Cargo	म. हल Marine Hull	म. कार्गो Marine Cargo	म. हल Marine Hull	कुल TOTAL	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
अपरिपक्व जोखिमों के लिए रिजर्व में परिवर्तन हेतु समायोजन											
Adjustment for changes in reserve for unexpired risk.	45,412	(272,964)	(12,928)	(65,568)	109,556	59,434	168,990	17,161,108	128,413	16,830,24	24,439
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध)	314,92,58	324,42,11	152,86,53	32,13,31	14,32,02,6	26,18,97	1,69,39,23	25,66,87,32	23,82,42,10	30,66,79,74	28,76,23,44
Total Premium Earned (Net)	314,92,58	324,42,11	152,86,53	32,13,31	14,32,02,6	26,18,97	1,69,39,23	25,66,87,32	23,82,42,10	30,66,79,74	28,76,23,44
क्रिए गए कारोबार से प्रीमियम आय भारत में	27,42,11,8	26,44,81,8	13,04,43,8	22,98,04	12,40,68,5	30,33,08	1,54,39,93	26,47,94,30	23,21,15,55	30,75,57,90	27,40,03,66
Premium Income from business effected In India	27,42,11,8	26,44,81,8	13,04,43,8	22,98,04	12,40,68,5	30,33,08	1,54,39,93	26,47,94,30	23,21,15,55	30,75,57,90	27,40,03,66
भारत से बाहर	45,25,52	32,64,29	21,12,87	25,95,9	30,08,97	18,02,3	31,89,20	9,05,410	7,41,068	15,95,208	13,86,417
Outside India	45,25,52	32,64,29	21,12,87	25,95,9	30,08,97	18,02,3	31,89,20	9,05,410	7,41,068	15,95,208	13,86,417
शुद्ध प्रीमियम	31,94,670	29,71,247	15,15,725	25,57,63	15,41,582	32,13,31	18,62,91,3	27,38,48,40	23,95,26,23	32,35,09,98	28,76,87,83
Net Premium	31,94,670	29,71,247	15,15,725	25,57,63	15,41,582	32,13,31	18,62,91,3	27,38,48,40	23,95,26,23	32,35,09,98	28,76,87,83



अनुसूची -1  
Schedule-1

अर्जित प्रीमियम ( शुद्ध )  
Premium Earned (Net)

खंड - विविध  
Segments - Miscellaneous

(रु. '000)  
(Rs. '000)

	मोटर MOTOR							
	स्वयं क्षति OD	TP-Non- Pool	तृतीय पक्ष TP POOL	कुल TOTAL	स्वयं क्षति OD	TP-Non- Pool	तृतीय पक्ष TP POOL	कुल TOTAL
विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year				गत वर्ष Previous Year			
प्रत्यक्ष कारोबार से प्रीमियम Premium from direct business written	8476012	2719450	4274282	15469744	9205544	2822904	4498167	16526615
जोड़िए : पुनर्बीमा स्वीकृति पर प्रीमियम Add: Premium on reinsurance accepted	21697	3817	3196862	3222376	18751	4622	2863595	2886968
घटाइए : पुनर्बीमा अध्यापित पर प्रीमियम Less: Premium on reinsurance ceded	818552	280466	4274282	5373300	1348327	395603	4498167	6242097
<b>शुद्ध प्रीमियम Net Premium</b>	<b>7679157</b>	<b>2442801</b>	<b>3196862</b>	<b>13318820</b>	<b>7875968</b>	<b>2431923</b>	<b>2863595</b>	<b>13171486</b>
अपरिपक्व जाखिमों के लिए रिज़र्व में परिवर्तन हेतु समायोजन Adjustment for changes in reserve for unexpired risk.	-98406	5439	166633	73666	-574080	-1387407	1431798	-529690
<b>कुल अर्जित प्रीमियम ( शुद्ध ) Total Premium Earned (Net)</b>	<b>7777563</b>	<b>2437362</b>	<b>3030229</b>	<b>13245154</b>	<b>8450048</b>	<b>3819330</b>	<b>1431798</b>	<b>13701176</b>
किए गए कारोबार से प्रभावित प्रीमियम Premium Income from business effected								
भारत में In India	7243573	2316468	3196862	12756903	7539416	2320750	2863595	12723761
भारत के बाहर Outside India	435584	126333	0	561917	336552	111172	0	447725
<b>शुद्ध प्रीमियम Net Premium</b>	<b>7679157</b>	<b>2442801</b>	<b>3196862</b>	<b>13318820</b>	<b>7875968</b>	<b>2431923</b>	<b>2863595</b>	<b>13171486</b>



## दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

(रु. '000)  
(Rs. '000)

विवरण Particulars	इंजीनियरिंग ENGINEERING		उड्डयन AVIATION		कामगार क्षतिपूर्ति WORKMEN'S COMPENSATION		व्यक्तिगत दुर्घटना PERSONAL ACCIDENT	
	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
प्रत्यक्ष कारोबार से प्रीमियम Premium from direct business written	2658351	2241017	945837	824239	540808	447306	1505143	1381023
जोड़िए : पुनर्बीमा स्वीकृति पर प्रीमियम Add: Premium on reinsurance accepted	335421	144352	122013	24641	326	0	13873	3264
घटाएं : पुनर्बीमा अध्यापित पर प्रीमियम Less: Premium on reinsurance ceded	954142	612362	899349	756059	50793	67265	251314	292218
<b>शुद्ध प्रीमियम Net Premium</b>	<b>2039630</b>	<b>1773007</b>	<b>168501</b>	<b>92821</b>	<b>490341</b>	<b>380041</b>	<b>1267702</b>	<b>1092069</b>
अपरिपक्व जाखिमों के लिए रिज़र्व में परिवर्तन हेतु समायोजन Adjustment for changes in reserve for unexpired risk.	133311	58388	37840	-43710	55150	28152	87816	94624
<b>कुल अर्जित प्रीमियम ( शुद्ध ) Total Premium Earned (Net)</b>	<b>1906319</b>	<b>1714619</b>	<b>130661</b>	<b>136531</b>	<b>435191</b>	<b>351889</b>	<b>1179886</b>	<b>997445</b>
क्रिए गए कारोबार से प्रभावित प्रीमियम Premium Income from business effected								
भारत में In India	1977084	1693700	31244	60564	454454	380041	1235560	1068292
भारत से बाहर Outside India	62546	79308	137257	32257	35887	0	32142	23777
<b>शुद्ध प्रीमियम Net Premium</b>	<b>2039630</b>	<b>1773007</b>	<b>168501</b>	<b>92821</b>	<b>490341</b>	<b>380041</b>	<b>1267702</b>	<b>1092069</b>



(रु. '000)  
(Rs. '000)

विवरण Particulars	स्वास्थ्य HEALTH		देयता LIABILITY		दूसरे विविध OTHER MISC.		कुल TOTAL	
	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
प्रत्यक्ष कारोबार से प्रीमियम Premium from direct business written	7104086	5330974	324329	323999	4109832	3449570	32658130	30524742
जोड़िए : पुनर्बीमा स्वीकृति पर प्रीमियम Add: Premium on reinsurance accepted	0	0	7522	2007	161326	183215	3862857	3244447
घटाएं : पुनर्बीमा अध्यापित पर प्रीमियम Less: Premium on reinsurance ceded	717037	802601	113438	141239	776774	902725	9136147	9816566
<b>शुद्ध प्रीमियम Net Premium</b>	<b>6387049</b>	<b>4528373</b>	<b>218413</b>	<b>184767</b>	<b>3494384</b>	<b>2730060</b>	<b>27384840</b>	<b>23952623</b>
अपरिपक्व जाखिमों के लिए रिज़र्व में परिवर्तन हेतु समायोजन Adjustment for changes in reserve for unexpired risk.	929338	467908	16823	13817	382164	38924	1716108	128413
<b>कुल अर्जित प्रीमियम ( शुद्ध ) Total Premium Earned (Net)</b>	<b>5457711</b>	<b>4060465</b>	<b>201590</b>	<b>170950</b>	<b>3112220</b>	<b>2691136</b>	<b>25668732</b>	<b>23824210</b>
क्रिए गए कारोबार से प्रभावित प्रीमियम Premium Income from business effected								
भारत में In India	6381513	4523720	209736	152892	3432935	2608587	26479430	23211555
भारत से बाहर Outside India	5536	4653	8677	31875	61449	121473	905410	741068
<b>शुद्ध प्रीमियम Net Premium</b>	<b>6387049</b>	<b>4528373</b>	<b>218413</b>	<b>184767</b>	<b>3494384</b>	<b>2730060</b>	<b>27384840</b>	<b>23952623</b>



# दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

## अनुसूची -2 Schedule-2

### उपगत दावे (शुद्ध) Claims Incurred (Net)

(रु. '000')

(Rs. '000')

विवरण Particulars	अग्नि FIRE		मरीन MARINE				विविध MISCELLANEOUS		कुल GRAND TOTAL	
	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year		गत वर्ष Previous Year		चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
			म. कागों Marine Cargo	म. हल Marine Hull	म. कागों Marine Cargo	म. हल Marine Hull				
चुक्ता दावे Claims Paid सीधा Direct	3680278	2486570	1316645	795203	2111848	1195485	279361	1474846	33651412	27921329
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted घटाएँ: अर्धपति पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	337925	244501	20176	68912	89088	16649	85651	102300	970021	449733
शुद्ध चुक्ता दावे Net Claims paid	2548634	1955978	1023127	146517	1169644	925238	145679	1070917	26155389	22108399
जोड़े: चालू वर्ष के अन्त तक बकाया दावे ADD: Claims Outstanding at the end of Current Year	7479637	7233356	1760295	4716098	6476393	1685650	3704762	5390412	57617160	53774400
सीधा Direct	1134356	554406	42435	267742	310177	37598	207232	244830	7234312	2981713
जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted घटाएँ: अर्धपति पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	4041983	4291649	660429	4274946	4935375	821448	3515531	4336979	23651562	19972743





(₹. '000')

चालू वर्ष के समाप्ति में बकाया शुद्ध दावे <b>Net Claims Outstanding at the end of Current Year</b> घटाएं : पिछले वर्ष के अन्त में बकाया दावे LESS: Claims Outstanding at the end of Prev. Year सीधा Direct जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted घटाएं : अध्यापित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded पिछले वर्ष के आरम्भ में बकाया शुद्ध दावे <b>Net Claims Outstanding as at the beginning of the Previous Year</b> शुद्ध उपगत दावे Net Claims Incurred सीधा Direct जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance accepted घटाएं : अध्यापित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded शुद्ध उपगत दावे <b>NET CLAIMS INCURRED</b> दावेदारों को चुकता दावे Claims paid to claimants भारत में In India भारत के बाहर Outside India शुद्ध चुकता दावे <b>NET Claims Paid</b>	4572010	3496113	1142301	708894	1851195	901800	396463	1298263	34776705	31988994	41199910	36783370
	7233356	5926086	1685650	3704762	5390412	1439106	2324820	3763926	41150632	40136293	53774400	49826304
	554406	545666	37598	207232	244830	59930	263853	323783	2182478	552967	2981714	1422415
	4291649	4123417	821448	3515531	4336979	590320	2228929	2819249	11344116	11436485	19972744	18379151
	3496113	2348335	901800	396463	1298263	908716	359744	1268460	31988994	29252775	36783370	32869568
	3926559	3793840	1391290	1806540	3197830	1442029	1659303	3101332	30369785	24974251	37494174	31869424
	917875	253240	25013	129421	154434	-5682	29030	23348	4150309	1732443	5222618	2009031
	1219903	943325	152675	1477013	1629688	518023	1505935	2023959	9295272	4888971	12144863	7856256
	3624531	3103755	1263628	458948	1722576	918324	182398	1100721	25224822	21817723	30571929	26022199
	2333678	1680716	978430	106305	1084735	879053	134164	1013217	21970179	18713813	25388591	21407747
	214956	275262	44697	40212	84909	46185	11515	57700	466932	367690	766798	700652
	2548634	1955978	1023127	146517	1169644	925238	145679	1070917	22437111	19081503	26155389	22108399



# दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

## अनुसूची -2 Schedule-2

### खंड - विविध SEGMENTS - Miscellaneous

(रु. '000')  
(Rs. '000')

विवरण Particulars	मोटर MOTOR						कुल TOTAL		
	स्वयं क्षति OD	TP-Non-Pool	तृतीय पक्ष TP POOL	कुल TOTAL	स्वयं क्षति OD	TP-Non-Pool		तृतीय पक्ष TP POOL	कुल TOTAL
	चालू वर्ष Current Year			गत वर्ष Previous Year					
चुक्रता दावे Claims Paid									
सीधा Direct	5197157	9632282	555701	15385140	5415259	8821087	17843	14254189	
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted	4730	14806	212488	232024	2212	9601	0	11813	
घटाएँ : अध्यापित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	641716	1943390	545915	3131021	846487	1784824	17843	2649154	
<b>शुद्ध चुक्रता दावे Net Claims paid</b>	<b>4560171</b>	<b>7703698</b>	<b>222274</b>	<b>12486143</b>	<b>4570984</b>	<b>7045864</b>	<b>0</b>	<b>11616848</b>	
जोड़े : चालू वर्ष के अंत तक बकाया दावे ADD: Claims Outstanding at the end of Current Year									
सीधा Direct	2452608	28718339	3378903	34549850	2612989	30520163	334034	33467186	
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted	5265	16570	5288582	5310417	4051	15259	1746793	1766103	
घटाएँ : अध्यापित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	288874	7145079	3378903	10812856	394080	7097145	313045	7804270	
<b>चालू वर्ष के शुद्ध बकाया दावे Net Claims Outstanding Current Year</b>	<b>2168999</b>	<b>21589830</b>	<b>5288582</b>	<b>29047411</b>	<b>2222960</b>	<b>23438277</b>	<b>1767781</b>	<b>27429019</b>	



(₹. '000')

घटाएँ : पिछले वर्ष के अंत में बकाया दावे Less: Claims Outstanding at the end of Prev. Year	2612989	30520163	334034	33467186	2615178	30233790	0	32848968
सीधा Direct								
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted	4051	15259	1746793	1766103	5430	19106	0	24536
घटाएँ: अध्यापित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	394080	7097145	313045	7804270	542034	6927861	0	7469894
पूर्व वर्ष में बकाया शुद्ध दावे Net Claims Outstanding Previous Year	2222960	23438277	1767782	27429019	2078574	23325035	0	25403609
शुद्ध उपगत दावे Net Claims Incurred								
सीधा Direct	5036777	7830458	3600570	16467804	5413070	9107460	351877	14872407
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance accepted	5944	16117	3754277	3776338	832	5754	1746793	1753379
घटाएँ: अध्यापित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	536510	1991324	3611773	6139607	698534	1954108	330888	2983530
<b>कुल उपगत दावे TOTAL CLAIMS INCURRED</b>	<b>4506211</b>	<b>5855251</b>	<b>3743074</b>	<b>14104535</b>	<b>4715368</b>	<b>7159105</b>	<b>1767782</b>	<b>13642255</b>
दावेदारों को चुकता दावे Claims paid to claimants								
भारत में In India	4354010	7613688	222274	12189972	4388944	6966880	0	11355823
भारत के बाहर Outside India	206161	90010	0	296171	182040	78985	0	261024
शुद्ध चुकता दावे Total Claims Paid	<b>4560171</b>	<b>7703698</b>	<b>222274</b>	<b>12486143</b>	<b>4570984</b>	<b>7045864</b>	<b>0</b>	<b>11616848</b>



# दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

## अनुसूची -2 Schedule-2

### खंड - विविध SEGMENTS - Miscellaneous

(रु. '000)  
(Rs. '000)

विवरण Particulars	इंजीनियरिंग ENGINEERING		कामगार क्षतिपूर्ति WORKMEN'S COMPENSATION		उड्डयन AVIATION		व्यक्तिगत दुर्घटना PERSONAL ACCIDENT	
	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
<b>चुकता दावे Claims Paid</b>								
सीधा Direct	1129620	954426	147568	98462	461548	566123	1381099	871182
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted	72612	28151	858	0	55029	-22039	2422	623
घटाएं : अधरपित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	544250	389130	19084	15772	398713	468930	329575	239059
<b>शुद्ध चुकता दावे Net Claims paid</b>	<b>657982</b>	<b>593447</b>	<b>129342</b>	<b>82690</b>	<b>117864</b>	<b>75154</b>	<b>1053946</b>	<b>632746</b>
<b>जोड़े : चालू वर्ष के अंत तक बकाया दावे ADD: Claims Outstanding at the end of Current Year</b>								
सीधा Direct	2347877	2281337	166829	125003	645473	628991	1116747	828230
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted	183839	98996	0	0	96161	62270	1796	1623
घटाएं : अधरपित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	950468	1325341	21571	18959	551871	550911	406955	345943
<b>चालू वर्ष के बकाया शुद्ध दावे Net Claims Outstanding Current Year</b>	<b>1581248</b>	<b>1054992</b>	<b>145258</b>	<b>106044</b>	<b>189763</b>	<b>140350</b>	<b>711588</b>	<b>483910</b>
<b>घटाएं : पिछले वर्ष के अंत में बकाया दावे LESS: Claims Outstanding at the end of Prev. Year</b>								
सीधा Direct	2281337	2690456	125003	120857	628991	756953	828230	686227



(रु. '000)  
(Rs. '000)

विवरण Particulars	इंजीनियरिंग ENGINEERING		कामगार क्षतिपूर्ति WORKMEN'S COMPENSATION		उड्डयन AVIATION		व्यक्तिगत दुर्घटना PERSONAL ACCIDENT	
	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted	98996	278072	0	0	62270	78058	1623	1955
घटाएं : अध्यापित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	1325341	1803627	18959	24100	550911	716939	345943	320873
<b>पूर्व वर्ष में बकाया शुद्ध दावे Net Claims Outstanding Previous Year</b>	<b>1054992</b>	<b>1164901</b>	<b>106044</b>	<b>96757</b>	<b>140350</b>	<b>118072</b>	<b>483910</b>	<b>367308</b>
शुद्ध उपगत दावे Net Claims Incurred								
सीधा Direct	1196160	545306	189394	102608	478030	438162	1669616	1013185
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance accepted	157455	-150925	858	0	88920	-37827	2595	291
घटाएं : अध्यापित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	169377	-89156	21696	10631	399673	302902	390587	264128
<b>कुल उपगत दावे TOTAL CLAIMS INCURRED</b>	<b>1184238</b>	<b>483537</b>	<b>168556</b>	<b>91978</b>	<b>167277</b>	<b>97433</b>	<b>1281624</b>	<b>749348</b>
दावेदारों को चुकता दावे Claims paid to claimants								
भारत में In India	641420	567995	120936	82690	42437	86894	1045578	629594
भारत के बाहर Outside India	16563	25452	8406	0	75427	-11740	8368	3152
<b>शुद्ध चुकता दावे Total Claims Paid</b>	<b>657983</b>	<b>593447</b>	<b>129342</b>	<b>82690</b>	<b>117864</b>	<b>75154</b>	<b>1053946</b>	<b>632746</b>



# दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

## अनुसूची -2 Schedule-2

### खंड - विविध SEGMENTS - Miscellaneous

(रु. '000)  
(Rs. '000)

विवरण Particulars	स्वास्थ्य HEALTH		देयता LIABILITY		दूसरे विविध OTHER MISCELLANEOUS		कुल TOTAL	
	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
<b>चुकता दावे Claims Paid</b>								
सीधा Direct	7519913	5677893	32891	92502	1801507	1445136	27859286	23959912
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted	0	0	3017	268	177046	84115	543008	102932
घटाएं : अध्यापित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	888081	861364	5310	13058	649149	344875	5965183	4981341
<b>शुद्ध चुकता दावे Net Claims paid</b>	<b>6631832</b>	<b>4816529</b>	<b>30598</b>	<b>79712</b>	<b>1329404</b>	<b>1184376</b>	<b>22437111</b>	<b>19081503</b>
<b>जोड़े : चालू वर्ष के अंत तक बकाया दावे ADD: Claims Outstanding at the end of Current Year</b>								
सीधा Direct	1991305	1108355	135515	117532	2707534	2593996	43661130	41150632
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted	16	17	71626	45192	125924	208277	5789779	2182478
घटाएं : अध्यापित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	212380	172236	29714	26478	1688389	1099979	14674204	11344116
<b>चालू वर्ष के बकाया शुद्ध दावे Net Claims Outstanding Current Year</b>	<b>1778941</b>	<b>936136</b>	<b>177427</b>	<b>136246</b>	<b>1145069</b>	<b>1702293</b>	<b>34776705</b>	<b>31988994</b>
<b>घटाएं : पिछले वर्ष के अंत में बकाया दावे LESS: Claims Outstanding at the end of Prev. Year</b>								
सीधा Direct	1108355	908722	117533	124705	2593996	1999405	41150632	40136293



(रु. '000)  
(Rs. '000)

विवरण Particulars	स्वास्थ्य HEALTH		देयता LIABILITY		दूसरे विविध OTHER MISCELLANEOUS		कुल TOTAL	
	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted	17	17	45192	50121	208277	120206	2182478	522967
घटाएं : अध्वरिपित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	172236	181657	26478	27898	1099979	891497	11344116	11436485
<b>पूर्व वर्ष में बकाया शुद्ध दावे Net Claims Outstanding Previous Year</b>	<b>936136</b>	<b>727082</b>	<b>136247</b>	<b>146928</b>	<b>1702294</b>	<b>1228114</b>	<b>31988994</b>	<b>29252775</b>
शुद्ध उपगत दावे Net Claims Incurred								
सीधा Direct	8402863	5877527	50873	85329	1915045	2039727	30369785	24974251
जोड़े : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance accepted	-1	0	29451	-4661	94693	172186	4150309	1732443
घटाएं : अध्वरिपित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded	928225	851943	8546	11637	1237559	553357	9295272	4888971
<b>कुल उपगत दावे TOTAL CLAIMS INCURRED</b>	<b>7474637</b>	<b>5025584</b>	<b>71778</b>	<b>69031</b>	<b>772179</b>	<b>1658556</b>	<b>25224822</b>	<b>21817723</b>
दावेदारों को चुकता दावे Claims paid to claimants								
भारत में In India	6625732	4811389	30472	72232	1273632	1107193	21970179	18713813
भारत के बाहर Outside India	6100	5140	126	7479	55771	77183	466932	367690
<b>शुद्ध चुकता दावे Total Claims Paid</b>	<b>6631832</b>	<b>4816529</b>	<b>30598</b>	<b>79712</b>	<b>1329403</b>	<b>1184376</b>	<b>22437111</b>	<b>19081503</b>



# दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

## अनुसूची -3 Schedule-3 कमीशन ( शुद्ध ) Commission (Net)

( रु. '000' )  
(Rs. '000')

विवरण Particulars	अग्नि FIRE		मरीन MARINE				विविध MISCELLANEOUS		कुल GRAND TOTAL	
	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year		गत वर्ष Previous Year		चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
	म. कागों Marine Cargo	म. हल Marine Hull	कुल TOTAL	म. कागों Marine Cargo	म. हल Marine Hull	कुल TOTAL				
चुकता कमीशन Commission paid										
सीधा Direct	321888	322330	22100	243874	18371	265974	2532688	2311451	3120550	2878155
जोड़ : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Re-insurance Accepted	154346	150051	14132	13421	19567	27553	569569	449911	751468	664318
घटाएं : अद्यपित पुनर्बीमा Less: Re-insurance Ceded	446176	537489	108548	68255	123812	176803	1238830	1484725	1861809	2228929
शुद्ध कमीशन Net commission	30058	(65108)	(72316)	189040	(85874)	116724	1863427	1276637	2010209	1313544





अनुसूची -3  
Schedule-3  
खंड - विविध  
Segments - Miscellaneous

कमीशन ( शुद्ध ) (रु. '000)  
Commission (Net) (Rs. '000)

विवरण Particulars	मोटर MOTOR							
	स्वयं क्षति OD	TP-Non- Pool	तृतीय पक्ष TP POOL	कुल TOTAL	स्वयं क्षति OD	TP-Non- Pool	तृतीय पक्ष TP POOL	कुल TOTAL
	चालू वर्ष Current Year				गत वर्ष Previous Year			
<b>चुकता कमीशन Commission paid</b>								
सीधा Direct	908878	30267	0	939145	793587	205278	0	998865
जोड़ : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: On Re-insurance Accepted	4102	1009	399608	404719	4610	1092	357949	363651
घटाएं : अध्यापित पुनर्बीमा Less: On Re-Insurance Ceded	164227	51949	427428	643604	269876	81561	449817	801254
<b>शुद्ध कमीशन Net commission</b>	748753	(20673)	(27820)	700260	528321	124809	(91868)	561262



# दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

अनुसूची -3  
Schedule-3  
खंड - विविध  
Segments - Miscellaneous

कमीशन ( शुद्ध )  
Commission (Net)

(रु. '000)  
(Rs. '000)

विवरण Particulars	इंजीनियरिंग ENGINEERING		कामगार क्षतिपूर्ति WORKMEN'S COMPENSATION		उड्डयन AVIATION		व्यक्तिगत दुर्घटना PERSONAL ACCIDENT	
	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
चुक्ता कमीशन Commission paid								
सीधा Direct	146724	112826	58805	43360	6287	7700	176060	168114
जोड़ : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: On Re-insurance Accepted	81711	36983	65	0	21308	1154	2038	872
घटाएं : अध्यापित पुनर्बीमा Less: On Re-Insurance Ceded	221703	152835	10110	13453	31417	31220	57841	96403
शुद्ध कमीशन Net commission	6732	(3026)	48760	29907	(3822)	(22366)	120257	72583



अनुसूची -3  
Schedule-3  
खंड - विविध  
Segments - Miscellaneous

कमीशन ( शुद्ध )  
Commission (Net)

(रु. '000)  
(Rs. '000)

विवरण Particulars	स्वास्थ्य HEALTH		देयता LIABILITY		दूसरे विविध OTHER MISCELLANEOUS		कुल TOTAL	
	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
चुकता कमीशन Commission paid								
सीधा Direct	700920	507184	35312	35152	469435	438251	2532688	2311451
जोड़ : स्वीकृत पुनर्बीमा Add: On Re-insurance Accepted	0	0	677	180	59051	47070	569569	449911
घटाएं : अध्यापित पुनर्बीमा Less: On Re-Insurance Ceded	143407	200650	12158	11675	118590	177236	1238830	1484725
<b>शुद्ध कमीशन Net commission</b>	<b>557513</b>	<b>306534</b>	<b>23831</b>	<b>23657</b>	<b>409896</b>	<b>308085</b>	<b>1863427</b>	<b>1276637</b>



# दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

## अनुसूची -4 Schedule-4

### बीमा कारोबार से सम्बन्धित प्रचालन व्यय Operating Expenses Related To Insurance Business

(रु. '000)  
(Rs. '000)

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year		गत वर्ष Previous Year	
		Amount	Amount	Amount	Amount
1	कर्मचारियों को वेतन व कल्याण हित लाभ Employees remuneration & Welfare Benefits		6759659		5655456
2	यात्रा, परिवहन तथा चालू वाहन व्यय Travel, Conveyance and Vehicle Running Expenses		365958		289397
3	प्रशिक्षण Training		46420		41252
4	किराया, दरें व कर Rent, Rates & Taxes		535098		419546
5	मरम्मत Repairs		67796		86974
6	प्रिंटिंग व स्टेशनरी Printing & Stationery		85376		104832
7	संचार Communication		131916		120984
8	विधि व व्यवसायिक प्रभार Legal & Professional Expenses		167696		130752
9	लेखा परीक्षक की फीस व खर्च Auditors' fees, expenses etc. (अ) लेखा परीक्षक के रूप में (a) as auditor (ब) निम्न के संबंध में सलाहकार या अन्य हैसियत से (b) as adviser or in any other capacity, in respect of i) कर संबंधी taxation matters ii) बीमा मामले insurance matters iii) प्रबन्धकीय सेवा management services (स) अन्य हैसियत से (c) in any other capacity		16512		14944



(रु. '000)  
(Rs. '000)

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	चालु वर्ष Current Year		गत वर्ष Previous Year	
		Amount	Amount	Amount	Amount
10	विज्ञापन व प्रचार Advertisement & Publicity		293692		269509
11	ब्याज व बैंक प्रभार Interest & Bank Charges		31087		37451
12	अन्य Others				
	क) विद्युत शुल्क a) Electricity Charges	87382		79839	
	ख) बीमा व कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत फीस b) Fee under Insurance & Company Act	61424		56327	
	ग) एल.पी.ए. का अंशदान c) LPA Subscription	0		0	
	घ) पॉलीसी स्टाम्प व्यय d) Policy Stamps Expenses	32377		33152	
	ड) अन्य e) Other	141463	322646	545918	715236
13	मूल्यहास Depreciation		320567		349741
	बीमा कारोबार से सम्बन्धित कुल प्रचालन व्यय <b>TOTAL OPERATING EXPENSES RELATING TO INSURANCE BUSINESS</b>		<b>9144422</b>		<b>8236074</b>



## दि ओरिएण्टल इश्योरेस कम्पनी लिमिटेड

### अनुसूची -5 Schedule-5

#### शेयर पूंजी Share Capital

(रु. '000)  
(Rs. '000)

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
1	प्राधिकृत पूंजी 10 रु. प्रत्येक के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर Authorised Capital 20,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each	2000000	2000000
2	निगमित पूंजी 10 रु. प्रत्येक के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर Issued Capital 10,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each	1000000	1000000
3	अभिदत्त पूंजी 10 रु. प्रत्येक के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर Subscribed Capital 10,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each	1000000	1000000
4	मांगी गई पूंजी 10 रु. प्रत्येक के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर Called-up Capital 10,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each	1000000	1000000
5	घटाएं : अदत्त मांग Less : Calls Unpaid	0	0
	जोड़ें : इक्विटी शेयर जब्त (वास्तविक रूप से चुकता पूंजी) Add : Equity Shares Forfeited (Amount Originally Paid up)	0	0
	घटाएं : प्रारम्भिक व्यय कमीशन अथवा जोखिम अंकन पर आदत अथवा शेयरों का अंशदान Less : Preliminary Expenses Expenses including commission or brokerage on underwriting or subscription of shares	0	0
	<b>कुल Total</b>	<b>1000000</b>	<b>1000000</b>

### अनुसूची -5 ए Schedule-5 A

#### शेयर होल्डिंग प्रतिरूप Pattern of Shareholding

प्रबन्धन द्वारा प्रमाणित

As certified by the Management

शेयर होल्डर Shareholders	चालू वर्ष Current Year		गत वर्ष Previous Year	
	शेयरों की संख्या Number of Shares	धारण का प्रतिशत % of Holding	शेयरों की संख्या Number of Shares	धारण का प्रतिशत % of Holding
प्रवर्तक Promoters				
* भारतीय * Indian	100000000	100%	100000000	100%
* विदेशी * Foreign	0	0	0	0
अन्य Others	0	0	0	0
<b>कुल Total</b>	<b>100000000</b>	<b>100%</b>	<b>100000000</b>	<b>100%</b>



अनुसूची -6  
Schedule-6

आरक्षितियां व अधिशेष  
Reserves and Surplus

(रु. '000)  
(Rs. '000)

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
1	आरक्षित पूंजी Capital Reserve	2565	2565
2	उन्मोचन आरक्षित पूंजी Capital Redemption Reserve		
3	शेयर प्रीमियम Share Premium		
4	सामान्य आरक्षित General Reserves	19260616	19255343
	घटाएं: लाभ एवं हानि लेखा में नामे शेष Less: Debit Balance in Profit & Loss Account		
	घटाएं: पुनर्कय हेतु प्रयोग की गई राशि Less: Amount Utilised for Buy-Back		
5	आपात आरक्षित Catastrophe Reserve		
6	अन्य आरक्षित (विवरण देना है) Other Reserves (to be specified)		
7	लाभ एवं हानि लेखा में शेष लाभ Balance of Profit in Profit & Loss Account	-526634	5273
	<b>कुल Total</b>	<b>18736547</b>	<b>19263181</b>

अनुसूची -7  
Schedule-7

उधार  
Borrowings

(रु. '000)  
(Rs. '000)

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
1	ऋणपत्र/बांड Debentures / Bonds	0	0
2	बैंक Banks	0	0
3	वित्तीय संस्थान Financial Institutions	0	0
4	अन्य ( विवरण देना है) Others ( to be specified)	0	0
	<b>कुल Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

## अनुसूची -8 Schedule-8

### निवेश Investments

(रु. '000)  
(Rs. '000)

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
1	दीर्घ अवधि निवेश <b>Long Term Investments</b> सरकारी प्रतिभूतियां तथा सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉण्ड जिसमें राजकोष बिल भी शामिल है Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills	24559480	25114457
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities अ) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा हित गारंटीकृत बॉण्ड/ऋणपत्र a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed by Central/State Govt.	182742	304108
	ब) भारत सरकार के पास विशेष जमा राशियां b) Special Deposits with Government of India.	0	0
3	अन्य निवेश Other Investments अ) शेयर a) Shares अअ) इक्विटी (aa) Equity बब) अधिमान शेयर (bb) Preference shares ब) म्युचुअल फंड b) Mutual Funds स) व्युत्पन्न साधन c) Derivative Instruments ग) ऋणपत्र/बॉण्ड्स d) Debentures / Bonds घ) अन्य प्रतिभूतियां e) Other Securities ड) सहायक कम्पनियां f) Subsidiaries च) निवेश सम्पति - वास्तविक भूसंपदा g) Investment Properties - Real Estate	48314449 529062 0 0 3818595 0 0 0	77748816 525024 0 0 4149456 0 0 0





(रु. '000)  
(Rs. '000)

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
4	आधारभूत तथा सामाजिक क्षेत्रों में निवेश Investment in Infrastructure & Social Sector		
	अ) बांड/ऋणपत्र, जहां हितों की गारंटी है a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed	100000	17000
	ब) ऋणपत्र/बांड (अन्य) b) Debentures / Bonds(others)	6616166	6388773
	स) इक्विटी c) Equity	5175979	9598605
5	गैर अनुमोदित निवेश Other than Approved Investments		
	अ) ऋणपत्र a) Debentures	364072	380948
	ख) बांड/ऋणपत्र जहां ब्याज की गारंटी हो b) Bonds/Debentures where interest is guaranteed	2493	48980
	ग) इक्विटी c) Equity	1294957	3414545
	घ) अधिमान शेयर d) Preference Shares	169304	154626
	घ) म्युचुअल फंड e) Mutual Funds	0	0
	ड) सहायक कंपनियां f) Subsidiaries	500	125
	च) उद्यम पूंजी निधि g) Venture Capital Fund	532827	477081
	<b>अल्प अवधि निवेश Short Term Investments</b>		
1	सरकारी प्रतिभूतियां तथा सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉण्ड जिसमें राजकोष बिल भी शामिल है Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills	1644642	1698849
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities		
	अ) बांड/ऋणपत्र जहां हित गारंटीकृत है a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed	122366	10479
	ब) भारत सरकार के पास विशेष जमा राशियां b) Special Deposits with Government of India.	0	0



## दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

(रु. '000)  
(Rs. '000)

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
3	अन्य निवेश Other Investments		
	अ) शेयर a) Shares		
	(अअ) इक्विटी (aa) Equity	0	0
	(बब) अधिमान शेयर (bb) Preference shares	3	6
	ब) म्युचुअल फंड b) Mutual Funds	0	0
	स) व्युत्पन्न साधन c) Derivative Instruments	0	0
	द) ऋणपत्र/बांड d) Debentures / Bonds	824361	560169
	ग) अन्य प्रतिभूतियां (विवरण देना है) e) Other Securities (to be specified)	0	0
	घ) सहायक कम्पनियां f) Subsidiaries	0	0
	ङ) निवेश सम्पति-वास्तविक भूसंपदा g) Investment Properties - Real Estate	0	0
4	आधारभूत व सामाजिक क्षेत्रों में निवेश Investment in Infrastructure & Social Sector		
	अ) बांड/ऋणपत्र जहां हित गारंटीकृत है a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed	12000	25949
	ब) ऋणपत्र/बांड b) Debentures/Bonds	171450	713550
5	गैर अनुमोदित निवेश Other than Approved Investments		
	अ) ऋणपत्र a) Debentures	0	0
	ब) बांड/ऋणपत्र जहां हित गारंटीकृत है b) Bonds/Debentures where interest is guaranteed	7992	0
	स) शेयर b) Shares	0	0
	द) अधिमान शेयर c) Preference Shares	0	12000
	घ) म्युचुअल फंड d) Mutual Funds	0	331585
	<b>कुल निवेश Total Investments</b>	<b>94443440</b>	<b>131675131</b>



(रु. '000)  
(Rs. '000)

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
1	निवेश Investments भारत में In India	94296126	131531973
2	भारत के बाहर Outside India	147314	143158
	<b>कुल Total</b>	<b>94443440</b>	<b>131675131</b>

**नोट :**

- (i) लिस्टिड इक्विटी शेयर/म्युचुअल फंड के अतिरिक्त कम्पनी के निवेशों की कुल राशि 404272/- लाख रुपए तथा तत्संबंधी मूल्य बाजार 399413/- लाख रु. ।
- (ii) ऋण पत्रों में निवेश के अंतर्गत 3549/- लाख रुपए को अनुसूची 14 में खराब और संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान के तहत रखा गया है।
- (iii) ऋण पत्रों में निवेश के अंतर्गत 161/- लाख रुपए को अनुसूची 14 में मानक परिसंपत्तियों हेतु प्रावधान के तहत रखा गया है।
- (iv) गारंटीकृत ब्याज वाले ऋण पत्रों/बांड में 105/- लाख रुपए के प्रावधान को अनुसूची 14 में खराब एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान के तहत रखा गया है।
- (v) गारंटीकृत ब्याज वाले ऋण पत्रों/बांड में 313/- लाख रुपए के प्रावधान को अनुसूची 14 में मानक परिसंपत्तिया हेतु प्रावधान के तहत रखा गया है।
- (vi) इक्विटी में निवेश के अंतर्गत 373/-लाख रुपए को अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान के तहत रखा गया है।
- (vii) उद्यम पूंजी में निवेश के अंतर्गत 285/-लाख रुपए को अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान के तहत रखा गया है।
- (viii) उद्यम पूंजी में निवेश के अंतर्गत 5/-लाख रुपए को अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान के तहत रखा गया है।
- (ix) अधिमान्य शेयरों में निवेश के अंतर्गत 160/-लाख रुपए को अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान के तहत रखा गया है।

**NOTES:**

- (i) Aggregate amount of Company's investment other than listed equity shares/mutual funds is Rs. 404272/- lacs and market value thereof is Rs. 399413/- lacs.
- (ii) Provision of Rs. 3549/- lacs against investment in debenture is grouped under Provisions for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.
- (iii) Provision of Rs. 161/- lacs against investment in debenture is grouped under Provisions on Standard Assets in Schedule 14.
- (iv) Provision of Rs.105/- lacs against investment in debenture/bond where interest is guaranteed is grouped under Provisions for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.
- (v) Provision of Rs. 313/- lacs against investment in debenture/bond is grouped under Provisions on Standard Assets in Schedule 14.
- (vi) Provision of Rs. 373/- lacs against investment in equity is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- (vii) Provision of Rs. 285/- lacs against investment in venture capital is grouped under Provisions for Demuniton in value of shares in Schedule 14.
- (viii) Provision of Rs. 5 lacs against investment in subsidiaries is grouped under Provisions for Demuniton in value of shares in Schedule 14.
- (ix) Provision of Rs. 160 lacs against investment in preference shares is grouped under Provisions for Demuniton in value of shares in Schedule 14.



## दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

### अनुसूची -9 Schedule-9

#### ऋण Loans

(रु. '000)  
(Rs. '000)

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
1	<p>सुरक्षावार वर्गीकरण Security-Wise Classification</p> <p>सुरक्षित Secured</p> <p>(अ) धारोहर सम्पति (a) On Mortgage of Property (अअ) भारत में (aa) In India</p> <p>(बब) भारत के बाहर (bb) Outside India</p> <p>(ब) शेयर बाण्ड तथा सरकारी प्रतिभूतियों में (b) On Shares, Bonds, Government Securities</p> <p>(स) अन्य (c) Others</p> <p>(i) कम्पनी की सम्पतियों के दृष्टि बन्धक पर (i) Against Hypothecation of company assets</p> <p>(ii) कर्मचारियों का आवासीय ऋण (ii) Housing Loan to staff.</p> <p>असुरक्षित (सावधि ऋण, ब्रिज ऋण, जमा प्रमाण पत्र, वाणिज्यिक दस्तावेज), Unsecured (Term loans, Bridge loans, Certificate of deposit, Commercial paper )</p>	<p>419</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>1974379</p> <p>1300300</p> <p>88529</p>	<p>419</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>2271586</p> <p>1372117</p> <p>97531</p>
	<b>कुल Total</b>	<b>3363627</b>	<b>3741653</b>
2	<p>ऋण आधार पर वर्गीकरण Borrower-Wise Classification</p> <p>(क) केन्द्रीय व राज्य सरकारें (a) Central and State Governments</p> <p>(ख) बैंक व वित्तीय संस्थान (b) Banks and Financial Institutions</p> <p>(ग) सहायक कम्पनियां (c) Subsidiaries</p> <p>(घ) औद्योगिक उपक्रम (d) Industrial Undertakings</p> <p>(ङ) अन्य (e) Others</p> <p>(i) कर्मचारी (i) Staff</p>	<p>949913</p> <p>138333</p> <p>0</p> <p>975081</p> <p>1300300</p>	<p>1035821</p> <p>229667</p> <p>0</p> <p>1104049</p> <p>1372117</p>



क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
	(ii) व्यासायिक पेपर (ii) Commercial Papers	0	0
	<b>कुल Total</b>	<b>3363627</b>	<b>3741653</b>
3	निष्पादन वार वर्गीकरण Performance-Wise Classification (अ) वर्गीकृत मानकों के अनुसार ऋण (a) Loans classified as standard (अअ) भारत में (a) In India (बब) भारत के बाहर (b) Outside India (ब) कम प्रावधानों के तहत गैर निष्पादित ऋण (b) Non-Performing loans less provisions (अअ) भारत में (a) In India (बब) भारत के बाहर (b) Outside India प्रावधान Provisions	2389074   0  137818  0  836735	2635625   0  140914  0  965114
	<b>कुल Total</b>	<b>3363627</b>	<b>3741653</b>
4	परिपक्वता के आधार पर वर्गीकरण Maturity-Wise Classification (अ) लघु अवधि (a) Short-Term (ब) दीर्घ अवधि (b) Long-Term	151007  3212620	171724  3569929
	<b>कुल Total</b>	<b>3363627</b>	<b>3741653</b>
	<b>कुल Total</b>	<b>3363627</b>	<b>3741653</b>

**नोट :**

- (i) परिसंपत्तियों को गिरवी रखने हेतु 7482 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसे अनुसूची 14 में खराब व संदिग्ध ऋणों के अंतर्गत रखा गया है।
- (ii) असुरक्षित ऋणों हेतु 885 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसे अनुसूची 14 में खराब व संदिग्ध ऋणों के अंतर्गत रखा गया है।
- (iii) मानक परिसंपत्तियों हेतु 44 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है जिसे अनुसूची 14 में मानक परिसंपत्तियों के अंतर्गत रखा गया है।

**NOTE:**

- (i) Provision for Rs.7482 lacs against hypothecation of assets is grouped under Provisions for Bad and Doubtful Debts in Schedule 14.
- (ii) Provision for Rs. 885 lacs against unsecured loans is grouped under Provisions for Bad and Doubtful Debts in Schedule 14.
- (iii) Provision for Rs. 44 lacs against Standard Assets is grouped under Provisions on Standard Assets in Schedule 14.



# दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

## अनुसूची -10 Schedule-10 अचल परिसंपत्तियां Fixed Assets

(रु. '000')

विवरण Particulars	लागत/सकल ब्लॉक COST/ GROSS BLOCK			रिजर्व मूल्यह्रास DEPRECIATION RESERVE			शुद्ध ब्लॉक NET BLOCK	
	प्रारम्भिक शेष Opening Balance	वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	वर्ष के दौरान कटौती एवं समायोजन Deductions & Adjustments made in the year	इतिशेष Closing Balance	प्रारम्भिक शेष Opening Balance	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास during the year Deductions & Adjustments made in the year	इतिशेष Closing Balance	31.03.09 को As on 31.03.2009
<b>वास्तविक परिसंपत्तियां</b> <b>Tangible Assets</b>								
फ्रीहोल्ड भूमि Land Freehold	1108	0	0	1108	0	0	1108	1108
लीजहोल्ड भूमि Leasehold Property	132885	178	0	133063	82778	-24	46148	50107
भवन (फ्री होल्ड) Buildings(Freehold)	488688	12625	0	501313	253365	-1	233669	235323
फर्नीचर वा फिटिंग्स Furniture & Fittings	325757	34663	3644	356776	276942	3393	68407	48815
सूचना व तकनीकी उपस्कर Information & Technology Equipment	1197960	69871	44590	1223241	942975	24077	129212	254985
वाहन Vehicles	378611	78877	47856	409632	216728	31886	171657	161883



विवरण Particulars	लागत/सकल ब्लॉक COST /GROSS BLOCK			रिजर्व मूल्यह्रास DEPRECIATION RESERVE				शुद्ध ब्लॉक NET BLOCK		
	प्रारम्भिक शेष Opening Balance	वर्ष के दौरान जोड़ Additions during the year	वर्ष के दौरान कटौती एवं समायोजन Deductions & Adjustments made in the year	इतिशेष Closing Balance	प्रारम्भिक शेष Opening Balance	वर्ष के दौरान मूल्यह्रास Depreciation during the year	वर्ष के दौरान कटौती एवं समायोजन Deductions & Adjustments made in the year	इतिशेष Closing Balance	31.03.09 को As on 31.03.2009	31.03.08 को As on 31.03.2008
कार्यालय उपकरण Office Equipment	127247	11238	1365	137120	111290	4098	1663	113725	23395	15957
अन्य Others	330740	21684	3895	348529	207916	22098	6461	223553	124976	122824
कुल अचल संपत्ति Total Fixed Assets	2982996	229136	101350	3110782	2091994	287671	67455	2312210	798572	891002
अमूर्त सम्पत्ति (साफ्टवेयर) Intangible Assets (Software)	200730	6898	-1	207629	153405	32896	0	186301	21328	47325
कुल जोड़ Sub Total	3183726	236034	101349	3318411	2245399	320567	67455	2498511	819900	938327
पूँजीकार्य प्रगति में Capital Work in Progress	3979	30868	0	34847	0	0	0	0	34847	3979
<b>कुल Total</b>	<b>3187705</b>	<b>266902</b>	<b>101349</b>	<b>3353258</b>	<b>2245399</b>	<b>320567</b>	<b>67455</b>	<b>2498511</b>	<b>854747</b>	<b>942306</b>
गत वर्ष Previous year	2694998	573149	80442	3187705	1958645	349741	62987	2245399	942306	736353



## दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

### अनुसूची -11 Schedule-11

#### नकद व बैंक शेष Cash & Bank Balances

(रु. '000)  
(Rs. '000)

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट व स्टाम्प को मिलाकर) Cash (including cheques, drafts and stamps)	1838180	1287829
2	बैंक शेष Bank Balances		
	(अ) जमा खाते (a) Deposit Accounts		
	(अअ) लघु अवधि-(12 महीने के अंदर प्राप्य) (aa) Short-term (due within 12 months)	6802564	7776154
	(बब) अन्य (bb) others	0	0
	(ब) चालू खाते (b) Current Accounts	2860533	2997268
	(स) अन्य (c) Others	0	0
3	बैंक से संक्षिप्त नोटिस या मांगे जाने वाली राशि Money at Call and Short Notice		
	(अ) बैंक के साथ a) With Banks	0	0
	(अ) अन्य संस्थानों के साथ (b) With other Institutions	0	0
4	अन्य Others	0	0
	<b>कुल TOTAL</b>	<b>11501277</b>	<b>12061251</b>
	उपर्युक्त 2 एवं 3 में शामिल किये गये गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ शेष Balance with non-scheduled banks included in 2 and 3 above	0	0
	नकद व बैंक शेष Cash & Bank Balances		
1	भारत में In India	10507995	11156880
2	भारत के बाहर Outside India	993282	904371
	<b>कुल TOTAL</b>	<b>11501277</b>	<b>12061251</b>

#### नोट :

- (i) नकद में 35515898/- रु का मार्गस्थ प्रेषण शामिल है। (पूर्व वर्ष में यह 36504222/- रु था)

#### Note:-

- (i) Cash (Including Cheques, Drafts and Stamps) include remittances in transit of Rs. 35515898 (Previous Year Rs. 36504222)





अनुसूची -12  
Schedule-12

अग्रिम एवं अन्य परिसम्पत्तियां  
Advances and Other Assets

(रु. '000)  
(Rs. '000)

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
	अग्रिम Advances		
1	अध्यर्पित कम्पनियों के पास आरक्षित जमा राशि Reserve deposits with ceding companies	201950	247424
2	निवेश हेतु आवेदन राशि Application money for investments	0	79500
3	पूर्व - भुगतान Prepayments	12130	13912
4	निदेशकों/अधिकारियों का अग्रिम Advances to Directors/Officers	448596	441897
5	अग्रिम टैक्स चुकता तथा स्रोत पर कर की कटौती (टैक्स हेतु शुद्ध प्रावधान) Advance tax paid and taxes deducted at source, (NET OF PROVISION FOR TAXATION)/ Amount Recoverable from Tax Deptt.	2151147	799569
6	अन्य Others		
	<b>कुल (अ)</b> <b>Total (A)</b>	<b>125391</b> <b>2939214</b>	<b>109169</b> <b>1691471</b>
1	निवेश पर अर्जित ब्याज Income accrued on investments	1404211	1558079
2	शेष प्रीमियम Outstanding Premium	172261	10701
3	एजेंट शेष Agents' Balances	0	0
4	विदेशी एजेंसी का शेष Foreign Agencies' Balances	234025	152340
5	बीमा एवं पुनर्बीमा करने वाली अन्य कम्पनियों से प्राप्य राशि (including reinsurers)	16895266	7802241



## दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

(रु. '000)  
(Rs. '000)

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	चालु वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
6	सहायक/नियंत्रक कम्पनी से प्राप्य राशि Due from subsidiaries/holding company	249	226
7	रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया में जमा (बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 7 के अनुरूप) Deposit with Reserve Bank of India, [Pursuant to section 7 of Insurance Act, 1938]	171618	171703
8	अन्य Others	2646332	2379684
	<b>कुल (अ) Total (B)</b>	<b>21523962</b>	<b>12074973</b>
	<b>कुल (अ + ब) Total (A + B)</b>	<b>24463176</b>	<b>13766444</b>

### टिप्पणी :

1. अन्य परिसंपत्तियों के अंतर्गत 116495146/- रुपए का प्रावधान अनुसूची 14 में खराब व संदिग्ध ऋणों के तहत रखा गया है।
2. निदेशकों / कर्मचारियों के अंतर्गत अग्रिम 781085/- रुपए का प्रावधान अनुसूची 14 में खराब व संदिग्ध ऋणों के तहत रखा गया है।
3. बीमा व पुनर्बीमा करने वाली कंपनियों की ओर देय राशि के अंतर्गत 456206443/-रुपए का प्रावधान अनुसूची 14 में खराब व संदिग्ध ऋणों के तहत रखा गया है।
4. कर विभाग से वसूली योग्य राशि के अंतर्गत 975471221/- रुपए का प्रावधान अनुसूची 14 में खराब व संदिग्ध ऋणों के तहत रखा गया है।

### Note:

1. Provision of Rs. 116495146/- against other assets is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.
2. Provision of Rs. 781085/- against advance to Directors/Employees is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.
3. Provision of Rs. 456206443/- against 'Due from other entities carrying on Insurance Business including Reinsurers' is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.
4. Provision of Rs. 975471221/- against 'Amount Recoverable from tax Department' is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.



अनुसूची -13  
Schedule-13  
चालू देयताएं  
Current Liabilities

(रु. '000)  
(Rs. '000)

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
1	एजेंटों के शेष (शुद्ध) Agents Balances (Net)	440227	255996
2	अन्य बीमा कम्पनियों को देय शेष Balances due to other insurance companies	3873037	1875506
3	अर्पित पुनर्बीमा हेतु जमा Deposits held on reinsurance ceded	524362	392354
4	अग्रिम प्राप्त प्रीमियम Premium received in advance	657107	660683
5	अनिर्धारित प्रीमियम Unallocated Premium	0	0
6	विविध लेनदार Sundry Creditors	7120277	6562623
7	नियन्त्रक/सहायक कम्पनियों पर बकाया Due to subsidiaries/holding company	0	0
8	बकाया दावे Claims Outstanding	41199911	36783370
9	अधिकारियों/निदेशकों पर बकाया Due to Officers / Directors	0	0
10	अन्य (विवरण देना है) Others (to be specified)	0	0
	<b>कुल Total</b>	<b>53814921</b>	<b>46530532</b>



## दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

### अनुसूची -14 Schedule-14

#### प्रावधान Provisions

(रु. '000)  
(Rs. '000)

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
1	असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षितियां Reserve for Unexpired Risk	16303383	14620358
2	कराधान हेतु (कम चुकता अग्रिम कर और स्रोत पर कर कटौती) For taxation (less advance tax paid and tax deducted at source)	0	0
3	प्रस्तावित लाभांश के लिए For proposed dividends	0	75000
4	लाभांश वितरण पर कर For dividend distribution tax	0	12746
5	अन्य Others		
	(अ) नकदी अवकाश हेतु प्रावधान/एलटीएस/बीमारी अवकाश (a) Provision for Leave Encashment/ LTS/Sick Leave	2130121	1503073
	(ब) खराब एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान (b) Provision for Bad & Doubtful Debts	2751867	2920858
	(स) मानक परिसम्पत्तियों हेतु प्रावधान (c) Provision for Standard Assets	51679	53665
	(द) शेयरों के मूल्य में कमी हेतु प्रावधान (d) Provision for Diminution in Value of Shares	82176	58928
	<b>कुल Total</b>	<b>21319226</b>	<b>19244628</b>

### अनुसूची -15 Schedule-15

#### विविध व्यय Miscellaneous Expenditure

जिसे बट्टे खाते या समायोजित नहीं किया गया है  
(To the extent not written off or adjusted)

(रु. '000)  
(Rs. '000)

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	गत वर्ष Previous Year
1	शेयर/डिवेंचर जारी करने में लागू छूट Discount Allowed in issue of shares/ debentures	0	0
2	अन्य Others	0	0
	<b>कुल Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



परिशिष्ट - 1

लेखाकरण नीतियां एवं टिप्पणियां

क. लेखाकरण की महत्वपूर्ण नीतियां

1. लेखाकरण पर लोक सम्मति

तुलन पत्र, लाभ व हानि खाता और राजस्व खातों की रूपरेखा बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11(1) के उपबंधों के अनुसार तैयार की जाती है जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (1), (2) और (5) तथा धारा 227 की उपधारा (5) के साथ पढ़ा जाता है तथा इसके साथ-साथ बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के उपबंधों के अनुसार भी तैयार किया जाता है। इन विवरणियों को निरंतर व्यापार प्रक्रिया और लेखाकरण के प्रोद्भुद आधार पर ऐतिहासिक लागत को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। ये विवरणियां कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 (3सी) और बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणियों की तैयारी एवं बीमा कंपनियों के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) नियमावली 2002 के अधीन लागू होने वाली सीमा तक अनुपालन करते हुए भारत में अन्यथा वर्णित को छोड़कर सामान्य बीमा उद्योग की पद्धतियों की कसौटी पर खरी उतरती हैं।

2. शेयरधारक व पॉलिसी होल्डर निधि:

शेयरहोल्डर निधि में शेयर पूंजी, सामान्य रिजर्व और पूंजी रिजर्व शामिल किए जाते हैं। पॉलिसी होल्डर निधि में तकनीकी रिजर्व और बकाया दावों के लिए प्रावधान शामिल किए जाते हैं।

3. विदेशी मुद्रा लेनदेन /बदलाव:

- 3.1 लेखाकरण मानक 11 “विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव (संशोधित 2003) के अनुसार विदेशी शाखाओं/एजेन्सियों को “एकीकृत विदेशी प्रचालन” के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।
- 3.2 विदेशी मुद्रा में प्राप्त की गई स्थिर संपत्तियों और निवेशों की कीमत को इनकी प्राप्ति की तारीख के दिन विनिमय दरों में परिवर्तित/अनूदित कर दिया जाता है।
- 3.3 विदेशी मुद्रा में प्रदर्शित सभी अन्य संपत्तियों और देनदारियों की कीमत को वर्ष के अंत में खरीद की बोली दर में परिवर्तित/अनूदित कर दिया जाता है।
- 3.4 विदेशी मुद्रा में प्रदर्शित विदेशी शाखाओं एवं एजेन्सियों की आय एवं व्यय की मदों को वित्तीय वर्ष के दौरान चार त्रैमासिक दरों की औसत विनिमय दर में परिवर्तित/अनूदित कर दिया जाता है जो दिन के अंत में खरीद की बोली की दर का औसत होती है।

ANNEXURE-I

ACCOUNTING POLICIES AND NOTES

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Accounting Convention:

The Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Revenue Accounts are drawn up in accordance with the provisions of Section 11(1) of the Insurance Act, 1938 read with the provisions of sub-sections (1), (2), and (5) of Section 211 and sub-section (5) of Section 227 of the Companies Act, 1956 and also as per the provisions of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999. The said statements are prepared on historical cost convention as a going concern and on accrual basis of accounting. They comply with the accounting standards referred to in section 211(3C) of the Companies Act, 1956 and The Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 to the extent applicable and conform to practices prevailing in the General Insurance Industry in India except as otherwise stated.

2. Shareholders' and Policyholders' Fund:

The Shareholders' Fund comprises of Share Capital, General Reserve and Capital Reserve. The Policyholders' Fund comprises of Technical Reserves and Provision for Outstanding Claims.

3. Foreign Currency Transactions / Conversion:

- 3.1 As per Accounting Standard 11 “the effects of changes in foreign exchange rates (revised 2003), Foreign branches/agencies are classified as “Integral Foreign Operations”.
- 3.2 Value of fixed assets and investments acquired in foreign currencies, is converted/ translated at the exchange rates on the date of acquisition.
- 3.3 Value of all other assets and liabilities expressed in foreign currencies, is converted/translated at the year-end closing purchase bidrate.
- 3.4 Items of income and expenditure of foreign branches and agencies expressed in foreign currencies are converted/ translated at the mean exchange rate of four quarterly rates during the financial year, which are the average of daily closing purchase bid rates.



## दि ओरिण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

- 3.5** पुनः बीमा व्यापार एवं निवेश से संबंधित राजस्व लेनदेन को वित्तीय वर्ष के उस विशेष तिमाही में समस्त व्यापारिक दिनों के लिए दिन के अंत में खरीद की बोली दरों की औसत विनिमय दर में परिवर्तित/अनूदित कर दिया जाता है।
- 3.6** विदेशी मुद्रा लेनदेन के परिवर्तन के फलस्वरूप विनिमय लाभ/हानि की आय/व्यय के रूप में पहचान की जाती है।
- 4. राजस्व की पहचान:**
- 4.1** पुनः बीमा की शुद्ध राशि के प्रीमियम प्रत्येक संबंधित राजस्व खाते में जोखिमों की मान्यता पर रिकार्ड किए जाते हैं और जिन जोखिमों की अवधि समाप्त नहीं हुई है वे उनकी प्रतिशत पर आधारित होते हैं जो अग्नि, मेरीन कारगो एवं विविध किस्म के व्यापार के संबंध में 50 प्रतिशत तथा मेरीन हल व्यापार के संबंध में 100 प्रतिशत होता है।
- 4.2** 31 मार्च तक विदेशी बीमा कंपनियों से प्राप्त पुनः बीमा की राशि (लेखाकरण नीति 5.1 ए (ii) के अधीन) बकाया दावों के लिए अनुमानित देनदारी और संगत लेखाकरण वर्ष के फाइनल होने तक भारतीय बीमाकर्ताओं एवं सरकारी निकायों से प्राप्त राशि को उस वर्ष के खातों में डाल दिया जाता है। पुनःबीमा की कटौती उन परामर्श/प्रतिफलों के आधार पर की जाती है जो प्रचलित कार्यालयों/भारतीय सामान्य बीमा निगम से प्राप्त किए जाते हैं। जहां पूर्ण ब्यौरे उपलब्ध होते हैं, वहां उपलब्ध सूचना के आधार पर अनुमानों को ध्यान में रखते हुए पुनः बीमा स्वीकृति/कटौती की जाती है।
- 4.3** वर्ष की घोषित आय के रूप में लाभांश की गणना की जाती है। आपत्ति वाले शेयर/डिबेंचर पर लाभांश/ब्याज या जिनकी डिलीवरी अभी होनी बाकी है उनकी गणना रीएलाइजेशन पर आधारित होती है। अंतरिम लाभांश की गणना ऐसे मामलों में की जाती है जिनमें वारंट की तारीख 31 मार्च या उससे पहले की होती है।
- 4.4** बिक्री/निवेश मोचन की गणना बिक्री/मोचन से एक दिन पहले की औसत लागत को ध्यान में रखकर की जाती है।
- 4.5** निवेश की बिक्री/मोचन पर लाभ/हानि, असक्रिय संपत्तियों के लिए उपबंध, शेयर के मूल्य में गिरावट के लिए उपबंध, कर्ज वाली प्रतिभूतियों पर प्रीमियम का मोचन और ब्याज द्वारा आय। लाभांश और किराए का आबंटन वर्ष के आरंभ में पॉलिसी होल्डर निधि एवं शेयरहोल्डर निधि के आधार पर राजस्व खातों और लाभ व हानि खाता के बीच किया जाता है।
- 4.6** ऋण, बांड और डिबेंचर के संबंध में ब्याज से प्राप्त आय
- 3.5** Revenue transactions relating to reinsurance business and investments are converted/translated at the average exchange rate of daily closing purchase bid rates for all the trading days in that particular quarter of the financial year.
- 3.6** Exchange Gain/Loss on conversion of foreign currency transactions is recognized as income/expense.
- 4. Revenue Recognition:**
- 4.1** Premiums are recorded, net of reinsurances, based on assumption of risks in each related Revenue account and Reserve for Unexpired Risks is based on a percentage thereof, being 50% in case of Fire, Marine Cargo and Miscellaneous business and 100% in case of Marine Hull business.
- 4.2** The reinsurance returns from Foreign Insurance companies to the extent received upto 31<sup>st</sup> March (subject to Accounting Policy 5.1a(ii) in respect of Estimated liability for outstanding claims) and returns from Indian Insurers and Government Bodies received upto finalisation of accounts of the relevant accounting year are incorporated in the accounts of the year. Reinsurance cessions are made on the basis of advices/returns as received from the Operating Offices/General Insurance Corporation of India. Wherever full particulars are not available, reinsurance acceptances/ cessions are made on estimates based on available information.
- 4.3** Dividend is accounted for as income in the year of declaration. Dividend/interest on shares/debentures under objection/ pending delivery is accounted for on realization. Interim dividend is accounted where the warrants are dated 31<sup>st</sup> March or earlier.
- 4.4** Profit/Loss on sale/redemption of investments is computed by taking the average cost as at the close of the preceding day of sale/redemption.
- 4.5** Profit/loss on sale/redemption of investments, provisions for non performing assets, provision for diminution in value of shares, amortization of premium on debt securities and income by way of Interest, Dividend and Rent are allocated between Revenue accounts and Profit & Loss account on the basis of Policyholders' Fund and Shareholders' Fund as at the beginning of the year.



की पहचान, संपत्ति वर्गीकरण के लिए विवेकपूर्ण मापदंडों एवं आईआरडीए के सर्कुलर नं० 32/2/एएंड//सर्कुलर/169/जन. /2006-07 दिनांक 24 जनवरी 2007 के अंतर्गत जारी उपबंधों के अनुसार की जाती है।

- 4.7 नई बीमा संविदाओं/उनके नवीकरण के अधिग्रहण से संबंधित अधिग्रहण लागत उस वर्ष में वसूली जाती है जिसमें उस पर खर्च किया जाता है।

**5. बकाया दावे :**

5.1.क वर्ष के अंत में बकाया दावों के लिए अनुमानित देनदारी सर्वेक्षण रिपोर्ट, लीडरों के परामर्श और रीएलाइजेशन की तारीख तक अन्य स्रोत, पूर्व अनुभव या अन्य लागू होने वाले कानूनों पर आधारित होती हैं। अनुमानों की निरंतर समीक्षा की जाती है और तदनुसार उपबंध बनाए जाते हैं। तथापि, अंतिम देनदारी उपलब्ध राशि से कम या अधिक हो सकती है जिसके लिए किसी प्रकार के समायोजन को उस अवधि में प्रदर्शित किया जाता है जिसमें उनकी पहचान की जाती है। बकाया दावों के लिए अनुमानित देनदारी में निम्नलिखित शामिल होते हैं:-

- i) प्रत्यक्ष व्यापार, दावों के संबंध में वर्ष के अंत तक प्राप्त सूचना।
- ii) बाद वाले वर्ष की अलग अलग तारीखों तक पुनः बीमा स्वीकृतियां एवं प्राप्त परामर्श।

5.1.ख बकाया मोटर टीपी क्लेम के लिए मुद्दा-दर-मुद्दा आधार पर प्रचालन कार्यालयों में प्रावधान बनाए गए हैं। वास्तविक समझौतों की प्रवृत्तियों पर भी विचार किया जाता है और वास्तविक प्रमाणन पर आधारित यदि कोई कमी दिखाई देती है तब उसे प्रधान कार्यालय द्वारा पूरा किया जाता है।

5.1.ग मोटर थर्ड पार्टी क्लेम के संबंध में जहां अदालत द्वारा कंपनी का दायित्व स्थापित करने के लिए पर्याप्त नीति ब्यौरों की अवहेलना के लिए कंपनी को सम्मन जारी किए जा चुके हैं, इस संबंध में किए गए प्रावधानों का विवरण निम्न प्रकार है:-

- i) 100% अनुमानित देनदारी जहां बकाया दावों को 1 साल से अधिक हो गया है।
- i) ऐसे सभी दावों के लिए 1/3<sup>वां</sup> देनदारी जिनमें वर्ष के दौरान अदालत ने कंपनी को सम्मन जारी कर दिए हैं।

5.1.घ जो दावे किए गए हैं उनके लिए प्रावधान लेकिन जिनकी सूचना नहीं दी गई है (आईबीएनआर) तथा ऐसे दावों के लिए प्रावधान जिनका उल्लेख किया गया है लेकिन पर्याप्त रूप से सूचना नहीं मिल पाई उन्हें वास्तविक प्रमाणन के अनुसार उपबंध बनाए जाते हैं।

5.1.ङ कंपनी द्वारा निराकरण किए गए ऐसे दावों के लिए प्रावधान जिनमें दावेदारों ने अदालत/ओम्बुड्समेन/मध्यस्थ आदि द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया है, वहां प्रबंधन की राय है कि

4.6 Interest income in respect of loans, bonds and debentures is recognized as per the prudential norms for income recognition, asset classification and provisioning issued by IRDA vide circular no. 32/2/F&A/circular/169/Jan/2006-07 dated 24<sup>th</sup> January 2007.

4.7 The acquisition cost relating to acquisition of new/renewal of insurance contracts is charged in the year in which they are incurred.

**5. Outstanding Claims:**

5.1.a Estimated liability for outstanding claims at the year end are based on survey reports, information provided by clients, advices of Leaders and other sources upto the date of finalization, past experience and other applicable laws. The estimates are continually reviewed and provisions made accordingly. However, the final liability may be in excess of, or less than, the amount provided, for which any adjustments will be reflected in the periods in which they become known. Estimated liability for outstanding claims include:

- i) In respect of direct business, claims intimations received up to the year end
- ii) In respect of reinsurance acceptances, advices received as of different dates of subsequent year.

5.1.b Provision for outstanding Motor TP claims is made at the Operating Offices on a case-to-case basis. Trends in actual settlement are also considered and based on Actuarial Certification, consequent shortfall, if any, is provided at Head Office.

5.1.c In respect of Motor Third Party claims where court summons have been served on the company without adequate policy particulars to establish liability of the company, provision is made as under:

- i) 100% of estimated liability where such claims are outstanding for more than 1 year
- ii) 1/3<sup>rd</sup> of the estimated liability for all such claims where court summons have been served in the company during the year.

5.1.d Provisions for claims incurred but not reported (IBNR) and provisions for claims incurred but not enough reported (IBNER) are made as per actuarial certification.

5.1.e Provisions for claims repudiated by the company but contested by the claimants in courts/



## दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

- इनके लिए अदालत का निर्णय कंपनी के विरुद्ध हो सकता है।
6. क्लेम के अधीन साल्वेश/रिकवरी आदि के निपटान का लेखा जोखा रिएलाइजेशन पर किया जाता है और उसे क्लेम के खाते में डाल दिया जाता है।
7. **प्रबंधक-प्रभाजन के खर्च:**  
पॉलिसी स्टाम्प के अतिरिक्त प्रबंधन के खर्च सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम जमा स्वीकृत पुनः बीमा प्रीमियम जिसमें अग्नि एवं विविध व्यापार दोनों के लिए 100 प्रतिशत और मेरीन व्यापार के लिए 75 प्रतिशत प्रभाजन अंश दिया जाता है। पॉलिसी स्टाम्प से संबंधित खर्च सीधे संबंधित राजस्व खातों में लिखे जाते हैं। निवेश संबंधित खर्च जैसे सुरक्षित अभिरक्षा, ब्याज एवं लाभांश आदि पर बैंक प्रभार को वर्ष के आरंभ में पॉलिसी होल्डर एवं शेयर होल्डर निधि के आधार पर राजस्व खातों एवं लाभ-हानि खातों में विभाजित किया जाता है।
8. **स्थिर संपत्ति:**
- 8.1 घरेलू संपत्ति को “लीजहोल्ड प्रोपर्टी/भवन” शीर्ष के अंतर्गत लिखा जाता है (अधिग्रहण किए गए संपत्ति के अधिकारों के लिए समितियों में शेयर की लागत शामिल)
- 8.2 स्थिर संपत्तियों का मूल्यांकन मूल्यहास को घटाकर लागत के आधार पर किया जाता है। लागत में अधिग्रहण और संपत्ति के अधिग्रहण पर होने वाला अन्य प्रत्यक्ष खर्च शामिल होता है।
- 8.3 जिन संपत्तियों का अधिग्रहण किया जा चुका है लेकिन उन्हें उपयोग में लाया नहीं लाया गया है उन्हें “पूँजीगत कार्य प्रगति पर है” शीर्ष में वर्गीकृत किया जाता है।
9. **स्थिर संपत्ति/अस्पर्शीय संपत्ति पर मूल्यहास/ऋणमोचन:**
- 9.1 स्थिर संपत्तियों पर मूल्यहास आयकर अधिनियम नियमावली 1962 में वर्णित दरों और कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची चौदह के अनुसार तुलनात्मक रूप से उच्च दरों पर उपलब्ध कराई जाती है।
- 9.2 1 अक्टूबर अथवा उसके बाद स्थिर संपत्तियों में जोड़ी गई संपत्ति पर मूल्यहास उपरोक्त लागू दरों के 50 प्रतिशत पर उपलब्ध कराई गई है। वर्ष के दौरान जिस संपत्ति को बेचा जा चुका है/ छोड़ दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है उस पर मूल्यहास नहीं दिया गया है।
- 9.3 5000 ₹0 या उससे कम की संपत्ति पर 100 प्रतिशत की दर से मूल्यहास उपलब्ध कराई जा रही है।
- 9.4 अस्पष्ट संपत्ति को उसके अधिग्रहण की लागत और उसके अनुमानित उपयोगी जीवन पर मोचन को ध्यान में
- ombudsman/ arbitration etc. have been made where the management is of the opinion that the awards are likely to go against the company.
6. Disposal of salvage / recoveries under claims, are accounted for on realization and credited to claims
7. **Expenses of Management-Apportionment:**  
Expenses of Management other than policy stamps are apportioned to the Revenue Accounts on the basis of the gross direct premium plus reinsurance premium accepted giving weightage of 100% each for Fire and Miscellaneous business and 75% for Marine business. Expenses relating to Policy Stamps are directly taken to respective Revenue Accounts. Expenses relating to investments such as, safe custody, bank charges on collection of interest and dividend etc. are apportioned between Revenue Accounts and Profit and Loss Account on the basis of Policy Holders' Fund and Shareholders' Fund as at the beginning of the year.
8. **Fixed Assets:**
- 8.1 House Properties (inclusive of cost of shares in Co-operative societies for property rights acquired) are included under the head “Leasehold property/Buildings”.
- 8.2 Fixed assets are valued at cost less depreciation. Cost includes cost of acquisition and other direct expenditure incurred for acquisition of assets.
- 8.3 Assets acquired but not put to use are classified under “Capital Work in Progress”.
9. **Depreciation/Amortization on Fixed Assets/ Intangible Assets:**
- 9.1 Depreciation on fixed assets is provided on the written down value at higher of the rates specified in the Income Tax Rules, 1962 and those specified in Schedule XIV to the Companies Act, 1956.
- 9.2 Depreciation on additions to Fixed Assets on or after 1<sup>st</sup> October has been provided at 50% of the applicable rates as above. No depreciation is provided on Assets sold/discarded/destroyed during the year.
- 9.3 Assets costing Rs.5,000 and below are being provided for @100%.
- 9.4 Intangible Assets are accounted for at their cost of acquisition and amortized over the estimated useful life not exceeding 5 years.





रखकर लेखा जोखा किया जाता है और ऐसे मामलों में इनकी उपयोगी अवधि 5 साल से अधिक नहीं होती है।

**10. निवेश :**

**10.1** लागत में दलाल, ट्रांसफर स्टाम्प, ट्रांसफर शुल्क आदि जैसे खर्च के अतिरिक्त अधिग्रहण पर प्रीमियम का खर्च शामिल होता है और यदि कोई इनसेंटिव/शुल्क आदि हो तो उनका शुद्ध खर्च।

**10.2** अल्पावधि वाले मनी मार्केट यंत्र जैसे डिपाजिट एवं वाणिज्यिक कागजातों के प्रमाण-पत्र जिनकी सहमत दरों पर सविंदा के समय छूट दी गई है, का लेखा जोखा छूट की कीमत पर किया जाता है।

**10.3** ऋण प्रतिभूतियों में निवेश जिसमें सरकारी प्रतिभूतियां शामिल होती हैं और गिरवी रखे गए प्रीफिरेन्स शेयर को “परिपक्वता हेतु सुरक्षित” शीर्ष के अंतर्गत विचार किया जाता है व लागत को ध्यान में रखकर इनका मूल्यांकन किया जाता है। प्रतिभूतियों पर प्रदत्त प्रीमियम को परिपक्वता की बची हुई अवधि के हिसाब से ऋणमुक्त किया जाता है।

**10.4.1** इक्विटी शेयर के संबंध में निवेश पोर्टफोलियो को संपन्न गतिविधि और गैर-सूची में अलग कर दिया जाता है।

**क )** सक्रिय गतिविधि वाले इक्विटी शेयर का मूल्यांकन मार्च के महीने में एनएसई/बीएसई की समापन कीमत के न्यूनतम बिंदू पर किया जाता है। अन-रिएलाइज्ड लाभ/हानि का “उचित मूल्य परिवर्तन खाता” के अंतर्गत लेखाजोखा रखा जाता है।

**ख )** छुटपुट/गैर सूची वाले इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है। तथापि, इस प्रकार के निवेशों की कीमत में कमी के लिए वहां प्रावधान बनाया गया है जहां ब्रेक-अप वेल्यू लागत से कम हो जाती है। यदि ब्रेक-अप वेल्यू नकारात्मक होती है तब बुक वेल्यू के बराबर राशि के लिए प्रावधान रखा जाता है।

**10.4.2** प्रीफिरेन्स शेयर के मामले में जहां पुनः खरीद-फरोखत तीन साल से अधिक की हो जाती है वहां उनकी बकाया राशि के लिए प्रावधान रखा जाता है।

**10.5** हानि की पहचान इक्विटी और प्रीफिरेन्स शेयरों में की जाती है जहां कंपनियां पूर्व वर्ष में लगातार तीन साल से नुकसान झेल रही होती हैं और जिनकी पूंजी को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से क्षति पहुंचाती है या जिनके पिछले तीन साल के आय खातों का ब्योरा उपलब्ध नहीं है। ऐसी कंपनियों के शेयरों में निवेश का मूल्यांकन निम्न प्रकार किया जाता है:

**10.5.1 इक्विटी शेयर:**

**क )** सक्रिय गतिविधि वाले इक्विटी शेयरों के मामलों में अंतिम उल्लिखित बाजारी कीमत अथवा बुक वेल्यू या इनमें जो भी कम हो।

**10. Investments:**

**10.1** The cost includes premium on acquisition, expenses like brokerage, transfer stamps, transfer charges etc., and is net of incentive/fee, if any, received thereon.

**10.2** Short Term Money Market instruments such as certificates of deposit and commercial papers, which are discounted at the time of contract at the agreed rates, are accounted at the discounted value.

**10.3** Investments in debt securities including Government securities and redeemable preference shares are considered as “held to maturity” and are valued at cost and the premium paid on securities is amortised over the residual period of maturity.

**10.4.1** Investment Portfolio in respect of Equity Shares is segregated into actively traded, thinly traded and unlisted.

**a)** Actively traded equity shares, are valued at the lowest of the last quoted closing price at NSE/ BSE in the month of March. The unrealized gains/ losses are accounted in “Fair Value Change Account”.

**b)** Thinly traded/unlisted equity shares are valued at cost. However, provision is made for diminution in value of such investments when the break-up value falls below the cost. In case the break-up value is negative, provision is made for an amount equivalent to the book value.

**10.4.2** In case of Preference Shares, where redemption proceeds are due for more than three years, provision is made for the amount due.

**10.5** Impairment is recognized in equity and preference shares, where the companies have been making losses continuously for the three immediately preceding years and whose capital is impaired partially/ fully or where the annual accounts for the three immediately preceding years are not available. Investments in shares of such companies are valued as under:

**10.5.1 Equity Shares:**

**a)** In the case of actively traded equity shares, at the last quoted market price or book value whichever is lower.

**b)** In case of thinly traded/unlisted equity shares, at



ख) छुटपुट/गैर सूची वाले इक्विटी शेयरों के मामलों में कंपनी के ताज़ा वार्षिक खातों के अनुसार ब्रेक वेल्थ के अनुसार निश्चित किए जाते हैं किंतु ये पिछले तीन वर्षों से पहले के न हों। जिन मामलों में ब्रेक-अप वेल्थ नकारात्मक हो अथवा जहां पिछले तीन वर्ष के वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हो, तब ऐसी स्थिति में प्रत्येक कंपनी के लिए केवल 1 ₹0 की मामूली सी कीमत पर निश्चित किए जाते हैं।

#### 10.5.2 प्रीफिरेन्स शेयर:

क) यदि किसी कंपनी के इक्विटी शेयर सक्रिय रूप से व्यापार में लगाए जाते हैं तब इसके प्रीफिरेन्स शेयरों को उस कीमत में लिखा जाता है जो शेयर के अंकित मूल्य की दृष्टि से बाजारी कीमत के समानुपाती होती है।

ख) यदि किसी कंपनी के इक्विटी शेयर सूची नहीं है अथवा न्यून रूप में व्यापार में लगाए गए हैं तब इसके प्रीफिरेन्स शेयरों को उस कीमत में लिखा जाता है जो इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य की दृष्टि से ब्रेक-अप वेल्थ के समानुपाती होती है। जिन मामलों में इक्विटी शेयर नकारात्मक होता है अथवा जहां निरंतर पिछले तीन वर्षों के वार्षिक खाते उपलब्ध नहीं हैं तब ऐसी स्थिति में प्रत्येक कंपनी के लिए 1 ₹0 की मामूली सी कीमत पर निश्चित किए जाते हैं।

10.5.3 01/04/2000 के बाद लेखाकरण नीति 10.5 के अनुपालन में उपलब्ध क्षति को पीछे लिखा जाता है और उसकी पहचान केवल उस स्थिति में लाभ व हानि खाता में लिखी जाती है जब संग्रहित समस्त हानि को बराबर कर दिया जाता है और नवीनतम प्रकाशित खातों के अनुसार पूंजी को वापस प्राप्त कर लिया जाता है। तथापि, क्षतिग्रस्त नुकसान की वापसी की पहचान इक्विटी व प्रीफिरेन्स शेयर दोनों में उस स्थिति में नहीं की जाती है जहां प्रीफिरेन्स शेयरों का मोचन पिछले तीन सालों से बकाया चल रहा हो।

10.6 म्यूचुल फंड की इकाईयों में निवेश का मूल्यांकन शुद्ध संपत्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर किया जाता है और अनरिएलाइज्ड प्राप्ति/हानि का लेखा जोखा “उचित मूल्य परिवर्तन खाता” में किया जाता है।

10.7 वेन्चर कैपिटल फंड की इकाईयों में निवेश का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है। फिर भी, यदि शुद्ध संपत्ति की कीमत लागत से कम है तब लागत और शुद्ध संपत्ति कीमत के बीच अंतर की सीमा तक निवेश की कीमत देकर प्रावधान बनाया जाता है। पहले से पहचाने गए नुकसान की सीमा तक एनएवी में किसी प्रकार की प्रशंसा को राजस्व में गिना जाता है।

10.8 आय की पहचान, संपत्ति के वर्गीकरण के लिए स्टैंडर्ड/नॉन-परफार्मिंग ऋण/जमा/डिबेंचर को विवेकपूर्ण मापदंडों के आधार पर तथा आईआरडीए के सर्कुलर

the break-up value as per latest annual accounts of the company not earlier than the three immediately preceding years. Where the break-up value is negative or where the annual accounts are not available for the three immediately preceding years, to a nominal value of Re 1/- per company.

#### 10.5.2 Preference shares:

a) If the equity shares of a company are actively traded, its preference shares are written down to a value which is in the same proportion as the market value of the equity share bears to its face value.

b) If the equity shares of a Company are unlisted/ thinly traded, its preference shares are written down to a value, which is in the same proportion as the break-up value of equity share bears to its face value; where the break up value of equity share is negative or where the annual accounts are not available for the three immediately preceding years, to a nominal value of Re 1/- per company.

10.5.3 Impairment loss, provided in terms of accounting policy No. 10.5, after 01/04/2000, is written back and recognized in Revenue / Profit and Loss Account only in case the accumulated losses are fully wiped out and capital fully restored as per the latest available published accounts. However, reversal of impairment loss is not recognized for both equity and preference shares in cases where the redemption proceeds of preference shares are due for more than three years.

10.6 Investments in units of Mutual Funds are valued at Net Asset Value (NAV) and the unrealized gains/losses are accounted in “Fair Value Change Account”.

10.7 Investment in units of Venture Capital Fund is valued at cost. However in case The Net Asset Value is below Cost, the provision is made for diminution in the Value of Investment to the extent of difference between Cost and Net Asset Value. Any appreciation in the NAV to the extent of loss earlier recognized is taken to revenue.

10.8 Provisions for standard/non-performing loans/ deposits/ debentures are made on the basis of prudential norms for income recognition, asset



32/2/एफएंडए/सर्कुलर/169/जन./2006-07 दिनांक 24 जनवरी 2007 के अंतर्गत जारी उपबंधों के अधीन तैयार किया जाता है।

**11.1 कर्मचारियों के लाभ:**

11.1.1 कर्मचारियों को ग्रेचुएटी और पेंशन लाभ देने के दायित्व का निर्धारण वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के प्रोद्भूत आधार पर निर्धारित किया जाता है और इसे किसी अनुमोदित निधि से पूरा किया जाता है।

11.1.2 लीव एनकेशमेंट और अन्य वर्णित कर्मचारी लाभों के लिए वर्ष के अंत में वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान रखे जाते हैं।

11.1.3 कंपनी एक ऐसे अलग न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित अंशदान देती है जो अनुमति प्राप्त प्रतिभूतियों में इस निधि का निवेश करता है। अवधि के लिए निधि में अंशदान की पहचान खर्च के रूप में की जाती है और इसे लाभ व हानि खाते से चार्ज किया जाता है। कंपनी की बाध्यता इस तरह के निश्चित अंशदान तक ही सीमित होती है।

**12. कराधान:** कर पर होने वाला खर्च चालू वर्ष के कर, वार्षिक कर और आस्थगित कर का योग होता है। इन्हें लाभ व हानि खाता से चार्ज (जमा के लिए) किया जाता है।

**12.1 वर्तमान वर्ष का प्रभार:** कराधान के प्रावधानों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

क) आयकर अधिनियम 1961 के अधीन निर्धारण के अनुसार कंपनी के मूल्यांकन किए जाने वाले लाभों पर कराधान का प्रावधान।

ख) आयकर अधिनियम 1961 के अधीन निर्धारण के अनुसार फ्रिज बेनेफिट टेक्स के लिए प्रावधान

ग) वेल्थ टेक्स अधिनियम 1957 के अधीन निर्धारण के अनुसार वेल्थ टेक्स का प्रावधान

**12.2 पिछले वर्ष का प्रभार:** अमान्य अथवा किसी अन्य कारण के लिए अपील के अंतर्गत मामलों के लिए जैसा उचित समझा जाता है, के अनुसार प्रावधान बनाए जाते हैं।

**12.3 आस्थगित कर:** वित्तीय विवरणियों और वर्तमान आयकर उपबंधों के अनुमानों की मदों की पहचान के फलस्वरूप सामयिक परिवर्तनों के कर प्रभावों पर आधारित देनदारी विधि का उपयोग करते हुए आस्थगित कर के लिए कंपनी कर उपलब्ध कराती है। अस्थायी सामयिक परिवर्तनों के चलते आस्थगित कर संपत्ति की पहचान उस कारणोचित निश्चितता तक की जाती है जिसमें संपत्तियों को भविष्य में भुनाया जा सके।

classification and provisioning issued by IRDA vide circular no. 32/2/F&A/circular/169/Jan/2006-07 dated 24<sup>th</sup> January 2007.

**11.1 Employees' Benefits:**

11.1.1 The liability for gratuity and pension benefits to employees is determined on accrual basis as per the actuarial valuation at the year end and is administered through an approved fund

11.1.2 Provisions for leave encashment and other defined employee benefits are made on the basis of actuarial valuation at the year end.

11.1.3 The Company pays fixed contribution to Provident Fund at predetermined rates to a separate trust, which invests the funds in permitted securities. The contribution to the fund for the period is recognized as expense and is charged to the Profit & Loss Account. The obligation of the Company is limited to such fixed contribution.

**12. Taxation:** Tax expense (tax saving) is the aggregate of current year tax, earlier year tax and deferred tax. These are charged (or credited) to the Profit and Loss Account.

**12.1 Current year charge:** The provision for taxation includes:

a) Provision for taxation on assessable profits of the company as determined under Income Tax Act 1961.

b) Provision for Fringe Benefit Tax as determined under the Income Tax Act, 1961.

c) Provision of Wealth Tax as determined under the Wealth Tax Act, 1957.

**12.2 Earlier year charge:** Provisions are recorded, as considered appropriate, for matters under appeal due to disallowances or for other reasons.

**12.3 Deferred Tax:** The Company provides for deferred tax using the liability method, based on the tax effect of timing differences resulting from the recognition of items in the financial statements and in estimating its current income tax provision. Deferred Tax Assets arising from temporary timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realised in future.



## दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

### ख. टिप्पणियां जो खातों का हिस्सा है

#### B. Notes forming part of Accounts

Rs. in lacs

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year 2008-09	गत वर्ष Previous Year 2007-08
1	<b>भारत एवं भारत के बाहर कम्पनी की परिसंपत्तियों पर अधिभार</b> <b>Encumbrances to assets of the Company in and outside India</b> क. न्यायालय आदेशों से सील बैंक खाते a. Bank Accounts frozen as per Court Orders ख. सरकार की ओर से पर्यावरण राहत निधि में जमा राशियां b. Deposits held under Environment Relief fund on behalf of the Government	20.10  159.33	67.67  5420.66
2	<b>ऋणों, निवेश एवं अचल परिसंपत्तियों हेतु वचनबद्धताएं एवं बकाया</b> <b>Commitments made and outstanding for loans, investments and Fixed Assets</b> क. ऋण a. Loans ख. अंशत : सदत्त शेयर b. Partly Paid Shares ग. अग्रिम शुद्ध पूंजी वचनबद्धताएं c. Capital Commitments Net of Advances	1.80  15.13  920.75	1.80  15.13  444.30
3	<b>संदत्त दावे जिसमें से पुनर्बीमा को घटाया गया है</b> <b>Claims less Reinsurance, paid to</b> क. भारत में दावेदार a. Claimants in India ख. भारत के बाहर दावेदार b. Claimants outside India ग. कुल c. Total	253885.91  7667.98  261553.89	214077.47  7006.52  221083.99
4	<b>अर्जित प्रीमियम कारोबार जिसमें से पुनर्बीमा को घटाया गया</b> <b>Premium less Reinsurance underwritten from</b> क. भारत में कारोबार a. Business in India ख. भारत के बाहर कारोबार b. Business outside India कुल c. Total	307557.90  15952.08  323509.98	274003.66  13864.17  287867.83
5	<b>भारतीय प्रत्यक्ष प्रीमियम का क्षेत्रवार ब्यौरा</b> <b>Sector-wise break-up of Indian Direct Premium</b> क. ग्रामीण क्षेत्र a. Rural Sector	29128.58	16863.78



Rs. in lacs

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year 2008-09	गत वर्ष Previous Year 2007-08
	ख. सामाजिक क्षेत्र b. Social Sector	45891.87	23805.54
	ग. अन्य c. Others	321404.67	340144.93
	घ. कुल d. Total	396425.12	380814.25
6	निम्नलिखित के लिए निवेश के संबंध में संविदाओं का मूल्य <b>Value of contracts in relation to investments for</b>		
	क. खरीद जहां सुपुर्दगी लंबित है a. Purchases where deliveries are pending	NIL	795.00
	ख. विक्रय जहां भुगतान बकाया है b. Sales where payments are overdue	2.50	2.50
7	सही मूल्य आधार पर मूल्यांकित म्युचुअल फंड यूनिटों तथा इक्विटी शेयरों की लागत <b>Cost of Equity Shares/ Units of Mutual Funds valued on Fair Value Basis</b>	143619.31	143028.88
8	तुलनपत्र की तिथि तक छह माह से अधिक समय से निपटारित दावे और शेष अदत्त <b>Claims settled and remaining unpaid for more than 6 months as on the Balance Sheet date</b>	NIL	NIL
9	संवैधिक अपेक्षाओं के अनुरूप निवेश इस प्रकार किए गए <b>Investments made in accordance with statutory requirements</b>		
	क. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 7 के अंतर्गत केंद्र सरकार की 6.01 % प्रतिभूतियां 2028 एचडीएफसी बैंक के पास जमा है a. 6.01% Central Government Securities 2028 deposited with HDFC Bank in accordance with Section 7 of Insurance Act,1938	1716.18 F.V. 1700.00	1717.03 F.V1700.00
	ख. स्थानीय कानूनों के अंतर्गत भारत के बाहर किये गए निवेश b. Investments made outside India by way of Statutory Deposits under local laws	5366.84	4161.90
	ग. सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार संस्थागत व्यापार के लिए सीमा के रूप में नियत जमा c. Fixed Deposits as margins for Institutional Trades as per SEBI directives	500.00	0.00
10	लेखा नीति सं. 10.7 के अनुसार आय के उद्देश्य से ऋण सहित निष्पादित * एवं गैर - निष्पादित * निवेश इस प्रकार किया गया <b>Performing* and non-performing* investments including loans for the purpose of income recognition as per Accounting Policy No. 10.8 are as under:</b>		
	क. निष्पादित निवेश a. Performing Investments	392816.43	403874.52
	ख. गैर-निष्पादित निवेश b. Non-Performing Investments	13491.10	15359.54
	ग. कुल c. Total	406307.53	419234.06

\* म्युचुअल फंड को छोड़कर, वेंचर फंड, इक्विटी तथा अधिमान शेयर

\* Excluding mutual fund, venture fund, equity and preference share.



## दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

### 11. पुनःसंरचना के अधीन निवेश का वितरण

विभिन्न वर्गों के अंतर्गत पुनः संरचित कुल परिसंपत्तियों के आंकड़ों को संकलित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान और विगत वर्षों में विभिन्न वर्गों के अंतर्गत पुनः संरचित एवं क्रियान्वित की गई परिसंपत्तियों को नीचे दर्शाया गया है-

### 11. Break-up of investments subjected to restructuring

The figures of total assets restructured under various categories are being compiled. The assets restructured and implemented during the year and during previous year, under respective categories, are given below:

क्र. सं. Sr. No.	परिसंपत्ति का वर्ग Category of Asset	पुनर्गठन के अधीन परिसंपत्ति ( वर्ष के दौरान ) Assets subjected to Restructuring and implemented (during the year)	
		( रु. लाखों में ) 2008-09 Rs. in lacs	( रु. लाखों में ) 2007-08 Rs. in lacs
1.	मानक Standard	60.00	212.00
2.	उपमानक Sub Standard	53.43	16.60
3.	संदिग्ध Doubtful	203.84	1231.25
4.	हानि Loss	1689.24	101.17
	<b>कुल Total</b>	<b>मानक 2006.51</b>	<b>1561.02</b>

### 12. व्यापार अधिग्रहण लागत का विवरण

वर्ष 2008-09 के दौरान भारतीय प्रत्यक्ष व्यापार के संबंध में कमीशन/टूट-फूट का विवरण नीचे दिया गया है:-

### 12. Break up of Business Acquisition Cost

The Commission/Brokerage incurred during the year 2008-09 in respect of Indian Direct Business is given below:

क्र. सं. Sr. No.	परिसंपत्ति का वर्ग Category of Asset	( रु. लाखों में )	
		2008-09 Rs. in lacs	2007-08 Rs. in lacs
1.	एजेंट Agents	21518.95	20369.90
2.	ब्रोकर Brokers	5732.30	4776.60
3.	कॉर्पोरेट एजेंसी Corporate Agency	737.87	985.77
4.	रेफरल व्यवस्था Referral Arrangement	123.35	179.93
	<b>कुल Total</b>	<b>28112.47</b>	<b>26312.20</b>

### 13. जिन दावों के भुगतान को चार वर्ष से अधिक का समय हो गया है उनके संबंध में दावों की देनदारियां निर्धारण करने के लिए वास्तविक मान्यताएं:-

कंपनी ने ऐसी कोई नीति जारी नहीं की है जिसमें दावों के भुगतान की अवधि चार वर्ष से अधिक की हो।

### 13. Actuarial assumptions for determination of claim liabilities in the case of claims where the claim payment exceed four years

The Company has not issued any policy where claim payment period exceeds four year.



14. दावों की अवधि (आईबीएनआर को छोड़कर भारतीय प्रत्यक्ष)

14. Ageing of claims (Indian Direct excluding IBNR)

राशि (रु. लाखों में)  
(Rs. in lacs)

बकाया दावे Claims outstanding for							
कारोबार Business	वर्ष Year	छ: माह से कम Less than 6 months		छ: माह से ऊपर 6 months and above		कुल Total	
		संख्या Number	राशि Amount	संख्या Number	राशि Amount	संख्या Number	राशि Amount
अग्नि Fire	2008-09	914	19741.75	1534	47895.08	2448	67636.83
	2007-08	777	16357.79	1159	46518.24	1936	62876.03
मरीन Marine	2008-09	883	18988.20	2467	44175.10	3350	63163.30
	2007-08	1643	17246.93	1589	34714.24	3232	51961.17
विविध Miscellaneous	2008-09	66704	65396.35	226905	323757.44	292763	389153.79
	2007-08	79101	71423.93	223097	296445.80	302198	367869.73
कुल Total	2008-09	68501	104126.30	230906	415827.62	299561	519953.92
	2007-08	81521	105028.65	225845	377678.29	307366	482706.93

15. प्रबंधकीय वेतन की गणना

सरकारी कंपनी होने के नाते जीएसआर 235 दिनांक 31 जनवरी 1978 के अधीन जारी अधिसूचना द्वारा कंपनी को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 620 के अंतर्गत छूट मिली हुई है।

16. निवेश

16.1 चूंकि हस्तांतरण प्रश्नाधीन हैं, इसलिए 10.27 लाख रु० की बुक वैल्यू (गत वर्ष 8.64 लाख रु०) के शेयरों को कंपनी के नाम पर पंजीकृत नहीं किया गया है।

16.2 कंपनी के बही खातों के अनुसार भारतीय स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन (कस्टोडियन) द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों की दृष्टि से निवेश में कमियां पाई गई हैं जैसे बुक वैल्यू की कीमत में 15.61 लाख रु० (कम) और 51.37 लाख रु. (अधिक) हैं जबकि पिछले वर्ष यह राशि क्रमशः 27.07 लाख रु० और 54.97 लाख रु० थी। इस अंतर पर पुनः विचार किया जा रहा है।

16.3 लेखा नीति सं. 4.6 के अनुसार वर्ष के लिए 7390.48 लाख रु. की ब्याज राशि की पहचान आय के रूप में नहीं की गई है जो पिछले वर्ष 8354.11 लाख रु. थी और 31 मार्च 2009 को कुल राशि 46453.34 लाख रु. बनती थी जो पिछले वर्ष 45198.96 लाख रु. थी। इसमें परिसमापन के अंतर्गत मिलने वाले ब्याज को अलग रखा गया है।

15. Computation of managerial remuneration

Being Government company, the company is exempted vide notification: GSR235, dated 31<sup>st</sup> January 1978 under section 620 of the Companies Act, 1956.

16. Investments

16.1 Shares of the book value of Rs. 10.27 lacs (Previous year Rs.8.64 lacs) have not been registered in the name of the company as the transfers are under objection.

16.2 There are discrepancies in investments as per company's books with the certificates issued by Stock Holding Corporation of India (custodian) of book value of Rs. 15.61 lacs (Short) and Rs. 51.37 lacs (Excess) (Previous year Rs.27.07 lacs and Rs.54.97 lacs respectively). The differences are under reconciliation.

16.3 Interest amounting to Rs. 7390.48 lacs (previous year Rs. 8354.11 lacs) has not been recognized as income for the year pursuant to Accounting Policy No. 4.6 and the aggregate amount of such interest as on 31st March, 2009 amounted to Rs. 46453.34 lacs (Previous year Rs. 45198.96 lacs). It excludes interest accrued for companies under liquidation.



## दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

- 16.4 तुलन पत्र की तारीख को असक्रिय परिसंपत्तियों के अधीन ऋण/निवेश को दीर्घकालीन श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इनकी वास्तविकता निश्चित नहीं हैं।
- 16.5 कर्ज वाली प्रतिभूतियों की मुक्ति का आधार कर्ज वाली प्रतिभूतियों को परिपक्वता की तारीख तक शेष दिनों की संख्या के आधार पर परिशोधित किया जाता है। परिशोधन निकालते समय पुट/कॉल ऑप्शन पर विचार नहीं किया जाता है। फिर भी यदि किसी तरह का कोई आंशिक ऋण मोचन है तब उस पर ध्यान दिया जाता है।
- 16.6 लेखा नीति 10.5.3 के अनुसार 01.04.2000 के बाद उपलब्ध कराए गए 428.07 लाख रु. के नुकसान की भरपाई की राजस्व/लाभ व हानि खाता में पहचान नहीं की गई है। पिछले वर्ष तक इस प्रकार के नुकसान की राशि की पहचान नहीं की गई थी। लेखा नीति में इस तरह के परिवर्तनों के कारण वर्ष में हुए नुकसान की राशि 428.07 लाख रु. हो गई है।
17. **अचल संपत्तियां**  
स्थिर परिसंपत्तियों में कुछ निश्चित संपत्तियां शामिल होती हैं जिनकी कीमत 1685.21 लाख रु० (पिछले वर्ष 1696.63 लाख रु.) होती है और इससे पहले उनके नाम की किसी रजिस्ट्री का उल्लेख रिकार्ड में नहीं है अथवा उनका पंजीकरण अभी लंबित है। इन पर पंजीकरण/स्टाम्प शुल्क की गणना पंजीकरण के समय ही की जाएगी।
18. **निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि समाधान/पुष्टि हेतु लंबित हैं:-**
- एजेंट की शेष राशि (शुद्ध)
  - 20125.46 लाख रु. की प्रीमियम जमा (पिछले वर्ष 12874.49 लाख रु.) और एजेंट का प्रीमियम (शुद्ध) 1797.19 लाख रु. (पिछले वर्ष 2008.77 लाख रु.) को वर्तमान देनदारियों में शामिल किया गया है।
  - बंद कंपनियों में रिजर्व जमा
  - बीमा व्यापार करने वाले व्यक्तियों अथवा निकायों पर / को देय राशि उपरोक्त के संबंध में यदि कोई समायोजन किया जाना है तब उसे पुष्टि/विश्लेषण/पुनःविचार के बाद ही पूरा किया जाएगा।
19. **मूल्यहास / ऋणमोचन**
- (i) निम्नलिखित स्थिर परिसंपत्तियों के संबंध में वर्ष के लिए मूल्यहास, आयकर अधिनियम 1962 की दरों के अनुरूप चार्ज किया गया है जो कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 14 में वर्णित प्रभार से अधिक है।
- |                             |     |                                    |     |
|-----------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| ● सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर | 60% | ● Information Technology Equipment | 60% |
| ● कार्यालय उपस्कर           | 15% | ● Office Equipment                 | 15% |
| ● टाइप राइटर                | 15% | ● Typewriters                      | 15% |
| ● कैल्कुलेटिंग मशीन         | 15% | ● Calculating Machines             | 15% |
- 16.4 Loans/investments under non-performing assets as on the date of Balance Sheet have been classified under long term category as their realisability is not certain.
- 16.5 Basis of Amortization of Debt Securities Debt Securities are amortized on the basis of residual number of days up to the Date of maturity. While working out amortization put/call option is not considered, However, partial redemption if any is taken into account.
- 16.6 Reversal of Impairment loss of Rs. 428.07 lacs provided after 01.04.2000 has been recognized in Revenue/ Profit & Loss account in pursuance of Accounting Policy no. 10.5.3. Till last year, such reversals were not recognized. Due to this change in accounting policy, loss for the year is reduced by Rs. 428.07 lacs.
17. **Immovable Properties**  
Fixed assets include certain properties costing Rs. 1685.21 lacs (previous year Rs. 1696.63 lacs) for which either title deeds are not on record or registration is pending. The registration/stamp duty charges thereon will be accounted for at the time of registration.
18. **Balances under the following heads are pending reconciliation / confirmation**
- Agents' Balances (Net)
  - Premium Deposits Rs. 20125.46 lacs (Previous year Rs. 12874.49 lacs) and Agents' Premium (Net) Rs. 1797.19 lacs (Previous year Rs. 2008.77 lacs) included in Current Liabilities.
  - Reserve Deposits with ceding companies.
  - Amounts due to /from other persons or bodies carrying on Insurance Business.
- The adjustments, if any, in respect of above will be made upon confirmation/ analysis/reconciliation.
19. **Depreciation/Amortization**
- (i) In case of following Fixed Assets, depreciation for the year has been charged at rates as per Income-tax Rules, 1962, which are higher than those stipulated in Schedule XIV to The Companies Act, 1956.





- |                   |     |                     |     |
|-------------------|-----|---------------------|-----|
| ● फ्रेन्किंग मशीन | 15% | ● Franking Machines | 15% |
| ● एयर कंडीशनर     | 15% | ● Air Conditioners  | 15% |
| ● एयर कूलर        | 15% | ● Air Coolers       | 15% |
| ● वॉटर कूलर       | 15% | ● Water Coolers     | 15% |
| ● यूपीएस          | 15% | ● UPS               | 15% |
| ● स्टेबलाइजर्स    | 15% | ● Stabilisers       | 15% |
| ● रूम हीटर्स      | 15% | ● Room Heaters      | 15% |
| ● इंटरकॉम         | 15% | ● Intercoms         | 15% |
| ● कार्यालय भवन    | 10% | ● Office Buildings  | 10% |
- (ii) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की कुल कीमत 20.76 करोड़ रु. (पिछले वर्ष 20.07 करोड़ रु.) की राशि को पूंजीकरण के वर्ष से तीन वित्तीय वर्षों तक ऋण मुक्त किया गया है/किया जा रहा है।
- 20. समाप्त न होने वाले जोखिम के लिए रिज़र्व**
- वर्ष के दौरान भारत में पूर्व लेखा अवधियों में आबंटित लिखित प्रत्यक्ष प्रीमियम उस प्रतिशत से कम है जो बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64V(1)(ii)(इ) 64 में उल्लिखित है और पुनः बीमा के शुद्ध प्रीमियम पर समाप्त न होने वाले जोखिम के लिए रिज़र्व का सृजन आईआरडीए की नियमावली के अनुसार उल्लिखित धारा 64V(1)(ii)(इ) की प्रतिशत के अनुरूप किया गया है (देखें लेखा नीति सं. 4.1)
- 21(i) आयकर और सेवा कर मूल्यांकन की स्थिति**
- मूल्यांकन वर्ष 2006-07 तक के लिए आयकर एवं वित्तीय वर्ष 2002-03 तक सेवाकर मूल्यांकन पूरा कर लिया गया है। पूर्व के वर्षों के लिए आयकर और सेवाकर से संबंधित कुछ अपील लंबित पड़ी हुई हैं। मूल्यांकन/अपील पूरी होने के बाद आवश्यक समायोजन कर लिए जाएंगे।
- (ii) आयकर अधिकारियों द्वारा उठाई गई मांगों के संबंध में ऐसे मामलों पर भी विचार किया गया है जिनमें कंपनी ने उपयुक्त अधिकारियों के पास या तो फाइल भेज दी है या कार्रवाई जारी है।
- (iii) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर आधारित 24.61 करोड़ रु. और उस पर ब्याज की 82.83 करोड़ रु. की आयकर राशि की वापसी का लेखा जोखा वर्ष 2004-05 के अनुमानित आधार पर किया गया है। फिर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आयकर विभाग द्वारा दायर की गई अपील और सीओडी द्वारा हरी झंडी दिखाए जाने के बाद मुल्यांकन वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1979-80 के मुल्यांकन वर्षों से संबंधित गैर वास्तविक ब्याज की 65.18 करोड़ रु. की राशि का वर्ष 2005-06 में सृजन किया गया था। यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील का फैसला हमारे पक्ष में दिया है, फिर भी कंपनी ने अभी तक उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया है जैसा कि
- (ii) Gross value of computer software of Rs. 20.76 Crores (Previous year Rs. 20.07 crores) has been / is being amortized over three financial years commencing from the year of capitalization.
- 20. Reserve for Unexpired Risk**
- Direct Premium written in India during the year attributable to and to be allocated to succeeding accounting periods is less than the percentages laid down in Sec 64V (1)(ii)(b) of the Insurance Act, 1938 and hence Reserve for Unexpired Risks on Premium net of Reinsurance is created at the percentages laid down in Sec 64V(1)(ii)(b) in accordance with IRDA Regulations (Refer Accounting Policy No. 4.1)
- 21(i) Status of income tax and service tax assessments**
- The income tax for and up to the assessment year 2006-07 and service tax assessment for and up to financial year 2002-03 have been completed. Certain appeals pertaining to Income Tax and Service Tax are pending for the earlier years. The necessary adjustments shall be carried out after completion of assessments/appeals.
- (ii) Demands raised by Income Tax authorities have been fully provided for, even in cases where the company has filed/in the process of filing an appeal with the appropriate authority.
- (iii) Based upon Hon'ble High Court Order, Income Tax refund and interest thereon of Rs.24.61 crores and Rs. 82.83 crores respectively were accounted for on an estimated basis in 2004-05. However in view of the appeal filed by the I.T. Department in Hon'ble Supreme Court and clearance given by COD, the provision of Rs. 65.18 crores towards unrealized interest relating to assessment year 1974-75, 1976-77,1977-78 and 1979-80 was created in 2005-06. Though the appeal has been



आयकर विभाग ने सूचना दी है कि ब्याज की राशि का लौटाया जाना अभी भी प्रतीक्षारत है।

इसके आगे आयकर विभाग ने मूल्यांकन वर्ष 1978-79 के लिए 32.37 करोड़ ₹. की राशि पर ब्याज की गलती सुधारने के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 154 के अंतर्गत इस संबंध में मुद्दा उठाया है कि वर्ष 2004 में धारा 214/244 ए के अधीन गलत तरीके से ब्याज की अनुमति दी गई थी। तदनुसार, 32.37 करोड़ ₹0 (शुद्ध) की राशि की व्यवस्था भी कर दी गई। इस राशि का भुगतान 2007-08 में किया गया और कंपनी ने सीआईटी (अपील) में एक अपील फाइल की है जिसपर निर्णय अभी लंबित है।

### 22. बकाया मोटर टीपी दावों के लिए प्रावधान

मोटर टीपी दावों की देनदारियों में यदि किसी तरह की कोई कमी हो तो ऐसी स्थिति में वास्तविक निपटान की प्रवृत्तियों पर आधारित असली प्रमाणन के अनुसार प्रधान कार्यालय में दावे प्रस्तुत किए जाते हैं। इन प्रवृत्तियों पर समरूप समूहों के अधीन विचार किया जाता है जैसे घातक, गंभीर चोट, हल्की चोट और अच्छी तरह से चोटग्रस्त जिसमें आंशिक रूप से आंशिक तौर पर दावों को अलग रखा जाता है। वर्ष 2008-09 के लिए एक्चुएरी द्वारा यह प्रमाणित किया जा चुका है कि किसी भी समूह में कोई कमी नहीं देखी गई है और इसलिए 31 मार्च 2009 तक बकाया टीपी दावों में किसी तरह के अतिरिक्त प्रावधान (पिछले वर्ष शून्य) के लिए सिफरिश नहीं की गई है।

### 23. जीआईसी मोटर टीपी पूल

आईआरडीए के निर्देशों के अनुपालन में भारतीय मोटर तृतीय पक्ष बीमा पूल (आईएमटीरपीआईपी) का गठन वाणिज्यिक वाहनों के तृतीय पक्ष जोखिम को शामिल करने के लिए किया गया है। जीआईसी टीपी नाम वाले इस पूल का प्रबंधन भी जीआईसी द्वारा किया जाता है।

समझौते के रूप में तृतीय पक्ष का 100 प्रतिशत प्रीमियम वाणिज्यिक वाहनों पर एकत्रित किया गया है जो पूल की सदस्य कंपनियों से संबंधित है और इन नीतियों के चलते उठने वाले दावों की वसूली पूल से ही होनी है।

जीआईसी मोटर टीपी पूल की सदस्य कंपनियों द्वारा सौंपे गए कुल प्रीमियम में से 10 प्रतिशत प्रीमियम पूल द्वारा प्रतिधारित किया गया है और शेष प्रीमियम सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के अनुपात में पूल सदस्यों का भूतलक्षित प्रीमियम होगा।

जीआईसी मोटर टीपी पूल को प्रीमियम पर कटौती और जीआईसी टीपी पूल से भूतलक्षी कटौती का लेखा जोखा पुनः बीमा लेनदेन के रूप में रखा जाएगा। पूल की भूतलक्षी कटौतियों पर होने वाले दावों और समाप्त न होने वाले जोखिम के रिजर्व का लेखा जोखा पूल से प्राप्त परामर्शों पर आधारित होगा।

decided by Hon'ble Supreme Court in our favour, the Company has not yet recognized the effect of Supreme Court order, as intimation from IT department for refund of interest is still awaited.

Further, IT Department raised demand of Rs. 32.37 crores under section 154 of the Income Tax Act, 1961 for rectification of mistake in allowing interest of Rs. 32.37 crores (Net) for the assessment year 1978-79 on the ground that the interest under section 214/244A was wrongly allowed in 2004. Accordingly the provision of Rs. 32.37 crores was also created. The amount was paid in 2007-08 and Company has filed an appeal against the demand with CIT (Appeals), which is pending.

### 22. Provision for outstanding Motor TP claims

Shortfall in liability, if any, for outstanding Motor TP claims is made at Head Office as per actuarial certification based on trends in actual settlement. The trends are considered under homogeneous groups, like, fatal, grievous injuries, minor injuries and property damage excluding partly paid and partly provided claims. For the year 2008-09, it has been certified by the Actuary that there is no shortfall in any of the group and has accordingly not recommended any additional provision (previous year Rs.NIL) in the outstanding TP claims as on 31<sup>st</sup> March 2009.

### 23. GIC Motor TP Pool

In compliance with the directives of IRDA, Indian Motor Third Party Insurance Pool (IMTPIP) has been created to cover third party risk of commercial motor vehicles. The pool named as GIC TP pool is managed by GIC.

In terms of the agreement, 100% third party premium collected on commercial vehicles is ceded by member companies to the pool and claims arising under these policies are recoverable from pool.

Out of the total premium ceded by member companies to GIC Motor TP pool, 10% of the premium is retained by the pool and balance premium is retro ceded to the pool members in proportion to the gross direct premium.

Cession of premium to GIC Motor TP pool and retrocession from GIC TP pool is accounted for as reinsurance transactions. Incurred claims and unexpired risk reserves on retro cessions from pool are accounted for on the basis of advices received from pool.



जनरल इनश्योरेंस काँसिल द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि आईएमटीपीआईपी की वित्तीय विवरणियां मार्च से फरवरी तक की होंगी। वर्ष के दौरान कंपनी ने 12 महीने के लिए (01.04.2008 से 31.03.2009 तक) पूल को 427.43 करोड़ रु. की कटौती प्रदान की है और पूल से भूतलक्षी कटौती की राशि 12 महीनों के लिए (01.04.2008 से 31.03.2009 तक) 319.69 करोड़ रु. है।

**24. प्रीमियम में कमी**

अग्नि, मेरीन और विविध राजस्व खातों में पिछले वर्ष 6.63 करोड़ रु. की तुलना में इस साल प्रीमियम में कोई कमी नहीं देखी गई है। मेरीन के अधीन 2 खंड और विविध खातों के अधीन 8 खंडों में इस साल जहाजी संरचना के अंतर्गत 20.32 करोड़ रु. की कमी आई है। व्यक्तिगत दुर्घटना की बात करें तो पिछले वर्ष शून्य तुलना में 0.70 करोड़ रु. व्यक्तिगत दुर्घटना और पिछले वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र में 26.81 करोड़ रु. की तुलना में इस वर्ष 54.38 करोड़ रु. का आंकड़ा सामने आया है। इसके अतिरिक्त अकेले मोटर थर्ड पार्टी खंड (जो सूचनापरक खंड है और जो प्रीमियम का 10 प्रतिशत योगदान देता है) के अधीन 197.93 करोड़ रु. की प्रीमियम राशि की कमी देखी गई है जो पिछले वर्ष 194.35 करोड़ रु. थी।

अग्नि राजस्व खाता में प्रीमियम कमी की गणना करते समय 5.80 करोड़ रु. के दावों का भुगतान कर दिया गया है और बकाया दावों के लिए हमारे द्वारा 52.20 करोड़ रु. की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है और यह राशि जीआईसी अग्रिम पर आधारित थी जिसके 11.60 प्रतिशत शेयर पर मुंबई में आंतकवादी हमलों के आंतकवादी दावों के संबंध में पूर्वगामी आंतकवादी पूल के अधीन एक ऐसी घटना को मानते हुए विचार किया जा चुका है जिससे अपेक्षित दावों की लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इससे नुकसान में 21.49 करोड़ रु. तक कमी आने का प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ है।

**25. मजदूरी संशोधन का प्रावधान**

सभी वर्ग और कर्मचारियों के लिए मजदूरी में संशोधन 01.08.2007 से देय हो चुका है। तदर्थ आधार पर मजदूरी में संशोधन के लिए प्रावधान रखा गया है जिसके पूर्ति के लिए 01.08.2007 से 31.03.2009 तक 92.24 करोड़ रु. की राशि का अनुमान लगाया है। औद्योगिक स्तर पर किए जा रहे विचार विमर्श का परिणाम अभी प्रतीक्षारत है।

**26. निम्नलिखित शीर्ष के अंतर्गत खर्च की राशि**

1. बाह्य सेवाओं पर खर्च 273390683 रु.
2. व्यापार विकास 204294700 रु.
3. बाजारी सहयोग शून्य

**27. लेखाकरण के मानक 5 : अवधि पूर्व मदें**

क) लेखा मानक 5 : अवधि पूर्व मदों को उनके संबंधित शीर्ष में शामिल किया गया है और इनमें निम्नलिखित हैं:-

It was decided by General Insurance Council that the financial statements of IMTPIP would be from March to February. During the year the Company has made cession of Rs. 427.43 crores to the pool for 12 months (from 01.04.2008 to 31.03.2009) and retrocession from the pool is Rs 319.69 crores for 12 months (from 01.03.2008 to 28.02.2009).

**24. Premium Deficiency**

There is no Premium Deficiency in Fire (previous year 6.63crores), Marine and Miscellaneous Revenue Accounts. Among the 2 segments falling under Marine and 8 segments falling under Miscellaneous, there is Premium Deficiency of Rs 20.32 crores (Previous year Nil) in Marine Hull, of Rs. 0.70 crores(Previous year Nil) in Personal Accident and of Rs 54.38 crores (Previous year 26.81 crores) in Health. Further, in 'Motor Third Party' segment alone (a reportable segment which contributes to more than 10% of the Premium underwritten), the Premium Deficiency works out to Rs 197.93 crores (previous year Rs 194.35 crores).

While calculating Premium Deficiency in Fire Revenue Account, claims paid of Rs. 5.80 crores and claims outstanding of Rs. 52.20 crores provided by us, based on GIC advices, towards our 11.60 % share under Terrorism Pool Retrocession, in respect of Terrorism claims of the terrorism attack in Mumbai, have not been considered, being one off event, which is not likely to impact the expected claim cost. This has the impact of reducing loss by Rs. 21.49 crores.

**25. Provision for wage revision**

Wage revision for all classes of employees has become due with effect from 01.08.2007. Provision for wage revision, on an adhoc basis, amounting to Rs. 92.24 crores has been made for the period from 01.08.2007 to 31.03.2009, pending outcome of the ongoing negotiations at Industrial level.

**26. Expenses Incurred Under Following Heads**

- i. Outsourcing Expenses Rs. 273390683
- ii. Business Development Rs. 204294700
- iii. Marketing Support Rs. NIL

**27. Accounting Standard 5: Prior Period items**

a) Prior period items have been included in the respective heads and consist of the following:



## दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

### ख) लेखाकरण के अनुमान में परिवर्तन

लेखा नीति 5.1.क की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें विशेष तौर पर बताया गया है कि “वर्ष के अंत में बकाया दावों के लिए अनुमानित दायित्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट, ग्राहकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना, नेताओं के परामर्श तथा मूर्त रूप देने की तिथि, पूर्व अनुभव और अन्य लागू होने वाले कानूनों पर आधारित होता है। अनुमानों की निरंतर सीमक्षा की जाती है और तदनुसार प्रावधान बनाए जाते हैं। तथापि, उपलब्ध राशि के लिए

### b) Changes in Accounting Estimates

Attention is drawn to Accounting Policy 5.1.a, wherein it has been specifically stated that “Estimated liability for outstanding claims at the year end are based on survey reports, information provided by clients, advices of the leader and other sources upto the date of finalisation, past experience and other applicable laws. The estimates are continuously reviewed and

रु. लाखों में Rs. in lacs

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	2008-09	2007-08
1	पूर्व अवधि आय Prior Period Income	* 72.37	-
2	पूर्व अवधि व्यय Prior period expenses	*166.26	240.99
	कुल Total (Net)	93.89	240.99

‘कर से पूर्व लाभ’ के बाद लाभ व हानि खाता में अलग-अलग दिखाया गया है।

\* Shown separately in profit and loss account after ‘profit before tax’

अंतिम दायित्व अधिक अथवा कम हो सकता है जिसके लिए किसी प्रकार के समायोजन को उस अवधि में दिखाया जाएगा जिसमें उनकी पहचान की गई है।” बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने अपने 25 मई 2004 के पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि अनुमानों में इस प्रकार के प्रभार का प्रभावों पर तब तक अप्रकटन की नौबत नहीं आती है जब तक बकाया दावों के लिए प्रावधानों की विधि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। जैसा कि चालू वर्ष में बकाया दावों के लिए प्रावधानों की विधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, अलग से किसी प्रकार का कोई अप्रकटन नहीं किया गया है।

### 28. लेखाकरण के मानक 15 (संशोधित)

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान लेखाकरण के मानक एएस-15 (संशोधित 2005)- ‘कर्मचारियों के लाभ’ को अपनाया है।

कर्मचारी लाभ पर मजदूरी में संशोधन के प्रभाव की दृष्टि से वास्तविक मूल्यांकन पर विचार किया गया है। तथापि, चालू वित्तीय वर्ष में 15.00 करोड़ रु. की राशि का तदर्थ प्रावधान रखा गया है।

वर्णित कर्मचारी लाभ योजनाओं निम्न प्रकार हैं:-

#### 1. सेवाकाल के दौरान कर्मचारियों के लाभ

वास्तविक मूल्यांकन पर आधारित बीमारी अवकाश और एलटीएस के लिए दायित्व की पहचान की जा चुकी है।

provisions made accordingly. However, the final liability may be in excess of, or less than, the amount provided, for which any adjustments will be reflected in the periods in which they become known.” It has also been clarified by the Insurance Regulatory and Development Authority vide letter dated 25<sup>th</sup> May 2004 that impact of such changes in estimates, do not call for disclosure so long as there is no change in the method of provisioning for outstanding claims. As there has been no change in the method of provisioning for outstanding claims in the current year, no disclosure has been separately made.

### 28. Accounting Standard 15(Revised)

The Company has adopted Accounting Standard, AS-15 (Revised 2005) ‘Employee Benefits’ during the financial year 2007-2008.

Impact of wage revision on employee benefits have not been considered on actuarial valuation. However, adhoc provision of Rs. 15.00 crores has been made in the current financial year.

The defined Employees benefits schemes are as under:

#### 1. EMPLOYEES BENEFITS DURING SERVICE PERIOD

The liability for Sick Leave and LTS is recognized based on Actuarial Valuation.



- (क) वर्ष के दौरान 2.61 करोड़ रु. के एलटीएस दायित्व का निर्धारण किया जा चुका है जो पिछले वर्ष 10.04 करोड़ रु. था और इसे लाभ व हानि खाता में बदल दिया गया है। इस प्रकार 31.03.2009 को कुल दायित्व 12.65 करोड़ रु. था।
- (ख) चालू वर्ष के लिए बीमारी अवकाश के प्रति 3.11 करोड़ रु. के दायित्व का निर्धारण किया जा चुका है जो पिछले वर्ष 2.16 करोड़ रु. था और इसे लाभ व हानि खाता में बदल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बीमारी अवकाश के लिए 112.97 करोड़ रु. के परिवर्तनीय दायित्व का 1/5वां भाग (वर्ष 2007-08 में निर्धारित किया गया था और 2007-08 से पांच वर्षों की अवधि के लिए ऋण मुक्त किया जा रहा है) की राशि जो 22.59 करोड़ रु. बनती है को लाभ व हानि खाते में बदला जा चुका है। जिसका ऋणमोचन नहीं किया गया है वह 67.79 करोड़ रु. की राशि बनती है और आने वाले 3 वर्षों में उसकी पहचान कर ली जाएगी।

## 2. कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के लाभ

इसमें पेंशन, ग्रेचुएटी और लीव एनकेशमेंट आते हैं।

### पेंशन:

कंपनी की एक निश्चित पेंशन योजना होती है। इस योजना के अंतर्गत जिन कर्मचारियों ने पेंशन का विकल्प चुना है उन्हें पेंशन दी जाती है। कंपनी ने इस योजना के लिए अलग निधि बनाई है और इसकी देखरेख एक अलग न्यास द्वारा की जाती है। वास्तविक मूल्यांकन आधार पर इसके दायित्व की पहचान की जाती है।

### ग्रेचुएटी:

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के समस्त वर्गों के लिए एक निश्चित लाभदायी ग्रेचुएटी योजना बनाई है। पांच साल की निरंतर सेवा करने के बाद ग्रेचुएटी का भुगतान किया जा सकता है। कंपनी ने इस योजना के लिए अलग निधि बनाई है और इसकी देखरेख एक अलग न्यास द्वारा की जाती है। वास्तविक मूल्यांकन आधार पर इसके दायित्व की पहचान की जाती है।

### लीव एनकेशमेंट अर्थात् छुट्टी भुनाना:

सेवाकाल के दौरान और सेवानिवृत्ति दोनों अवधि में कर्मचारियों के सभी वर्गों के लिए प्रीविलेज लीव (पीएल) के एनकेशमेंट की अनुमति दी गई है। सेवाकाल के दौरान 2 साल में एक बार 15 दिन के एनकेशमेंट की अनुमति होती है और सेवानिवृत्ति पर पीएल की अधिकतम सीमा 240 दिन की होती है। इसके लिए कोश नहीं होता है और इसकी पहचान वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

- (a) LTS Liability of Rs. 2.61 crores has been determined during the year (previous year Rs 10.04 crores) and charged to Profit & Loss Account. Total liability for LTS as on 31.03.2009 is Rs. 12.65 crores.
- (b) Liability of Rs. 3.11 crores towards sick leave for the current year (previous year Rs 2.16 crores) has been determined and charged to Profit and Loss Account. In addition, 1/5<sup>th</sup> of the transitional liability of Rs. 112.97 crores towards Sick Leave (determined in 2007-08 and being amortized over a period of five years w.e.f. 2007-08), amounting to Rs 22.59 crores has been charged to Profit and Loss Account. Balance unamortized portion of Rs. 67.79 crores shall be recognized in subsequent 3 years.

## 2. EMPLOYEES RETIREMENT BENEFITS ;

This includes Pension, Gratuity and Leave Encashment.

### Pension:

Company has a Defined Pension Scheme. Under this scheme, Pension is payable to

employees who have opted for Pension Scheme. Company has created separate Fund for the Scheme which is funded by the Company and managed by separate Trust. The liability for the same is recognized on the basis of actuarial valuation.

### Gratuity:

Company has Defined Benefit Gratuity Plan for all categories of employees. Gratuity is payable after 5 years of continuous service. Company has created separate Fund which is funded by the Company and managed by separate trust. The liability for same is recognized on the basis of actuarial valuation.

### Leave Encashment:

Encashment of Privilege Leave (PL) is allowed to all class of employees, both during service period and on retirement. During service period, encashment is allowed for 15 days PL once in 2 years and on retirement, it is restricted to 240 days PL. This is unfunded and recognized on the basis of actuarial valuation.

The summarized position of the above Employees



## दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

लाभ व हानि खाते एवं तुलन पत्र में पहचाने गए कर्मचारियों के उपरोक्त लाभों की सारगर्भित स्थिति की पहचान निम्न प्रकार है:-

benefits recognized in the Profit and Loss Account and Balance Sheet are as under:

### CHANGE IN THE PRESENT VALUE OF THE DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS

वर्णित लाभ बाध्यताओं के चालू मूल्य में परिवर्तन

(रु. करोड़ में) Rs. in Crores

	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	
	सीवाई CY	पीवाई PY	सीवाई CY	पीवाई PY	सीवाई CY	पीवाई PY
1 अप्रैल, 2008 की स्थिति के अनुसार वर्णित दायित्व लाभ Defined benefit obligations as at 1 <sup>st</sup> April, 2008	685.22	623.89	232.20	227.75	115.51	120.29
वर्तमान सेवा शुल्क Current Service Cost	52.77	36.98	17.25	10.55	24.84	5.51
ब्याज शुल्क Interest Cost	52.53	52.85	17.18	18.79	8.30	9.91
दायित्व से बीमाकिक (लाभ) / हानि Actuarial (gain)/loss on obligation	17.77	22.24	2.68	(18.79)	(13.75)	(20.20)
सदत्त लाभ Benefits paid	(86.71)	(50.74)	(6.10)	(6.10)	-	-
31 मार्च, 2009 की स्थिति अनुसार वर्णित दायित्व लाभ Defined benefit obligation as at 31 <sup>st</sup> March, 2009	721.58	685.22	263.21	232.20	134.90	115.51

योजना परिसंपत्तियों के वास्तविक मूल्य में परिवर्तन

### CHANGE IN FAIR VALUE OF PLAN ASSETS

(रु. करोड़ में) Rs. in Crores

	पेंशन Pension		उपदान Gratuity	
	सीवाई CY	पीवाई PY	सीवाई CY	पीवाई PY
1 अप्रैल, 2008 की स्थिति के अनुसार योजना परिसंपत्ति पर उचित मूल्य Fair value of plan assets as at 1st April, 2008	685.22	623.89	294.69	279.47
योजना परिसंपत्ति से वास्तविक रिटर्न Actual return on plan assets	53.61	48.49	23.79	21.32
कर्मचारी अंशदान Employer's contribution	18.70	23.08	-	-
अतिरिक्त अंशदान Additional contribution	50.76	40.50	-	-
सदत्त लाभ Benefits paid	(86.71)	(50.74)	(6.10)	(6.10)
31 मार्च, 2009 की स्थिति अनुसार योजना परिसंपत्ति पर उचित मूल्य Fair value of plan assets as at 31st March, 2009	721.58	685.22	312.38	294.69



लाभ एवं हानि खाते में मान्य खर्चे

EXPENSES RECOGNISED IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(रु. करोड़ में) Rs. in Crores

	पेंशन Pension		उपदान Gratuity	
	सीवाई CY	पीवाई PY	सीवाई CY	पीवाई PY
वर्तमान सेवा शुल्क Current Service Cost	52.77	36.98	17.25	10.55
ब्याज शुल्क Interest Cost	52.53	52.85	17.18	18.79
योजना परिसंपत्ति से वास्तविक आय Actual return on plan assets	(53.61)	(48.49)	(23.79)	(21.32)
शुद्ध बीमांकिक लाभ Net Actuarial Gain	17.77	22.24	2.68	(70.51)
शुद्ध आवधिक शुल्क Net Periodic Cost	69.46	63.58	*13.32	*(62.49)

\*चूंकि योजना परिसंपत्ति वर्णित लाभ बाध्यताओं से अधिक है इसलिए पहचान नहीं की गई है।

\*Not recognized since Plan Assets exceeds Defined Benefit Obligations

तुलन पत्र में पहचानी गई राशि

AMOUNT RECOGNISED IN BALANCE SHEET

(रु. करोड़ में) Rs. in Crores

	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	
	सीवाई CY	पीवाई PY	सीवाई CY	पीवाई PY	सीवाई CY	पीवाई PY
31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार वर्णित दायित्व लाभ का वर्तमान मूल्य Present value of defined benefit obligations as at 31 <sup>st</sup> March, 2009	721.58	685.22	263.21	232.20	134.90	115.51
31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य (कम्पनी के वर्तमान वर्ष का अंशदान शामिल है) Fair value of plan assets as at 31st March, 2009 (including current year Company's contribution)	721.58	685.22	312.38	294.69	-	-
तुलनपत्र में अभिज्ञात देयता Liability recognized in balance sheet	NIL	NIL	** (49.17)	* (62.49)	19.32	(4.78)

” ग्रेचुएटी में योजना परिसंपत्ति का वास्तविक मूल्य वर्णित लाभ बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य से 49.17 करोड़ रु. अधिक हो गया है (पिछले वर्ष 62.49 करोड़ रु. था) और जिसकी एएस-15 के अधीन लाभ व हानि खाते में पहचान नहीं की गई है।

\*\*In gratuity, fair value of plan assets exceeds present value of defined benefit obligations by Rs. 49.17 Crores (Previous year Rs. 62.49 crores) which has not been recognized in Profit & Loss Account in terms of AS-15.



## दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

### वास्तविक मान्यताएं

### ACTUARIAL ASSUMPTION

विवरण Particulars	पेंशन Pension		उपदान Gratuity		अवकाश नकदीकरण Leave Encashment	
प्रयोग की गई विधि (i) Method used	प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मैथड Projected Unit Credit Method		प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मैथड Projected Unit Credit Method		प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मैथड Projected Unit Credit Method	
छूट दर (ii) Discount rate	8.00%	(8.25%)	7.5 %	(8.25%)	7.5%	(8.25%)
परिसंपत्ति पर प्रत्याशित आय दर* (iii) Expected rate of return on assets*	8.25%	(8%)	8. %	(8%)	—	
संभावित वेतन वृद्धि (iv) Future Salary Increase#	5%	(5%)	5%	(5%)	5%	(5%)
मृत्युदर (v) Mortality	एलआईसी (1994-1996) सारणी LIC (1994-1996) Table		एलआईसी (1994-1996) सारणी LIC (1994-1996) Table			
कर्मचारी का टर्नओवर (vi) Employees Turnover	2%	(2%)	2%	(2%)	2%	(2%)

वास्तविक मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त प्रमुख मान्यताएं हैं:-  
कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।

- \* योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की अपेक्षित दर संबंधित बाध्यता की संपूर्ण अवधि पर प्रतिफल के लिए वर्ष के आरंभ में बाजारी अपेक्षाओं पर आधारित है।
- # दायित्व का अनुमान लगाते समय वास्तविक मूल्यांकन हेतु विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है जैसे मुद्रा स्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य संबंधित घटक।

31 मार्च 2009 तक न्यास द्वारा योजना परिसंपत्तियों से संबंधित प्रस्तुत किए गए ब्यौरों का वर्णन निम्न प्रकार है:-

Figures in bracket are for the previous year

- \* Expected rate of return on plan assets is based on market expectation, at the beginning of the year, for return over the entire life of the related obligation.
- # Actuary while estimating liability has taken into consideration inflation, seniority, promotion and other relevant factors.

Details of Plan Assets maintained by the trust as on 31<sup>st</sup> March, 2009 are as follows:

(प्रतिशत में) (In Percentage)

	पेंशन Pension		उपदान Gratuity	
	सीवाई CY	पीवाई PY	सीवाई CY	पीवाई PY
(i) विशेष जमा Special Deposits	16.70	17.21	14.24	14.84
(ii) सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	36.87	35.15	47.77	45.23
(iii) निगमित बन्धपत्र/ऋणपत्र Corporate Bonds/debentures	38.06	38.63	37.24	37.23
(iv) बैंकों में जमा राशि Deposits in Banks	1.06	0.23	0.25	0.17
(v) अन्य Others	7.31	8.78	0.50	2.53

\*जिनकी लेखा परीक्षा नहीं की गई है।

सेवानिवृत्ति बाद चिकित्सीय लाभ:

कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सीय लाभ देने जैसी कोई योजना नहीं है।

#### 29. लेखाकरण के मानक 17 : खंडीय रिपोर्टिंग

आईआरडीए द्वारा निर्धारित प्रारूप में खंडीय सूचना दी गई है। (खंडीय रिपोर्टिंग पर वित्तीय विवरणियां एवं बी मा

\*Unaudited

Post Retirement Medical Benefits;  
Company does not have any Post Retirement Medical Benefit Scheme

#### 29. Accounting Standard 17: Segmental Reporting

Segmental information has been given in the format prescribed by IRDA (Preparation of Financial





कंपनियों के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना)  
नियमावली 2002

**30. लेखाकरण के मानक 18 : संबंधित दलीय अप्रकटन प्रबंधन के प्रमुख कर्मचारी:**

1. श्री एम. रामदास, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
2. श्री एस.के. चानना, निदेशक (1.11.2006 से) व महाप्रबंधक

**लेनदेन का स्वरूप:**

1. वेतन, भत्ते एवं अंशदान : 26.31 लाख रु. (पछले वर्ष 27.18 लाख रु.)
2. 31.03.2009 तक ऋण की बकाया राशि : 3.18 लाख रु. (पिछले वर्ष 1.18 लाख रु.)

**31. लेखाकरण के मानक 20 : आय प्रतिशेयर**

विवरण Particulars	31.03.2009	31.03.2008
शेयरधारकों का शुद्ध रोप्य लाभ (रु. लाखों में) Net Profit attributable to Shareholders (Rs. in Lacs)	-5266.34	930.18
जारी इक्विटी शेयरों का मूल्यांकित औसत आकड़े Weighted Average Number of Equity Shares issued	10,00,00,000	10,00,00,000
10 रु. प्रति शेयर मूल एवं अवमूल्यांकित आय Basic & Diluted Earnings per Share of Rs. 10/- each	-5.27	0.93

**32. लेखाकरण के मानक 22**

कंपनी की भावी कर योग्य आय की अनिश्चितता और दूरदर्शिता पर विचार करते हुए कंपनी ने भावी कर हेतु आयकर अधिनियम 1961 के अधीन सामयिक अंतरों के संबंध में शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति परिणामों की पहचान नहीं की है।

कंपनी की भावी कर योग्य आय की अनिश्चितता और दूरदर्शिता पर विचार करते हुए आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अधीन आय पर भावी कर (एमएटी को छोड़कर) से राहत दिलाने हेतु कंपनी ने न्यूनतम वैकल्पिक कर की शून्य राशि की पहचान नहीं की है।

**33. लेखाकरण के मानक 28**

लेखाकरण के मानक 28 के अनुसार प्रबंधन ने परिसंपत्तियों में कमी की संभावना का मूल्यांकन किया है और स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई कमी नहीं है।

**34. लेखाकरण के मानक 29**

दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखाकरण के मानक-29 के अनुपालन में उपबंधों की विवरणियां और अनिश्चित दायित्व

Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 on Segmental Reporting.

**30. Accounting Standard 18: Related Party Disclosure**

**Key Management Personnel:**

1. Sh. M. Ramadoss, Chairman cum Managing Director
2. Sh. S. K. Chanana, Director (from 1/11/2006) & General Manager

**Nature of Transactions:**

1. Salaries, allowances and contributions: Rs 26.31 Lacs (previous year Rs. 27.18 lacs)
2. Loan Balances due as on 31.03.2009: Rs. 3.18 Lacs (previous year Rs.1.18 lacs)

**31. Accounting Standard 20 – “Earnings Per Share”:**

**32. Accounting Standard 22**

The company has not recognized the net deferred tax assets for the future tax consequences of timing differences under the Income Tax Act, 1961 of considering uncertainties of future taxable income of the company and prudence.

Provision for Minimum Alternate Tax of Rs. NIL available for set off against future taxes on income (other than MAT) under the provisions of Income Tax Act, 1961 has not been recognized considering uncertainties of future taxable income (other than MAT) of the company and prudence.

**33. Accounting Standard 28**

In accordance with Accounting Standard-28, the Management has assessed the possibility of impairment of assets and there is no impairment in the value of fixed assets.

**34. Accounting Standard 29**

Statement of Provisions and Contingent Liabilities in compliance of Accounting Standard-29 issued by Institute of Chartered Accountants of India:

विवरण Particulars	31.03.08 को शेष Balance as on 31.03.08	वर्ष में जुड़ाव Additions during the year	वर्ष में भुगतान Paid during the Year	31.03.09 को शेष Balance as on 31.03.09
अ प्रावधान A Provisions		रु. लाख में Rs.in lacs		
I लाभांश वितरण कर I Dividend Distribution Tax	127.46	NIL	127.46	NIL



## दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

विवरण Particulars	31.03.09 को शेष Balance as on 31.03.09	31.03.08 को शेष Balance as on 31.03.08
<b>ब आकस्मिक देयताएं B Contingent Liabilities</b>	<b>रु. लाख में Rs.in lacs</b>	<b>रु. लाख में Rs.in lacs</b>
i. अंशत : संदत्त निवेश Partly Paid Investments	3395.52	1378.50
ii. बकाया जोखिम अंकन वचनबद्धता Underwriting Commitment Outstanding	NIL	NIL
iii. दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया (बीमा के अंतर्गत से इतर) Claims, other than those under policies not acknowledged as Debt	111.73	609.46
iv. कम्पनी द्वारा अथवा की ओर से प्रदत्त गारंटी Guarantee Given by or on behalf of the Company	NIL	NIL
v. विवादित सांविधिक मांगे/देयताएं जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया Statutory demands/ liabilities, in dispute, not provided for	23.14	23.14
vi. विस्तार में पुनर्बीमा दायित्व जिनका लेखा में प्रावधान नहीं किया गया Reinsurance Obligations to the Extent not Provided for in Accounts	NIL	NIL

35. संग्रहण खातों अर्थात् कलेक्शन एकाउंट्स में जमा ऐसे चैक और अन्य यंत्र जिनका 31 मार्च 2009 तक भुगतान नहीं हुआ है उनकी राशि 198.28 लाख रु. हे जो पिछले वर्ष 240.51 लाख रु. थी। कुछ कार्यालयों के मामलों में हमारे बैंक खातों में पुनः विचार न की गई जमा हैं जिनमें से कुछ का संबंध भुगतान न किए गए चैकों से हो सकता है। इस मामले को लेकर बैंकर्स से बातचीत की जा रही है। फिर भी, इसके लिए खातों में 135.54 लाख रु. की राशि जो पिछले वर्ष 156.77 लाख रु. थी, की आवश्यक व्यवस्था कर दी गई है।
36. पुनः बीमा स्वीकृति से संबंधित (लेखाकरण नीति सं. 5.1. ए.2 देखें) बकाया दावा प्रावधानों के संबंध में वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों को अपनाया गया:-
1. वित्तीय विवरणियों के मूल रूप की तारीख तक भारतीय व्यापार के संबंध में लेखाकरण नीति 4.2 देखें।
  2. विदेशी व्यापार के संबंध में:
    - (i) वर्ष के अंत तक हुआ समस्त नुकसान और उसके बाद आने वाले वर्ष में 30 अप्रैल तक प्राप्त संचार।
    - (ii) रद्द संधियों के मामले में 15 मई अथवा खातों का समाशोधन, इनमें से जो भी पहले हो, तक प्राप्त पुनः बीमा प्रतिफल के अंतर्गत विदेशी कंपनियों द्वारा प्रदत्त दावों पर बकाया दावों के रूप में विचार किया गया था।
37. कंपनी ने बीमा अधिनियम 1938 की धारा 3 के उपबंधों का अनुपालन किया है।
38. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अधीन आपूर्तिकर्ताओं को देय राशि की सूचना कंपनी के पास फौरन उपलब्ध नहीं है जिसके कारण अप्रकटन की स्थिति पैदा हो गई है। यदि वर्ष के अंत तक उपरोक्त
35. Cheques and other instruments deposited into collection accounts and pending realization for more than 6 months as on 31<sup>st</sup> March 2009 works out to Rs. 198.28 lacs (previous year Rs. 240.51 lacs). In the case of few offices, there are un-reconciled credits in our bank accounts; some of which may relate to these unrealized cheques. The matter is being followed up with the Bankers. However necessary provision amounting to Rs. 135.54 lacs (previous year Rs. 156.77 lacs) has been made in the accounts.
36. In respect of outstanding claim provisions relating to reinsurance acceptances (Refer Accounting Policy no.5.1.a.ii), the following dates were adopted during the year
1. In respect on Indian business up to the date of finalisation of financial statement (Accounting Policy 4.2.
  2. In respect on Foreign business:
    - (i) All losses incurred up to the year-end and communications received up to 30<sup>th</sup> April of the immediately succeeding year.
    - (ii) In the case of cancelled treaties, claims paid by the foreign companies as reported in reinsurance returns received up to 15<sup>th</sup> May or finalisation of accounts which ever is earlier, was considered as outstanding claims.
37. The Company has complied with the provisions of Section 3 of the Insurance Act, 1938.
38. The information as to amount due to suppliers under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 is not readily available with the company and hence disclosures, if any relating



- अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त ब्याज सहित भुगतान न की गई यदि कोई राशि है तो उसका उल्लेख नहीं किया गया है।
39. खातों के निम्नलिखित शीर्षों में पिछले वर्ष के आंकड़ों को आईआरडीए नियमावली/प्रारूप के अनुसार चालू वर्ष के अनुरूप पुनः व्यवस्थित/पुनः समूहीकृत कर दिया गया है।

- to amounts unpaid as at the year end together with interest paid/ payable as required under the said Act have not been given.
39. In the following heads of account previous year figures have been rearranged/ regrouped in conformity with those of the current year to fall in line with the IRDA guidelines / format.

अनुसूची सं. Schedule No.	खाता शीर्ष Head Of Account	उप खाता शीर्ष Revised Head of Account
8	इक्विटी  Equity	संशोधित आईआरडीए वर्गीकरण के अनुसार अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित इक्विटी को 'अवसंरचना एवं सामाजिक क्षेत्र' में निवेश के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। Equity relating to Infrastructure Sector classified under 'Investment in Infrastructure and social Sector' as per revised IRDA classification.
8	बॉण्ड एवं डिबेंचर अवसंरचना क्षेत्र  Bonds and Debentures- Infrastructure Sector	हाउसिंग क्षेत्र के अंतर्गत बॉण्ड एवं डिबेंचर को 'अन्य स्वीकृत निवेश' के अधीन वर्गीकृत किया गया है। Bonds and Debentures relating to Housing Sector classified under 'Other Approved Investment'
8	डिबेंचर-अन्य स्वीकृत निवेश  Debentures - Other Approved Investment	रु. 2.09 लाख को स्वीकृत निवेश के अलावा अन्य में स्थानांतरित किया गया है। Rs 2.09 lac shifted to 'Other Than Approved Investment'
नकदी प्रवाह विवरण	प्राप्तियां एवं भुगतान (नकदी प्रवाह)	जीआईसी मोटर पूल में भुगतान को 'पुनर्बीमा में भुगतान, कमीशन एवं दावे का शुद्ध' में स्थानांतरित किया गया है।
Cash Flow Statement	Receipts and Payments (Cash Flow)	Payment to GIC Motor Pool shifted to 'Payment to reinsurers, net of commission and claims'

**कृते सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स**  
सनदी लेखाकार  
**For Suresh Chandra & Associates**  
Chartered Accountants

**कृते एस. मान एण्ड कं.**  
सनदी लेखाकार  
**For S. MANN & CO.**  
Chartered Accountants

**एम. रामदास**  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
**M. RAMADOSS**  
Chairman-cum-Managing Director

**सीए एस. सी. गुप्ता**  
भागीदार  
सदस्यता नं. 016534  
**CA S. C. GUPTA**  
Partner  
Membership No. 016534

**सीए सुभाष मान**  
भागीदार  
सदस्यता नं. 80500  
**CA SUBHASH MANN**  
Partner  
Membership No. 80500

**जे.एस.एस शास्त्री**  
निदेशक  
**J. S. S. SASTRY**  
Director

**एस.के. चानना**  
निदेशक  
**S. K. CHANANA**  
Director

**डी. सिंह**  
निदेशक  
**D. SINGH**  
Director

**रश्मी बाजपेयी**  
कंपनी सचिव  
**RASHMI BAJPAI**  
Company Secretary

**एस. सुरेन्थर**  
वित्त सलाहकार  
**S. SURENTHAR**  
Financial Advisor

Place : New Delhi  
स्थान : नई दिल्ली  
Dated : 20th July, 2009  
दिनांक: 20 जुलाई, 2009



## दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

### वित्तीय विवरणों का सारांश Summary of Financial Statements

(करोड़ रु.में )  
(Rs. in crore)

क्र. स. S.NO.	प्रचालन परिणाम OPERATING RESULTS	2008-09	2007-08	2006-07	2005-06	2004-05
1	कुल प्रीमियम अर्जित Gross Premium Written	4077.90	3900.22	4020.78	3609.78	3090.55
2	शुद्ध प्रीमियम आय Net Premium Income	3235.10	2878.68	2879.73	2500.46	2218.02
3	निवेश से आय (शुद्ध) Income from Investment (net)	991.99	1141.19	1140.76	1097.17	1066.79
4	अन्य आय Other Income	27.13	-1.66	6.4	5.4	7.91
5	<b>कुल आय Total Income</b>	<b>4254.22</b>	<b>4018.21</b>	<b>4026.89</b>	<b>3603.03</b>	<b>3292.72</b>
6	कमीशन Commission	201.02	131.35	99.62	103.4	84.57
7	ब्रोकरेज Brokerage					
8	प्रचालन व्यय Operating Expenses	914.44	823.6	754.22	850.76	729.88
9	दावे, असमाप्त जोखिम रिजर्व में वृद्धि तथा अन्य व्यय Claims, Increase in Unexpired Risk Reserve & Other Outgo	3227.18	2620.91	2543.42	2314.68	2006.56
10	प्रचालन लाभ/हानि Operating Profit/Loss	-88.42	442.35	629.63	334.19	471.7
11	शेयरहोल्डरों के खाते में कुल आय Total Income under Shareholder's account					
12	लाभ /(हानि) कर से पूर्व Profit/(loss) before tax	-89.36	442.35	629.63	334.19	471.7
13	कर के लिए प्रावधान (पिछले वर्षों का प्रावधान और डीटीए/डीटीएल सहित) Provision for tax(including provision for earlier years and DTA/DTL)	-36.70	433.05	132.36	50.28	141.18
14	लाभ/(हानि) कर के बाद Profit/(loss) after tax	-52.66	9.3	492.27	2 83.91	330.52



15	पॉलिसीधारकों का खाता Policyholder's Account:					
	कुल निधि Total funds	5750.33	5133.74	4739.92	4212.99	3977.98
	कुल निवेश Total Investments					
	निवेश से आय Yield on Investments					
16	शेयरधारकों का खाता Shareholder's Account					
	कुल निधि Total funds	1973.65	2026.32	2025.79	1542.54	1261.16
	कुल निवेश Total Investments	6166.84	6356.98	6149.21	5253.74	4840.41
	निवेश से आय Yield on Investments	9.42%	8.57%	9.24%	9.02%	9.46%
17	चुकता इक्विटी पूंजी Paid up Equity Capital	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
18	शुद्ध मूल्य Net Worth	1973.65	2026.32	2025.79	1542.54	1261.16
19	कुल परिसम्पत्तियां Total Assets	13462.63	16218.68	13925.61	13545.04	9871.86
20	कुल निवेश से आय Yield on total investments	9.42%	8.57%	9.24%	9.02%	9.46%
21	प्रतिशेयर आय (रु.) Earning per share(Rs.)	-5.27	0.93	49.73	28.39	33.05
22	प्रतिशेयर अंकित मूल्य (रु.) Book Value per share (Rs.)	197.37	202.63	202.58	154.25	126.12
23	कुल लाभांश Total Dividend	NIL	7.50%	100%	50%	30%
24	प्रतिशेयर लाभांश (रु.) Dividend per share (Rs.)	0.00	0.75	10	5	3



## दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

### लेखा अनुपात Accounting Ratios

(रु. लाखों में)  
(Rs. in lakhs)

क्र. सं. S. No.	विवरण Particulars	2008-09	2007-08	वृद्धि चालू वर्ष Growth CY%	वृद्धि गत वर्ष Growth PY%
1	<b>कुल प्रत्यक्ष प्रीमियम</b> <b>Gross Direct Premium</b>				
	अग्नि Fire	46361	49606	-6.54	-10.90
	मरीन कार्गो Marine Cargo	18254	17545	4.04	-2.42
	मरीन हल Marine Hull	16593	17623	-5.84	-4.07
	मोटर स्वयं क्षति Motor OD	84760	92055	-7.92	-17.79
	मोटर तृतीय पक्ष Motor TP	69937	73211	-4.47	10.02
	इंजीनियरिंग Engineering	26584	22410	18.62	5.81
	उड्डयन Aviation	9458	8242	14.75	-32.69
	कामगार क्षति पूर्ति Workmen Compensation	5408	4473	20.90	10.53
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	15051	13810	8.99	17.55
	स्वास्थ्य Health	71041	53310	33.26	18.74
	दायित्व Liability	3243	3240	0.10	22.40
	अन्य विविध Other Miscellaneous	41098	34496	19.14	-0.80
	<b>सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम</b> <b>Gross Direct Premium</b>	<b>407790</b>	<b>390022</b>	<b>4.56</b>	<b>-3.00</b>
2	<b>शेयरधारकों के फंड अनुपात में कुल प्रीमियम</b> <b>Gross Premium to Shareholders's Funds Ratio</b>				
	कुल प्रीमियम Gross Premium	407790	390022		
	शेयरधारकों का फंड (वर्ष के प्रारंभ में) Shareholders' Fund (at the beginning of the year)	202632	202579		
	<b>शेयरधारकों के फंड के अनुपात में कुल प्रीमियम (%)</b> <b>Ratio of GP to Shareholders Fund (%)</b>	<b>201.25</b>	<b>192.53</b>		
3	<b>शेयरधारकों के निधि का वृद्धि दर</b> <b>GROWTH RATE OF SHAREHOLDER'S FUNDS</b>				
	वर्ष के अन्त में At the end of the year	197365	202632		
	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	202632	202579		
	<b>वृद्धि व वृद्धि दर (%)</b> <b>Growth and Growth rate (%)</b>	<b>-5266</b>	<b>53</b>	<b>-2.60</b>	<b>0.03</b>



4	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात	शुद्ध प्रीमियम	शुद्ध प्रीमियम	वर्तमान वर्ष का प्रतिधारण अनुपात (%)	गत वर्ष का प्रतिधारण अनुपात (%)
	Net Retention Ratio	2008-09 Premium Net	2007-08 Premium Net	CY Retention Ratio (%)	PY Retention Ratio (%)
	अग्नि Fire	31947	29712	68.91	59.90
	मरीन कार्गो Marine Cargo	15157	15416	83.04	87.86
	मरीन हल Marine Hull	2558	3213	15.41	18.23
	मोटर स्वयं क्षति Motor OD	76792	78760	90.60	85.56
	मोटर तृतीय पक्ष Motor TP	56397	52955	80.64	72.33
	इंजीनियरिंग Engineering	20396	17730	76.73	79.12
	उड्डयन Aviation	1685	928	17.82	11.26
	कामगार क्षति पूर्ति Workmen Compensation	4903	3800	90.67	84.96
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	12677	10921	84.22	79.08
	स्वास्थ्य Health	63870	45284	89.91	84.94
	दायित्व Liability	2184	1848	67.34	57.03
	अन्य विविध Other Miscellaneous	34944	27301	85.02	79.14
	<b>सभी विभाग All Departments</b>	<b>323510</b>	<b>287868</b>	<b>79.33</b>	<b>73.81</b>
5	शुद्ध कमीशन दर (%)	शुद्ध प्रीमियम	शुद्ध प्रीमियम	वर्तमान वर्ष का कमीशन दर अनुपात (%)	गत वर्ष का कमीशन दर (%)
	Net Commission Ratio (%)	2008-09 Net Comm.	2007-08 Net Comm.	CY Comm. Ratio (%)	PY Comm. Ratio (%)
	अग्नि Fire	301	-651	0.94	-2.19
	मरीन कार्गो Marine Cargo	1890	1879	12.47	12.19
	मरीन हल Marine Hull	-723	-859	-28.27	-26.74
	मोटर स्वयं क्षति Motor OD	7488	5283	9.75	6.71
	मोटर तृतीय पक्ष Motor TP	-485	329	-0.86	0.62
	इंजीनियरिंग Engineering	67	-30	0.33	-0.17
	उड्डयन Aviation	-38	-224	-2.27	-24.14
	कामगार क्षति पूर्ति Workmen Compensation	488	299	9.94	7.87
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	1203	726	9.49	6.65



## दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

	स्वास्थ्य Health	5575	3065	8.73	6.77
	दायित्व Liability	238	237	10.91	12.82
	अन्य विविध Other Miscellaneous	4099	3081	11.73	11.29
	<b>सभी विभाग All Departments</b>	<b>20102</b>	<b>13135</b>	<b>6.21</b>	<b>4.56</b>
<b>6</b>	<b>प्रबंधन व्यय का जी.डी.पी. दर से अनुपात EXP. OF MGMT TO GDP RATIO</b>				
	प्रबंधकीय व्यय Expenses of Management	91444	82361		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	407790	390022		
	<b>दर (%) Ratio(%)</b>	<b>22.42</b>	<b>21.12</b>		
<b>7</b>	<b>संयुक्त दर COMBINED RATIO TO GDP RATIO</b>				
	सकल उपगत दावे Gross Incurred Claims	374942	318694		
	प्रबंधकीय व्यय Expenses of Mgmt	91444	82361		
	<b>कुल Total</b>	<b>466386</b>	<b>401055</b>		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	407790	390022		
	<b>दर (%) Ratio (%)</b>	<b>114.37</b>	<b>102.83</b>		
<b>8</b>	<b>शुद्ध प्रीमियम के अनुपात में तकनीकी रिजर्व TECHNICAL RESERVES TO NET PREMIUM RATIO</b>				
	असमाप्त जोखिमों हेतु रिजर्व Reserve for Unexpired Risks	163034	145541		
	प्रीमियम में कमी रिजर्व Premium Deficiency Reserve	0	663		
	बकाया दावों हेतु रिजर्व Reserve for O/S Claims	411999	367834		
	<b>कुल Total</b>	<b>575033</b>	<b>514038</b>		
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	323510	287868		
	<b>दर (%) Ratio (%)</b>	<b>177.75</b>	<b>178.57</b>		
<b>8</b>	<b>शुद्ध कमीशन दर (%) UNDER WRITING BALANCE RATIO</b>	<b>बीमा लेखन लाभ</b>	<b>बीमा लेखन लाभ</b>	<b>बीमा लेखन शेष दर (%) CY U/W Balance Ratio (%)</b>	<b>बीमा लेखन शेष दर (%) PY U/W Balance Ratio (%)</b>
		<b>2008-09 U/W Profit</b>	<b>2007-08 U/W Profit</b>		
	अग्नि Fire-	-15714	-8604	-49.19	-28.96
	मरीन कार्गो Marine Cargo	-2253	389	-14.86	2.52
	मरीन हल Marine Hull	-3335	-1058	-130.38	-32.94
	मोटर स्वयं क्षति Motor OD	7692	14015	10.02	17.80





	मोटर तृतीय पक्ष Motor TP	-61818	-57029	-109.61	-107.69
	इंजीनियरिंग Engineering	981	7673	4.81	43.28
	उड्डयन Aviation	-2528	-1047	-150.05	-112.81
	कामगार क्षति पूर्ति Workmen Compensation	1062	1425	21.66	37.49
	व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident	-5354	-954	-42.23	-8.73
	स्वास्थ्य Health -	-40401	-23148	-63.25	-51.12
	दायित्व Liability	375	145	17.19	7.83
	अन्य विविध Other Miscellaneous	10492	136	30.02	0.50
	<b>कुल TOTAL</b>	<b>-110800</b>	<b>-68058</b>	<b>-34.25</b>	<b>-23.64</b>
<b>10</b>	<b>प्रचालन लाभ दर OPERATING PROFIT RATIO</b>				
	जोखिम अंकन लाभ Underwriting Profit	-110800	-68058		
	निवेश आय Investment Income	99199	114179		
	प्रचालन लाभ Operating Profits	-11601	46121		
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	323510	287868		
	<b>दर (%) Ratio(%)</b>	<b>-3.59</b>	<b>16.02</b>		
<b>11</b>	<b>दायित्व के अनुपात में लिक्विड परिसम्पत्तियां LIQUID ASSETS TO LIABILITIES RATIO</b>				
	लिक्विड परिसंपत्तियां* Liquid Assets*	115013	123928		
	बीमा धारकों का दायित्व Policyholders' Liabilities	575033	514037		
	<b>दर (%) Ratio (%)</b>	<b>20.00</b>	<b>24.11</b>		
<b>12</b>	<b>शुद्ध आय दर NET EARNINGS RATIO</b>				
	कर उपरांत लाभ Profit after Tax	-5266	930		
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	323510	287868		
	<b>दर (%) Ratio (%)</b>	<b>-1.63</b>	<b>0.32</b>		
<b>13</b>	<b>शुद्ध मूल्य पर आमदनी RETURN ON NETWORTH</b>				
	कर उपरांत लाभ Profit after Tax	-5266	930		
	शुद्ध मूल्य Networth	197365	202632		
	<b>दर (%) Ratio (%)</b>	<b>-2.67</b>	<b>0.46</b>		
<b>14</b>	<b>पुनर्बीमा दर REINSURANCE RATIO</b>				
	अध्यर्पित पुनर्बीमा प्रीमियम RI Premium ceded	129747	142726		
	सकल प्रीमियम Gross Premium	407790	390022		
	<b>दर (%) Ratio (%)</b>	<b>31.82</b>	<b>36.59</b>		

\* consist of Cash and Bank balances and Investment in Liquit Mutual Fund Schemes



## आईआरडीए नियमावली के अनुसार वित्तीय विवरणियों पर प्रबंधन की रिपोर्ट

1. हम पुष्टि करते हैं कि आईआरडीए द्वारा मंजूर किए गए पंजीकरण का वर्ष 2009-10 के लिए उनकी पंजीकरण संख्या 556 दिनांक 13.03.2009 के अंतर्गत नवीकरण करा दिया गया है।
2. सांविधिक प्राधिकरणों को देय सभी बकाया का विधिवत भुगतान कर दिया गया है।
3. वर्ष 2008-09 के दौरान शेयरधारी पैटर्न और शेयरों के समस्त हस्तांतरण सांविधिक एवं नियमावली की अपेक्षाओं के अनुसार हैं।
4. वर्ष 2008-09 के दौरान प्रबंधन ने भारत में पॉलिसी धारकों की निधियों का भारत के बाहर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निवेश नहीं किया है।
5. हम पुष्टि करते हैं कि अपेक्षित प्रतिधारण क्षमता की सीमा को बरकरार रखा गया है।
6. हम प्रमाणित करते हैं कि तुलन पत्र में वर्णित समस्त परिसंपत्तियों की कीमत आईआरडीए नियमावली के अनुसार है और हमारे विचार से वास्तविक अथवा बाजारी मूल्य से अधिक नहीं है।
7. कंपनी का पुनः बीमा कार्यक्रम व्यापार के समस्त पोर्टफोलियों पर केंद्रित है और इसे देशभर में फैले इसके आप्रेशनों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। जैसा कि कंपनी का स्वरूप व्यापक और इसकी प्रकृति विविधकिस्म की है, इसलिए कंपनी प्राकृतिक एवं मानवीय आपदाओं की समस्त किस्मों का शिकार हो सकती है। कंपनी के शुद्ध खाता के संरक्षण को घाटे की अधिक्य सीमा के माध्यम से प्राप्त किया गया है जिससे तुलन पत्र की प्रमुख घटनाओं का प्रभाव कम हो गया है। वर्ष 2008-09 के लिए व्यापार पर शुल्क हटाने के बाद कंपनी ने अपना दूसरा वर्ष पूरा कर लिया है। उच्च प्रतिधारण एवं द्वितीय आधिक्य संधि के सृजन द्वारा स्वचालित क्षमता की वृद्धि को भी प्राप्त कर लिया गया है। उच्च प्रतिधारण के कारण गैर-समुद्री जोखिम एक्सएल (नॉन मेरीन रिस्क एक्सएल) और गैर समुद्री क्रेट एक्सएल (नॉन मेरीन क्रेट एक्सएल) सीमा को 350 करोड़ रु. से बढ़ाकर 400 करोड़ रु. कर दिया गया है। भारतीय एवं विदेशी आवक व्यापार के संरक्षण को 47 करोड़ रु. की कवर लिमिट सहित इनवार्ड एक्सएल संधि के माध्यम से प्राप्त किया गया है। इस सीमा में कटौती की राशि 3 करोड़ रु. रखी गई थी। मेरीन एक्सएल, पीए एक्सएल और मोटर एक्सएल का नवीकरण वर्ष 2007-08 के मापदंडों के अनुसार कर दिया गया है। कंपनी ने प्रतिभूतियों सहित आनुपातिक एवं गैर-आनुपातिक संधियों को आईआरडीए नियमावली के अंतर्गत स्वीकृत रख दिया है।  
वर्ष 2009-10 में गत वर्ष की घटनाओं के चलते बाजारी क्षमता में विचारणीय कमी आई है। इसके अतिरिक्त जीआईसी ने अपनी बाजारी आधिक्य संधि को बंद कर दिया है। यद्यपि घटी हुई स्वचालित क्षमता की पूर्ति करने के लिए प्रथम आधिक्य संधि की सीमा को बढ़ा दिया गया है फिर भी शुद्ध प्रतिधारण क्षमता को जहाजी संरचना में सीमांत वृद्धि करते हुए समान स्तर पर बनाए रखा है। तदनुसार, सभी एक्सएल की सीमाओं को गत वर्ष की तरह ही बनाए रखा है।
8. हालांकि कंपनी का नेपाल में एक शाखा कार्यालय है किंतु दुबई और कुवैत के आप्रेशन मुख्य एजेंटों की सेवाओं के माध्यम से चल रहे हैं। वर्ष 2009-10 में दुबई और कुवैत के आप्रेशनों की रूपरेखा पर कतर में भी आप्रेशन शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है।

## Management Report on Financial Statements as per IRDA Regulations

1. We confirm that the registration granted by IRDA has been renewed for the year 2009-10 vide their Registration no. 556 dated 13.03.2009.
2. All dues payable to statutory authorities have been duly paid.
3. The shareholding pattern and all transfers of shares during 2008-09 are in accordance with statutory and regulatory requirements.
4. During 2008-09, the management has not directly or indirectly invested outside India, the funds of the holders of policies in India.
5. We confirm that the required solvency margin has been maintained.
6. We certify that the values of all assets stated in the Balance Sheet are in accordance with IRDA Regulations and in our belief do not exceed the realizable or market value.
7. The Reinsurance Programme of the company encompasses the entire portfolio of business and is designed to provide adequate protection for its operations spread over the country. As the exposure of the company is widespread and varied in nature, it is subject to all kinds of catastrophes natural and manmade. The protection of the Net Account of the company is achieved through the Excess of Loss cover thereby reducing the impact of the major events on the Balance Sheet.  
For the year 2008-09, the company witnessed the second year after the detariffing of the business. The enhancement of automatic capacity was achieved through higher Retention and the creation of Second Surplus Treaty. On account of the higher retention, the limits of the Non-Marine Risk XL and Non-Marine Cat XL cover were increased to Rs.350 crs and Rs.400crs. The protection of the Inward business— Indian and Foreign was achieved through the Inward XL treaty with a cover limit of Rs.47crs. The deductible for this cover was kept at Rs.3crs. The Marine XL, PA XL and Motor XL were renewed with the same cover limits as 2007-08.  
The company placed the proportional and non proportional treaties with securities permitted under IRDA regulations.  
For the year 2009-10, the market capacity has shrunk considerably on account of the events in the past year. Also, GIC has discontinued its Market Surplus Treaty. In order to compensate for the reduced automatic capacity, the limits of the First Surplus Treaty have been enhanced. However, Net Retention have been maintained at same levels though marginally enhanced for Marine Hull. Accordingly, limits for all the XL covers have been maintained as previous year.
8. Company has a Branch Office in Nepal but Dubai & Kuwait operations are running through the services of Chief Agents. In the year 2009-10, it is proposed to begin operations in Qatar on the similar pattern as the Dubai and Kuwait operations.



इन विदेशी कार्यालयों का जीडीपीआई में योगदान बहुत कम है और क़तर में नया कार्यालय खोलने के बावजूद जोखिम गंभीर रूप से प्रभावित नहीं हुआ है।

**9. दावों की अवधि और उनके निपटान का विवरण नीचे दिया गया है:-**

अवधि के अनुसार बकाया दावों का विश्लेषण परिशिष्ट 1 में दिया गया है।

10. स्टॉक व शेयर सहित सभी निवेशों की कीमत आईआरडीए नियमावली के अनुरूप रखी गई है और सक्रिय रूप से किए गए व्यापार संबंधी इक्विटी शेयरों की बाजारी कीमत का एनएसई/बीएसई पर स्टॉक बाजारी कीमत के अनुसार मूल्यांकन किया गया है।

11. पोर्टफोलियों के संबंध में परिसंपत्ति की गुणवत्ता और निवेश की क्षमता की समीक्षा नीचे दी गई है:-

The contribution to GDP from these Foreign Offices is very small and despite the opening of the new office at Qatar the risk exposure is not unduly affected.

**9. Aging of claims and trends in settlement of claims are given below:**

Age-wise analysis of Outstanding Claims is given in Annex. 1.

10. The values of all investments including stock and shares have been arrived at in accordance with IRDA Regulations and the market value of actively traded Equity shares have been ascertained based on stock market prices on NSE/BSE.

11. A review of asset quality and performance of investment in terms of portfolios are given below:

निवेश सूची Portfolio	निवेश रुपये करोड़ों में Investments Rs. In Crores	कुल निवेशों का प्रतिशत % to total Investments	वित्तीय वर्ष 2008-09 Yield % FY 2008-09	वित्तीय वर्ष 2007-08 Yield % FY 2007-08
सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities	2636.16	42.75	8.28	8.43
बन्धपत्र Bonds	41.12	0.67	13.93	7.81
ऋणपत्र Debentures	1179.47	19.13	8.21	7.73
म्युचुअल फण्ड Mutual Funds	53.28	0.86	0.03	0.19
ऋण Loans	197.72	3.21	9.71	7.45
अधिमान शेयर Preference Shares	69.84	1.13	0.73	2.09
इक्विटी शेयर Equity Shares	1504.66	24.40	9.25	8.60
मुद्रा बाजार के लिखत Money Market Instruments	475.98	7.72	10.65	12.57
अल्पकालीन ऋण Short Term Loans	8.61	0.14	0.00	0.10
डिबेंचर / शेयरों हेतु आवेदन राशि Application Money for debts/shares	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल Total</b>	<b>6166.84</b>	<b>100.00</b>	<b>9.42</b>	<b>8.57</b>

उचित मूल्य परिवर्तन खाता को इक्विटी/म्युचुअल फंड में शामिल नहीं किया गया है।

12. निदेशक के उत्तरदायित्व की विवरणी को निदेशक की रिपोर्ट के खंड के रूप में दर्शाया गया है।

Fair Value Change Account is not considered in Equity/Mutual Funds.

12. The Director's Responsibility Statement has been furnished as part of Director's Report.

एम. रामदास  
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

जे. एस. एस. शास्त्री

एस. के. चानना

डी. सिंह

रश्मी बाजपेयी  
कंपनी सचिव

Rashmi Bajpai  
Company Secretary

निदेशकगण

M Ramadoss  
Chairman-cum-Managing Director

J.S.S.Sastry

S.K.Chanana

D. Singh

Directors

एस. सुरेन्थर

वित्त सलाहकार

S. Surenther  
Financial Advisor



# दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

अनुबंध-1  
ANNEXURE-1  
राशि ( रु. लाख में )  
Amount (Rs. in Lakhs)

दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड  
THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED  
31.03.2009 का शेष दावों का समेकित आयु-अनुसार विश्लेषण  
CONSOLIDATED AGEWISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING AT 31.3.2009

	फायर FIRE		एम. कार्गो M.CARGO		एम. हॉल M.HULL		मोटर ओडी MOTOR OD		मोटर टीपी (एक्स्क्लूजिव्ही गीपी पूल) MOTOR TP (EXCL GIC POOL)		मोटर टीपी (जीआईसी पूल) MOTOR TP (GIC POOL)		इंजी. ENGG		एविएशन AVIATION	
	चं. NO.	राशि AMOUNT	चं. NO.	राशि AMOUNT	चं. NO.	राशि AMOUNT	चं. NO.	राशि AMOUNT	चं. NO.	राशि AMOUNT	चं. NO.	राशि AMOUNT	चं. NO.	राशि AMOUNT	चं. NO.	राशि AMOUNT
30 दिन से कम Less than 30 days	2 208	26.63 2714.34	0 169	0.00 5340.88	0 9	0.00 8.50	9 7822	-3.01 4311.82	5956 24	8255.76 36.24	1941 0	3148.67 0.00	1 460	2.29 1369.41	0 1	0.00 0.10
30 दिन से अधिक और 6 महीने से कम 30 days and above Less than 6 months	3 701	23.62 16977.15	0 650	0.00 2553.21	0 55	0.00 11085.61	160 9943	88.81 6645.67	14199 80	18099.44 59.34	4991 2	8198.95 7.63	3 763	38.77 2588.45	0 5	0.00 156.81
6 महीने और अधिक 1 वर्ष से कम 6 months and above Less than 1 year	16 700	-9.29 11564.07	2 809	3.39 2649.79	0 40	0.00 3587.98	261 6065	218.14 4943.42	26266 173	32237.12 133.07	7179 5	12077.61 18.10	1 876	34.99 6608.65	1 1	22.50 4.50
1 वर्ष और अधिक 5 वर्ष से कम 1 year and above Less than 5 years	111 371	417.35 17136.95	71 1303	231.35 4244.63	10 68	292.52 9189.51	552 2931	444.24 3141.18	108818 817	134950.56 1155.69	5954 3	9745.16 -9.79	9 518	2.35 6566.27	0 28	0.00 3886.47
5 वर्ष और अधिक 5 years and above	137 68	2803.56 479.50	39 22	1082.66 -134.60	14 1	17315.53 -1801.88	215 98	225.59 128.32	49351 428	58129.47 747.04	144 0	147.55 0.00	18 36	1011.76 2211.54	0 5	0.00 109.31
सहयोगी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आने वाले उपयोग Under Incoming co- insurance arrangement	3 109	5382.66 4173.73	0 8	0.00 419.46	6 28	135.35 6495.25	1 0	6.00 0.00	413 0	494.71 0.00	0 0	0.00 0.00	5 46	24.56 500.85	0 83	0.00 1260.22
कुल योग SUB TOTAL	272 2157	8663.12 53045.76	112 2961	1317.41 15073.37	30 201	17743.40 28563.98	1198 26859	979.77 19170.42	205003 1522	252167.06 2131.39	20209 10	33317.94 15.94	37 2699	1114.72 19845.17	1 123	22.50 5417.41
सर्वे/विधि एवं अन्य दावों हेतु व्यय SURVEY/LEGAL & other Expenses for all claims	8 11	5694.35 233.61	5 40	150.99 62.63	1 0	23.61 277.91	8 279	25.94 382.52	0 0	5930.54 46.25	6 0	452.36 2.80	0 43	2.17 163.63	0 0	0.00 97.91
कुल योग GRAND TOTAL	280 2168	14357.46 53279.37	117 3001	1468.40 15136.00	31 201	17767.01 28791.89	1206 27138	1005.71 19552.94	205003 1522	258097.60 2177.64	20215 10	33770.29 18.74	37 2742	1116.88 20008.80	1 123	22.50 5515.32



अनुबंध-1  
ANNEXURE-1

वि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड  
THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED  
31.03.2009 का शेष दावों का समेकित आयु अनुसार विश्लेषण  
CONSOLIDATED AGEWISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING AT 31.3.2009

राशि (रु. लाख में)  
Amount (Rs. in Lakhs)

	डब्ल्यू.सी. W.C.		पब./उत्पा.अधि. PUB./PROD.LIAB.		स्वास्थ्य HEALTH		व्यक्ति. बीमा PERRS. ACCI		अन्य विविध OTHER MISC.		कुल विविध TOTAL MISC		कुल (सभी ऋण) TOTAL (ALL DEPTTS)	
	चं. NO.	राशि AMOUNT	चं. NO.	राशि AMOUNT	चं. NO.	राशि AMOUNT	चं. NO.	राशि AMOUNT	चं. NO.	राशि AMOUNT	चं. NO.	राशि AMOUNT	चं. NO.	राशि AMOUNT
30 दिन से कम Less than 30 days	18 112	2.67 72.09	4 27	0.11 19.94	11 6574	11.70 2318.89	6 742	2.27 702.85	17 1405	14.90 1354.15	7963 17167	11435.36 10185.48	7965 17553	11461.99 18249.21
30 दिन से अधिक और 6 महीने से कम 30 days and above Less than 6 months	30 207	36.06 163.80	1 39	2.00 88.01	3 5979	0.54 1945.28	2 1889	2.05 1819.40	16 3262	170.11 3664.38	19405 22169	26636.73 17138.78	19408 23575	26660.34 47754.76
6 महीने और अधिक 1 वर्ष से कम 6 months and above Less than 1 year	52 366	71.49 326.28	2 63	1.30 118.37	7 2158	4.86 4216.51	10 1910	1.42 1647.53	46 3147	122.72 13430.36	33825 14767	44792.14 31446.80	33843 16313	44804.82 49248.64
1 वर्ष और अधिक 5 वर्ष से कम 1 year and above Less than 5 years	158 202	229.82 293.17	30 44	63.50 83.72	91 1066	493.08 70.11	105 1340	150.37 1233.47	357 2083	459.09 4767.07	116074 9032	146538.17 21187.35	116266 10774	147479.40 51757.45
5 वर्ष और अधिक 5 years and above	34 19	37.86 20.89	13 7	207.47 110.56	24 36	18.37 2022.83	58 34	62.62 3504.84	245 84	312.63 409.63	50102 747	60153.31 9264.96	50292 838	81355.07 7807.98
सहयोगी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आने वाले उपयोग Under Incoming co- insurance arrangement	1 0	0.52 0.07	0 0	0.00 0.00	0 23	0.05 63.19	0 148	0.00 69.82	0 35	0.05 505.29	420 335	525.89 2399.45	429 480	6043.90 13487.89
कुल योग SUB TOTAL	293 906	378.41 876.30	50 180	274.38 420.60	136 15836	528.60 10636.80	181 6063	218.73 8977.91	681 10016	1079.50 24130.88	227789 64214	290081.60 91622.82	228203 69533	317805.52 188305.93
सर्वोविधि एवं अन्य दावों हेतु व्यय SURVEY/LEGAL & other Expenses for all claims	0 1	3.71 4.64	0 3	1.14 49.46	0 73	3.43 17.17	1 32	1.83 29.80	4 310	37.95 196.11	19 741	6459.06 990.30	33 792	12328.01 1514.46
कुल योग GRAND TOTAL	293 907	382.12 880.94	50 183	275.52 470.06	136 15909	532.03 10653.97	182 6095	220.56 9007.72	685 10326	1117.45 24326.98	227808 64955	296540.66 92613.12	228236 70325	330133.53 189820.38



## दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

### 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्त एवं भुगतान (कैश फ्लो) विवरण Receipts and Payments (Cash Flow) Statement for the year ending 31st March, 2009

(रु. लाखों में)  
(Rs. in lakhs)

I	प्रचालन कार्यों से रोकड़ प्रवाह Cash Flow from the operating activities	2008-09	2007-08
	अग्रिम प्राप्त सहित पोलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम सहबीमा का शुद्ध Premium received from policyholders, including advance receipts, net of coinsurance	458857.05	432979.99
	अन्य प्राप्तियां Other receipts	340.11	486.75
	पुनर्बीमाकर्ताओं को भुगतान, कमीशन व दावों का शुद्ध Payments to reinsurers, net of commissions and claims	-67144.11	-56402.28
	सहबीमाकर्ताओं को भुगतान, दावा वसूली का शुद्ध Payments to coinsurers, net of claims recovery	-28504.94	-20193.55
	दावों का भुगतान Payments of claims	-346214.33	-283710.61
	कमीशन एवं ब्रोकरेज का भुगतान Payments of commission and brokerage	-36877.87	-35807.26
	अन्य प्रचालन व्यय का भुगतान Payments of other operating expenses	-81194.76	-73274.83
	प्रारंभिक एवं प्रचालन पूर्व खर्चों का व्यय Preliminary and pre-operative expenses	0.00	0.00
	जमा, अग्रिम एवं स्टाफ ऋण Deposits, advances and staff loans	-3728.27	-8102.74
	संदत्त आयकर शुद्ध Income taxes paid (net)	-9553.75	-44075.96
	अन्य भुगतान/उगाही (शुद्ध) Other collections and payments (Net)	5519.57	16933.82
	असाधारण क्रियाकलापों के पूर्व रोकड़ प्रवाह Cash flow before extraordinary activities	<b>-108501.30</b>	<b>-71166.67</b>
	असाधारण क्रियाकलाप Extraordinary Activities	0.00	0.00
	असाधारण क्रियाकलापों के बाद रोकड़ प्रवाह Cash flow after extraordinary activities	<b>-108501.30</b>	<b>-71166.67</b>
	<b>प्रचालन कार्यों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह Net cash flow from the operating activities</b>	<b>-108501.30</b>	<b>-71166.67</b>



II	निवेश कार्यों से रोकड़ प्रवाह Cash Flow from the investing activities	2008-09	2007-08
	अचल परिसम्पत्तियां (शुद्ध) की खरीद Purchase of fixed assets(net)	-2669.01	-5731.49
	अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री से आय Proceeds from sale of fixed assets	210.59	171.26
	निवेश (शुद्ध) की खरीद Purchase of investments(net)	-38015.71	-79173.91
	ऋण चुकता Loans disbursed	0.00	-11.20
	निवेश की बिक्री Sales of investments	47542.08	65934.15
	पुनर्भुगतान की प्राप्ति Repayments received	35857.04	18398.89
	किराया/ब्याज/लाभांश की प्राप्ति Rents/Interests/Dividends received	56102.27	53548.36
	मनीमार्केट इंस्ट्रूमेंट तथा लिक्विड - म्युचुअल फण्ड में निवेश (शुद्ध) Inv.in money market instruments & liquid mutual funds (net)	3786.13	3122.89
	निवेश से सम्बन्धित खर्चें Expenses relating to investments	-311.39	-250.77
	अन्य निवेश प्राप्ति Other investment receipts	0.00	0.13
	<b>निवेश क्रिया से शुद्ध रोकड़ प्रवाह</b> <b>Net cash flow from the investing activities</b>	<b>102502.00</b>	<b>56008.31</b>
III	वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह Cash Flow from the financing activities		
	शेयर पूंजी के निर्गमन से लाभ Proceeds from issuance of share capital	0.00	0.00
	उधार से लाभ Proceeds from borrowing	0.00	0.00
	उधार की पुनर्दायगी Repayments of borrowing	0.00	0.00
	ब्याज/लाभांश (वितरण कर शामिल) संदत्त Interest/dividends (including distribution tax) paid	-877.46	-11699.50
	<b>वित्तीय क्रिया से शुद्ध प्रवाह</b> <b>Net cash flow from the financing activities</b>	<b>-877.46</b>	<b>-11699.50</b>



## दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

IV	रोकड़ एवं समकक्ष रोकड़ ( शुद्ध ) पर विदेशी विनिमय दरों का प्रभाव Effect of foreign exchange rates on cash and cash equivalents(net)	1277.03	-1029.01
	रोकड़ एवं समकक्ष रोकड़ में शुद्ध वृद्धि (+) / कमी (-) Net increase(+)/decrease(-) in cash and cash equivalents	-5599.73	-27886.87
	वर्ष के आरम्भ में रोकड़ एवं समकक्ष रोकड़ Cash and cash equivalents at the beginning of the year	120612.51	148499.38
	वर्ष के अन्त में रोकड़ एवं समकक्ष रोकड़ Cash and cash equivalents at the end of the year	115012.78	120612.51

+ आंकड़े अन्तर्वाह है तथा - आंकड़े बहिर्वाह है।

+ figure is Inflow and - figure is Outflow

कृते सुरेश चन्द्र एण्ड एसोसिएट्स  
सनदी लेखाकार  
For Suresh Chandra & Associates  
Chartered Accountants

कृते एस. मान एण्ड कं.  
सनदी लेखाकार  
For S. MANN & CO.  
Chartered Accountants

एम. रामदास  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
M. RAMADOSS  
Chairman-cum-Managing Director

सीए एस. सी. गुप्ता  
भागीदार  
सदस्यता नं. 016534  
CA S. C. GUPTA  
Partner  
Membership No. 016534

सीए सुभाष मान  
भागीदार  
सदस्यता नं. 80500  
CA SUBHASH MANN  
Partner  
Membership No. 80500

जे.एस.एस शास्त्री  
निदेशक  
J. S. S. SASTRY  
Director

Place : New Delhi  
स्थान : नई दिल्ली  
Dated : 20th July, 2009  
दिनांक: 20 जुलाई, 2009

एस.के. चानना  
निदेशक  
S. K. CHANANA  
Director  
रश्मी बाजपेयी  
कंपनी सचिव  
RASHMI BAJPAI  
Company Secretary

डी. सिंह  
निदेशक  
D. SINGH  
Director  
एस. सुरेन्थर  
वित्त सलाहकार  
S. SURENTHAR  
Financial Advisor





दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड  
**THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**  
 तुलन पत्र का सार तथा कम्पनी का सामान्य ब्यौरा  
**Balance Sheet Abstract and Company's General Profile**  
 कम्पनी अधिनियम ( 1 से 1956 ) अनुसूची VI भाग IV  
**The Companies Act (1 to 1956) Schedule VI Part IV**

<b>I पंजीकरण विवरण</b>			
<b>Registration Details</b>			
पंजीकरण संख्या Registration Number	7158	राज्य कोड State Code	55
तुलन पत्र Balance Sheet	31.03.2009		
<b>II वर्ष के दौरान उठायी गई पूंजी ( रुपये हजारों में )</b>			
<b>Capital Raised during the year (Amount in Rs. Thousands)</b>			
पब्लिक इश्यू Public Issue	शून्य NIL	राइट इश्यू Right Issue	शून्य NIL
बोनस इश्यू Bonus Issue	शून्य NIL	प्राइवेट प्लेसमेन्ट Private Placement	शून्य NIL
<b>III निधियों की प्रवृत्ति तथा नियोजन की स्थिति ( रुपये हजारों में )</b>			
<b>Position of Mobilisation and Deployment of Funds (Amount in Rupees Thousands)</b>			
सकल देयता Total Liabilities	134626267	सकल परिसंपत्तियां Total Assets	134626267
निधियों का स्रोत <b>Sources of Funds</b>		आरक्षितियां एवं अधिशेष और शुद्ध मूल्य Reserve & Surplus and Fair Value Change	58492120
चुकता पूंजी Paid up Capital	1000000	असमाप्त जोखिम आरक्षिती एवं अन्य प्रावधान Unexp. Risk Reserve & Other Provisions	21319226
वर्तमान दायित्व Current Liabilities	53814927	निवेश एवं ऋण Investments & Loans	97807067
निधियों का उपयोग <b>Application of Funds</b>			
शुद्ध स्थाई परिसंपत्तियां Net Fixed Assets	854747		



## दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

वर्तमान परिसंपत्तियां Current Assets	35964453	विविध व्यय Misc. Expenditure	NIL
एकीकृत हानियां Accumulated Losses	NIL		
<b>IV. कम्पनी का कार्यनिष्पादन ( रुपये हजारों में ) Performance of Company (Amount in Rs. Thousands)</b>			
कुल कारोबार Turnover	32350998	कुल व्यय Total Expenditure	41779690
कर के पहले लाभ/हानि Profit/Loss before Tax	-884226	कर के पहले लाभ/हानि Profit/Loss before Tax	-526634
प्रति शेयर आय रुपयों में Earning Per Share in Rs.	-5.27	लाभांश Dividend	NIL
<b>V. कम्पनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के जातिगत नाम ( मैट्रिक सीमा के अनुसार ) Generic Names of Three Principal Products/ Services of Company (as per monetary terms)</b>			
मद कोड संख्या Items Code No.	NIL		
उत्पाद विवरण Product Description		गैर जीवन बीमा व्यवसाय Non Life Insurance Business	

एम. रामदास

**M. RAMADOSS**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Chairman-cum-Managing Director

जे. एस. एस. शास्त्री

**J.S.S. SASTRY**

एस. के. चानना

**S. K. CHANANA**

डी. सिंह

**D. SINGH**

निदेशकगण

**Directors**

स्थान : नई दिल्ली

Place : New Delhi

दिनांक : 20 जुलाई, 2009

Dated : 20<sup>th</sup> July, 2009



## इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड के निदेशकों की रिपोर्ट

सज्जनों,

निदेशक 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी 79वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखित खाते और तुलन पत्र प्रस्तुत करते हैं।

कम्पनी ने इस वर्ष के दौरान कोई व्यवसाय नहीं किया।

कम्पनी का प्रबंधन निदेशकों ने किया जो ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (होल्डिंग कम्पनी) के नामित हैं। प्रशासनिक सेवाएं ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड देती है।

इस वर्ष के दौरान, होल्डिंग कम्पनी ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा रु. 100 प्रत्येक के हिसाब से 4000 शेयरों के वरीय आवंटन के जरिए, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी न्यूनतम चुकता पूंजी संबंधी कम्पनी कानून, 1956 की धारा 3 (iv) के अनुपालन में कम्पनी की चुकता पूंजी रु. 1 लाख से बढ़कर रु. 5 लाख हो गई।

कम्पनी ने रु. 1 लाख से रु. 5 लाख तक की चुकता पूंजी में वृद्धि में देरी के लिए अपराध को संयुक्त करने के लिए कम्पनी कार्य मंत्रालय को निवेदन किया है।

वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाते में दिखाई गई रु. 72,363 की हानि समीक्षा के अधीन है।

लाभ एवं हानि विनियोजन खाते से कुल रु. 401,545 की आगे ले जाई गई हानि का पता चलता है।

आगे ले जाई गई हानियों के मद्देनजर, आपके निदेशक किसी लाभांश के भुगतान या आरक्षितियों को किसी कोष के अंतरण की सिफारिश नहीं करते हैं।

चूंकि प्रशासनिक सेवाएं ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड देती है, इसलिए कम्पनी की नामावलियों में कोई कर्मचारी नहीं है।

### निदेशक बोर्ड

श्री एस. सुरेन्थर आगामी वार्षिक आम सभा की तिथि को परिक्रमण के जरिए सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य हैं।

श्री पी. महाजन आगामी वार्षिक आम सभा की तिथि को परिक्रमण के जरिए सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य हैं।

### लेखा परीक्षक :

मैसर्स रेखा गुप्ता एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली-110 002 ने 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है।

## Report of The Directors of The Industrial Credit Company Ltd.

Gentlemen,

The Directors present their 79<sup>th</sup> Annual Report and the Audited Accounts and the Balance Sheet for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2009.

The Company did not transact any business during the year.

The Company was managed by the directors who are nominees of The Oriental Insurance Company Limited (Holding Company). The administrative services are lent by The Oriental Insurance Company Limited.

The Company has not accepted any deposits from the public and there is no such unclaimed or unpaid deposit.

During the year, the paid up capital of the Company was increased from Rs. One Lakh to Rs. Five Lakhs in compliance with section 3(iv) of Companies Act, 1956, by preferential allotment of 4000 shares of Rs. 100 each to the Holding Company 'The Oriental Insurance Company Limited'.

The Company has filed a petition with Ministry of Corporate Affairs (MCA) for Compounding of offence for delay in increase in paid up Capital from Rs. One Lakh to Rs. Five Lakh.

The Profit & Loss account shows a loss of Rs.72,363 for the year under review.

The Profit & Loss Appropriation Account shows a total carry forward loss of Rs.401,545.

In view of carry forward losses, your Directors do not recommend payment of any dividend or transfer of any funds to reserves.

Since the administrative services are lent by The Oriental Insurance Company Limited, there is no employee on the rolls of the company.

### Board of Directors

Shri S. Surenther is retiring by rotation on the date of the forthcoming Annual General meeting and is eligible for reappointment.

Shri P. Majahan is retiring by rotation on the date of the forthcoming Annual General meeting and is eligible for reappointment.

### Auditors:

M/s Rekha Gupta & Associates, Chartered Accountants were appointed as Auditors of the Company for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2009 by the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi-110 002.



## दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

कम्पनी कानून, 1956 की धारा 217 (2 एए) के प्रावधानों के अनुसार निदेशक एतद् द्वारा पुष्टि करते हैं कि:-

- (क) कि वार्षिक लेखा तैयार करने में, महत्वपूर्ण प्रस्थानों संबंधी समुचित व्याख्याओं के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है,
- (ख) कि निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उनको निरंतर लागू किया गया है तथा लिए गए निर्णय और अनुमान युक्तिसंगत हैं तथा वित्त वर्ष के अंत में कम्पनी की परिस्थितियों के बारे में सही एवं सत्य विचार प्रकट करने और उस अवधि के लिए कम्पनी के लाभ एवं हानि को विवेकपूर्ण रूप दिया है।
- (ग) कि निदेशकों ने कम्पनी की परिसंपत्तियों के सुरक्षा उपायों के लिए तथा धोखे एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस कानून के प्रावधानों के अनुपालन में पर्याप्त लेखा रिकार्ड की देखरेख के लिए समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है,
- (घ) कि निदेशकों ने निरंतर देखरेख के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किए।

हम यह पुष्टि भी करते हैं कि कम्पनी कानून, 1956 की धारा 77 ए के प्रावधानों के अनुसार अपने शेयर वापस खरीदने का कम्पनी ने किसी भी समय इरादा नहीं किया।

**एस.के. चानना**  
(निदेशक)

**डी. सिंह**  
(निदेशक)

**एस.सुरेन्धर**  
(निदेशक)

**पी. महाजन**  
(निदेशक)

स्थान : नई दिल्ली  
दिनांक: 23.04.2009

Pursuant to provisions of Sec. 217(2AA) of the Companies Act, 1956, the Directors hereby confirm:-

- (a) That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) That the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;
- (c) That the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) That the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis.

We also confirm that the Company had not at any time resolved to buy back its own share as per the provisions of Sec 77A of the Companies Act, 1956.

**S.K.Chanana**  
(Director)

**D.Singh**  
(Director)

**S.Surenther**  
(Director)

**P.Mahajan**  
(Director)

**Place: New Delhi**

**Date: 23.04.2009**



## सदस्यों के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2009 तक, द इंडस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड के तुलन पत्र और उस संदर्भ में अनुबद्ध, उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ एवं हानि खाते की भी लेखा परीक्षा की है। यह वित्तीय विवरण कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करने की है।

हमने आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखा परीक्षा के मानकों के अनुपालन में लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के लिए यह आवश्यक होता है कि हम यह युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना और कार्य निष्पादन करें कि क्या वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण रूप से गलत बयानी से मुक्त हैं। लेखा परीक्षण में परीक्षा के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशि और प्रकटन के समर्थन में परीक्षण शामिल है। लेखा परीक्षा में इस्तेमाल किए गए लेखा परीक्षकों के सिद्धांतों और प्रबंधन के महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ साथ समग्र वित्तीय विवरण प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारे लेखा परीक्षण हमारी राय के लिए युक्तिसंगत आधार उपलब्ध कराते हैं।

कम्पनी कानून, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4 क) की शर्तों में भारत की केंद्र सरकार की ओर से जारी कम्पनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2003 (आदेश) की आवश्यकता अनुरूप हम अनुलग्नक में उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 और 5 में निर्धारित मामलों पर विवरण देते हैं:

हम रिपोर्ट करते हैं कि :

1. हमने सभी सूचना और व्याख्याएं प्राप्त की हैं जो हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के उद्देश्य के लिए आवश्यक थी।
2. जहां तक ऐसी पुस्तकों की परीक्षा से स्पष्ट हुआ है, हमारी राय में कम्पनी कानून ज़रूरी समुचित लेखा बही रखती है।
3. इस रिपोर्ट में संदर्भित तुलन पत्र और लाभ एवं हानि खाते लेखा बहियों के अनुबंध में हैं।
4. हमारी राय में इस रिपोर्ट से संबंधित लाभ एवं हानि खाते और तुलन पत्र कम्पनी कानून, 1956 के धारा 211 की उपधारा (3 सी) से संदर्भित लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन में हैं।
5. 31 मार्च, 2009 को निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुति और निदेशकों के बोर्ड के रिकार्ड के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि 31 मार्च 2009 को कोई भी निदेशक कम्पनी कानून, 1956

## AUDITOR'S REPORT TO THE MEMBERS

We have audited the attached Balance Sheet of THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED, as at 31st March, 2009 and also the Profit and Loss Account for the period ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An Audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as was as evaluating overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 (The Order) issued by the Central Government of India in terms of sub-section (4A) of section 227 of the companies Act, 1956 We give in the annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 the said order:

We report that :

1. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
2. In our opinion proper books of accounts as required by law have been kept by the company so far as appears from our examination of such books.
3. The Balance Sheet and Profit & Loss Account referred to in this report are in agreement with the books of accounts.
4. In our opinion, the Profit and Loss Account and Balance Sheet dealt with by this report comply with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956
5. On the basis of written representation received from the directors as on 31st March, 2009 and taken on record by the Board of Directors, We report that none



## दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

की धारा 274 की उपधारा (1) के उपवाक्य (जी) की शर्तों में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य नहीं है।

हमारी राय में और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार उक्त लेखा और उनके साथ पठित टिप्पणियां, कम्पनी कानून, 1956 के तहत आवश्यक सूचना इस ढंग से देते हैं जिसमें आवश्यकता है तथा भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षण के सिद्धांतों के अनुपालन में पूरी तरह सत्य और सही सूचना देते हैं।

- (क) 31 मार्च, 2009 को कम्पनी की परिस्थिति की, तुलन पत्र के मामले में, और
- (ख) उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए कम्पनी की हानि के, लाभ एवं हानि खाते के मामले में।

रेखा गुप्ता एंड एसोसिएट्स  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(रेखा गुप्ता)  
पार्टनर  
सदस्य सं. 76971

of the Directors is disqualified as on 31st March, 2009 from being appointed as a Director in the terms of clause (g) of sub-section (l) of section 274 of the Companies Act, 1956.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the said accounts read together with notes thereon, give the information required by the Companies Act, 1956 in the manner so required and also give true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India;

- (a) In the case of Balance Sheet, of the State of Affairs of the company as at 31 March, 2009; and
- (b) In the case of the Profit & Loss Account, of the Company for the period ended on that date.

For Rekha Gupta & Associates  
Chartered Accountants

(Rekha Gupta)  
Partner  
Member No. 76971

दिनांक : 23 अप्रैल, 2009  
स्थान : नई दिल्ली

Date: 23<sup>rd</sup> April, 2009  
Place : New Delhi



**लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक**

- (i) कम्पनी ने मात्रात्मक ब्यौरे और अचल परिसंपत्तियों सहित सम्पूर्ण विवरण दर्शाने वाले समुचित रिकार्ड रखे हैं, तथापि हमें ऐसी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे युक्ति संगत अंतराल पर उनको वास्तविक रूप में जांचने की प्रणाली का पता चलता हो।
- (ii) कम्पनी ने अपनी होल्डिंग कम्पनी ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड से रु. 2,48,932/- (पिछले वर्ष रु. 226,140/-) का ऋण लिया है। कम्पनी ने ऐसे ऋण के लिए अपनी बही में ब्याज देनदारियों को उपलब्ध नहीं कराया है।
- (iii) 31 मार्च, 2009 को तुलन पत्र के अनुसार ऋण और अग्रिम बकाया रु. 37,973/- हैं। कम्पनी ने अग्रिमों की वसूली के लिए सभी मामलों में निवेदन दाखिल किया है। कम्पनी दाखिल किए गए इन निवेदनों में कोई ब्याज उपलब्ध नहीं करा रही है। समीक्षा वर्ष के दौरान, कम्पनी ने कोई ऋण और अग्रिम नहीं दिया है।
- (iv) कम्पनी जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं करती है।
- (v) हमारी राय में और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दी गई व्याख्या के अनुसार, उक्त आदेश के पैरा 4 और 5 के उपवाक्य कम्पनी पर लागू नहीं हैं और इसलिए उन पर टिप्पणी नहीं की गई है।

**रेखा गुप्ता एंड एसोसिएट्स के लिए**  
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

( रेखा गुप्ता )  
पार्टनर  
सदस्य सं. 76971

दिनांक : 23 अप्रैल, 2009  
स्थान : नई दिल्ली

**ANNEXURE TO AUDITOR'S REPORT**

- (i) The Company has maintained proper records showing full particulars, including quantitative detail and situation of fixed assets, though no such report was made available to us, which reflects a system of physical verification at reasonable intervals.
- (ii) The Company has taken loan of Rs. 2, 48, 932/- (previous year Rs. 226,140/-) from its holding Company, "The Oriental Insurance Company Limited". The Company has not provided interest liability in their books towards such loan.
- (iii) The Loans and advances outstanding as per Balance Sheet as at 31st March, 2009 are Rs. 37,973/- The Company has filed suits in all cases for the recovery of the advances. Company is not providing any interest on these suit filed cases. During the year under consideration, the company has not granted any loans and advances.
- (iv) The company has not accepted any deposit from the public.
- (v) In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, other clauses of Para 4 and 5 of the said order are not applicable to the company and have therefore not been commented upon.

**For Rekha Gupta & Associates**  
Chartered Accountants

(Rekha Gupta)  
Partner  
Member No. 76971

Date: 23<sup>rd</sup> April, 2009  
Place : New Delhi



## दि ओरिएण्टल इंडस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड

31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए इंडस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड के लेखा पर कम्पनी कानून, 1956 की धारा 619 (4) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

कम्पनी कानून, 1956 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुपालन में 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए इंडस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। कम्पनी कानून की धारा 619 (2) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक भारत के चार्टरित एकाउंटेंट्स संस्थान नामक पेशेवर निकाय द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षण और आश्वासन मानकों के अनुपालन में स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कम्पनी कानून, 1956 की धारा 227 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय प्रकट करने के लिए उत्तरदाई है/हैं। उन्होंने दिनांक 23.04.2009 की अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट में यह बताया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, मैंने 31 मार्च, 2009 को समाप्त वर्ष के लिए इंडस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड के लेखा पर वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा नहीं करने और इस तरह कम्पनी कानून, 1956 की धारा 619 (4) के तहत कोई टिप्पणी नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए  
और उनकी ओर से

(सरोज पुन्हानी)  
प्रधान निदेशक  
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा और  
ऑडिट बोर्ड--II के पदेन सदस्य,  
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक:

**Comments of the Comptroller & Auditor  
General of India under section 619 (4) of the  
Companies Act, 1956 on The Accounts of  
The Industrial Credit Company Limited for  
The Year ended 31st March, 2009.**

The preparation of financial statements of The Industrial Credit Company Limited for the year ended 31st March, 2009 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor/auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619 (2) of the Companies Act, 1956 is/are responsible for expressing opinion on these financial statements under section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional a body the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 23.4.2009.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to review the report of the Statutory Auditors on the accounts of The Industrial Credit Company Limited for the year ended 31 March, 2009 and as such have no comments to make under Section 619 (4) of Companies Act, 1956.

For and on the behalf of the Comptroller  
& Auditor General of India

(Saroj Punhani)  
Principal Director of Commercial Audit  
and Ex-Officio Member Audit Board -II  
New Delhi

Place : New Delhi  
Date :





दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड  
THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED

31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र  
BALANCE SHEET AS AT 31ST March, 2009

विवरण Particulars	31 मार्च, 2009 (रु) AS AT 31.03.2009 (Rs.)	31 मार्च, 2008 (रु) AS AT 31.03.2008 (Rs.)	परिसम्पत्ति Assets	31 मार्च, 2009 (रु) AS AT 31.03.2009 (Rs.)	31 मार्च, 2008 (रु) AS AT 31.03.2008 (Rs.)
<b>शेयर पूंजी</b> <b>SHARE CAPITAL</b>					
<b>अधिकृत</b> <b>Authorized:</b>					
10000 इक्विटी शेयर प्रत्येक 100/- रु. 10000 Equity Shares of Rs.100/ each	10,00,000	10,00,000			
<b>निर्गमित</b> <b>Issued:</b>					
5050 इक्विटी शेयर प्रत्येक 100/- रु. 5050 Equity Shares of Rs 100/ each	5,05,000	1,05,000			
<b>अभिदत्त और चुकता</b> <b>Subscribed and paid up:</b>					
5000 इक्विटी शेयर नियंत्रक प्रत्येक 100/- (सारे शेयर नियंत्रक कम्पनी दि ओरिएण्टल इंडस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड के पास है) 5000 Equity Shares of Rs. 100/ each (The entire shares held by the Holding company 'The Oriental Insurance Company Limited')	500,000	100,000	<b>वर्तमान परिसंपत्ति,</b> <b>ऋण, अग्रिम</b> अनुसूचित बैंक के पास चालू खाते में शेष <b>Current Assets,</b> <b>Loans, Advances</b> Balance With scheduled Bank in Current Account	403475	3700
<b>अनारक्षित ऋण</b> <b>Unsecured Loans:</b>					
नियंत्रक कम्पनी "दि ओरिएण्टल इंडस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड" को देय राशि Amount due to Holding Company "The Oriental Insurance Company Limited"	248,932	226,140	<b>ऋण एवं अग्रिम</b> अनुसूचित 'क' के अनुसार ऋण घटाया: सदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान <b>Loans &amp; Advances</b> Loans as per Schedule 'A' Less provision for doubtful Debts	37,973	37,973
				37,973	37,973



## दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

<b>विविध लेनदार</b> <b>Sundry Creditors:</b> (बकाया एवं अर्जित व्यय शामिल) (including outstanding & accrued expenses) <b>आकस्मिक देयता :</b> <b>Contingent Liability</b> कम्पनी के विरुद्ध 9,565,987/- रूपये (31.03.2009 तक 13% वार्षिक ब्याज की दर से) के दावों को कम्पनी ने कर्ज नहीं माना क्योंकि वो एकतरफा निर्णय था तथा कम्पनी इस पर अभी प्रतिवाद कर रही है। Claims against the company not acknowledged as debt, being an ex-parte decree against the company for Rs.9,565,987/- ( with interest @13% p.a. upto 31.03.09) which is being contested by the company	56,088	6,742	<b>लाभ एवं हानि खाता</b> <b>Profit and Loss Account</b>	401,545	329,182
<b>कुल</b> <b>TOTAL</b>	<b>805,020</b>	<b>332,882</b>		<b>805,020</b>	<b>332,882</b>

खातों पर टिप्पणियां अनुसूची ख के अनुसार तुलन पत्र का हिस्सा  
 Notes to the accounts forming part of the Balance Sheet as per Schedule 'B'

संलग्न तिथि तक हमारी रिपोर्ट के अनुसार  
 In terms of our report of even date attached

कृते रेखा गुप्ता एंड एसोसिएट्स  
**For Rekha Gupta & Associates**  
 सनदी लेखाकार  
 Chartered Accountants

( रेखा गुप्ता )  
**(Rekha Gupta)**  
 भागीदार  
 Partner  
 सदस्य सं. 76971  
 Member No. 76971

स्थान : नई दिल्ली  
**Place : New Delhi**  
 दिनांक : 23 अप्रैल, 2009  
**Dated : 23<sup>rd</sup> April, 2009**

एस. के. चानना  
**S.K. Chanana**  
 देवी सिंह  
**Devi Singh**  
 एस. सुरेन्थर  
**S. Surenther**  
 पी. महाजन  
**P. Mahajan**  
 निदेशकगण  
**Directors**



दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड  
**THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED**  
 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार लाभ एवं हानि लेखा  
**PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST March, 2009**

विवरण Particulars	चालू वर्ष (रु) Current year (Rs.)	पिछला वर्ष (रु) Previous year (Rs.)	विवरण Particulars	चालू वर्ष (रु) Current year (Rs.)	पिछला वर्ष (रु) Previous year (Rs.)
लेखा परीक्षा शुल्क Audit Fee	6,618	6,742	लाभ-हानि विनियोजन खाते में ले जाये गये अतिशेष		
फाइलिंग शुल्क Filing Fee	1,620	3,236	Balance carried to Profit & Loss Appropriation Account	72,363	96,978
अन्य व्यावसायिक शुल्क Other Professional Fee	63,900	87,000			
बैंक शुल्क Bank charges	225	0			
<b>कुल Total</b>	<b>72,363</b>	<b>96,978</b>	<b>कुल Total</b>	<b>72,363</b>	<b>96,978</b>

उक्त तिथि के तुलन पत्र पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार  
 As per our report on the Balance Sheet of even date

कृते रेखा गुप्ता एंड एसोसिएट्स  
**For Rekha Gupta & Associates**  
 सनदी लेखाकार  
 Chartered Accountants

( रेखा गुप्ता )  
**(Rekha Gupta)**  
 भागीदार  
 Partner  
 सदस्य सं. 76971  
 Member No. 76971

स्थान : नई दिल्ली  
**Place : New Delhi**  
 दिनांक : 23 अप्रैल, 2009  
**Dated : 23<sup>rd</sup> April, 2009**

एस. के. चानना  
**S.K. Chanana**  
 देवी सिंह  
**Devi Singh**  
 एस. सुरेन्थर  
**S. Surenther**  
 पी. महाजन  
**P. Mahajan**  
 निदेशकगण  
**Directors**



## दि ओरिएण्टल इंडस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड

### दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED

#### 31 मार्च, 2009 की स्थिति के अनुसार लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा Profit & Loss Appropriation Account For The Year Ended 31st March, 2009

विवरण Particulars	चालू वर्ष (रु) Current year (Rs.)	पिछला वर्ष (रु) Previous year (Rs.)	विवरण Particulars	चालू वर्ष (रु) Current year (Rs.)	पिछला वर्ष (रु) Previous year (Rs.)
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष Balance brought forward from previous year	329,182	232,204	लाभ-हानि लेखा से आगे लाये गये वर्ष के लिए लाभ Profit for the year brought forward from P&L Account		
लाभ और हानि खातों में से अग्रणीत वर्ष के लिए हानि Loss for the year brought forward from P&L Account	72,363	96,978	तुलन पत्र से ले जाये गये शेष Balance carried to Balance Sheet	401,545	329,182
<b>कुल Total</b>	<b>401,454</b>	<b>329,182</b>		<b>401,545</b>	<b>329,182</b>

उक्त तिथि के तुलन पत्र पर हमारी रिपोर्ट के अनुसार  
As per our report on the Balance Sheet of even date

कृते रेखा गुप्ता एंड एसोसिएट्स  
For Rekha Gupta & Associates  
सनदी लेखाकार  
Chartered Accountants

(रेखा गुप्ता)  
(Rekha Gupta)  
भागीदार  
Partner  
सदस्य सं. 76971  
Member No. 76971

स्थान : नई दिल्ली  
Place : New Delhi  
दिनांक : 23 अप्रैल, 2009  
Dated : 23<sup>rd</sup> April, 2009

एस. के. चानना  
S.K. Chanana  
देवी सिंह  
Devi Singh  
एस. सुरेन्थर  
S. Surenther  
पी. महाजन  
P. Mahajan  
निदेशकगण  
Directors



दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड  
THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED

31 मार्च, 2009 को तुलन पत्र के निर्माण भाग इसके साथ संलग्न ऋण एवं अग्रिम की अनुसूची "क"  
Schedule A of Loans and Advances Attached to and Forming Part of  
The Balance Sheet As At 31st March, 2009

विवरण Particulars	चालू वर्ष ( रु. ) Current Year (Rs.)	गत वर्ष ( रु. ) Previous Year (Rs.)
किराया खरीद करार के अधीन गाड़ियों, रेफ्रिजरेटरों, टेलीविजन आदि के लिए अग्रिम राशि Advance against Motor Vehicle, Refrigerators, TV etc. under Hire Purchase agreement	19,387.00	19,387.00
किराये पर लेने वालों से वसूली योग्य जिसमें जब्त किए गए वाहनों (मुकदमें बाजी के अधीन की विक्रय से प्राप्त राशि का समायोजन करने के बाद वसूली पर व्यय शामिल है Advances Recoverable from hirer including expenses on realization after adjusting the sale proceedings of seized vehicle	18,586.33	18,586.33
<b>कुल Total</b>	<b>37,973.33</b>	<b>37,973.33</b>

**NOTE :**

**टिप्पणी :**

क) छः महीने से अधिक अवधि के लिए असुरक्षित बकाया ऋण संदिग्ध माने गये।

A. Unsecured Debts o/s for a period of more than six months is considered doubtful.

ख) वसूली के लिए संदिग्ध माने गये ऋणों के कारण 37,973/- रुपये का प्रावधान किया गया।

B. Provisions for Rs. 37, 973/- has been made of debts considered doubtful of recovery

कृते इंडस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड  
For The Industrial Credit Company Ltd.

एस. के. चानना  
S.K. Chanana

देवी सिंह  
Devi Singh

एस. सुरेन्थर  
S. Surenther

पी. महाजन  
P. Mahajan

निदेशकगण  
Directors

स्थान : नई दिल्ली

Place : New Delhi

दिनांक : 23 अप्रैल, 2009

Dated : 23<sup>rd</sup> April, 2009



## दि ओरिएण्टल इंडस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड

### अनुलग्नक "बी"

#### इंडस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड

31 मार्च, 2009 को तुलन पत्र से संलग्न टिप्पणियों की अनुसूची और उसे निर्मित करने वाला अंश

#### क. लेखापरीक्षण की नीतियां :

1. लेखा संहिता ऋण पर ब्याज के सिवाय व्यापारिक आधार पर रखे गए हैं।

#### बी. लेखा निर्मित करने वाले अंश पर टिप्पणियां

1. इस वर्ष के दौरान, पैतृक कम्पनी ओरिएण्टल इंडस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड द्वारा पूरी तरह से क्रय किए गए रु. 100 प्रत्येक के हिसाब से 4000 शेयरों को जारी करके, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी न्यूनतम चुकता पूंजी संबंधी कम्पनी कानून, 1956 की धारा 3 (iv) के अनुपालन में कम्पनी की चुकता पूंजी रु. 1 लाख से बढ़कर रु. 5 लाख हो गई।
2. कम्पनी ने रु. 1 लाख से रु. 5 लाख तक की चुकता पूंजी में वृद्धि में देरी के लिए अपराध को संयुक्त करने के लिए कम्पनी कार्य मंत्रालय को निवेदन किया है। निवेदन अभी तक लंबित है। जुर्माने की राशि अभी निश्चित नहीं है।
3. निदेशकों ने बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए बैठक फीस माफ कर दी है।
4. कम्पनी के विरुद्ध एक्स पार्टी कोर्ट डिक्री के संबंध में रु. 9,565,987/- का आकस्मिक दायित्व है जिसकी सत्यता पर कम्पनी संदेह प्रकट कर रही है।
5. होल्डिंग कम्पनी ओरिएण्टल इंडस्ट्रियल कम्पनी लिमिटेड को देय राशि पर (इस संबंध में होल्डिंग कम्पनी द्वारा निर्णय लंबित) देय ब्याज के संबंध में आकस्मिक दायित्व विद्यमान है। ब्याज की मात्रा अनिर्धारणीय है।
6. राष्ट्रीयकरण से असुरक्षित ऋण और रु. 37,973/- पर कोई ब्याज लेखित नहीं किया गया है क्योंकि उसे तुलन पत्र में संदेहास्पद के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
7. कम्पनी कानून, 1956 की अनुसूची VI के भाग II के पैराग्राफ 3, 4, (4 क), (4 ग), और (4 घ) के तहत दी जाने वाली आवश्यक अतिरिक्त सूचना, शून्य के रूप में पढ़ी जाए क्योंकि वह कम्पनी पर लागू नहीं होती, क्योंकि वर्ष के दौरान इसने कोई व्यवसाय नहीं किया है।
8. कम्पनी में कोई कर्मचारी नहीं है, इसके सभी मामलों की देखरेख होल्डिंग कम्पनी करती है।
9. पैसे को निकटतम रूप में लिखा गया है।

तुलन पत्र के साथ तिथि सहित अनुलग्न।

#### रेखा गुप्ता एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

(रेखा गुप्ता)

पार्टनर

सदस्य सं. 76971

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 23 अप्रैल, 2009

एस. के. चानना

देवी सिंह

एस. सुरेन्थर

पी. महाजन

निदेशकगण

### ANNEXURE "B"

#### The Industrial Credit Company Limited Schedule of Notes Attached to and Forming Part of the Balance Sheet As At 31st March, 2009

#### A. ACCOUNTING POLICIES:

1. Accounts are maintained on mercantile basis except interest on doubtful debts.

#### B. NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

1. During the year, the paid up capital of the company was increased from Rs 1 Lakh to Rs 5 Lakh in compliance with section 3(iv) of Companies Act 1956, regarding minimum paid up capital of public Limited Company; by issuance of 4000 shares of Rs 100 each fully subscribed by the parent company 'The Oriental Insurance Co. Ltd.'
2. Company has filed a petition with Ministry of Corporate Affairs (MCA) for compounding of offence for delay in increase in Paid up Capital from Rs 1 Lakh to Rs 5 Lakh. The petition is still pending. The amount of penalty is not ascertainable.
3. The directors have foregone the sitting fee for attending the Board Meeting.
4. There exists a contingent liability in respect of an ex-parte court Decree against the company for Rs.9,565,987/- which is being contested by the company.
5. There exists a contingent liability in respect of the interest payable to the Holding Company, The Oriental Insurance Company Limited, on the amount due to them (pending decision by the holding company, to this effect). The quantum of interest is indeterminable.
6. No interest has been accounted on unsecured loans and advances of Rs.37,973/- since nationalization as the same has been classified as doubtful in the Balance Sheet.
7. Additional information required to be given under paragraph 3,4,(4A),(4C) & (4D) of part II of schedule VI of the Companies Act,1956, be read as nil as the same does not apply to the company, as it did not transact any business during the year.
8. The company has no employee; all its affairs are looked after by the Holding Company.
9. Paisa has been rounded off to nearest rupee.

Annexed to the Balance Sheet of even date attached.

#### For Rekha Gupta & Associates

Chartered Accountants

(Rekha Gupta)

Partner

Member No. 76971

Place : New Delhi

दिनांक : 23 अप्रैल, 2009

S.K. Chanana

Devi Singh

S. Surenther

P. Mahajan

Directors



दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड  
**THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED**  
 तुलन पत्र का सार तथा कम्पनी का सामान्य ब्यौरा  
**Balance Sheet Abstract and Company's General Profile**

<b>I पंजीकरण विवरण</b> <b>Registration Details</b>			
पंजीकरण संख्या Registration Number	00216	राज्य कोड State Code	55
तुलन पत्र Balance Sheet	31.03.2009		
<b>II वर्ष के दौरान उठायी गई पूंजी ( रुपये हजारों में )</b> <b>Capital Raised during the year (Amount in Rs. Thousands)</b>			
पब्लिक इश्यू Public Issue	शून्य NIL	राइट इश्यू Right Issue	शून्य NIL
बोनस इश्यू Bonus Issue	शून्य NIL	प्राइवेट प्लेसमेन्ट Private Placement	400
<b>III निधियों की प्रवृत्ति तथा नियोजन की स्थिति</b> <b>( रुपये हजारों में )</b> <b>Position of Mobilisatation and Deployment of Funds (Amount in Rupees Thousands)</b>			
सकल देयता Total Liabilities	805	सकल परिसंपत्तियां Total Assets	805
<b>निधियों का स्रोत</b> <b>Sources of Funds</b>			
चुकता पूंजी Paid up Capital	500	आरक्षितियां एवं अधिशेष Reserve & Surplus	शून्य NIL
आरक्षित ऋण Secured Loans	NIL	आरक्षित ऋण Unsecured Loans	305
<b>निधियों का उपयोग</b> <b>Application of Funds</b>			
शुद्ध स्थाई परिसंपत्तियां Net Fixed Assets		निवेश Investments	शून्य NIL
वर्तमान परिसंपत्तियां Net Current Assets	403	विविध व्यय Misc. Expenditure	शून्य NIL
एकीकृत हानियां Accumulated Losses	402		



## दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

IV. कम्पनी का कार्यनिष्पादन ( रुपये हजारों में ) Performance of Company (Amount in Rs. Thousands)			
कुल कारोबार Turnover	शून्य NIL	कुल व्यय Total Expenditure	72
कर पूर्व हानि Loss before Tax	72	कर उपरांत हानि Loss after Tax	72
		लाभांश Dividend	शून्य NIL
V. कम्पनी के तीन मुख्य उत्पादों / सेवाओं का सामान्य नाम ( मुद्रा के आधार पर ) Generic Names of Three Principal Products/ Services of Company (As Per Monetary Terms)			
मद कोड संख्या Item Code No.	शून्य NIL		
उत्पाद विवरण Product Description	Hire Purchase Finance		

एस. के. चानना  
S.K. Chanana  
देवी सिंह  
Devi Singh  
एस. सुरेन्थर  
S. Surenther  
पी. महाजन  
P. Mahajan  
निदेशकगण  
Directors

स्थान : नई दिल्ली  
Place : New Delhi  
दिनांक : 23 अप्रैल, 2009  
Dated : 23<sup>rd</sup> April, 2009